

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

(क्रमांक 20 सन् 1959)

(दिनांक – 12.02.2020 तक संशोधित)

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
अध्याय-1 : प्रारम्भिक		
CHAPTER- I		
PRELIMINARY		
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ	01
	Short title, extent and commencement.	
2.	परिभाषाएँ	01
	Definitions.	

अध्याय-2

राजस्व मण्डल (बोर्ड)

CHAPTER- II		
BOARD OF REVENUE		
3.	राजस्व मण्डल का गठन	12
	Constitution of Board of Revenue.	
4.	राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान	12
	Principal seat and other places of sittings of Board of Revenue.	
5.	मण्डल के सदस्यों की सेवा शर्तें	12
	Conditions of service of members of Board.	
6.	वेतन तथा भर्ते	13
	Salaries and allowances.	
7.	मण्डल की अधिकारिता	13
	Jurisdiction of Board.	
8.	मण्डल की अधीक्षण सम्बन्धी शक्तियाँ	14
	Powers of Superintendence of Board.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
9.	एक सदस्यीय तथा बहुसदस्यीय न्यायपीठों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग Exercise of jurisdiction by single members and benches.	14
10.	संहिता के प्रारम्भ होने के समय लम्बित मामले Cases pending at commencement of Code.	14
अध्याय-3		
राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा शक्तियाँ		
CHAPTER- III		
REVENUE OFFICERS, THEIR CLASSES AND POWERS		
11.	राजस्व अधिकारी Revenue Officers.	15
12.	राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण Control over Revenue Officers.	15
13.	संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति Power to alter, create or abolish divisions, districts, sub-divisions and tahsils	15
13-क.	प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य Appointment of Principal Revenue Commissioner and his power and duties	16
14.	संभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति Power to appoint Commissioners of divisions.	16
15.	अपर आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति Power to appoint Additional Commissioner.	17

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
16.	कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति	18
17.	Power to appoint Collector. अपर कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति	18
18.	सहायक कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों तथा डिस्ट्री कलेक्टरों की नियुक्ति और शक्तियाँ	19
	Appointment and powers of Assistant Collectors, Joint Collectors and Deputy Collectors.	
19.	तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति	19
	Appointment of Tahsildars, Additional Tahsildars and Naib Tahsildars.	
20.	भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति	20
	Appointment of Superintendents of Land Records and Assistant Superintendents of Land Records.	
21.	विलोपित	20
	Deleted	
22.	उपखण्ड अधिकारी	21
	Sub-Divisional Officers.	
23.	राजस्व अधिकारियों की अधीनरथता	21
	Subordination of Revenue Officers.	
24.	राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त की जाना	21
	Conferral by State Government of Powers of Revenue Officers on any public servant or local body	

विषय—सूची

धारा	विषय वरतु	पृष्ठ क्र.
25.	स्थानान्तर होने पर प्रयोगनीय शक्तियाँ Powers exercisable on transfer.	22
26.	अस्थायी रिक्ति की दशा में कलेक्टर Collector in case of temporary vacancy.	22

अध्याय-4

राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया

CHAPTER- IV

PROCEDURE OF REVENUE OFFICERS AND
REVENUE COURTS

27.	जाचैं करने के लिये स्थान Place of holding enquiries.	23
28.	भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण (परिमाप) करने की शक्ति Power to enter upon and survey land.	23
29.	मामलों को अन्तरित करने की शक्ति Power to transfer cases.	24
30.	अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अन्तरित करने की शक्ति Power to transfer cases to and from subordinates.	24
31.	मण्डल तथा राजस्व अधिकारियों की न्यायालयों की प्रारिथति का प्रदान किया जाना Conferral of Status of Courts on Board and revenue officers.	25
32.	राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति Inherent power of Revenue Courts.	25

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
33.	व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेज पेश किये जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ Powers of Revenue Officers to require attendance of persons and production of documents and to receive evidence.	25
34.	साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करना Compelling attendance of witness.	27
35.	पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई Hearing in absence of party.	27
36.	सुनवाई का स्थगन Adjournment of hearing.	28
37.	व्यय दिलाने की शक्ति Power to award costs.	29
38.	रथावर सम्पत्ति का कब्जा परिदृत करने विषयक आदेश को निष्पादित करने की रीति Manner of executing order to deliver possession of immovable property.	29
39.	वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपसंजाति (हाजिरी) की जा सकेंगी और आवेदन किये जा सकेंगे Persons by whom appearances and applications may be made before and to Revenue Officers.	30
40.	अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव Effect of rules in Schedule I.	31

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

विषय-सूची

धारा	विषय वर्तु	पृष्ठ क्र.
41.	विलोपित	31
	Deleted	
42.	राजस्व अधिकारी के आदेश, भूल अथवा अनियमितता के कारण कब उल्टे जा सकेंगे	31
	Orders of Revenue Officer when reversible by reason of error or irregularity.	
43.	इस संहिता में स्पष्ट उपबन्ध न होने की दशा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का लागू होना	32
	Code of Civil Procedure to apply when no express provision made in this Code.	
	अध्याय-5	
	अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन	
	CHAPTER - V	
	APPEAL, REVISION AND REVIEW	
44.	अपील तथा अपीलीय अधिकारी	33
	Appeal and appellate authorities.	
45.	विलोपित	35
	Deleted	
46.	कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी	35
	No Appeal against certain orders.	
47.	अपीलों की परिसीमा	36
	Limitation of appeals.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
48.	याचिका के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है। Copy of order objected to accompany petition.	36
49.	अपील प्राधिकारी की शक्ति Power to appellate authority.	37
50.	पुनरीक्षण Revision.	37
51.	आदेशों का पुनर्विलोकन Review of orders.	40
52.	आदेशों के निष्पादन का रोका जाना Stay of execution of orders.	42
53.	लिमिटेशन ऐक्ट का लागू होना Application of Limitation Act.	43
54.	पुनरीक्षण का लम्बित रहना Pending revisions.	44
54-क.	विलोपित Deleted	44
55.	विलोपित Deleted	44
56.	आदेश का अर्थान्वयन Construction of order.	45

विषय-सूची

धारा	विषय वर्तु	पृष्ठ क्र.
अध्याय-6		
भूमि तथा राजस्व		
CHAPTER - VI		
LAND AND LAND REVENUE		
57.	समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व	45
	State ownership in all lands.	
58.	भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि का दायित्व	46
	Liability of land to payment of land revenue.	
58-क.	भू-राजस्व के भुगतान से छूट	46
	exempted from payment of land revenue.	
58-ख.	विलोपित	46
	Deleted	
59	जिस प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में लाई जा रही है, के अनुसार भू-राजस्व	47
	Land Revenue according to purpose for which land is used.	
59-क.	निर्धारण कब प्रभावशील होगा	50
	Assessment when to take effect.	
59-ख.	कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व किये गये भूमि के व्यपवर्तन पर पुनर्निर्धारण	50
	Reassessment on diversion of land prior to coming into force of the Code.	
60.	भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है का निर्धारण	51
	Assessment of un-assessed land	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
अध्याय-7		
भू-सर्वेक्षण		
CHAPTER - VII		
LAND SURVEY		
61.	भू-सर्वेक्षण की परिभाषा	52
	Definition of land survey	
62.	आयुक्त भू- अभिलेख की नियुक्ति	53
	Appointment of Commissioner land records.	
63.	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य	53
	Appointment of Additional Commissioners land records and their powers and duties.	
64.	प्रस्थापित भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना	53
	Notification of proposed land survey	
65.	जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी.	54
	District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer	
66.	जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियाँ.	54
	Powers of District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer	
67.	सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना	55
	Formation of survey numbers, block numbers, plot numbers and their grouping into villages in non-urban areas or into sectors in urban areas	

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

विषय-सूची

धारा	विषय वरतु	पृष्ठ क्र.
68.	सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने या उप विभाजित या समायोजित करने की शक्ति Power to re-number or sub-divide or amalgamate survey number, block number and plot number	56
69.	भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उपखण्डों की प्रविष्टि Entry of survey numbers, block numbers and plot numbers and their sub-divisions in land record	58
70.	ग्राम की आबादी का अवधारण Determination of abadi of village	58
71.	ग्रामों और सेक्टरों को विभाजित या सम्मिलित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति Power of District Survey Officer to divide or unite villages and sectors or exclude area therefrom	58
72.	निर्धारण Assessment	59
73.	समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी All lands liable to assessment	59
74.	नक्शे तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य Duty of District Survey Officer to maintain maps and records	59
75.	गलतियों को ठीक करने की उपखण्ड अधिकारी की शक्ति Power of Sub-Divisional Officer to correct errors	59

विषय-सूची

घारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
76.	भू-सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में, इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपरखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा किया जाना	60
	Powers provided under this Chapter to be exercised by Collector, Sub-Divisional Officer and Tahsildar in area not under land survey	
77.	नियम बनाने की शक्ति	60
	Power to make rules	
78.	विलोपित	60
	Deleted	
79.	विलोपित	60
	Deleted	
80.	विलोपित	60
	Deleted	
81.	विलोपित	60
	Deleted	
82.	विलोपित	60
	Deleted	
83.	विलोपित	60
	Deleted.	
84.	विलोपित	60
	Deleted	

विषय-सूची

धारा	विषय वरस्तु	पृष्ठ क्र.
85.	विलोपित	60
	Deleted	
86.	विलोपित	60
	Deleted	
87.	विलोपित	60
	Deleted	
88.	विलोपित	60
	Deleted	
89.	विलोपित	60
	Deleted	
90.	विलोपित	60
	Deleted	
91.	विलोपित	60
	Deleted	
91—क.	विलोपित	60
	Deleted.	

अध्याय-8

CHAPTER - VIII

92.	विलोपित	61
	Deleted.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
93.	विलोपित	61
	Deleted.	
94.	विलोपित	61
	Deleted.	
95.	विलोपित	61
	Deleted.	
96.	विलोपित	61
	Deleted.	
97.	विलोपित	61
	Deleted.	
98.	विलोपित	61
	Deleted.	
99.	विलोपित	61
	Deleted.	
100.	विलोपित	61
	Deleted.	
101.	विलोपित	61
	Deleted..	
102.	विलोपित	61
	Deleted.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
103.	विलोपित	61

Deleted.

अध्याय-9

भू-अभिलेख

CHAPTER - IX

LAND RECORDS

104.	नगरेतर क्षेत्र में पटवारी हल्कों की विरचना तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों की विरचना और पटवारियों तथा नगर सर्वेक्षकों की नियुक्ति	61
	Formation of patwari halkas in non-urban area and formation of sectors in urban area and appointment of patwaris and Nagar Sarvekshaks	
105.	नगरेतर क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना	62
	Formation of Revenue Inspector circles in non-urban area	
106.	नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति	62
	Appointment of Revenue Inspectors in non-urban areas	
107.	ग्राम, आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शे	62
	Maps of villages, abadi, blocks and sectors	
108.	अधिकार अभिलेख	63
	Record of rights	
109.	अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जायगी	65
	Acquisition of rights to be reported.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
110.	भू-अभिलेखों में अधिकार – अर्जन बाबत् नामांतरण Mutation of acquisition of right in land records	67
111.	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता Jurisdiction of Civil Courts.	69
112.	विलोपित Deleted	69
113.	अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण Correction of errors in record of rights	69
114.	भू-अभिलेख Land records.	70
114-क.	भू-अधिकार पुस्तिका Bhoo-Adhikar Pustika	71
115.	भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण Correction of wrong or incorrect entry in land record	71
116.	विलोपित Deleted	72
117.	भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा Presumption as to entries in land records.	72
118.	विलोपित Deleted	72

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
119.	विलोपित Deleted	72
120.	नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा Requisition of assistance in preparation of maps and record of rights.	72
121.	विलोपित Deleted	73
122.	इस अध्याय के उपबन्धों से छूट Exemption from provisions of this Chapter.	73
123.	संहिता के प्रारम्भ होने के समय अधिकार अभिलेख Record-of-rights at commencement of Code.	73

अध्याय-10

सीमाएँ तथा सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण-चिन्ह

CHAPTER - X

BOUNDARIES AND BOUNDARY MARKS,
SURVEY MARKS

124.	ग्रामों, सेक्टरों तथा सर्वेक्षण संख्याओं या भू-खंड संख्याओं के सीमा-चिन्हों का संनिर्माण Construction of boundary marks of villages, sectors and survey numbers or plot numbers.	74
------	---	----

विषय-सूची

घारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
125.	ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लाक संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं के बीच सीमाओं के बारे में विवाद Disputes regarding boundaries between villages, sectors, survey numbers, block numbers and plot numbers	75
126.	सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को बोदखली Ejectment of persons wrongfully in possession.	75
127.	सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण Demarcation and maintenance of boundary lines.	75
128.	सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने कि लिये बाध्य करना Enforcement of repair of boundary or survey marks.	76
129.	सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपरखण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन Demarcation of boundaries of survey number or sub-division of survey number or block number or plot number	77
130.	सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों को विनष्ट करने, क्षति पहुँचाने या हटाने के लिये शास्ति Penalty for destruction, injury or removal of boundary or survey marks.	79
131.	मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार सम्बन्धी अधिकार Rights of way and other private easements.	80
132.	विलोपित Deleted	81
133.	बाधा का हटाया जाना Removal of obstruction.	81

विषय-सूची

धारा	विषय वरतु	पृष्ठ क्र.
134.	कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिये बन्धपत्र का निष्पादन Execution of bond for abstaining from repetition of certain acts.	82
135.	सड़क, पथ आदि के लिये भूमि का अर्जन Acquisition of land for road, paths, etc.	83
136.	विलोपित Deleted	83

अध्याय-11

भू-राजस्व की उगाही

CHAPTER - XI

REALISATION OF LAND REVENUE

137.	भू-राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा	84
	Land revenue first charge on land.	
138.	भू-राजस्व के भुगतान के लिये उत्तरदायित्व Responsibility for payment of land revenue	84
139.	विलोपित Deleted	84
140.	तारीख, जिसको भू-राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा Dates on which land revenue falls due and is payable.	84
141.	“बकाया” तथा “बकायादार” की परिभाषाएँ Definitions of “arrear” and “defaulter”	85

विषय—सूची

धारा	विषय वर्तु	पृष्ठ क्र.
142.	भू-राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति रसीद देने के लिए आवश्य होगा Person receiving land revenue bound to give receipt	85
143.	भू-राजस्व के विलंब से भुगतान के लिए दार्ढिक ब्याज Penal interest on delayed payment of land revenue	85
144.	फसलों के मारे जाने पर भू-राजस्व की माफी या उसका निलम्बन Remission or suspension of land revenue on failure of crops.	86
145.	प्रमाणित लेखा बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा Certified account to be evidence as to arrear and defaulter.	86
146.	मांग की सूचना Notice of demand.	86
147.	बकाया की वसूली के लिये आदेशिका Process for recovery of arrear.	87
148.	खर्च—बकाया के भाग के रूप में वसूल किये जा सकेंगे Costs recoverable as part of arrear.	91
149.	अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन Enforcement of processes in other districts.	91
150.	संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिया जाने पर कार्यवाही का रोक दिया जाना Payment before property is knocked down at a sale and thereupon proceeding to be stayed	91
151.	विक्रय—आगमों का उपयोजन Application of proceeds of sale.	92

विषय-सूची

धारा	विषय वर्तु	पृष्ठ क्र.
152.	बकाया के लिये बेची गई भूमि विल्लंगमों से मुक्त होगी Land sold for arrears to be free from encumbrances.	93
153.	क्रेता का हक Purchaser's title.	93
154.	क्रेता, विक्रय से पूर्व शोध्य भू-राजस्व के लिये दायी नहीं होगा Purchaser not liable for land revenue due prior to sale.	93
154-क.	उस खाते को, जिसके सम्बन्ध में बकाया शोध्य हो, या बकायादार किसी अन्य खाते को पहुँच पर देने की तहसीलदार की शक्तियाँ Powers of the Tahsildar to let out the holding in respect of which arrear is due or any other holding of the defaulter	94
155.	भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन Moneys recoverable as an arrear of land revenue	95
156.	प्रतिभू से धनों की वसूली Recovery of moneys from surety	100

अध्याय-12

भू-धारी

CHAPTER - XII

TENURE-HOLDERS

157.	भू-धृति का वर्ग Class of tenure.	100
158.	भूमिस्वामी Bhumiswami.	100

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
159.	भूमिस्वामियों द्वारा देय भू-राजस्व <i>Land revenue payable by bhumiswamis.</i>	104
160.	भू-राजस्व का भुगतान करने के दायित्व से दी गई छूट का प्रतिसंहरण <i>Revocation of exemption from liability for land revenue.</i>	105
161.	राजस्व में कमी <i>Reduction of revenue</i>	106
162.	विलोपित <i>Deleted</i>	107
163.	विलोपित <i>Deleted</i>	107
164.	न्यागमन <i>Devolution.</i>	107
165.	अन्तरण के अधिकार <i>Rights of transfer.</i>	107
166.	कतिपय अंतरणों के मामले में सम्पर्क <i>Forfeiture in cases of certain transfers</i>	118
167.	भूमि का विनिमय <i>Exchange of land.</i>	119
168.	पट्टे <i>Leases.</i>	119
169.	विलोपित <i>Deleted</i>	121

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
170.	धारा 165 के उल्लंघन में किये गये अन्तरण का परिवर्जन Avoidance of transfer in contravention of Section 165	121
170-क.	कठिपय अंतरणों का अपार्स्त किया जाना Certain transfers to be set aside	122
170-ख.	आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन Reversion of land of members of aboriginal tribe which was transferred by fraud	124
170-ग.	अनुज्ञा के बिना धारा 170-क या 170-ख के अधीन की कार्यवाहियों में अधिवक्ता का उपसंजात न होना Advocate not to appear in proceedings under Section 170-A or 170-B without permission	127
170-घ.	द्वितीय अपील का वर्जन Second appeal barred	128
171.	विलोपित Deleted	128
172.	विलोपित Deleted	128
173.	त्यजन Relinquishments.	128
174.	विलोपित Deleted	128

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
175.	त्यजन की गई भूमि कि लिये मार्ग का अधिकार Right of way to relinquished land	129
176.	खाते का परित्याग Abandonment of holding	129
177.	खातों का निपटारा Disposal of holdings.	130
178.	खाते का विभाजन Partition of holding.	131
178-क.	भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का बंटवारा Partition of land in life time of bhumiswami.	132
179.	खाते में के वृक्षों पर अधिकार Rights to trees in holding	132
180.	वृक्षों के अन्तरण पर निर्बन्धन Restriction on transfer of trees. अध्याय-13 सरकारी पट्टेदार तथा सेवा भूमि	133
CHAPTER - XIII		
GOVERNMENT LESSEES AND SERVICE LAND		
181.	सरकारी पट्टेदार Government lessees.	133
181-क.	फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिरवामी होगा. Person having Free hold right shall be Bhumiswami	134

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
182.	सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व. Rights and liabilities of a Government lessee	134
183.	सेवा भूमि Service land.	135
184.	विलोपित Deleted	136
	अध्याय-14 मौरुसी (दखलकार) कृषक	
	CHAPTER - XIV OCCUPANCY TENANTS	
185.	विलोपित Deleted	136
186.	विलोपित Deleted	137
187.	विलोपित Deleted	137
188.	विलोपित Deleted	137
189.	विलोपित Deleted	137
190.	विलोपित Deleted	137
191.	विलोपित Deleted	137

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
192.	विलोपित Deleted	137
193.	विलोपित Deleted	137
194.	विलोपित Deleted	137
195.	विलोपित Deleted	137
196.	विलोपित Deleted.	137
197.	विलोपित Deleted	137
198.	विलोपित Deleted	137
199.	विलोपित Deleted	137
200.	विलोपित Deleted.	137
201.	विलोपित Deleted	137
202.	विलोपित Deleted	137
	अस्थायी उपबंध Transiory provision	137

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
अध्याय-15		
जलोढ़ तथा जल-प्लावन		
CHAPTER - XV		
ALLUVION AND DILUVION		
203.	जलोढ़ तथा जल-प्लावन Alluvion And Diluvion	138
204.	निर्धारण करने तथा विवादों को विनिश्चित करने की शक्ति Power to make assessment and decide disputes.	138
अध्याय-16		
खातों की चकबन्दी		
205.	परिभाषा Definitions.	139
206.	चकबन्दी की कार्यवाहियों का शुरू किया जाना Initiation of consolidation proceedings.	139
207.	आवेदन का नामन्त्रूर किया जाना Rejection of application.	140
208.	आवेदन का ग्रहण किया जाना Admission of application.	140
209.	खातों की चकबन्दी के लिये स्कीम तैयार किया जाना Preparation of scheme for consolidation of holdings	141
210.	स्कीम की पुष्टि Confirmation of scheme.	142

विषय—सूची

धारा	विषय वरतु	पृष्ठ क्र.
211.	पुष्टि हो जाने पर प्रक्रिया	142
	Procedure on confirmation.	
212.	खातों के कब्जे के सम्बन्ध में भूमिस्वामियों के अधिकार	142
	Right of bhumiswamis to possession of holdings	
213.	भूमिस्वामियों के उनके खातों में के अधिकारों का अन्तरण	143
	Transfer of rights of bhumiswamis in holdings	
214.	अन्तरण प्रभावान्वित करने के लिये लिखत आवश्यक नहीं होगी	143
	No instrument necessary to effect transfer	
215.	स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च	143
	Costs of carrying out scheme.	
216.	प्रतिकर तथा खर्चों की वसूली	144
	Recovery of compensation and cost.	
217.	विभाजन कार्यवाहियों का चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान निलंबन	144
	Suspension of partition proceedings during currency of consoli-dation proceedings	
218.	कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति का अन्तरण	144
	Transfer of property during proceedings.	
219.	चकबन्दी के पश्चात् भूमिस्वामियों के अधिकार पूर्ववत् बने रहेंगे	145
	Rights of bhumiswamis after consolidation same as before.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
220.	भूमिस्वामियों के विलंगम Encumbrances of bhumiswamis.	145
221.	नियम बनाने की शक्ति Power to make rules.	145
अध्याय-17		
	ग्राम अधिकारी	
	क-पटेल	
CHAPTER XVII		
VILLAGE OFFICERS		
<i>A-Patels</i>		
222.	पटेलों की नियुक्ति Appointment of patels.	147
223..	पटेलों का पारिश्रमिक Remuneration of patels.	147
224.	पटेलों के कर्तव्य Duties of patels.	147
225.	विलोपित Deleted	148
226.	पटेलों को हटाया जाना Removal of patels.	149
227.	पटेलों को दण्ड Punishment of patels.	149

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
228.	प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति Appointment of substitute patel	149
229.	ग्राम प्रबन्ध का सौंपा जाना Entrustment of village management. ख-कोटवार	149
B-Kotwar		
230.	कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य Appointment of kotwars and their duties.	149
231.	कोटवारों का पारिश्रमिक Remuneration of kotwars.	150
232.	विलोपित Deleted	
अध्याय-18		
आबादी तथा दखल-रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार		
CHAPTER XVIII		
RIGHTS IN ABADI AND UNOCCUPIED LAND AND ITS PRODUCE		
233.	दखलरहित भूमि के अभिलेख Record of unoccupied land.	150
233-क.	नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजनों के लिए भूमि का पृथक रखा जाना Land to be set apart for public purposes in urban area	150
234.	निरस्तार-पत्रक का तैयार किया जाना Preparation of NistarPatrak.	151

विषय-सूची

धारा	विषय वर्तु	पृष्ठ क्र.
235.	विषय जिनका निरतार पत्रक में उपबन्ध किया जायेगा	151
	Matters to be provided for in Nistar Patrak	
236.	निरतार-पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध	152
	Provision in NistarPatrak for certain matters.	
237.	निरतार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना	152
	Collector to set apart land for exercise of Nistar rights.	
238.	दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार	154
	Rights in waste land of another village.	
239.	दखल-रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार	155
	Rights in fruit bearing trees and other trees planted in unoccupied land.	
240.	ग्रामों में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध	156
	Prohibition of cutting of certain trees in villages	
241.	सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय	157
	Measures to prevent theft of timber from Government forest.	
242.	वाजिब-उल-अर्ज	158
	Wajib-ul-arz.	
243.	आबादी	160
	Abadi.	

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
244.	आबादी स्थलों का आवंटन Allotment of <i>abadi</i> sites	160
245.	भू-राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार Rights to hold house site free of land revenue	160
246.	आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार Right of persons holding house sites in abadi.	161
247.	खनिजों के सम्बन्ध में सरकार का हक Government's title to minerals.	161
248.	अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति Penalty for unauthorisedly taking possession of land.	164
249.	मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन Regulation of fishing, hunting etc.	167
250.	अनुचित रूप से बे-कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुनःस्थापन Reinstatement of bhumiswami improperly dispossessed.	167
250-क	विलोपित Deleted.	170
250-ख.	भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा Failure to vacate land in favour of allottee of land to be an offence.	170
251.	तालाबों का राज्य शासन में निहित होना Vesting of tanks in State Government.	172

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
252.	विलोपित Deleted	174
253.	उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दण्ड Punishment for contravention of provisions.	174
254.	विलोपित Deleted	175
अध्याय-19		
प्रकीर्ण		
CHAPTER - XIX		
MISCELLANEOUS		
255.	विलोपित Deleted	175
256.	नक्शों तथा भू-अभिलेखों का, निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियाँ Inspection and copies of maps and land records.	175
257.	राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता Exclusive jurisdiction of revenue authorities.	175
257-क.	कतिपय कार्यवाहियों में सबूत का भार तथा विधि-व्यवसायियों का वर्जन Burden of proof and bar of legal practitioners in certain proceedings.	179
258.	नियम बनाने की साधारण शक्ति General rule making power.	180

विषय-सूची

धारा	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
259.	कतिपय भू-धृतियों के प्रति निर्देश	190
	Reference to certain tenures.	
260.	ऐसी विधियों के प्रति निर्देश जो किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त न हो	190
	Reference to laws not in force in any region.	
261.	निरसन तथा व्यायृति	191
	Repeal and savings.	
262.	अस्थायी उपबन्ध	192
	Transitory provisions.	
263.	कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति	193
	Power to remove difficulties.	
264.	संहिता कतिपय मामलों में लागू नहीं होगी	193
	Code not to apply in certain cases.	
	अनुसूची-1	194
	Schedule - 1	
	अनुसूची-2	217
	Schedule - 2	
	अनुसूची-3	220
	Schedule - 3	

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

1

(क्रमांक 20 सन् 1959)

[दिनांक 15 सितम्बर, 1959
को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र"
(असाधारण) में दिनांक 21
सितम्बर, 1959 को प्रथम बार
प्रकाशित की गई ।]

[Received the assent of
the President on the 15th
September, 1959; assent
first published in the
"Madhya Pradesh Gazette"
extraordinary on the 21st
September, 1959.]

मध्यप्रदेश में भू-राजस्व,
राजस्व अधिकारियों की शक्तियों,
राज्य सरकार से भूमि धारण करने
वालों के अधिकारों और दायित्वों,
कृषिक भू-धृतियों और भूमि से
सम्बन्धित अन्य विषयों तथा उनसे
आनुषंगिक दायित्वों से संबंधित
विधि को समेकित और संशोधित
करने हेतु अधिनियम ।

An Act to consolidate
and amend the law relating to
land revenue, the power of
Revenue Officers, rights and
liabilities of holders of land
from the State Government,
agricultural tenures and other
matters relating to land and the
liabilities incidental thereto in
Madhya Pradesh.

भारत गणराज्य के दसवें
वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल
द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो:-

Be it enacted by the
Madhya Pradesh Legislature in
the Tenth Year of the Republic
of India as follows :-

अध्याय - 1: प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 है।

'[(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है किन्तु इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू-राजस्व के निर्धारण, भू-राजस्व की उगाही से सम्बन्धित उपबन्धों को और उनसे आनुषंगिक समस्त उपबन्धों को छोड़कर, ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन समय-समय पर, आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाए।

परन्तु इस संहिता के पूर्वोक्त उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में, धारा 59 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजन के लिये, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होंगे।]

(3) यह संहिता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं - (1) इस संहिता में, जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो,-

'[(क) "आबादी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर, आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप भेद, जैसे 'ग्राम स्थल' या 'गांव स्थान' का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा।]

CHAPTER I-PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called The Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

' [(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh but nothing contained in this Code except the provisions relating to liability of land for payment of land revenue, the assessment of land revenue with reference to the use of land, realisation of land revenue and all provisions ancillary thereto shall apply to such areas as may, from time to time, be constituted as reserved or protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927):

Provided that the aforesaid provisions of the Code shall apply with reference to the use of land in such areas for one or more of the purposes specified in Section 59.]

(3) This Code shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions: — (1) In this Code, unless there is anything repugnant to the subject or context,—

(a)² ['**abadi**' means the area reserved from time to time in a village for the residence of the inhabitants thereof or for purposes ancillary thereto, and any other cognate variation of this expression such as "village site" or "gaonsthan" shall also be construed accordingly:]

1- Substituted by Act No. 25 of 1987.

2- Substituted by Act No. 23 of 2018.

3

(ख) "कृषि" के अन्तर्गत है—

- (एक) वार्षिक या नियतकालिक फसलों का, जिसमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित हैं, उगाया जाना;
- (दो) उद्यान कृषि;
- (तीन) फलोद्यान लगाना तथा उनका समारकण;
- (चार) चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिये भूमि का आरक्षित किया जाना; और
- ¹ [(पाँच) नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा से पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुककुट पालन, मछली पालन या पशु पालन के लिए भूमि का उपयोग करना;]
- (ग) "कृषि वर्ष" से अभिप्रेत है, 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, प्रारम्भ होने वाला वर्ष;
- (घ) "मण्डल" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मण्डल;
- (ङ) "वास्तविक कृषक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा;
- (च) "सहकारी सोसायटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसायटियों से सम्बन्धित किसी विधि के, जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त है, अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसायटी;
- ² [(च-1) "विकास योजना" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन

1. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2003 द्वारा अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा स्थापित।

(ब) "agriculture" includes—

- (i) the raising of annual or periodical crops including betel leaves (Pan) and water nuts (singhara) and garden produce;
- (ii) horticulture;
- (iii) the planting and upkeep of orchards; and
- (iv) the reserving of land for fodder, grazing or thatching grass;
- ¹ [(v) the use of land for poultry, fisheries or animal husbandry in an area situated more than five kilometres away from the periphery of urban areas;]

(c) "agricultural year" means the year commencing on the first day of July or such other date as the State Government may, by notification, appoint;

(d) "Board" means the Board of Revenue constituted under Section 3;

(e) "bonafide agriculturist" means a person who cultivates land personally or who may reasonably be expected to cultivate personally;

(f) "co-operative society" means a society registered as such under any law relating to Co-operative Societies in force for the time being in any region of the State;

² [(f-1) "development plan" shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Nagar Tatha

1- Inserted by Act No. 22 of 2003.

2- Substituted by Act No. 23 of 2018.

1973) में उसके लिए दिया गया है.]

Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973);]

(छ) "सरकारी वन" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्याक 16) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है;

(g) "*Government forest*" means a forest constituted as a reserve forest or protected forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927);

(ज) "सरकारी पट्टेदार" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है;

(h) "*Government lessee*" means a person holding land from the State Government under Section 181;

[(झ) "खाता" से अभिप्रेत है, ऐसा भू-खण्ड जिस पर भू-राजस्व पृथक् रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भू-धृति के अधीन धारित है]

(i) [("holding" means a parcel of land separately assessed to land revenue and held under a tenure;]

(ज) "सुधार" से किरी खाते के संदर्भ में, अभिप्रेत है, कोई ऐसा संकर्म जिससे खाते के मूल्य में तात्त्विक वृद्धि होती है, जो खाते के लिये उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिये खाता धारित है और जो, यदि खाते पर निष्पादित न किया हो, तो या तो प्रत्यक्षतः उसके फायदे के लिये निष्पादित किया गया है या निष्पादित किया जाने के पश्चात, उसके लिये प्रत्यक्षतः फायदाप्रद बना दिया गया है; और, पूर्वामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उसके अन्तर्गत है —

(j) "*improvement*" means with reference to a holding, -any work which adds materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it is held and which, if not executed on the holding, is either executed directly for its benefit or is after execution, made directly beneficial to it; and, subject to the foregoing provisions, includes —

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिये तालाबों, कुओं, जल सरणियों, बांधों तथा अन्य संकर्मों का संनिर्माण;

(i) The construction of tanks, wells, water channels, embankments and other works for storage, supply or distribution of water for agricultural purposes;

(दो) भूमि के जल-निकास के लिये या बाढ़ों या जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य

(ii) The construction of works for the drainage of land or for the protection of land from floods, or

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018

	नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिये संकर्मों का संनिर्माण;	from erosion or other damage from water;
(तीन)	वृक्षारोपण और भूमि का कृषिकरण, भूमि की सफाई, उसका धेरा लगाना, उसे समतल करना या उसकी सीढ़ी बन्दी करना;	(iii) The planting of trees and the reclaiming, clearing, enclosing, levelling or terracing of land;
(चार)	आबादी या नगरीय क्षेत्र में न होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके सामीप्य में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभादायक उपयोग या अधिभोग के लिये अपेक्षित हो, और	(iv) The erection of buildings on or in the vicinity of the holding, elsewhere than in the abadi or urban area, required for the convenient or profitable use or occupation of the holding; and
(पाँच)	पूर्वगामी संकर्मों में से किसी भी संकर्म का नवीकरण या पुनर्संनिर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन ; किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं –	(v) the renewal or reconstruction of any of the foregoing works, or alterations therein or additions thereto;
(क)	अस्थायी कुरँ और ऐसी जलसरणियाँ, बाँध, समतलन, धेरे या अन्य संकर्म या ऐसे संकर्मों में छोटे-मोटे परिवर्तन या उनकी मरम्मत जो कि उस स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यतः की जाती है; या	but does not include —
(ख)	कोई ऐसा संकर्म, जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत में या मौरुसी कृषक की हैसियत में अधिभोग में रखता है।	(a) temporary wells and such water channels, embankments, levelling, enclosures or other works or petty alterations in or repairs to such works, as are commonly made by cultivators of the locality in the ordinary course of agriculture; or
		(b) any work which substantially diminishes the value of any land, wherever situated, in the occupation of any other person, whether, as bhumiswami or occupancy tenant;
	स्पष्टीकरण — किसी ऐसे संकर्म को, जिससे विभिन्न खातों को फायदा पहुँचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार समझा जा सकेगा;	Explanation. —A work which benefits several holdings may be deemed to be an improvement with respect to each of such holdings;
	(ट) "भूमि" से अभिप्रेत है, धरती की सतह का कोई भाग चाहे वह जल के नीचे हो या	(k) "land" means a portion of the earth's surface whether or not

न हो; और जहाँ भी इस संहिता के प्रति निर्देश किया गया है, वहाँ उसके

सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत वे समस्त चीजें हैं जो ऐसे भूमि से बद्ध हैं या ऐसी भूमि के बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं;

(ठ) "भूमिहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के साथ सयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि इस संबंध में विहित किया जाये, स्पष्टीकरण — इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति का कुटुम्ब उसकी पत्नी या पति, सन्तति तथा माता-पिता से मिलकर बना है।

(ड) "भू-अभिलेख" से अभिप्रेत है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रखे गये अभिलेख;

[(ड-क) "भू-राजस्व" से अभिप्रेत है, धारित भूमि के लिए, राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें समिलित है प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप;]

(ढ) "विधि व्यवसायी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का स. 18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मध्यप्रदेश के न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने का हकदार है;

(ण) "आम्रकुंज" से अभिप्रेत है, आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि

under water; and, where land is referred to in this Code, it shall be deemed to include all things attached to or permanently fastened to any thing attached to such land;

(1) "*landless person*" means, a person who is bona fide agriculturist and who whether individually or jointly with other members of his family hold no lands or land less than the area which may be prescribed in this behalf;

Explanation. — For purposes of this clause the family of a person shall be deemed to consist of his spouse, issue and parents.

(म) "*land records*" means, records maintained under the provisions of this Code;

[(म-1) "*land revenue*" means, all moneys payable to the State Government for holding land and includes premium, rent, lease money, quit rent or any other cognate variation of these expressions;]

(न) "*legal practitioner*" means, any person entitled to practice in any of the Courts in Madhya Pradesh under the Legal Practitioners Act, 1879 (XVIII of 1879)1, or under any other law for the time being in force;

(०) "*mango grove*" means, mango trees planted in such numbers that

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रुक जाता है या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह सम्भाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रुक जायेगा;

¹[(ण-क) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, भारतीय रसाय्य अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;]

(त) "फलोद्यान" से अभिप्रेत है, फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं, या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रुक जाता है या उन फलों के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह सम्भाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रुक जायेगा;

(थ) ²["भू-खण्ड संख्यांक" से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विवरित किए गए या उस रूप में मान्य किये गये भूमि के किसी प्रभाग को समनुदेशित संख्यांक।]

(द) "मान्यता प्राप्त अभिकर्ता" से, इस संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में, अभिप्रेत है,—

they preclude or when full grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for any purpose other than planting of trees;

(oa) ¹ [“market Value” means, the value of land assessed according to guidelines issued by the Collector under the Madhya Pradesh Bajar Mulya Margdarshak Siddhanton ka Banaya Jana Tatha Unka Punrikshan Niyam, 2000 made under the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899);]

(p) “orchard” means, fruit trees planted in such numbers than they preclude or when full grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for any purpose other than planting of trees;

(q) ²["plot number" means, the number assigned to a portion of land formed into or recognised as a plot number under this Code;]

(r) “recognised agent” in reference to a party to a proceeding under the Code means,—

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा अंत स्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Inserted by Act No. 42 of 2011

2. Substituted by Act No. 23 of 2018

(एक)	वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने, ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिये, मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया है; और	(i)	a person authorised under a power of attorney by such party to make appearance and applications and to do other acts on his behalf in such proceedings; and
(दो)	वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने, ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया है;	(ii)	a person authorised in writing by such party to make appearance on his behalf in such proceedings;
(ध)	"क्षेत्र" से अभिप्रेत है, यथारिति महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र और सिरोज क्षेत्र, या इनमें से कोई भी क्षेत्र,	(s)	"region" means, the Mahakoshal region, the Madhya Bharat region, the Bhopal region, the Vindhya Pradesh region and the Sironj region, or any of these, as the case may be;
(न)	"लगान" से अभिप्रेत है, वह कुछ भी जो –	(t)	"rents" means, whatever is paid or is payable in money or in kind
(एक)	1[xxx] पट्टेदार द्वारा अपने भूमिस्वामी को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के मद्देद; या	(i)	1[xxx] by a lessee to his bhumiswami on account of the use or occupation of land held by him from such bhumiswami; or
(दो)	सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को, उस भूमि के, जो कि सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दी गई है, उपयोग या अधिभोग के मद्देद, धन या वस्तु के रूप में संदर्भ किया जाता है या देय है,	(ii)	by a Government lessee to the Government on account of the use or occupation of land leased out to him by the Government;
2["(प) 'राजस्व अधिकारी' से अभिप्रेत है, धारा 11 में उल्लिखित राजस्व अधिकारी;"]		2["(u) 'Revenue Officer' means, any revenue officer mentioned in Section 11;"]	
(फ)	"राजस्व वर्ष" से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारम्भ होता है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे;	(v)	"revenue year" means, the year commencing on such date as the State Government may, in the case of any special local area, by notification, appoint;

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा विलोपित।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Subsited by Act No. 15 of 2020

¹[(फ-1) "सेक्टर" से अभिप्रेत है, नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भू-भाग जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन सेक्टर के रूप में विरचित या मान्य किया गया है।]

¹[(फ-2) "सेवा भूमि" से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि जो कोटवार को उसकी पदावधि के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए दी गयी हो।]

(ब) "सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड" से अभिप्रेत है, सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग जिसकी बाबत् क्षेत्रफल तथा देय भू-राजस्व की प्रविष्टि भू-अभिलेखों में उन सर्वेक्षण संख्यांकों के, जिनका कि वह प्रभाग है, सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक-पृथक की गई है।

²[(भ) "सर्वेक्षण संख्यांक" से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्यांक और जिसकी प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गयी है।]

³[(म) विलोपित,]

(य) "भू-धारी" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन भूमिस्वामी है या भूमिस्वामी समझा जाता है।

(य-1) "इमारती लकड़ी के वृक्ष" से अभिप्रेत है, निम्नलिखित जाति के वृक्ष, अर्थात् :—
(एक) टेक्टोना ग्रेन्डिस
(सागवान);
(दो) टेकोकारपस मारसुपिथम
(बीज);

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अतःरक्षापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षापित।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

¹[(v-1) "sector" means, any tract of land in urban area formed into or recognised as a sector under the provisions of this Code;

¹[(v-2) "service land" means, such land in a non-urban area which is given to a kotwar for the purpose of agriculture during his tenure of post;]

(w) "sub-division of a survey number" means, a portion of a survey number in respect of which the area and the land revenue payable are separately entered in the land records under an indicative number subordinate to that of the survey numbers of which it is a portion;

(x) ²["survey number" means, the number assigned to a portion of land formed into or recognised as a survey number under this Code and entered in the land records under an indicative number known as the khasra number;]

(y) ³[deleted]

(z) "tenure-holder" means, a person who holds land from the State Government and who is or is deemed to be bhumiswami under the provisions of this Code;

(z-1) "timber trees" means trees of the following species, namely:—

- (i) *Tectona grandis* (sagwan);
- (ii) *Pterocarpus* *Marsumpium* (bija);

1. Inserted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

3. Deleted by Act No. 23 of 2018.

(तीन) डलबेरिया लेटीफोलिया
(शीशम);
(चार) शोरिया रोबस्टा (साल);
(पाँच) तिनसा;
(छ) टर्मिनेलिया टोमन्टोसा (एन
या साज);
(सात) सन्टालम अलबम
(चन्दन);
[(आठ) एडाइना कॉर्डिफोलिया
(हल्दू);
(नौ) मिट्रागाइना पर्विफ्लोरा
(मुण्डी);
(दस) टर्मिनेलिया अर्जुना
(अर्जुन);
(१२) डायसप्यरस
मिलेक्सिलोन (तेन्दू);
(बारह) मैलिना अर्वारिया
(खम्हार);]

(य-2) "स्वयं खेती करना" से अभिप्रेत है,—

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा; या
(दो) अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य
के श्रम द्वारा; या
(तीन) ऐसी मजदूरी पर, जो नगदी या
वस्तु के रूप में देय है किन्तु
फसल के अंश के रूप में देय
नहीं है, रखे गये सेवकों
द्वारा; या
(चार) अपने वैयक्तिक पर्यवेक्षण के
अधीन या अपने कुटुम्ब के किसी
सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण
(Personal supervision) के
अधीन— भाड़े के श्रमिकों द्वारा
अपने स्वयं के लिये खेती करना;

(iii) *Dalbergia latifolia*
(shisham);
(iv) *Shorea robusta* (sal);
(v) *tinsa*;
(vi) *Terminalia tomentosa*
(ain or saj);
(vii) *Santalum album*
(Chandan);
[(viii) *Adina Cordifolia*
(Haldu);
(ix) *Mitragyna Parviflora*
(Mundi);
(x) *Terminalia Arjuna*
(Arjun);
(xi) *Diaspyros*
melaxylon (Tendu);
(xii) *Gmelina arborea*
(khamhar).]

(z-2) "to cultivate personally" means,
to cultivate on one's own
account —

- (i) by one's own labour; or
- (ii) by the labour of any member of one's family; or
- (iii) by servants on wages payable in cash or kind but not in crop share; or
- (iv) by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family;

(य-3) । “दखलरहित भूमि” से अभिप्रेत है, ऐसी भूमि जो आबादी या सेवाभूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पद्धेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है।

(य-4) “नगरीय क्षेत्र” से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जो नगरपालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम की या किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की, जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है; और अभिव्यक्ति “नगरेतर क्षेत्र” का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(य-5) । “ग्राम” से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भू-भाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भू-भाग जिसे किसी भू- सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करे।

(z-3) । “unoccupied land” means, the land other than the abadi or service land, or the land held by a Bhumiswami or a Government lessee;]

(z-4) “urban area” means, the area for the time being included within the limits of any municipal corporation or any municipality or notified area constituted under any law for the time being in force relating to municipalities or any village or group of villages which may be specified by the State Government as urban area; and the expression “non-urban area” shall be construed accordingly;

(z-5) । “village” means, any tract of land in a non-urban area which, before the coming into force of this Code, was recognized or was declared as a village under the provisions of any law for the time being in force and any other tract of land in a non-urban area which is recognized as a village at any land survey or which the State Government may, by notification, declare to be a village.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

अध्याय - 2

राजस्व मण्डल (बोर्ड)

3. राजस्व मण्डल का गठन— (1) मध्यप्रदेश के लिये एक राजस्व मण्डल होगा जो अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक इतने अन्य सदस्यों से, जितने कि राज्य सरकार, समय-समय पर, नियुक्त करना ठीक समझे, मिल कर बनेगा।

(2) इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये गठित तथा कार्यरत् राजस्व मण्डल को, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् विद्यमान — मण्डल कहा गया है, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से इस धारा के अधीन गठित मध्यप्रदेश के लिये राजस्व मण्डल समझा जायेगा।

(3) विद्यमान मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे।

4. राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान— (1) मण्डल का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करें।

[(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक करेंगे जैसा कि राज्य सरकार, मण्डल के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचित करे।]

5. मण्डल के सदस्यों की सेवा शर्तें—(1) जब कोई सदस्य, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, अधिसूचना

CHAPTER II

BOARD OF REVENUE

3. **Constitution of Board of Revenue**—(1) There shall be a Board of Revenue for Madhya Pradesh consisting of a President and two or more other members as the State Government may, from time to time, think fit to appoint.

(2) The Board of Revenue as constituted and functioning for the several regions of this State immediately before the coming into force of this Code, hereinafter in this chapter referred to as the existing Board, shall with effect from the date of coming into force of this Code, be deemed to be the Board of Revenue for Madhya Pradesh constituted under this section.

(3) The President and members of the existing Board shall be the first President and members respectively of the Board of Revenue for Madhya Pradesh.

4. **Principal seat and other places of sittings of Board of Revenue**.—(1) The principal seat of the Board shall be at such place as the State Government may, by notified order, appoint.

(2) [Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President and members of the Board shall also sit at such other place or places as the State Government may, after consultation with the President of the Board, notify.]

5. **Conditions of service of members of Board**.—(1) When any member is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

द्वारा, किसी व्यक्ति को, तत्समय के लिये मण्डल के लिए मण्डल का सदस्य नियुक्त कर सकेगी।

(2) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं और विद्यमान मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकथित किये गये निबन्धन तथा शर्तें तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि वे इस धारा के अधीन उपान्तरित या अतिष्ठित न कर दी जाएँ।

(3) कोई व्यक्ति मण्डल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये जब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह —

- (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं है, या
- (ख) राजस्व अधिकारी न रह चुका हो, और कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का पद कम से कम पाँच वर्ष तक धारण न कर चुका हो।

6. वेतन तथा भत्ते— मण्डल के सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्तों का संदाय किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे और वे वेतन तथा भत्ते राज्य की संवित निधि पर भारित होंगे।

¹[7. मण्डल की अधिकारिता — मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हैं या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।]

State Government may, by notification, appoint any person to be, for the time being, a member of the Board.

(2) Except as expressly provided by this Code, the terms and conditions of service of the President and members of the Board shall be such as may be prescribed and the terms and conditions laid down by the State Government for the President and members of the existing Board shall continue in force until modified or superseded under this section.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a member of the Board unless he —

- (a) is eligible for appointment as a Judge of the High Court; or
- (b) has been a Revenue Officer, and has held, for at least five years, an office not lower in rank than that of a Collector.

6. Salaries and allowances.—There shall be paid to the members of the Board such salaries and allowances as the State Government may determine and those salaries and allowances shall be charged on the consolidated fund of the State.

7. ¹[Jurisdiction of Board]— The Board shall exercise the powers and discharge the functions conferred upon it by or under this Code or such other functions as have been conferred or may be conferred by or under any enactment upon it or as may be specified by a notification of the State Government or Central Government in that behalf.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

8. मण्डल की अधीक्षण सम्बन्धी शक्तियाँ—
मण्डल को ऐसे समस्त मामलों के सम्बन्ध में, जो उसकी अपीलीय या पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकारिता के अध्यधीन हैं, समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहाँ तक कि ऐसे प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हैं और वह उनसे विवरणियाँ माँग सकेगा।

9. एक सदस्यीय तथा बहुसदस्यीय न्यायाधीशों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग—
मण्डल, अपने एक या एक से अधिक सदस्यों से गठित न्यायाधीशों द्वारा मण्डल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग किये जाने हेतु नियम बना सकेगा, और ऐसे न्यायाधीशों द्वारा ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए दिये गये समस्त विनिश्चय मण्डल के विनिश्चय समझे जायेंगे।

10. इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय लम्बित मामले— ऐसी समस्त अपीले, पुनरीक्षण के लिए आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियाँ जो विद्यमान मण्डल के समक्ष इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लम्बित हों, मण्डल द्वारा सुनी जाएगी तथा विनिश्चित की जाएगी।

8. Powers of Superintendence of Board.-
The Board shall, in respect of all matters subject to its appellate or revisional jurisdiction, have superintendence over all authorities in so far as such authorities deal with such matters and may call for returns.

9. Exercise of jurisdiction by single members and benches.- The Board may make rules for the exercise of powers and functions of the Board by benches constituted of one or more members thereof, and all decisions given by such benches in exercise of such powers or functions shall be deemed to be the decisions of the Board.

10. Cases pending at commencement of Code. - All appeals, applications for revision and other proceedings pending before the existing Board immediately before the coming into force of this Code shall be heard and decided by the Board.

अध्याय 3

राजस्व पदाधिकारी, उनके वर्ग तथा
शक्तियाँ

11. राजस्व अधिकारी.— राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात् :—

प्रमुख राजस्व आयुक्त;
आयुक्त;
अपर आयुक्त;
आयुक्त भू-अभिलेख;
अपर आयुक्त भू-अभिलेख;
कलेक्टर;
अपर कलेक्टर;
जिला सर्वेक्षण अधिकारी;
उपखण्ड अधिकारी;
उप — सर्वेक्षण अधिकारी;
सहायक कलेक्टर;
संयुक्त कलेक्टर ;
डिप्टी कलेक्टर;
तहसीलदार ;
अपर तहसीलदार;
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी;
भू — अभिलेख अधीक्षक;
नायब तहसीलदार;
सहायक भू — अभिलेख अधीक्षक.]

12. राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण—

(1) समस्त राजस्व अधिकारी राज्य के अधीनस्थ होंगे।
(2) संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे।
(3) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करे जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे।

13. संभागों जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार संभागों का सृजन कर सकेगी जिनमें ऐसे जिले**CHAPTER III**
**REVENUE OFFICERS, THEIR
CLASSES AND POWERS****11. [Revenue Officers- There shall be the following classes of the Revenue officers, namely:-**

Principal Revenue Commissioner;
Commissioner;
Additional Commissioner;
Commissioner Land Records;
Additional Commissioner Land
Records;
Collector;
Additional Collector;
District Survey Officer;
Sub Divisional Officer;
Deputy Survey Officer;
Assistant Collector;
Joint Collector;
Deputy Collector;
Tahsildar;
Additional Tahsildar;
Assistant Survey Officer;
Superintendent of Land Records;
Naib Tahsildar;
Assistant Superintendent of Land
Records.]

12. Control over Revenue Officers.—

(1) All Revenue Officers shall be subordinate to the State Government.
(2) All Revenue Officers in a Division shall be subordinate to the Commissioner.
(3) Unless the State Government otherwise directs all Revenue Officers in a district shall be subordinate to the Collector.

13. Power to alter, create or abolish divisions, districts, sub-divisions and tehsils.—(1) The State Government may

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे और वह ऐसे सभागों को समाप्त कर सकेगा या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी ।

(2) ¹ [राज्य सरकार, किसी भी जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिले या उप-खण्ड या तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी।]

² [परंतुक विलोपित]

³ (3) राज्य सरकार, किसी भी सभाग या जिले या उप-खण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सृजन करने या विद्यमान सभागों, जिलों, उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, ऐसे प्रस्तावों पर विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

“13-क. प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किये जाएं ।]

14. सभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति— (1) राज्य सरकार प्रत्येक सभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी जो उस सभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा विलोपित।
3. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा जोड़ा जाएगा।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंतर्स्थापित।

create divisions comprising of such districts as it may deem fit and may abolish or alter the limits of such divisions.

(2) ¹ [The State Government may alter the limits of any district or sub-division or tahsil and may create new or abolish existing districts or sub-divisions or tahsils:]

² [Proviso.....deleted.]

³ (3) The State Government, before passing any order under this section on any proposal to alter the limits of any division or district or sub-division or tahsil or to create new or abolish existing division or district or sub-division or tahsil, shall invite objection to such proposals in the prescribed form and shall take into consideration objection received, if any.

⁴ 13-A. Appointment of Principal Revenue Commissioner and his powers and duties - The State Government may, by notification, appoint a Principal Revenue Commissioner who shall exercise such powers and perform such duties conferred and imposed on him by the State Government.]

14. Power to appoint Commissioners of divisions.—(1) The State Government shall appoint in each division a Commissioner who shall exercise therein the powers and discharge the duties conferred and imposed on a Commissioner by or under this Code or

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Deleted by Act No. 14 of 2020
3. Add by Act No. 14 of 2020
4. Inserted by Act No. 23 of 2018

संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किये गये हैं।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयुक्त को, ऐसी शर्तों के साथ जैसा कि राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, उन शक्तियों या कृत्यों में से, जो कि तत्समय किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित हैं, कोई भी शक्ति या कृत्य प्रदत्त कर सकेगी।

15. अपर आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति — (1) राज्य सरकार किसी एक संभाग में या दो या दो से अधिक संभागों में एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

(2) अपर आयुक्त ऐसे मामलों या ऐसे वर्ग के मामलों में, जैसा कि राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा, अधिसूचित करे या जैसा कि संभाग का आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निर्बन्धनों के अध्ययीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गयी हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किये गये हैं।

(3) यह संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमिति और इस संहिता या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाया गया कोई भी नियम, उस स्थिति में के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो, अपर आयुक्त को, जबकि वह उपधारा (2) के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किन्हीं

by or under any other enactment for the time being in force.

(2) The State Government may, subject to such condition as it may deem fit to impose, by notification, confer upon the Commissioner any of the powers or functions assigned to the State Government by or under any enactment for the time being in force.

15. Power to appoint Additional Commissioner. — (1) The State Government may appoint an Additional Commissioner in a division or in two or more divisions.

(2) An Additional Commissioner shall exercise such powers and discharge such duties conferred and imposed on a Commissioner by or under this Code or by under any other enactment for the time being in force in such cases or class of cases as the State Government may, by a general order, notify or as the Commissioner of the division may, subject to any general or special restrictions imposed by the State Government, by an order in writing direct.

(3) This Code and every other enactment for the time being in force and any rule made under this Code or any such other enactment shall, except where expressly directed otherwise, apply to the Additional Commissioner when exercising any powers or discharging any duties under sub-section (2) as if he were the Commissioner of the division.

कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह संभाग का आयुक्त हो।

16. कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति – राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उस जिले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर पर आरोपित किये गये हैं।

17. अपर कलेक्टरों को नियुक्त करने की शक्ति – (1) राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अपर कलेक्टर को नियुक्त कर सकती।

(2) अपर कलेक्टर ऐसे मामलों या ऐसे वर्ग के मामलों में, जैसा कि राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे या जैसा कि जिले का कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए किन्हीं साधारण या विशेष निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित किए गए हैं।

(3) यह संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमिति और इस संहिता या किसी ऐसे अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाया गया कोई

16. Power to appoint Collector.—The State Government shall appoint in each district a Collector who shall exercise therein the powers and discharge the duties conferred and imposed on a Collector by or under this Code or any other enactment for the time being in force.

17. Power to appoint Additional Collectors.—

(1) The State Government may appoint one or more Additional Collector in a district.

(2) An Additional Collector shall exercise such powers and discharge such duties conferred and imposed on a Collector by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force, in such cases or class of cases as the State Government may, by a general order, notify or as the Collector of the district may, subject to any general or special restrictions imposed by the State Government, by an order in writing direct.

(3) This Code and every other enactment for the time being in force and any rule made under this Code or any such other enactment shall, except where expressly

नियम, उस स्थिति में के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा निदेशित किया गया हो अपर कलेक्टर को, जबकि वह उपधारा (2) के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह जिले का कलेक्टर हो।

18. सहायक कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों तथा डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति और शक्तियाँ – ¹[राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिये उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे –

(एक) सहायक कलेक्टर, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी;
(दो) संयुक्त कलेक्टर; और
(तीन) डिप्टी कलेक्टर;
नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशित करे।]

²[19 तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति। – (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे –

(क) तहसीलदार;
(ख) अपर तहसीलदार; तथा
(ग) नायब तहसीलदार
नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गये हैं।]

1. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

directed otherwise, apply to the Additional Collector, when exercising any powers or discharging any duties under sub-section (2), as if he were the Collector of the district.

18. **Appointment and powers of Assistant Collectors, Joint Collectors and Deputy Collectors.**— ¹[The State Government may appoint for each district as many persons as it thinks fit to be—

- (i) Assistant Collectors of the first and second grades;
- (ii) Joint Collectors; and
- (iii) Deputy Collectors;

who shall exercise such powers as the State Government may, by notification, direct.]

²[19. **Appointment of Tahsildars, Additional Tahsildars and Naib Tahsildars.**— (1) The State Government may appoint for each district as many persons as it thinks fit to be –

- (a) Tahsildar;
- (b) Additional Tahsildar; and
- (c) Naib Tahsildar,

who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on them by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.]

1. Substituted by Act No. 2 of 1990.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

¹[(2) कलेक्टर, किसी तहसीलदार को किसी तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई है या अधिरोपित किए गये हैं।

(3) कलेक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो वहां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गई है या अधिरोपित किए गये हैं, जैसा कि जिले का कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे।।

20. भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति – (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे, भू-अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक नियुक्त कर सकेंगी।

(2) भू-अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गये हैं।

21. ²[विलोपित]

¹[(2)The Collector may place a Tahsildar as in charge of a tahsil, who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on him by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.

(3)The Collector may place one or more Additional Tahsildars and Naib Tahsildars in a tahsil who shall exercise therein such powers and perform such duties conferred or imposed on a Tahsildar by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force, as the Collector may, by an order in writing, direct.]

20. Appointment of Superintendents of Land Records and Assistant Superintendents of Land Records.— (1) The State Government may appoint to each district as many persons as it thinks fit, to be Superintendents of Land Records and Assistant Superintendents of Land Records.

(2) The Superintendents and Assistant Superintendents of Land Records shall exercise the powers and perform the duties conferred and imposed on them by or under this Code or any other enactment for the time being in force.

21. ²[Deleted].

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

[22. उपखण्ड अधिकारी।— कलेक्टर, किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भार-साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं।]

23. राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता— जब तक कि कलेक्टर अन्यथा निर्देशित न करे, किसी उपखण्ड में प्रत्येक राजस्व अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ होगा और तहसील में नायब तहसीलदार, तहसीलदार के अधीनस्थ होगा।

[24. राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त की जाना— राज्य सरकार वे शक्तियाँ, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त कर सकेगी:

परन्तु—

- (क) धारा 72, 113, 135, 165, 237, 238, 243 एवं 251 के अधीन कलेक्टर की शक्तियाँ;
- (ख) धारा 59, 115, 170, 170-क, 170-ख, 234, 241, 242, 248(2-क) एवं 253 के अधीन उपखण्ड अधिकारी की शक्तियाँ;
- (ग) धारा 44 के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ, तथा

[22. Sub-Divisional Officers- The Collector may place any Assistant Collector or Joint Collector or Deputy Collector to be in charge of one or more sub-divisions of the district who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on a Sub-Divisional Officer by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.]

23. Subordination of Revenue Officers.— Unless the Collector otherwise directs, every Revenue Officer in a sub-division shall be subordinate to the Sub-Divisional Officer and a Naib-Tahsildar in a tahsil shall be subordinate to the Tahsildar.

[24. Conferral by State Government of powers of Revenue Officers on any public servant or local body.— The State Government may confer on any public servant or local body the powers conferred by or under this Code on any Revenue Officer:

Provided that the powers of—

- (a) Collector under sections 72, 113, 135, 165, 237, 238, 243 and 251;
- (b) Sub-Divisional Officer under sections 59, 115, 170, 170A, 170B, 234, 241, 242, 248(2-A) and 253;
- (c) Appellate authority under section 44; and

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(घ) धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ, किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त नहीं की जाएंगी।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिये 'लोक सेवक' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार में या किसी शासी निकाय में या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और नियन्त्रित संस्था में पद धारण करता हो।

25. स्थानान्तरण होने पर प्रयोक्तव्य शक्तियाँ – यदि कोई राजस्व अधिकारी जिसे किसी तहसील या जिले में इस संहिता के अधीन किन्हीं शक्तियों से विनिहित किया गया है, किसी अन्य तहसील या जिले में उसी प्रकार के किसी समान या उच्चतर पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो वह जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देशित न करे ऐसी अन्य तहसील या ऐसे अन्य जिले में इस संहिता के अधीन उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा।

26. अस्थायी रिक्ति की दशा में कलेक्टर – यदि कलेक्टर की मृत्यु हो जाय या वह निःशक्तता के कारण अपने कर्तव्यों का पालन न कर सके, तो उस अधिकारी को, जिसे कि कलेक्टर के बालू कर्तव्यों का कार्यभार अस्थायी रूप से सौंपा गया है, इस संहिता के अधीन कलेक्टर माना जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार ऐसे मृत या निःशक्त हुए कलेक्टर का उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दे तथा ऐसा उत्तराधिकारी अपनी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण न कर ले।

(d) **Revisional authority under section 50;**
shall not be conferred on any public servant or local body.

Explanation.- For the purpose of this section, "public servant" means any person who holds an office of the State Government or any body corporate or institution established and controlled by the State Government.]

25. Powers exercisable on transfer.—If any Revenue Officer, who has been invested with any powers under this Code in any tahsil or district, is transferred to an equal or higher office of the same nature in any other tahsil or district, he shall, unless the State Government otherwise directs, exercise the same powers under this Code in such other tahsil or district.

26. Collector in case of temporary vacancy.— If the Collector dies or is disabled from performing his duties, the officer who is temporarily placed in charge of the current duties of the Collector shall be held to be the Collector under this Code until the State Government appoints a successor to the Collector so dying or disabled and such successor takes charge of his appointment.

अध्याय - 4

राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया

27. जाँच करने के लिये स्थान — उन कारणों के सिवाय जो लेखबद्ध किये जायेंगे, कोई भी राजस्व अधिकारी किसी मामले की जाँच या सुनवाई अपनी अधिकारिता की रथानीय सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर नहीं करेगा।

[परंतु उपर्युक्त अधिकारी किसी मामले की जाँच या सुनवाई जिले के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकेगा।]

28. भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने की शक्ति — [किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक तथा पटवारी] और उनके सेवक तथा कर्मकार जबकि वे उनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन हों, उस स्थिति में जबकि उन्हें ऐसा निर्देश दिया जाय, भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे तथा उसका सर्वेक्षण कर सकेंगे और सीमांकन कर सकेंगे एवं इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य कर सकेंगे और ऐसा करने में उस नुकसान से अधिक नुकसान कारित नहीं करेंगे जो कि उनके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के निमित्त आवश्यक हो।

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास गृह से संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अधिभोगी की सम्मति के बिना तथा ऐसे अधिभोगी को कम-से-कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं

CHAPTER IV PROCEDURE OF REVENUE OFFICERS AND REVENUE COURTS

27. **Place of holding enquiries.** — Except for reasons to be recorded in writing, no Revenue Officer shall enquire into, or hear, any case at any place outside the local limits of his jurisdiction

¹ [Provided that Sub-Divisional Officer may enquire into, or hear, any case at any place within the district.]

28. **Power to enter upon and survey land.** — ²[Any Revenue Officer, Revenue Inspector, Nagar Sarvekshak and patwari] and when under their observation and control, their servants and workmen when so directed, may enter upon and survey land and demarcate boundaries and do other acts connected with their duties under this Code or any other enactment for the time being in force and in so doing shall cause no more damage than may be required for the due performance of their duties:

Provided that no person shall enter into any building or upon any enclosed Court or garden attached to a dwelling house, unless with the consent of the occupier thereof, without giving such occupier at least twenty-four hours' notice, and in making such entry

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018

करेगा और ऐसे प्रवेश के समय अधिभोगी की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जायगा ।

29. **[मामलों को अंतरित करने की शक्ति।—(1) जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उददेश्यों की पूर्ति के लिए आदेश देना समीचीन है, तो मण्डल निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।**

(2) आयुक्त, यदि उसकी राय हो कि न्याय के उददेश्यों की पूर्ति के लिए यह समीचीन है, तो वह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।]

30. अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अन्तरित करने की शक्ति – (1) **[कलेक्टर या उपखंड अधिकारी।]** इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को, जो कि ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिये सक्षम है, विनिश्चय के लिये सौंप सकेगा या किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें निपटारे के लिये अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जो ऐसे

due regard shall be paid to the social and religious sentiments of the occupier.

29. **[Power to transfer cases -(1)** Whenever it appears that an order is expedient for the ends of justice, the Board may direct that any particular case be transferred from one Revenue Officer to another Revenue Officer of an equal rank.

(2) The Commissioner may, if he is of opinion that it is expedient for the ends of justice, order that any particular case be transferred from a Revenue Officer to another Revenue Officer of an equal rank in the same district or any other district in the same division.]

30. Power to transfer cases to and from subordinates- (1) **[Collector or a Sub-Divisional Officer]**, may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Code or any other enactment for the time being in force, for decision from his own file to any Revenue Officer subordinate to him competent to decide such case or class of cases, or may withdraw any case or class of cases from any such Revenue Officer and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other Revenue

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 42 of 2011.

मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विनिश्चय करने के लिये सक्षम है, निदेशित कर सकेगा ।

(2) आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार, इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनरथ किसी राजस्व अधिकारी को जाँच तथा रिपोर्ट के लिये सौंप सकेगा ।

31. मण्डल तथा राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों की प्राप्तिका प्रदान किया जाना – मण्डल या राजस्व अधिकारी जब कि वह राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिये उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न की जाँच करने या उसका विनिश्चय करने के लिये इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, राजस्व न्यायालय होगा ।

32. राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति – इस संहिता की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसे आदेश जो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिये आवश्यक हैं, देने की राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित करती है या उसे अन्यथा प्रभावित करती है ।

33. व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेज पेश किये जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबन्धों तथा [धारा 258] के अधीन बनाये गये

Officer subordinate to him competent to decide such case or class of cases.

(2) A Commissioner, a Collector, a Sub-Divisional Officer, or a Tahsildar may make over for inquiry and report any case or class of cases arising under the provisions of this Code or any other enactment for the time being in force from his own file to any Revenue Officer subordinate to him.

31. **Conferral of Status of Courts on Board and Revenue Officers.**—The Board or a Revenue Officer, while exercising power under this Code or any other enactment for the time being in force to enquire into or to decide any question arising for determination between the State Government and any person or between parties to any proceedings, shall be a Revenue Court.

32. **Inherent power of Revenue Courts.**—Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Revenue Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Court.

33. **Powers of Revenue Officers to require attendance of persons and production of documents and to receive evidence.**—(1) Subject to the provisions of Sections 132 and 133 of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) and to rules made under [Section 258], every Revenue Officer acting as a Revenue

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

नियमों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भूत होने वाली किसी जाँच या मामले के प्रयोजनों के लिये साक्ष्य ले, किसी ऐसे व्यक्ति को समन करे जिसकी कि हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने के लिये या साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिये या कोई दस्तावेज पेश करने के लिये वह आवश्यक समझे ।

(2) किसी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिये तब तक आदिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति —

(क) उस दशा में जब कि राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाला राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार है, तहसील के सीमाओं के भीतर और उस दशा में जबकि राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाला कोई अन्य राजस्व अधिकारी है, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है; या

(ख) ऐसी सीमाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान में निवास नहीं करता है जिसके तथा उस स्थान के, जहाँ कि हाजिर होने के लिये उसे समन किया गया है, बीच की दूरी पचास मील से कम है या उस दशा में दो सौ मील से कम है जब कि उस स्थान के, जहाँ कि वह निवास करता है तथा उस स्थान के, जहाँ कि हाजिर होने के लिये उसे समन किया गया है बीच की दूरी के पाँच बटे छः भाग के लिये रेल संचार या अन्य सुस्थापित लोक प्रवहण की व्यवस्था है ।

(3) कोई भी ऐसा राजस्व अधिकारी उपस्थित किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह साक्ष्य दे अथवा अपने कब्जे या अधिकार में होने वाले किसी दस्तावेज को तत्काल वहीं पेश करे ।

Court shall have power to take evidence, to summon any person whose attendance he considers necessary either to be examined as a party or to give evidence as a witness or to produce any document for the purposes of any inquiry or case arising under this Code or any other enactment for the time being in force.

(2) No person shall be ordered to attend in person, unless he resides —

(a) within the limits of the tahsil if the Revenue Officer acting as a Revenue Officer is a Naib-Tahsildar and in the case of any other Revenue Officer, within the local limits of his jurisdiction; or

(b) without such limits but at a place less than fifty, or where there is a railway communication or other established public conveyance for five-sixths of the distance between the place where he resides and the place where he is summoned to attend, less than two hundred miles distant from such place.

(3) Any person present may be required by any such Revenue Officer to give evidence or to produce any document then and there in his possession or power.

(4) Every such Revenue Officer shall have power to issue a commission to

(4) प्रत्येक ऐसे राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जिसे न्यायालय में हाजिर होने से छूट मिली हुई है या जिसे स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जा सकता है, या जो रुग्णता या अंग-शैयित्य के कारण हाजिर होने में असमर्थ है, परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी करे।

34. साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करना – यदि कोई व्यक्ति, जिस पर साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिये या कोई दस्तावेज पेश करने के लिये समन तामील किया गया है, समन का अनुपालन करने में चूक करेगा तो वह अधिकारी, जिसके द्वारा धारा 33 के अधीन समन जारी किया गया है –

- (क) गिरफ्तारी का जमानतीय वारण्ट जारी कर सकेगा;
- (ख) उस व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजाति के लिये प्रतिभूति दे; या
- (ग) उस व्यक्ति पर 1[एक हजार] रुपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

35— पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई—

(1) 1[विलोपित]

(2) यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष के मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार, उस पर सूचना या समन की सम्यक् तामील हो जाने के पश्चात्, उस तारीख को, जो सुनवाई के लिए नियत की गई है, उपसंजात नहीं होता है तो वह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में सुना तथा अवधारित किया जा सकेगा या अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा सकेगा।

examine any person who is exempted from attending Court or who cannot be ordered to attend in person or is unable to attend on account of sickness or infirmity.

34. Compelling attendance of witness.—
If any person on whom a summons to attend as witness or to produce any document has been served fails to comply with the summons, the officer by whom the summons has been issued under Section 33 may —

- (a) Issue a bailable warrant of arrest;
- (b) Order him to furnish security for appearance; or
- (c) Impose upon him a fine not exceeding rupees 1[one thousand].

35. Hearing in absence of party.—

(1) 2[deleted;]

(2) If any party to a case or proceeding before a Revenue Officer does not appear on the date fixed for hearing after due service of a notice or summons on him the case may be heard and determined in his absence or may be dismissed in default, as the case may be.

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 42 of 2011.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

(3) [वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से या उस दशा में जबकि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गई हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपारत कराने के लिये आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से नियारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को, जो उस तारीख को उपरिथित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था, सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, पारित किए गये आदेश को अपारत कर सकेगा।]

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरुद्ध अपील होती है।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय या उस दशा में के सिवाय जब किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी मामले या कार्यवाही का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया गया है, इस धारा के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध, कोई अपील नहीं होगी।

36. सुनवाई का स्थगन — (1) राजस्व अधिकारी, समय — समय पर, अपने समक्ष के किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और खर्च-विषयक निबन्धनों पर, स्थगित कर सकेगा:

(3) 1] The party against whom any order is passed under sub-section (2) may apply within thirty days from the date of such order or knowledge of the order in case the notice or summons was not duly served, to have it set aside on the ground that he was prevented by any sufficient cause from appearing at the hearing and the Revenue Officer may, after notice to the opposite party which was present on the date on which such order was passed and after making such inquiry as he considers necessary, set aside the order passed. |

(4) Where an application filed under sub-section (3) is rejected, the party aggrieved may file an appeal to the authority to whom an appeal lies from an original order passed by such officer.

(5) Except as provided in sub-section (4) or except where a case or proceeding before any Revenue Officer has been decided on merits, no appeal shall lie from an order passed under this section.

36. Adjournment of hearing.— (1) A Revenue Officer may, from time to time, for reasons to be recorded and on such terms as to costs, adjourn the hearing of a case or proceeding before him :

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

[परन्तु प्रत्येक पक्षकार को, प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान तीन से अनधिक स्थगन दिए जा सकेंगे और प्रत्येक स्थगन केवल खर्च के साथ प्रदान किया जाएगा।]

(2) किसी मामले की कार्यवाही की स्थगित सुनवाई की तारीख तथा स्थान उपस्थित पक्षकारों तथा साक्षियों को ऐसे स्थगन के समय, प्रज्ञापित कर दिया जाएगा।

37. खर्च दिलवाने की शक्ति — राजर्च अधिकारी इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या कार्यवाही में उपगत किए गए खर्च ऐसी रीति में तथा ऐसे परिमाण तक, जैसा कि वह ठीक समझे, दिलवा सकेगा:

परन्तु किसी विधि — व्यवसायी की फीस ऐसे मामले या कार्यवाही में खर्च के रूप में तब तक नहीं दिलवायी जाएगी जब तक कि ऐसा अधिकारी, उन कारणों से, जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे अन्यथा न समझता हो।

38. स्थावर सम्पत्ति का कब्जा परिदृत करने विषयक आदेश को निष्पादित करने की रीति — जहाँ स्थावर सम्पत्ति का कब्जा परिदृत करने का आदेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस संहिता के अधीन पारित किया गया हो, वहाँ ऐसा आदेश निम्नलिखित रीति में निष्पादित किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) कब्जाधारी व्यक्ति या व्यक्तियों पर ऐसी सूचना तामील करके जिसमें उनसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर, जो युक्तियुक्त प्रतीत हो, भूमि को खाली कर दें; और

¹ [Provided that each party may be granted not more than three adjournments during the entire hearing of the case and each such adjournment should be granted only with cost.]

(2) The date and place of an adjourned hearing of a case or proceeding shall be intimated at the time of the adjournment to such of the parties and witnesses as are present.

37. Power to award costs — A Revenue Officer may award costs incurred in any case or proceeding arising under this Code or any other enactment for the time being in force in such manner and to such extent, as he thinks fit

Provided that the fees of a legal practitioner shall not be allowed as costs in any such case or proceeding, unless such officer considers otherwise for reasons to be recorded by him in writing.

38. Manner of executing order to deliver possession of immovable property. — Where any person against whom an order to deliver possession of immovable property has been passed under this Code such order shall be executed in the following manner, namely: —

(a) by serving a notice on the person or persons in possession requiring them within such time as may appear reasonable after receipt of the said notice to vacate the land; and

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा अंतर्स्थापित।

(ख) यदि ऐसी सूचना का पालन नहीं किया जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस भूमि को खाली करने से इंकार करता है, हटाकर या उसे हटाने के लिये किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्ति करके, और

(ग) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने वाले अधिकारी का किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुँचाई जाती है तो राजस्व अधिकारी मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जाँच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रतिरोध या बाधा के लिए कोई न्यायसंगत हेतुक नहीं था, और यह कि ऐसा प्रतिरोध या बाधा अब भी चालू है तो वह ऐसे प्रतिरोध या ऐसी बाधा के लिये दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों पर, जिनके लिये वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा या ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो कि ऐसे अधिकारी की राय में उस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो ।

(b) if such notice is not obeyed, by removing or deputing a subordinate to remove any person who may refuse to vacate the same; and

(c) if the officer removing any such person is resisted or obstructed by any person, the Revenue Officer shall hold a summary inquiry into the facts of the case, and if satisfied that the resistance or obstruction was without any just cause, and that such resistance or obstruction still continues, may, without prejudice to any proceedings to which such person may be liable under any law for the time being in force for the punishment of such resistance or obstruction, take or cause to be taken, such steps and use, or cause to be used, such force as may, in the opinion of such officer, be reasonably necessary for securing compliance with the order.

39. वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपसंजातियाँ की जा सकेंगी और आवेदन किये जा सकेंगे – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष समस्त उपसंजातियाँ, उसको किये जाने वाले समस्त आवेदन तथा उसके समक्ष किये जाने वाले समस्त कार्य पक्षकारों द्वारा स्वयं या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा या किसी विधि व्यवसायी द्वारा किये जा सकेंगे:

39. Persons by whom appearances and applications may be made before and to Revenue Officers. — Save as otherwise provided in any other enactment for the time being in force, all appearances before, applications to and acts to be done before any Revenue Officer under this Code or any other enactment for the time being in force may be made or done by the parties themselves or by their recognised agents or by any legal practitioner:

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी ऐसी उपसंजाति यदि राजस्व अधिकारी ऐसा निदेश दे, पक्षकार को स्वयं करनी होगी:

परन्तु यह और भी कि धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) की मद (दो) के अन्तर्गत आने वाले मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा केवल उपसंजाति ही की जा सकेगी।

40. अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव – अनुसूची 1 में के नियम, जब तक कि वे 1[] बातिल या परिवर्तित न कर दिये जायें, इस प्रकार प्रभावशील होंगे मानो कि वे इस संहिता के कलेवर में अधिनियमित किये गये हैं।

41. 2[विलोपित ।]

42. राजस्व अधिकारी के आदेश, गलती या अनियमितता के कारण कब उलटने योग्य होंगे— राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को इस कारण कि समन, सूचना, उद्घोषणा, वारण्ट या उक्त आदेश में किसी जाँच के पूर्व की या उसके दौरान की अन्य कार्यवाहियों में या इस संहिता के अधीन की अन्य कार्यवाहियों में कोई गलती, लोप या अनियमितता है, किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उलटा नहीं जाएगा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण वस्तुतः न्याय न हो पाया हो।

स्पष्टीकरण— इस बात का अवधारण करने में कि क्या इस संहिता के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में किसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है, इस तथ्य का ध्यान रखा

Provided that subject to the provisions of Sections 132 and 133 of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), any such appearance shall, if the Revenue Officer so directs, be made by the party in person:

Provided further that appearance alone may be made by a recognised agent falling under item (ii) of clause (r) of sub-section (1) of Section 2.

40. Effect of rules in Schedule I.— The rules in Schedule I shall have effect as if enacted in the body of this Code until annulled or altered 1[].

41. 2[deleted:]

42. Orders of Revenue Officer when reversible by reason of error or irregularity. — No order passed by a Revenue Officer shall be reversed or altered in appeal or revision on account of any error, omission or irregularity in the summons, notice, proclamation, warrant or order or other proceedings before or during enquiry or other proceedings under this Code, unless such error, omission, or irregularity has in fact occasioned a failure of justice.

Explanation.— In determining whether any error, omission or irregularity in any proceedings under this Code has occasioned a failure of justice regard shall

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा शब्द “इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार” विलोपित।

2.अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. The word “in accordance with the provisions of this Chapter” deleted by Act No. 14 of 2020.
2.Deleted by Act No. 23 of 2018.

जायेगा कि क्या उन कार्यवाहियों में किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आपत्ति उठाई जा सकती थी तथा उठाई जानी चाहिए थी।

43. इस संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के न होने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना – जब तक इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, इस संहिता के अधीन की समरत कार्यवाहियों में यावत्साक्ष्य, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) में अधिकथित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

be had to the fact whether the objection could and should have been raised at an earlier stage in the proceedings.

43. Code of Civil Procedure to apply when no express provision made in this Code.— Unless otherwise expressly provided in this Code, the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) shall, so far as may be, be followed in all proceedings under this Code.

अध्याय - 5

अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

[44. अपील तथा अपील प्राधिकारी।— (1) उस स्थिति को छोड़कर जहाँ कि अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के प्रत्येक मूल आदेश की अपील —

- (क) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है — उपखण्ड अधिकारी को होगी ;
- (ख) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने पारित किया है — उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी ;
- (ग) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी ने पारित किया है — कलेक्टर को होगी ;
- (घ) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है— जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी ;
- (ङ) यदि ऐसा आदेश किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, जिसे इस संहिता की धारा 24 के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं — कलेक्टर को होगी ;
- (च) यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके कि संबंध में धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निदेश दिया गया हो — ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके कि बारे में राज्य सरकार निदेश दे;

CHAPTER V

APPEAL, REVISION AND REVIEW

[44. Appeal and appellate authorities—

(1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order of a Revenue Officer competent to pass such order under this Code or the rules made thereunder—

- (a) if such order is passed by any Revenue Officer subordinate to the Sub-Divisional Officer—to the Sub-Divisional Officer;
- (b) if such order is passed by any Revenue Officer subordinate to the Deputy Survey Officer—to the Deputy Survey Officer;
- (c) if such order is passed by the Sub-Divisional Officer—to the Collector;
- (d) if such order is passed by the Deputy Survey Officer—to the District Survey Officer;
- (e) if such order is passed by any Assistant Collector, Joint Collector or Deputy Collector to whom the powers have been conferred under section 24—to the Collector;
- (f) if such order is passed by any Revenue Officer in respect of whom a direction has been issued under sub-section (3) of section 12—to such Revenue Officer as the State Government may direct;

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(छ) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है – आयुक्त को होगी;

(ज) यदि ऐसा आदेश आयुक्त ने पारित किया है – मण्डल को होगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन प्रथम अपील में –

(क) उपर्युक्त अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी;

(ख) आयुक्त द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मण्डल को होगी;

(3) द्वितीय अपील –

(क) यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में फेरफारित किया गया हो या उलट दिया गया हो; या

(ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थातः—

(एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा सबधी किसी सारांश विवादक का अवधारण नहीं हो सका हो; या

(तीन) यह कि इस संहिता द्वारा यथा— विहित प्रक्रिया में ऐसी सारांश गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण के आधार पर

(g) if such order is passed by a Collector or District Survey Officer—to the Commissioner;

(h) if such order is passed by the Commissioner—to the Board.

(2) Save as otherwise provided, a second appeal shall lie against every order passed in first appeal under this Code or the rules made thereunder-

(a) by the Sub-Divisional Officer or the Deputy Survey Officer or the Collector or the District Survey Officer - to the Commissioner;

(b) by the Commissioner to the Board.

(3) The second appeal shall lie only-

(a) if the original order has in the first appeal been varied or reversed otherwise than in a matter of cost; or

(b) on any of the following grounds and no other, namely:-

(i) that the order is contrary to law or, usage having the force of law; or

(ii) that the order has failed to determine some material issue of law, or usage having force of law; or

(iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Code, which may have

मामले के विनिश्चय में
गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई
हो।

produced error or defect
in the decision of the
case upon merits.

(4) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उसको उलटते हुए, पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में कि मूल आदेश अपीलनीय होता है।]

(4) An order passed in review varying or reversing any order shall be appealable in like manner as the original order.]

45.¹ [deleted.]

46.² [No appeal against certain orders-
Notwithstanding anything contained in
section 44,-

(क) किसी भी ऐसे आदेश की –

- (एक) जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट आधारों पर यिलम्ब के विचारण के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया है; या
- (दो) पुनर्विलोकन के लिए किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है; या
- (तीन) आवेदन को जो रोक (स्टे) के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया है; या
- (चार) जो अंतरिम स्वरूप का है; या
- (पांच) जो धारा 29, 30, 104, 106, 114-क, 127, 146, 147, 150, 152, 153, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 तथा 243 के उपबंधों के अधीन पारित किया गया है,

- (i) allowing or rejecting an application for condonation of delay on the grounds specified in section 5 of the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963); or
- (ii) rejecting an application for review; or
- (iii) allowing or rejecting an application for stay; or
- (iv) of an interim nature; or
- (v) passed under the provisions of sections 29, 30, 104, 106, 114A, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 and 243; and

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

कोई अपील नहीं होगी ; और

(ख) धारा 131 की उपधारा (1), धारा 134, धारा 173, धारा 234, धारा 239, धारा 240, धारा 241, धारा 242, धारा 244 तथा धारा 248 के उपबधों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी ।]

47. [अपीलों की परिसीमा.— प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है की तारीख से, पैतालीस दिन होगी:

परन्तु जहाँ कोई आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहाँ अपील करने की परिसीमा की अवधि, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबधित किए गए अनुसार होगी:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहाँ परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के सम्बन्धित किए जाने की तारीख से की जाएगी ।]

48. याचिका के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की गई है – अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये प्रत्येक याचिका के साथ उस आदेश की, जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जब तक की ऐसी प्रतिलिपि के पेश किये जाने से अभिमुक्ति न दे दी गई हो ।

(b) no second appeal shall lie from an order passed in first appeal against an order passed under the provisions of sub-section (1) of section 131, section 134, section 173, section 234, section 239, section 240, section 241, section 242, section 244 and section 248.]

47. [Limitation of appeals- The period of limitation for filing first or second appeal shall be forty-five days from the date of the order appealed against:

Provided that where an order, against which the appeal is preferred, was made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, the period of limitation of appeal shall be as provided in the Code prior to the said Amendment Act:

Provided further that where a party, other than a party against whom the order has been passed *ex parte*, had no previous notice of the date on which the order was passed, limitation shall be computed from the date of the communication of such order.]

48. Copy of order objected to accompany petition.— Every petition for appeal, review or revision shall be accompanied by a certified copy of the order to which objection is made unless the production of such copy is dispensed with.

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

49-अपील प्राधिकारी की शक्ति - (1) अपील प्राधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या, अभिलेख मांगने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे संक्षेपतः नामन्जूर कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उस दशा में अभिलेख मांगने के लिये आबद्ध नहीं होगा जबकि अपील समय-बंजित है या अपील नहीं हो सकती है।

(2) यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के लिये तारीख नियत की जायेगी और प्रत्यर्थी पर सूचना तामील की जायेगी।

(3) ॥ पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे:

【परन्तु अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिए साधारणतया प्रतिप्रेषित नहीं करेगा।】

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व के समस्त ऐसे मामले, जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रतिप्रेषित किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएँगे।】

५०. पुनरीक्षण- (1) उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए-

49. Power of appellate authority.—(1) The appellate authority may either admit the appeal or, after calling for the record and giving the appellant an opportunity to be heard, may summarily reject it

Provided that the appellate authority shall not be bound to call for the record where the appeal is time-barred or does not lie.

(2) If the appeal is admitted date shall be fixed for hearing and notice shall be served on the respondent.

(3) ॥ After hearing the parties, the appellate authority may confirm, vary or reverse the order appealed against, or may take such additional evidence as it may consider necessary for passing its order

² [Provided that the appellate authority shall not ordinarily remand the case for disposal to any Revenue Officer subordinate to it:]

Provided further that all such cases which have been remanded to the Sub-ordinate Revenue Officers by the Appellate or Revisional Authorities before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011 shall be heard and decided by such Revenue Officer.]

५०. Revision- (1) Subject to the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5),-

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) मण्डल, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें आयुक्त द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

(ख) आयुक्त, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

(ग) कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने –

(एक) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो; या

(दो) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो; या

(तीन) अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है या सारावान अनियमितता की है;

(a) the Board may, at any time on its own motion or on an application made by any party, call for the record of any case which has been decided or proceedings in which an order has been passed under this Code by the Commissioner;

(b) the Commissioner may, at any time on his own motion or on an application made by any party, call for the record of any case which has been decided or proceedings in which an order has been passed under this Code by the Collector or the District Survey Officer;

(c) the Collector or the District Survey Officer may, at any time on his own motion or on an application of any party, call for the record of any case which has been decided or proceedings in which an order has been passed under this Code by a Revenue Officer subordinate to him;

and if it appears that the subordinate Revenue Officer-

(i) has exercised a jurisdiction not vested in him by this Code; or

(ii) has failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(iii) has acted in the exercise of his jurisdiction illegally or with material irregularity,

तो मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(2) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन —

- (क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध;
- (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध;
- (ग) पुनरीक्षण में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध;
- (घ) धारा 210 के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध;
- (ड) जब तक कि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन, जो भी पश्चात् का हो, के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा अवधि उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी।

(3) मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि,—

- [(क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में

the Board or the Commissioner or the Collector or the District Survey Officer may make such order in the case as it or he thinks fit.

(2) No application for revision shall be entertained—

- (a) against an order appealable under this Code;
- (b) against any order passed in second appeal under this Code;
- (c) against an order passed in revision;
- (d) against an order of the Commissioner under section 210;
- (e) unless presented within forty-five days from the date of order or its communication to the party, whichever is later:

Provided that where an order, against which an application for revision is being preferred, was made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 the period of limitation for presenting the application for revision shall be as provided in the Code prior to the said Amendment Act.

(3) The Board or the Commissioner or Collector or the District Survey Officer shall not, under this section, vary or reverse any order made or any order deciding an issue, in the course of proceeding, except where—

- [(a) the order, if it had been made in favour of the party applying for

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

किया गया होता तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा कर देता; या]

(ख) ऐसा आदेश, यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को, जिसके कि विरुद्ध यह किया गया था अपूरणीय क्षति कारित करेगा।

(4) पुनरीक्षण का प्रभाव राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो।

(5) किसी भी ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे।]

¹ [51. आदेशों का पुनर्विलोकन— (1) मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरण से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु

(एक) यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि

revision, would have finally disposed of the proceedings; or]

(b) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it was made.

(4) A revision shall not operate as a stay of proceeding before the Revenue Officer, except where such proceeding is stayed by the Board or the Commissioner or the Collector or the District Survey Officer, as the case may be.

(5) No order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

Explanation- For the purpose of this section all Revenue Officers shall be deemed to be subordinate to the Board.]

¹ [51. **Review of orders.**—(1) The Board or any Revenue Officer may, either *suo motu* or on an application of any party interested, review any order passed by it or him, or by any predecessor-in-office and pass such order in reference thereto as it or he may think fit:

Provided that—

(i) if the Commissioner, Collector or District Survey Officer thinks it necessary to review any order which he has not himself

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है तो वह पहले कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, की, ठीक जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा;

(दो) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो;

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण की कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियां लंबित रहती हैं;

(चार) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन, जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के पैतालीस दिन के भीतर न किया गया हो।

(2) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवाय नहीं किया जाएगा, अर्थात् :-

passed, he shall first obtain the sanction of the Board, and if an officer subordinate to the Collector or District Survey Officer proposes to review an order, whether passed by himself or his predecessor, he shall first obtain the sanction in writing of the Collector or District Survey Officer to whom he is immediate subordinate;

(ii) no order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order;

(iii) no order from which an appeal has been made, or which is the subject of any revision proceedings shall, so long as such appeal or proceedings are pending, be reviewed;

(iv) no order affecting any question of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party to the proceedings, and no application for the review of such order shall be entertained unless it is made within forty-five days from the passing of the order.

(2) No order shall be reviewed except on the following grounds, namely: -

- (क) नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी नहीं था या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका;
- (ख) कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो; या
- (ग) कोई अन्य समुचित कारण ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद – उत्तरवर्ती समझा जाएगा जिसने जिला छोड़ दिया है या जिसने राजस्व अधिकारी की हैसियत से शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया है तथा जिले में जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

(4) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है।

52. आदेशों के निष्पादन का रोका जाना – (1) राजस्व अधिकारी, जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद – उत्तरवर्ती अपील या पुनरीक्षण के लिये विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो।

(2) अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जितना कि वह ठीक समझे:

- a) discovery of new and important matter or evidence, which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made;
- (b) some mistake or error apparent on the face of the record; or
- (c) any other sufficient reason.]

(3) For the purposes of this section the Collector shall be deemed to be the successor in office of any Revenue Officer who has left the district or who has ceased to exercise power as a Revenue Officer and to whom there is no successor in the district.

(4) An order which has been dealt with in appeal or on revision shall not be reviewed by any Revenue Officer subordinate to the appellate or revisional authority.

52. Stay of execution of orders. – (1) A Revenue Officer who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal or revision, direct the execution of such order to be stayed for such time as may be requisite for filing an appeal or revision and obtaining a stay order from the appellate or revisional authority.

(2) The appellate or revisional authority may, at any time direct the execution of the order appealed from or against which a revision is made to be stayed for such time as it may think fit:

‘[परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा ।]

(3) वह प्राधिकारी, जो धारा 50 या धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जितना कि वह ठीक समझे:

‘[परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा ।]

(4) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिये जाने का निदेश देने वाला राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्त अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिये जाने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ठीक समझे ।

(5) कोई ऐसा आदेश, जिससे किसी आदेश के निष्पादन को रोक दिये जाने का निदेश दिया गया हो, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार ही पारित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

53. लिमिटेशन एक्ट का लागू होना— इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अध्यधीन रहते हुए, [परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)] के उपबन्ध इस संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा [पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण]हेतु समस्त आवेदनों को लागू होंगे।

¹ [Provided that the execution of order shall not be stayed for more than three months at a time or until the date of next hearing, whichever is earlier.]

(3) The authority exercising the powers conferred by Section 50 or Section 51 may direct the execution of the order under revision or review to be stayed for such time as it may think fit:

‘[Provided that the execution of order shall not be stayed for more than three months at a time or until the date of next hearing, whichever is earlier.]

(4) The Revenue Officer or the authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

(5) No order directing the stay of execution of any order shall be passed except in accordance with the provisions of this section.

53. **Application of limitation Act.**— Subject to any express provision contained in this Code, the provision of [the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)] shall apply to all appeals and applications for [review and revision] under this code.

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Inserted by Act No. 42 of 2011.

2. Substituted by Act No. 42 of 2011.

54. ¹[पुनरीक्षण का लंबित रहना.— इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित हो,—

- (क) यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हों, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, तो ऐसे सक्षम राजस्व अधिकारी को अंतरित की जाएंगी;
- (ख) यदि वे मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा रचप्रेरणा से शुरू की गई हों तो यथास्थिति, मण्डल या ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;
- (ग) यदि वे बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शुरू की गई हों तो संबंधित संभाग के आयुक्त को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा;
- (घ) यदि वे बंदोबस्त अधिकारी द्वारा शुरू की गई हों तो यथास्थिति, जिला सर्केश्वर अधिकारी या कलेक्टर को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा।]

54-क. ²[विलोपित ।]

55. ³[विलोपित ।]

54. ¹[Pending revisions.— Notwithstanding anything contained in this Chapter, any proceedings pending in revision immediately prior to coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018,-

- (a) if initiated on an application of a party, be heard and decided by the Board or the Revenue Officer competent to hear and decide them under sub-section (1) of section 50 as amended by the aforesaid Amendment Act and, if required for this purpose, shall be transferred to such competent Revenue Officer;
- (b) if initiated *suo motu* by the Board or any Revenue Officer, shall be heard or decided by the Board or such Revenue Officer, as the case may be, as if this Amendment Act had not been passed;
- (c) if initiated by the Settlement Commissioner, shall be transferred to the Commissioner of concerned division, who shall heard and decide it;
- (d) if initiated by the Settlement Officer, shall be transferred to the District Survey Officer or the Collector, as the case may be, who shall heard and decide it].

54-a. ²[deleted.]

55. ³[deleted.]

- 1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
- 2. Deleted by Act No. 42 of 2011.
- 3. Deleted by Act No. 23 of 2018.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा लोप।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

56. 'आदेश का अर्थान्वयन— इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिव्यक्ति "आदेश" से अभिप्रैत है, उस विनिश्चय की प्रलूपित अभिव्यक्ति जो कि मण्डल या राजस्व अधिकारी द्वारा ²[इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए]किसी मामले के सम्बन्ध में किया गया हो।]

अध्याय — 6

भूमि तथा राजस्व

57. समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व — (1) समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं और एतदवारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियाँ जिनमें रुका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खाने, पत्थर की खदाने, खनिज पदार्थ तथा वन, चाहे वे रक्षित हों या नहीं, समिलित हैं, तथा किसी भूमि की अधोमूदा में समरत अधिकार राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं।

³[परन्तु इस कोड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के किसी ऐसी सम्पत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर, जो इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहे हों प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।]

⁴[(2) विलोपित]

⁵[(3) विलोपित

(3-क) विलोपित

(4) विलोपित]

56. 'Construction of order.— In this Chapter, unless the context otherwise requires, expression "order" means, the formal expression of the decision given by the Board or a Revenue Officer in respect of any matter ²[in exercise of power under this code.]

CHAPTER VI

LAND AND LAND REVENUE

57. State ownership in all lands. — (1) All lands belong to the State Government and it is hereby declared that all such lands, including standing and flowing water, mines, quarries, minerals and forests reserved or not, and all rights in the sub-soil of any land are the property of the State Government:

³[Provided that nothing in this section shall, save as otherwise provided in this Code, be deemed to affect any rights of any person subsisting at the coming into force of this Code in any such property.]

⁴[(2) deleted.]

⁵[(3) Deleted

(3-a) Deleted

(4) Deleted]

1. अधिनियम क्रमांक 10 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 8 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
5. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 10 of 1974.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.
3. Substituted by Act No. 8 of 1979.
4. Deleted by Act No. 23 of 2018.
5. Deleted by Act No. 42 of 2011.

58. भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि का दायित्व.— ¹[(1) समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन या राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस बाबत् जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसे दायित्व से पूर्णतः या भागतः छूट दी गई है ।]

²[(2) विलोपित]

¹[(58-क. भू-राजस्व के भुगतान से छूट। इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गये दो हेक्टेयर तक किसी खाते; और
 (ख) गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी गयी ऐसी अन्य भूमि जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

के संबंध में, कोई भी भू-राजस्व देय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए 'खाते' से अभिप्रेत है सपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः धारित समस्त भूमि और संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित भूमियों में उसका हिस्सा, यदि कोई हो, का योग ।]

²[(58 ख—विलोपित]

58. Liability of land to payment of land revenue. (1) ¹[All land to whatever purpose applied and wherever situate, is liable to the payment of revenue to the State Government except such land as has been wholly or partially exempted from such liability by or under this Code or by special grant of or contract with the State Government or such land which is wholly or partially exempted from such liability by notification, issued in this behalf by the State Government.

²[(2) deleted.]

¹[(58-A. Exemption from payment of land revenue- Notwithstanding anything contained in this Code, no land revenue shall be payable in respect of –

- (a) any holding up to two hectares used exclusively for the purpose of agriculture;
- (b) such other land used for non agricultural purpose as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.- For the purpose of this section, "holding" means the sum of all lands held by a person individually and his share in the lands held by him jointly, if any, in the entire State.]

²[(58-B. deleted.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
 2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

१५९. जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही है, के अनुसार भू-राजस्व—
(१) भूमि के निम्नलिखित उपयोग के संबंध में भू-राजस्व का निर्धारण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसी कि विहित की जाएँ:

- (क) कृषि के प्रयोजन के लिए, जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है;
- (ख) निवास घरों के प्रयोजन के लिए;
- (ग) शैक्षणिक प्रयोजन के लिए;
- (घ) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए;
- (ड) औद्योगिक प्रयोजन के लिए, जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित हैं;
- (च) उपरोक्त मद (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन से भिन्न ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) जहाँ कोई भूमि जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाए, वहाँ ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का, जिसके कि लिए निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गयी है।

(3) जहाँ कोई भूमि जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने की शर्त पर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त रूप से धारित है किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है, वहाँ वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो जाएगी और उस पर उस प्रयोजन के लिए

२१५९. Land revenue according to purpose for which land is used — (१) The assessment of land revenue shall be made with reference to the following use of land at such rates as may be prescribed:

- (a) for the purpose of agriculture including any improvement made thereon;
- (b) for the purpose of dwelling houses;
- (c) for educational purpose;
- (d) for commercial purpose;
- (e) for industrial purpose including the purpose of mines and minerals;
- (f) for purpose other than those specified in items (a) to (e) above as may be notified by the State Government.

(2) Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, the land revenue payable upon such land shall, notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has not expired, be liable to assessment at the rates prescribed for the purpose to which it has been diverted.

(3) Where the land held free from the payment of land revenue on condition of being used for any purpose is diverted to any other purpose it shall become liable to the payment of land revenue and assessed at the rates prescribed for purpose for which it has been diverted.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

विहित दर पर निर्धारण किया जाएगा जिसके किंतु लिए वह व्यपवर्तित की गयी है।

(4) जहां किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहां ऐसे व्यपवर्तन पर प्रीमियम ऐसी दर पर संदेय होगा जो कि विहित की जाए।

(5) जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया जाता है, तो भूमिस्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा करेगा।

(6) भूमिस्वामी ऐसे व्यपवर्तन की उपखण्ड अधिकारी को उपधारा (5) के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यपवर्तित मानी जाएगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी यथाशक्य शीघ्र भूमिस्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा तथा भूमिस्वामी को या तो उपधारा (5) के अधीन गणना की पुष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भू-राजस्व की सही रकम की संसूचना देगा। उपधारा (5) के अधीन जमा की गई रकम के, उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की राशि भूमिस्वामी द्वारा ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर संदर्भ की जाएगी।

परन्तु उपधारा (5) के अधीन जमा की गई रकम उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि साठ दिन के भीतर भूमिस्वामी को वापस की जाएगी।

(4) Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, and land revenue is assessed thereon under the provisions of this section, the premium on such diversion shall be payable at such rates as may be prescribed.

(5) Whenever land assessed for one purpose is diverted to another purpose, the Bhumiswami shall compute the premium and reassessed land revenue payable and deposit the amount so computed in the manner prescribed.

(6) The Bhumiswami shall give a written intimation of such diversion to the Sub-Divisional Officer alongwith the receipt of the deposit of the amount under sub-section (5), and the land shall be deemed to have been diverted from the date of such intimation.

(7) On the receipt of intimation under sub-section (6), the Sub-Divisional Officer shall, as soon as possible, make enquiry into the correctness of the computation made by the Bhumiswami and communicate to the Bhumiswami either confirming the computation made under sub-section (5) or informing him the correct amount of premium and land revenue payable. In case the amount deposited under sub-section (5) is less than the amount computed by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be paid by the Bhumiswami within sixty days of receipt of such intimation:

Provided that in case the amount deposited under sub-section (5) is greater than the amount computed by

(8) यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा (6) के अधीन प्राप्त प्रज्ञापना की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उपधारा (7) के अधीन भूमिस्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की बकाया पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए देय नहीं होगी।

¹[(9) यदि भूमिस्वामी उपधारा (6) के अधीन व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:

परन्तु ऐसा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व व्यपवर्तन की वास्तविक तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्यधीन रहते हुए देय होगा :

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।]

(10) भूमिस्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही भूमि व्यपवर्तित करेगा जैसा कि तत्समय प्रवृत्त भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु इस धारा के अधीन भूमिस्वामी या उपखण्ड अधिकारी की कोई कार्रवाई लागू विधि के उपबंधों के प्रतिकूल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देने वाली नहीं समझी जाएगी :

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

the Sub-Divisional Officer, the difference shall be refunded to the Bhumiswami within sixty days.

(8) If the Sub-Divisional Officer fails to communicate to the Bhumiswami under sub-section (7) within five years from the date of intimation received under sub-section (6), the arrears of re-assessed land revenue shall not be payable for a period exceeding five years.

¹[(9) If the Bhumiswami fails to give the intimation of diversion under sub-section (6), the Sub-Divisional Officer on his own motion or on receiving such information shall compute the premium and re-assess the land revenue payable on account of such diversion and also impose a penalty equal to fifty per centum of the total amount payable:

Provided that such re-assessed land revenue shall be payable from the actual date of diversion subject to a maximum period of five years:

Provided further that no penalty shall be imposed for one year from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018.]

(10) The Bhumiswami shall divert land for only such purpose as is permissible under the law governing the use of land for the time being in force:

Provided that no action of the Bhumiswami or Sub-Divisional Officer under this section shall be construed as granting of permission to change use of

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन की गई किसी दण्डात्मक कार्रवाई का विचार किए बिना तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के प्रतिकूल ऐसे व्यपर्वन के लिए भूमिस्वामी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा।

(11) प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना यथास्थिति, उपधारा (6) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा प्रज्ञापना की तारीख या उपधारा (9) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख को प्रचलित दरों पर की जाएगी।

(12) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने के पूर्व मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लबित इस धारा के अधीन की समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी तथा उपखण्ड अधिकारी इस धारा के उपबंधों के अनुसार व्यपर्वत्तन के मद्दे प्रीमियम अधिरोपित करेगा और भू-राजस्व का निर्धारण करेगा।

[59-क. निर्धारण कब प्रभावशील होगा—
धारा 59 के उपबन्ध के अधीन किया गया परिवर्तन या निर्धारण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि व्यपर्वत्तन किया गया था।]

59-ख. कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए भूमि के व्यपर्वत्तन पर पुनर्निर्धारण—
जहां इस कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी क्षेत्र में की भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, बाद में किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने के हेतु व्यपर्वत्तन कर दी गई हो, वहां ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का,

land contrary to the provisions of the applicable law:

Provided further that the competent authority may take action against Bhumiswami for such diversion contrary to the provisions of the law for the time being in force irrespective of any action taken under this section.

(11) The premium and re-assessed land revenue shall be computed at the rates prevailing on the date of intimation by the Bhumiswami under sub-section (6) or the date of passing of order by Sub-Divisional Officer under sub-section (9), as the case may be.

(12) All proceedings under this section pending before the Board or any Revenue Officer prior to commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 shall stand abated and the Sub-Divisional Officer shall impose premium and assess the land revenue on account of diversion in accordance with the provisions of this section.]

[59-A. Assessment when to take effect.—
The alteration or assessment made under the provision of Section 59 shall take effect from the date on which the diversion was made.]

59-B. Reassessment on diversion of land prior to coming into force of the code—
Where prior to the coming into force of this code land in any area assessed for any one purpose was subsequently

1. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1975 द्वारा अंत स्थापित।

1. Inserted by Act No. 15 of 1975.

जिसके कि लिए निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है—

(1) उस प्रयोजन के अनुसार, जिसके लिए वह व्यवर्तित की गई हो—

(क) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा व्यपवर्तन किया गया था, परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा यदि संबंधित क्षेत्र में धारा 261 के अधीन निरसित कोई ऐसी अधिनियमित प्रवृत्त थी जिसमें ऐसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट थे कि ऐसा व्यपवर्तन होने पर परिवर्तन या पुनर्निर्धारण किया जाएगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा; और

(2) उपर्युक्त (क) के मामले में ऐसे निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा उपर्युक्त (ख) के मामले में इस कोड के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा ।

diverted for use to any other purpose, the land revenue payable upon such land shall, notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has not expired, be liable to be altered and assessed-

(1) in accordance with the purpose to which it has been diverted with effect from —

(a) The date on which such diversion was made if in the area concerned there was in force any enactment repealed under Section 261 which contained provision for alteration or reassessment on such diversion;

(b) The date of coming into force of this Code in any other case; and

(2) in case of (a) above in accordance with the provisions of such repealed Act, and in the case of (b) above in accordance with the provisions of this Code.]

[60. भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है, का निर्धारण — उन समस्त भूमियों पर जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भूमि का निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।]

60. ¹ | **Assessment of un-assessed land**- All lands on which the assessment has not been made, the assessment of land revenue shall be made by the Collector in accordance with rules made under this Code.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

'[अध्याय-7

भू-सर्वेक्षण

61. भू-सर्वेक्षण की परिभाषा.— “भू-सर्वेक्षण” से अभिप्रेत है—

(क) समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप—

- (एक) भूमि का सर्वेक्षण संख्याओं में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्याओं को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना या कृषि प्रयोजनों तथा उनसे आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्याक विरचित करना;
- (दो) भूमि का भूखण्ड संख्याओं में विभाजन, विद्यमान भूखण्ड संख्याओं को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना तथा गैर कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नये भूखण्ड संख्याक विरचित करना तथा उन्हें ब्लाक में समूहीकृत करना;
- (तीन) नगरेतर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्याओं तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलाप;
- (ख) यथास्थिति, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्याक, ब्लाक संख्याक या भूखण्ड संख्याक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) तैयार करना;

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षित।

'[CHAPTER VII

LAND SURVEY

61. **Definition of land survey**—The “land survey” means—

(a) all or any of the following activities—

- (i) division of land into survey numbers, recognition of existing survey numbers, reconstitution thereof or forming new survey numbers in land used for agricultural purposes and activities incidental thereto;
- (ii) division of land into plot numbers, recognition of existing plot numbers, reconstitution thereof or forming new plot numbers and grouping them into blocks in land used for non-agricultural purposes and activities incidental thereto;
- (iii) grouping of the survey numbers and blocks into villages in non-urban areas and into sectors in urban areas and activities incidental thereto;

(b) preparation of a Field Book describing the area, current land use and other attributes of each survey number, block number or plot number, as the case may be;

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(ग) घथास्थिति, खेत का नक्शा तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना ;

(घ) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना ;

(ङ.) कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा कि विहित किया जाए ।

62. भू-अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति :— राज्य सरकार, भू-अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निदेश के अधीन रहते हुए, भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेखों का प्रबंध करेगा ।

63. अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य— (1) राज्य सरकार एक या अधिक अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख ऐसे मामलों में या मामले के ऐसे वर्ग में, जैसा कि राज्य सरकार या आयुक्त, भू-अभिलेख नियोजित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं और अपर आयुक्त, भू-अभिलेख के संबंध में जब कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जाएगा कि वह इस संहिता या बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख नियुक्त किया गया है ।

64. प्रस्थापित भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना.— (1) आयुक्त, भू-अभिलेख किसी तहसील क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण, राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्रारंभ कर सकेगा ।

(c) preparation or revision or correction of field map, as the case may be;

(d) preparation of record of rights, in order to bring the land records up to date in any local area;

(e) preparation of any other record, as may be prescribed.

62. **Appointment of Commissioner Land Records**— The State Government may appoint a Commissioner Land Records who shall, subject to the direction issued in this regard by the State Government, manage the land survey and the land records.

63. **Appointment of Additional Commissioners Land Records and their powers and duties**— (1) The State Government may appoint one or more Additional Commissioner Land Records.

(2) An Additional Commissioner of Land Records shall exercise such powers and discharge such duties, conferred and imposed on a Commissioner Land Record by this Code or rules made there under in such cases or classes of cases, as the State Government or Commissioner Land Records may direct and while exercising such powers and discharging such duties, the Additional Commissioner Land Records shall be deemed to have been appointed as a Commissioner Land Records for the purposes of this Code or any rule made.

64. **Notification of proposed land survey**— (1) The Commissioner Land Records may commence land survey in a tahsil area by publishing a notification in the official Gazette to that effect.

(2) भू-सर्वेक्षण तहसील क्षेत्र में की समस्त भूमियों पर या उसके केवल ऐसे भाग पर हो सकेगा जैसा कि आयुक्त, भू-अभिलेख उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझी जाएंगी जब तक कि ऐसे भू-सर्वेक्षण को बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाए ।

65. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी।— (1) ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं,—

- (क) जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा ;
- (ख) उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी उसके उपखण्ड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा ;
- (ग) तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनके अपने—अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे ।

(2) समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त, भू-अभिलेख के अधीनस्थ होंगे ।

(3) जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे ।

(4) उपखण्ड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे ।

66. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां।— (1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू- सर्वेक्षण के अधीन हैं इस संहिता के अधीन

(2) Land survey may extend to all lands in the tahsil area or part thereof as the Commissioner Land Records may direct in the notification issued under sub-section (1).

(3) The lands notified under sub-section (1) shall be held to be under land survey from the date of said notification till the subsequent notification declaring the land survey to be closed is issued.

65. District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer— (1) In respect of the lands under land survey,-

- (a) the Collector of a district shall be the District Survey Officer;
- (b) the Sub-Divisional Officer of a sub-division shall be the Deputy Survey Officer for his sub-division;
- (c) the Tahsildar, Additional Tahsildar or Naib Tahsildar shall be Assistant Survey Officer within their respective jurisdiction.

(2) All District Survey Officers shall be subordinate to the Commissioner Land Records.

(3) All Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officers in a district shall be subordinate to the District Survey Officer.

(4) All Assistant Survey Officers in a sub-division shall be subordinate to the Deputy Survey Officer.

66. Powers of District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer— (1) In respect of lands under land survey the powers of the

कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी।

(2) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित कर सकेगी।

167. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में, ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना।— इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—

- (क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कर सकेगा तथा उस पर उतनी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को सन्निर्मित कर सकेगा जितने कि आवश्यक हों;
- (ख) यदि ऐसी भूमि कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है तो ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्याओं में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्याओं को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्याओं को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;
- (ग) यदि ऐसी भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है तो भूमि को ब्लाक संख्याओं में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्याओं को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्याओं को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;
- (घ) भूमि, जो गैर कृषि प्रयोजन के लिए

Collector, the Sub-Divisional Officer or the Tahsildar under this Code shall vest in the District Survey Officer, Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer respectively.

(2) The State Government may invest any Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer with all or any of the powers of the District Survey Officer under this Code.

167. Formation of survey numbers, block numbers, plot numbers and their grouping into villages in non-urban areas or into sectors in urban areas— Subject to rules made under this Code, the District Survey Officer may—

- (a) take measurements of the land to which land survey extends and construct such number of survey marks thereon as may be necessary;
- (b) divide such land into survey numbers, recognize existing survey numbers, reconstitute survey numbers or form new survey numbers if such land is used for agricultural purpose;
- (c) divide such land into block numbers, recognize existing block numbers, reconstitute block numbers or form new block numbers if such land is used for non agricultural purpose;
- (d) divide blocks in plot numbers, recognize existing plot numbers,

उपयोग में है, को ब्लाक को भू-खण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भू-खण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन भू-खण्ड

(ळ.) सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाकों को नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों में समूहीकृत कर सकेगा :

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भू-खण्ड इस संहिता के अधीन भू-खण्ड समझे जाएँगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भूखण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा ।]

68. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने की शक्ति ।— (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें उतने उप खण्डों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों को एकल सर्वेक्षण संख्यांक में समामेलित कर सकेगा ।

(2) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ब्लाक संख्यांकों को तथा भू-खण्ड संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित

reconstitute plot numbers or form new plot numbers in land used for non agricultural purpose;

(e) group survey numbers and blocks into villages in non-urban areas and into sectors in urban areas:

Provided that the plots of any land lying within the boundaries of a layout approved under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973), shall be deemed to be plots under this Code:

Provided further that except as hereinafter provided and subject to the approved development plan of the area, if any, no survey number or plot number shall henceforth be made of an extent less than the minimum prescribed.]

68. Power to re-number or sub-divide or amalgamate survey number, block number and plot number- (1) The District Survey Officer may either re-number or sub-divide survey numbers into as many sub-divisions as may be required or amalgamate one or more survey numbers into a single survey number in view of the acquisition of rights in land or for any other reason.

(2) The District Survey Officer may either re-number or sub-divide block numbers and plot numbers into as many sub-divisions as may be required or

या उन्हें इतने उपखण्डों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक ब्लाक संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं को एकल ब्लाक संख्याक या भू-खण्ड संख्याक में समावेलित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे ब्लाक संख्याक या भू-खण्ड संख्याक का विभाजन या समावेलन नहीं होगा जहां कि ऐसा ब्लाक या भू-खण्ड या उसका कोई भाग मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आता हो।

(3) किसी सर्वेक्षण संख्याक, ब्लाक संख्याक या भू-खण्ड संख्याक का विभाजन या समावेलन तथा उनका निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(4) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्याओं को किसी ब्लाक से निकालकर या एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्याओं को उससे लगे हुए ब्लाक में जोड़ कर किसी ब्लाक को परिवर्तित कर सकेगा।

(5) जहां कोई खाता कई सर्वेक्षण संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं से मिलकर बना हो वहां जिला सर्वेक्षण अधिकारी, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्याक या भू-खण्ड संख्याक के लिए देय भू-राजस्व का निर्धारण करेगा।

(6) जब कभी सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लाक संख्याओं या भू-खण्ड संख्याओं को पुनर्क्रमांकित किया जाए तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन तैयार किए गए या संधारित किए गए समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों की शुद्धि करेगा।

amalgamate one or more block numbers and plot numbers into a single block number or plot number in view of the acquisition of rights in land or for any other reason:

Provided that no division or amalgamation of block number or plot number shall be permissible where such block or plot or any part thereof falls within the boundaries of layout approved under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973).

(3) The division or amalgamation of any survey number, block number or plot number and assessment thereof shall be carried out in accordance with rules made under this Code.

(4) The District Survey Officer may modify a block by removing one or more plot numbers from a block or adding one or more plot numbers from an adjoining block.

(5) Where a holding consists of several survey numbers and plot numbers, the District Survey Officer shall assess the land revenue payable for each survey number or plot number.

(6) Whenever the survey numbers, block numbers or plot numbers are re-numbered, the District Survey Officer shall correct the entries in all records prepared or maintained under this Code.

69. भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लाक संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं तथा उनके उप खण्डों की प्रविष्टि। — सर्वेक्षण संख्याओं और भू-खण्ड संख्याओं तथा उनके उपखण्डों के क्षेत्रफल तथा उनका निर्धारण और ब्लाक संख्याओं के क्षेत्रफल की प्रविष्टि भू-अभिलेख में ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि विहित की जाए।

70. ग्राम की आबादी का अवधारण। —जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम की दशा में भूमियों में के अधिकारों का सम्पूर्ण ध्यान रखते हुए, निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने वाला क्षेत्रफल अभिनिश्चित करेगा तथा अवधारित करेगा और ऐसे क्षेत्रफल को ग्राम की आबादी समझा जाएगा।

71. ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति। — (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या अधिक ग्रामों का गठन करने के लिए किसी ग्राम को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को सम्मिलित कर एक ग्राम गठित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे ग्राम के, जो उसके सामीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करके, परिवर्तित कर सकेगा।

(2) जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या दो से अधिक सेक्टर का गठन करने के लिए किसी सेक्टर को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक सेक्टरों को एक सेक्टर गठित करने के प्रयोजन से सम्मिलित कर सकेगा या किसी सेक्टर की

69. **Entry of survey numbers, block numbers and plot numbers and their sub-divisions in land record-** The area and assessment of survey numbers and plot numbers and their sub-divisions and area of block numbers shall be entered in land records in such manner as may be prescribed.

70. Determination of abadi of village— The District Survey Officer shall, in the case of every inhabited village, ascertain and determine, with due regard to rights in lands, the area to be reserved for the residence of the inhabitants or for purposes ancillary thereto, and such area shall be deemed to be the abadi of the village.

71. Power of District Survey Officer to divide or unite villages and sectors or exclude area therefrom- (1) The District Survey Officer may divide a village to constitute two or more villages or may unite two or more villages and constitute one village or may alter the limits of a village by including therein any area of a village in the vicinity thereof or by excluding any area comprised therein, in accordance with the rules made under this Code.

(2) The District Survey Officer may divide a sector to constitute two or more sectors or may unite two or more sectors and constitute one sector or may alter the limits of a sector by including therein any area of a sector in the vicinity thereof or by excluding any area

सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे सेक्टर के, जो कि उसके सामीप्य में हों, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करके परिवर्तित कर सकेगा ।

72. निर्धारण।— जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक खाते पर, [धारा 59 एवं 60 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार] निर्धारण नियत करेगा ।

73. समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी।— जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसी समस्त भूमियों पर, जिन पर सर्वेक्षण विस्तारित होता है, निर्धारण करेगा, चाहे ऐसी भूमियां भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हों या न हों ।

74. नक्से तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य।— जब कोई क्षेत्र भूमि सर्वेक्षण के अधीन हो तो ऐसे क्षेत्र के नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य कलेक्टर के पास से जिला सर्वेक्षण अधिकारी को अतिरित हो जाएगा, जो इसके बाद अध्याय—नौ से अठारह के किन्हीं उपबधों के अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

75. गलतियों को ठीक करने की उपखण्ड अधिकारी की शक्ति।— उपखण्ड अधिकारी भूमि सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् किसी भी समय सर्वेक्षण में हुई गलती अथवा अंकगणितीय अशुद्ध गणना के कारण किसी सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अथवा ब्लॉक संख्यांक के क्षेत्रफल अथवा निर्धारण में हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा:

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

comprised therein, in accordance with the rules made under this Code.

72. Assessment—The District Survey Officer shall fix the assessment on each holding [as per rules made under section 59 and 60.]

73. All lands liable to assessment—The District Survey Officer shall make assessment on all lands to which the survey extends whether such lands are liable to the payment of land revenue or not.

74. Duty of District Survey Officer to maintain maps and records—When an area is under land survey, the duty of maintaining the maps and records of such area shall stand transferred from Collector to the District Survey Officer, who shall thereupon exercise all the powers conferred on the Collector under any of the provisions of Chapters IX and XVIII.

75. Power of Sub-Divisional Officer to correct errors—The Sub-Divisional Officer may, at any time after the closure of land survey, correct any error in the area or assessment of any survey number or plot number or block number due to mistake of survey or arithmetical miscalculation:

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं होगा।

76. भू-सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में, इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा किया जाना।— ऐसे क्षेत्र में जो भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपनी—अपनी अधिकारिता के भीतर, इस अध्याय के अधीन उपबंधित क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

77. नियम बनाने की शक्ति।— राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन भू-सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती।

78- [विलोपित]

79- [विलोपित]

80- [विलोपित]

81- [विलोपित]

82- [विलोपित]

83- [विलोपित]

84- [विलोपित]

85- [विलोपित]

86- [विलोपित]

87- [विलोपित]

88- [विलोपित]

89- [विलोपित]

90- [विलोपित]

91- [विलोपित]

91-क. [विलोपित]

Provided that no arrears of land revenue shall become payable by reason of such correction.

76. Powers provided under this Chapter to be exercised by Collector, Sub-Divisional Officer and Tahsildar in area not under land survey- In any area not under land survey, the Collector, the Sub-Divisional Officer or the Tahsildar shall exercise the powers of District Survey Officer, Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer respectively provided under this Chapter within their respective jurisdiction.

77. Power to make rules- The State Government may make rules for carrying out the land survey under this Chapter.]

78. [Deleted]

79. [Deleted]

80. [Deleted]

81. [Deleted]

82. [Deleted]

83. [Deleted]

84. [Deleted]

85. [Deleted]

86. [Deleted]

87. [Deleted]

88. [Deleted]

89. [Deleted]

90. [Deleted]

91. [Deleted]

91-A. [Deleted]

[अध्याय -8]

92- '[विलोपित]
 93- '[विलोपित]
 94- '[विलोपित]
 95- '[विलोपित]
 96- '[विलोपित]
 97- '[विलोपित]
 98- '[विलोपित]
 99- '[विलोपित]
 100- '[विलोपित]
 101- '[विलोपित]
 102- '[विलोपित]
 103- '[विलोपित]

[CHAPTER -8]

92. '[Deleted]
 93. '[Deleted]
 94. '[Deleted]
 95. '[Deleted]
 96. '[Deleted]
 97. '[Deleted]
 98. '[Deleted]
 99. '[Deleted]
 100. '[Deleted]
 101. '[Deleted]
 102. '[Deleted]
 103. '[Deleted]

अध्याय - 9

भू - अभिलेख

²104. नगरेतर क्षेत्र में पटवारी हल्कों की विरचना तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों की विरचना और पटवारियों तथा नगर सर्वेक्षकों की नियुक्ति।— (1) आयुक्त भू-अभिलेख प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त करेगा तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित करेगा और किसी भी समय विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टर की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन पटवारी हल्कों या सेक्टरों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टरों को समाप्त कर सकेगा।

(2) कलेक्टर, शुद्ध भू-अभिलेखों को रखने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसे कि विहित किए जाएं, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक

CHAPTER IX
LAND RECORDS

²104. Formation of patwari halkas in non-urban area and formation of sectors in urban area and appointment of patwaris and Nagar Sarvekshaks.— (1) The Commissioner Land Records shall for each tahsil, arrange the villages into patwari halkas and divide each urban area into sectors and may, at any time, alter the limits of existing patwari halkas or sectors and may create new patwari halkas or sectors or abolish existing patwari halkas or sectors.

(2) The Collector shall appoint a patwari to each patwari halka and a Nagar Sarvekshak to each sector for maintaining

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
 2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

पटवारी तथा प्रत्येक सेक्टर में एक नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नगरीय क्षेत्र में सेक्टर की विरचना होने तक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इसमें विद्यमान प्रत्येक ग्राम एक सेक्टर के रूप में समझा जाएगा तथा ऐसे ग्राम के सुसंगत भू-अभिलेख ऐसे सेक्टर के भू-अभिलेख समझे जाएंगे ।]

[105. नगरेतर क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना— आयुक्त भू-अभिलेख किसी तहसील में के पटवारी हल्कों को राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विन्यस्त करेगा और किसी भी समय किसी वृत्त की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन वृत्तों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान वृत्तों को समाप्त कर सकेगा ।

106. नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति— कलेक्टर, प्रत्येक राजस्व निरीक्षक वृत्त में, भू-अभिलेखों को तैयार किए जाने तथा संधारण, पर्यवेक्षण करने तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जैसे कि विहित किए जाएं, राजस्व निरीक्षक को नियुक्त कर सकेगा ।

107. ग्राम, आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शे ।— (1) प्रत्येक ग्राम के लिए—

- (क) सर्वेक्षण—संख्याओं तथा ब्लाक संख्याओं की सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि “ग्राम का नक्शा” कहलाएगा;
- (ख) आबादी के लिए धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला,

correct land records and for such other duties as may be prescribed.

(3) Till the formation of sectors in an urban area under sub-section (1), every village, existing therein immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall be deemed to be a sector and relevant land records of such village shall be deemed to be land records of such sector.]

[105. Formation of Revenue Inspector circles in non-urban area- The Commissioner Land Records shall arrange the patwari halkas in a tahsil into Revenue Inspector circles and may, at any time alter the limits of any circle and may create new circles or abolish existing circles.

106. Appointment of Revenue Inspectors in non-urban areas- The Collector may appoint in each Revenue Inspector circle a Revenue Inspector to supervise the preparation and maintenance of land records and to perform such other duties as may be prescribed.

107. Maps of villages, abadi, blocks and sectors- (1) For each village-

- (a) a map shall be prepared showing the boundaries of survey numbers and block numbers which shall be called “village map”;
- (b) a map shall be prepared for abadi showing the area occupied by holders and the

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी की विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "आबादी का नक्शा" कहलाएगा;

(ग) व्यपवर्तित की गई भूमियों के लिए, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र, पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "ब्लॉक का नक्शा" कहलाएगा ।

(2) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्रत्येक सेक्टर के लिए एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "सेक्टर का नक्शा" कहलाएगा ।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नक्शा ऐसे पैमाने (स्केल) पर तैयार किया जाएगा जो कि विहित किया जाए ।]

[108. अधिकार अभिलेख .— (1) प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी:-

(क) समस्त भूमिस्वामियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग किए जा रहे हों और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की

area not so occupied, giving separate plot numbers and such other particulars as may be prescribed which shall be called "abadi map";

(c) a map shall be prepared for diverted lands showing the area occupied by holders giving separate plot numbers and such other particulars as may be prescribed, which shall be called "block map".

(2) For each urban area a map shall be prepared of each sector showing the area occupied by holders and area not so occupied, giving separate survey numbers, block numbers and plot numbers and such other particulars as may be prescribed, which shall be called 'sector map'.

(3) The maps under sub-section (1) and (2) shall be prepared on such scale as may be prescribed.]

[108. Record of rights - (1)A record of rights shall, in accordance with rules made in this behalf, be prepared and maintained for every village area and for each sector of every urban area and such record shall include following particulars:-

(a) the names of all Bhumiswamis together with survey numbers or plot numbers held by them and purposes for which they are being used and their area and

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;

(ख) समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम तथा पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्याओं या भू-खण्ड संख्याओं का तथा वह प्रयोजन जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा हो तथा उनके क्षेत्रफल और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;

(ग) ग्राम की आबादी में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों या यथारिति नगरीय क्षेत्र में की ऐसी भूमि में जो कि ऐसे नगरीय क्षेत्र के गठन के पूर्व ग्राम की आबादी थी, अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम भूमि में उनके हित की प्रकृति, उनके द्वारा धारित भू-खण्ड संख्याओं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही हो, सहित;

(घ) राज्य सरकार द्वारा या किसी अधिनियमिति के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के निदेश के अधीन अधिकृत किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई या दी गई भूमि में हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा, निम्न सहित—

[(एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने अपने हितों की प्रकृति तथा सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या दायित्व, यदि कोई हो;]

(दो) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यदि

(b) status of irrigation in case of land used for agriculture;

(c) the names of all Government lessees and such classes of lessees as may be specified by the State Government together with survey numbers or plot numbers held by them and purposes for which they are being used and their area and status of irrigation in case of land used for agriculture;

(d) the names of all persons occupying the abadi of the village, or in urban area all persons occupying the land which was abadi of a village before the constitution of such urban area, as the case may be, along with the nature of their interest in land, plot numbers held by them and purpose for which the land is being used;

(i) the nature and extent of interest in land assigned or granted to any person by the State Government or by the person authorised under any enactment or direction of the State Government or the Central Government along with—

(ii) the land revenue or lease rent payable by such persons if any; and

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

कोई हो, और
(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो
कि विहित की जाएं।
(2) उपधारा (1) में वर्णित अधिकार अभिलेख,
भू-सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य
सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे, तैयार
किया जाएगा।

[109. अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी:—](1) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई
अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित करता है,
अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की
रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के
भीतर विहित प्रक्रिय में देगा।—

- (क) नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में
पटवारी को या इस निमित्त राज्य
सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या
तहसीलदार को,
- (ख) नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में
नगर सर्वेक्षक को या इस निमित्त राज्य
सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या
तहसीलदार को:

परन्तु जब अधिकार अर्जित
करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो या
अन्यथा निरहित हो, तो उसका संरक्षक
या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी संपत्ति
का भारसाधक हो, पटवारी या नगर
सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति या
तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट करेगा।

स्पष्टीकरण — एक : ऊपर वर्णित किए गए
अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति
अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम
संख्यांक 4) की धारा 100 में विनिर्दिष्ट किए गए
प्रकार का कोई ऐसा भार, जो बंधक की कोटि में
नहीं आता है, नहीं है।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iii) such other particulars
as may be prescribed.

(2) The record of rights mentioned in sub-
section (1) shall be prepared during a
land survey or whenever the State
Government may, by notification, so
direct.

[109. Acquisition of rights to be reported—]

(1) Any person lawfully acquiring any right
or interest in land shall report his
acquisition of such right within six months
from the date of such acquisition in the
form prescribed—

- (a) to the patwari or any person
authorised by the State
Government in this behalf or
Tahsildar, in case of land
situated in non-urban area;
- (b) to the Nagar Sarvekshak or any
person authorised by the State
Government in this behalf or
Tahsildar, in case of land
situated in urban area:

Provided that when the
person acquiring the right is a
minor or is otherwise
disqualified, his guardian or
other person having charge of
his property shall make the
report to the patwari or nagar
sarvekshak or the person
authorised or the Tahsildar.

Explanation I. The right mentioned above
does not include an easement or a charge
not amounting to a mortgage of the kind
specified in section 100 of the Transfer
of Property Act, 1882 (No. IV of 1882).

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

स्पष्टीकरण – दो : कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कि पक्ष में किसी बंधक का मोचन हो जाए या भुगतान कर दिया जाए या किसी पट्टे का पर्यवसान हो जाए, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अधिकार अर्जित करता है।

स्पष्टीकरण – तीन : इस धारा के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तियां सौंपी जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी या ऐसी अन्य रीति में भेजी जा सकेगी जैसी कि विहित की जाए।

स्पष्टीकरण – चार : इस धारा के प्रयोजन के लिए “अन्यथा निरहित” में सम्मिलित है निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खण्ड (ध) में यथा परिभाषित निःशक्त जन।

(2) जब कोई ऐसा दस्तावेज जिसके कि द्वारा ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाती है या जिसके संबंध में एक खसरा तैयार किया गया है, कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वापित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, प्रज्ञापना भेजेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों, हितों या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जो उसमें प्रविष्ट किये जा चुके हों किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी की, जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने या उसको संशोधित करने में लगा हो, लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिए आवद्ध

Explanation II. A person, in whose favour a mortgage is redeemed or paid off or a lease is determined, acquires a right within the meaning of this section.

Explanation III. Intimation in writing required to be given under this section may be given either through a messenger or handed over in person or may be sent by registered post or by such other means as may be prescribed.

Explanation IV. For the purpose of this section, “otherwise disqualified” includes the “person with disability” as defined in clause (s) of section 2 of the Rights of person with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016)

(2) When any document purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge on land used for agricultural purposes, or in respect of which a khasra has been prepared, is registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the Registering Officer shall send intimation to the Tahsildar having jurisdiction over the area in which the land is situated in such Form and at such times as may be prescribed.

(3) Any person whose rights, interests or liabilities are required to be or have been entered in any record or register under this Chapter, shall be bound on the requisition in writing of any Revenue Officer, Revenue Inspector, Nagar Sarvekshak or Patwari engaged in compiling or revising the record or register, to furnish or produce for his

होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या संशोधन के लिए आवश्यक समस्त ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हो, ऐसी अध्येक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके निरीक्षण के लिए दे या पेश करे। प्रस्तुत की गयी जानकारी या पेश किए गए दस्तावेज की लिखित अभिस्वीकृति व्यक्ति को दी जाएगी।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित की गयी रिपोर्ट करने में या उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित की गयी जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी अधिकार अर्जन से संबंधित किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के पश्चात प्राप्त हुई हो, धारा 110 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

[110. भू-अभिलेखों में अधिकार – अर्जन बाबत् नामांतरण.– १(1) पटवारी या नगर सर्वेक्षक या धारा 109 के अधीन प्राप्तिकृत व्यक्ति, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, इस प्रयोजन हेतु विहित किए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।]

(2) यथारिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार अर्जन संबंधी समस्त

inspection, within one month from the date of such requisition, all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof, as may be within his knowledge or in his possession or powers. A written acknowledgement of the information furnished or document produced shall be given to the person.

(4) Any person neglecting to make the report required by sub-section (1) or furnish the information or produce the documents required by sub-section (3) within the period specified therein shall be liable, at the discretion of the Tahsildar, to a penalty not exceeding five thousand rupees.

(5) Any report regarding the acquisition of any right under this section received after the specified period shall be dealt with in accordance with the provisions of section 110.]

[110. Mutation of acquisition of right in land records.- १(1) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised under section 109 shall enter into a register prescribed for the purpose every acquisition of right reported to him under section 109 or which comes to his notice from any other source.]

(2) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised, as the case may be,

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

ऐसी रिपोर्ट जो कि उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुई हो, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किया जाए, उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा ।

(3) धारा 109 के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार पंद्रह दिन के भीतर,-

- (क) अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा ;
- (ख) हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा ; और
- (ग) अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चास्पा करेगा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा ;

(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में तीस दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में पांच मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा ।

(5) तहसीलदार उपधारा (4) के अधीन पारित किये गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में तीस दिन के भीतर पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात् मामले को बंद करेगा :

shall intimate to the Tahsildar, all reports regarding acquisition of right received by him under sub-section (1) in such manner and in such Form as may be prescribed, within thirty days of the receipt thereof by him.

(3) On receipt of intimation under section 109 or on receipt of intimation of such acquisition of right from any other source, the Tahsildar shall within fifteen days,-

- (a) register the case in his court;
- (b) issue a notice to all persons interested and to such other persons and authorities as may be prescribed, in such Form and manner as may be prescribed; and
- (c) display a notice relating to the proposed mutation on the notice board of his office, and publish it in the concerned village or sector in such manner as may be prescribed;

(4) The Tahsildar shall, after affording reasonable opportunity of being heard to the persons interested and after making such further enquiry as he may deem necessary, pass orders relating to mutation within thirty days of registration of case, in case of undisputed matter, and within five months, in case of disputed matter, and make necessary entry in the village khasra or sector khasra, as the case may be, and in other land records.

(5) The Tahsildar shall supply a certified copy of the order passed under sub-section (4) and updated land records free of cost to the parties within thirty days, in the manner prescribed and only thereafter close the case:

परंतु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रदाय नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा।

(6) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जाएगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में दो माह के भीतर पूर्ण की जाएंगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के छह माह के भीतर पूरी की जाएंगी। उस दशा में, जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं की जाती हैं, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, कलेक्टर को देगा।]

111. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता।—सिविल न्यायालयों को, किसी भी ऐसे अधिकार से, जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता होगी जिसमें राज्य सरकार पक्षकार न हो।

[112. विलोपित]

113. अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण।—कलेक्टर, किसी भी समय, लेखन संबंधी किन्हीं भी गलतियों को तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को जिनके कि संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों, कि वे धारा 108

Provided that if the required copies are not supplied within the period specified, the Tahsildar shall record the reasons and report to the Sub-Divisional Officer.

(6) Notwithstanding anything contained in section 35, no case under this section shall be dismissed due to the absence of a party and shall be disposed of on merits.

(7) All proceedings under this section shall be completed within two months in respect of undisputed case and within six months in respect of disputed case from the date of registration of the case. In case the proceedings are not disposed of within the specified period, the Tahsildar shall report the information of pending cases to the Collector in such Form and manner as may be prescribed.]

111. Jurisdiction of Civil Courts.—The Civil Courts shall have jurisdiction to decide any dispute to which the State Government is not a party relating to any right which is recorded in the record-of-rights.

112. [deleted.]

113. Correction of errors in record of rights.—The Collector may, at any time, correct or cause to be corrected any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

के अधीन तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में हुई हैं, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा ।

114. भू- अभिलेख- (1) निम्नलिखित भू-अभिलेख प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे, अर्थात् :-

[(क)धारा 107 के अधीन ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा;]

(ख) धारा 108 के अधीन अधिकार – अभिलेख ;

(ग) ग्राम का खसरा या ग्राम की क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित की जाए ;

(घ) धारा 114-क के अधीन भू- अधिकार पुस्तिका ;

(ड.) (एक) धारा 233 के अधीन समर्त दखल-रहित भूमि के बौरे ;
(दो) धारा 234 के अधीन निस्तार पत्रक ;
(तीन) धारा 242 के अधीन वाजिब-उल-अर्ज, यदि कोई हो ;

(च) व्यपवर्तित की गई भूमि के बौरे ; और

(छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाए ।

(2) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर के लिए निम्नलिखित भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 107 के अधीन सेक्टर का नक्शा ;

(ख) धारा 108 के अधीन अधिकार-अभिलेख;

(ग) सेक्टर का खसरा या सेक्टर की क्षेत्र पुस्तिका ऐसे प्ररूप में जो कि विहित की जाए;

(घ) धारा 114-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;

record-of-rights prepared under section 108.

114. Land records- (1) Following land records shall be prepared for every village, namely:-

[(a) village map, abadi map and block map under section 107;]

(b) record of rights under section 108;

(c) village khasra or village field book in such Form as may be prescribed;

(d) Bhoo-Adhikar Pustika under section 114-A;

(e) (i) details of all unoccupied land under section 233;
(ii) Nistar Patrak under section 234;
(iii) Wajib-ul-arz, if any, under section 242;

(f) details of diverted land; and

(g) any other record as may be prescribed.

(2) Following land records shall be prepared for each sector in every urban area, namely:-

(a) sector map under section 107;

(b) record of rights under section 108;

(c) sector khasra or sector field book in such Form as may be prescribed;

(d) Bhoo-Adhikar Pustika under section 114-A;

(अ.) (एक) धारा 233 के अधीन समस्त दखल-रहित भूमि के बारे ;
 (दो) धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि ;
 (च) व्यपवर्तित की गयी भूमि के बारे ; और
 (छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं ।

114-क. १[भू-अधिकार पुस्तिका]— (1) तहसीलदार, ऐसे प्रत्येक भूमिस्वामी को, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किए गए खसरे में प्रविष्ट है, यथास्थिति, किसी ग्राम में के या सेक्टर में के उसके समस्त खातों के बारे में एक भू-अधिकार पुस्तिका, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के, जो कि विहित की जाए, भुगतान करने पर उसे उपलब्ध कराएगा ।

(2) भू-अधिकार पुस्तिका दो भागों से मिलकर एक पुस्तक के रूप में आबद्ध होगी जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जो कि विहित की जाएं ।

(3) तहसीलदार स्वप्रेरणा से या भूमिस्वामी के आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, भू-अधिकार पुस्तिका में किसी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर सकेगा ।]

115. २[भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण— (1) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यधित व्यक्ति के आवेदन पर, भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर, धारा 114 के अधीन तैयार किये गए भू अभिलेखों में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने

(e) (i) details of all unoccupied land under section 233;
 (ii) land reserved for public purposes under section 233-A;
 (f) details of diverted land; and
 (g) any other record as may be prescribed.]

114-A. १[Bhoo-Adhikar Pustika]— (1) The Tashildar may provide to every Bhumiswami whose name is entered in the khasara prepared under section 114 a Bhoo-Adhikar Pustika in respect of his all holdings in the village or sector, as the case may be, which shall be provided to him in such Form and on payment of such fee as may be prescribed.

(2) The Bhoo-Adhikar Pustika shall consist of two parts bound as one book, which shall contain such particulars as may be prescribed.

(3) A Tahsildar may, on his own motion or on application of the Bhumiswami, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry in Bhoo Adhikar Pustika.]

115. २[Correction of wrong or incorrect entry in land record]— (1) A Sub-Divisional Officer may, on his own motion or on application of an aggrieved person, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry including an unauthorised entry in the land records prepared under section 114 other than Bhoo-Adhikar Pustika and record of rights, and such corrections shall be authenticated by him:

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अत स्थापित ।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. Inserted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी :

परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश—

- (क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये; और
- (ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए;

बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे ।]

116. [विलोपित]

117. भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा— भू-अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय ।

118. [विलोपित]

119. [विलोपित]

120. नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा. — इस

Provided that no action shall be initiated for correction of any entry pertaining to a period prior to five years without the sanction in writing of the Collector.

(2) No order shall be passed under sub-section (1) without—

- (a) getting a written report from the Tahsildar concerned; and
- (b) giving an opportunity of hearing to all parties interested:

Provided that where interest of Government is involved, the Sub-Divisional Officer shall submit the case to the Collector.

(3) On receipt of a case under sub-section (2), the Collector shall make such enquiry and pass such order as he deems fit.]

116. [deleted.]

117. Presumption as to entries in land records.—All entries made under this Chapter in the land records shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

118. [deleted.]

119. [deleted.]

120. Requisition of assistance in preparation of maps and record of

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, ¹[नगर सर्वेक्षक] या पटवारी कोई नक्शा या रेखांक, जो इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर के लिये या उसके सम्बन्ध में अपेक्षित हो, तैयार करने या पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिये, भूमि के किसी धारक तथा आबादी में स्थित भू-खंड के किसी धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी भूमि या भू-खंड की सीमाएं बतलाये।

121. ²[विलोपित]

122. इस अध्याय के उपबन्धों से छूट – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि यह अध्याय या इसका कोई उपबन्ध किसी उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र पर या किन्हीं भूमियों या गांवों या भूमियों के किसी वर्ग पर लागू नहीं होगा।

123. संहिता के प्रारम्भ होने के समय अधिकार अभिलेख – (1) जब तक कि मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा सिरोंज क्षेत्रों के ग्रामों के लिये धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार न हो जाय, तब तक प्रत्येक ऐसे ग्राम की, उस कृषि वर्ष से, जो कि राज्य सरकार अधिसूचित करे, संबंधित जमाबन्दी या खतौनी को, जहां तक उसमें धारा 108 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, उस ग्राम के लिये अधिकार-अभिलेख समझा जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमाबन्दी या खतौनी ग्राम में ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, जैसी कि कलेक्टर द्वारा निर्देशित की जाय।

rights. — Subject to rules made- under this Code, any Revenue Officer, Revenue Inspector, ¹[Nagar Sarvekshak] or Patwari may, for the purpose of preparing or revising any map or plan required for or in connection with any record or register under this Chapter, call upon any holder of land and any holder of plot in abadi to point out the boundaries of his land or plot:

121. ²[deleted.]

122. Exemption from provisions of this Chapter. — The State Government may, by notification, direct that this Chapter or any provisions thereof shall not apply to any specified local area or to any lands or any class of villages or lands.

123. Record-of-rights at commencement of Code. — (1) Until a record of rights for the villages in the Madhya Bharat, Bhopal, Vindhya Pradesh and Sironj regions is prepared in accordance with the provisions of Section 108 the jamabandi or khatauni of every such village for the agricultural year as the State Government may notify shall, so far as it contains the particulars Specified in Section 108, be deemed to be the record-of-rights, for that village.

(2) The jamabandi or khatauni referred to in sub-section (1) shall be published in the village in such manner as may be directed by the Collector.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

(3) [जमाबन्दी या खतौनी में की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत (फाइल) की जा सकेंगी, जो तहसीलदार द्वारा ऐसी रीति में निपटाई जायेंगी जो कि विहित की जाय।]

(4) महाकौशल प्रदेश के ग्रामों की, कृषि वर्ष [1954-55] की जमाबन्दी ऐसी ग्रामों के अधिकार अभिलेख के रूप में तक तक समझी जाती रहेगी, जब तक धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार न हो जाए।

अध्याय - 10

सीमाएँ तथा सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण-चिन्ह

124. ^३[ग्रामों, सेक्टरों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों का सन्निर्माण।—(1) समस्त ग्रामों तथा सेक्टरों की सीमाएँ नियत की जाएंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी भी ग्राम या सेक्टर के संबंध में, अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकेंगी कि किसी ग्राम या सेक्टर या उसके भाग के समस्त सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लाक संख्याओं या भू-खण्ड संख्याओं की भी सीमाएँ नियत की जाएं तथा सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित भी किया जाए।

(3) ऐसे सीमा चिन्ह इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनिर्देश के होंगे तथा ऐसी रीति में सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) प्रत्येक भू-धारक, भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा-चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी सरमत के लिए उत्तदायी होगा।]

1. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) [Objections may be filed to any entry in jamabandi or khatauni which shall be disposed of by the Tahsildar in such manner as may be prescribed.]

(4) The jamabandi of the villages in the Mahakoshal region for the agricultural year [1954-55] shall continue to be deemed to be record-of-rights of such village until a record-of- rights is prepared in accordance with the provisions of Section 108.

CHAPTER X BOUNDARIES AND BOUNDARY MARKS, SURVEY MARKS

124 ³[Construction of boundary marks of villages, sectors, and survey numbers or plot numbers—(1) Boundaries of all villages and sectors shall be fixed and demarcated by permanent boundary marks.

(2) The State Government may, in respect of any village or sector, by notification, order that the boundaries of all survey numbers, block numbers or plot numbers of the village or sector or part thereof shall also be fixed and demarcated by boundary marks.

(3) Such boundary marks shall, subject to the provisions hereinafter contained, be of such specification and shall be constructed and maintained in such manner as may be prescribed.

(4) Every holder of land shall be responsible for the maintenance and repair of the permanent boundary marks erected thereon.]

1. Substituted by Act No. 25 of 1964
2. Substituted by Act No. 24 of 1961.
3. Substituted by Act No. 23 of 2018.

125. [ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों] के बीच सीमाओं के बारे में विवाद — [ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण-संख्यांकों ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों] की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद, जहां कि ऐसी सीमाएँ धारा 124 के उपबन्धों के अधीन नियत कर दी गई हो, तहसीलदार द्वारा, ऐसी स्थानीय जांच जिसमें समस्त हितबद्ध व्यक्ति को उपसंजात होने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा, करने के पश्चात् विनिश्चय किये जायेंगे ।

126. सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली. — (1) जब धारा 124 के उपबन्धों के अधीन कोई सीमा नियत कर दी गई हो, तो तहसीलदार किसी भी ऐसे व्यक्ति को [विहित रीति में संक्षेपतः बेदखल] कर सकेगा जो किसी ऐसी भूमि का, जिसके बारे में यह पाया गया हो कि वह उसके खाते से या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसकी कि मार्फत या जिसके कि अधीन वह दावा करता है, खाते से अनुलग्न नहीं है, सदोष कब्जा रखता है ।

(2) २ [विलोपित]

(3) २ [विलोपित]

127. [सीमांकन तथा सीमा पक्कियों का अनुरक्षण.— (1) ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क या दखलरहित भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि से लगी हुई भूमि का प्रत्येक धारक, अपने स्वयं के खर्चे से तथा विहित रीति में —

(क) अपनी भूमि तथा उससे लगी हुई ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क या दखलरहित भूमि

125. **Disputes regarding boundaries between [villages, sectors, survey numbers, block numbers and plot numbers.]** —All disputes regarding boundaries of [villages, sectors, survey numbers, block numbers and plot numbers] where such boundaries have been fixed under the provisions of Section 124, shall be decided by the Tahsildar after local inquiry at which all persons interested shall have an opportunity of appearing and producing evidence.

126. Ejection of persons wrongfully in possession. — (1) When a boundary has been fixed under the provisions of Section 124, the Tahsildar may [summarily eject in a manner prescribed] any person who is wrongfully in possession of any land which has been found not to appertain to his holding or to the holding of any person through or under whom he claims.

(2) २ [deleted.]

(3) २ [deleted.]

127. [Demarcation and maintenance of boundary lines- (1) Every holder of land adjoining a village road or sector road or unoccupied land or land reserved for community purposes shall, at his own cost and in the manner prescribed-

(a) affix the boundary marks between his land and village road or sector road or unoccupied land or land reserved for community purposes adjoining it, and

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

अथवा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि के बीच सीमा चिन्ह लगाएगा; और

(ख) समय-समय पर ऐसे सीमा-चिन्हों की मरम्मत तथा उनका नवीकरण करेगा।

(2) यदि धारक उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सीमा चिन्ह नहीं लगाता है या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण नहीं करता है तो तहसीलदार, ऐसी सूचना के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, सीमा चिन्ह लगवा सकेगा या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण करवा सकेगा तथा उपगत किया गया खर्च भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए “ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सड़क जिस पर कोई उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अंकित हो।]

128—सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिये बाध्य करना. – (1) “[पटवारी या नगर सर्वेक्षक] ऐसे प्रत्येक धारक को, जिसकी भूमि पर सीमा चिन्ह का सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण है, एक लिखित सूचना देगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह आगामी 1 मार्च के पूर्व उनकी उचित मरम्मत करवाये।

(2) किसी भी वर्ष में 1 मार्च के पश्चात् तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी, जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किन्हीं भी त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की उचित रूप से मरम्मत करवा सकेगा और ऐसी मरम्मत का खर्च ऐसे सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण के

(b) repair and renew such boundary marks from time to time.

(2) If the holder fails to affix the boundary marks or repair or renew the boundary marks as required by sub-section (1), the Tahsildar may, after such notice, as he deems fit, cause the boundary marks to be affixed or the boundary marks to be repaired or renewed and may recover the cost incurred as an arrear of land revenue.

Explanation- For the purpose of this section, “Village road or sector road” means a road as such which bears an indicative survey number or plot number.]

128. Enforcement of repair of boundary or survey marks. — (1) '[Patwari or Nagar Sarvekshak] shall give written notice to every holder on whose land the boundary or survey marks are defective calling upon him to put them into proper repair before the first day of March following.

(2) After the first day of March in any year, the Tahsildar or any other Revenue Officer empowered to act may cause any defective boundary or survey marks to be properly repaired and shall recover the cost of such repair from the holder or holders responsible for the maintenance of such boundary or survey

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

लिये उत्तरदायी धारक या धारकों से; ऐसी शास्ति सहित वसूल कर सकेगा जो इस प्रकार मरम्मत किये गये प्रत्येक सीमा विन्ह के लिये ॥[एक हजार] रुपये तक की हो सकेगी। ऐसी खर्च तथा शास्ति भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

129. यूसर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन।— (1) तहसीलदार, किसी पक्षकार के आवेदन पर, राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उप खण्ड की, या किसी ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह संनिर्भित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेंग।

(2) इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक, पड़ोस के भूमि धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उप खण्ड की या ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्भित करेगा तथा तहसीलदार को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीमांकन रिपोर्ट में सीमाकित की गई भूमि पर भूमिश्वामी से मिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टियां भी सम्प्रिलित की जाएंगी।

(3) राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति में ले सकेगा, जैसी कि विहित की जाए।

marks, together with a penalty which may extend to '[one thousand] rupees for every boundary marks so repaired. Such cost and penalty shall be recoverable as an arrear of land revenue.

129. 2] **Demarcation of boundaries of survey number or sub-division of survey number or block number or plot number-**
(1) The Tahsildar may, on application of a party depute a Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak to demarcate the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number and construct boundary marks thereon.

(2) The Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak so deputed shall, after giving notice to parties interested including the neighbouring land holders, demarcate the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number, construct boundary marks thereon and submit a demarcation report to the Tahsildar in such manner as may be prescribed. The demarcation report shall also include the particulars of the possession, if any, of any person other than the Bhumiswami on the land demarcated.

(3) For carrying out the demarcation the Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak may take the assistance of such agency and in such manner as may be prescribed.

1 अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन 2018 हाया प्रतिस्थापित।

¹ Substituted by Act No. 42 of 2011.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(4) तहसीलदार, सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यक्ति पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर उपर्युक्त अधिकारी को इसे अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा –

(क) कि उसे उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी थी या धारा (4) के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था; या

(ख) कोई अन्य पर्याप्त आधार : परन्तु ऐसा आवेदन, तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख, इनमें से जो भी बाद की हो, पैतालीस दिनों के अवसान पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(6) उपर्युक्त अधिकारी, यदि वह उपधारा (5) के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकृत करता है, तो वह हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने, जैसी कि वह उचित समझे, के पश्चात् या तो वह उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि कर सकेगा या एक बार फिर से सीमांकन करने के लिए एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जैसे कि विहित किए जाएं ।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रतिनियुक्त दल, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सर्वेषण संख्यांक

(4) On the receipt of the demarcation report, the Tahsildar may, after giving opportunity of hearing to the parties interested including the neighbouring land holders, confirm the demarcation report or may pass such order as he thinks fit.

(5) A party aggrieved by the confirmation of demarcation report under sub-section (4), may apply to the Sub-Divisional Officer to set it aside on any of the following grounds-

(a) that he was not given notice required under sub-section (2) or opportunity of hearing under sub-section (4); or

(b) any other sufficient ground:

Provided that such application shall not be entertained after the expiry of forty-five days from the date of confirmation the demarcation report by the Tahsildar or the date of knowledge, whichever is later.

(6) The Sub-Divisional Officer may, if he admits the application made under sub-section (5), after giving opportunity of hearing to the parties interested including the neighbouring land holders and making such enquiries as he may think fit, either confirm the demarcation report submitted under sub-section (2) or depute a team consisting of such persons as may be prescribed to carry out the demarcation once again.

(7) The team deputed under sub-section (6) shall, after giving notice to parties interested including the neighbouring

की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उप खण्ड की या ब्लाक संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा, उस पर सीमा-चिन्ह सन्निर्मित करेगा और उपखण्ड अधिकारी को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उपखण्ड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा ।

[(8) धारा 44 तथा 50 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन, इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा ।]

(9) राज्य सरकार, सर्वेक्षण संख्यांक का या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड का या ब्लाक संख्यांक का या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा चिन्हों का, जो कि उपयोग में लाये जाएंगे, की प्रकृति को विहित करते हुए तथा सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उप खण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस के उद्यग्रहण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा ।]

130. सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों को विनष्ट करने, क्षति पहुँचाने या हटाने के लिये शास्ति — यदि कोई व्यक्ति, विधिपूर्वक सन्निर्मित किये गये सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह को जानबूझकर विनष्ट करेगा या क्षति पहुँचायेगा या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटायेगा तो उसे तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा यह

land holders, demarcate the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number, construct boundary marks thereon and submit report to the Sub-Divisional Officer in such manner as may be prescribed and the Sub-Divisional Officer may pass such orders on it as he thinks fit.

[(8) Notwithstanding anything contained in sections 44 and 50, no appeal or application for revision shall lie against any order passed or proceedings taken under this section.]

(9) The State Government may make rules for regulating the procedure to be followed by the Tahsildar in demarcating the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number prescribing the nature of the boundary marks to be used, and authorizing the levy of fees from the holders of land in demarcated survey number or sub-division or block number or plot number.]

130. Penalty for destruction, injury or removal of boundary or survey marks.—If any person wilfully destroys or injures, or without lawful authority removes, a boundary or survey mark lawfully constructed, he may be ordered by the Tahsildar or any other Revenue Officer empowered to act to pay such fine, not exceeding ¹ [Five thousand] rupees for each mark so destroyed, injured or

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.

आदेश दिया जा सकेगा कि वह ऐसे प्रत्येक चिन्ह के लिये, जिसे इस प्रकार विनष्ट किया गया हो, क्षति पहुँचाई गई हो या हटाया गया हो, [पांच हजार] रुपये से अनधिक ऐसे जुर्माने का भुगतान करे जो तहसीलदार या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य राजस्व अधिकारी की राय में, उसी सीमा-चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह को पुनःस्थापित करने के ५] व्यय को चुकाने के लिये आवश्यक हो।

131. [मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार]— (1) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या दखलरहित भूमि पर या ग्राम की चरागाहों पर, मान्यताप्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा 242 के अधीन तैयार किए गए ग्राम के वाजिब-उल-अर्ज में अभिलिखित हैं, न हो कर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा, या इस बारे में कि वह किस स्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा या किस जलसरणी से अपने खेतों से जल निकासी कर सकेगा, कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में, तहसीलदार, स्थानीय जांच करने के पश्चात्, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रुद्धि के प्रति निर्देश करके तथा सबधित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, उस मामले को विनिश्चित कर सकेगा।

(2) तहसीलदार, जांच के किसी प्रक्रम पर, यदि उसकी राय में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुतोष प्रदान करना आवश्यक है तो वह उपधारा (1) में के विवाद के अधीन किसी मामले के संबंध में तुरंत अनुतोष

removed, as may, in the opinion of the Tahsildar or any other Revenue Officer empowered to act be necessary to defray the expense of restoring the same [].

131. 'Rights of way and other private easements— (1) In the event of a dispute arising as to the route by which a cultivator shall have access to his fields or to the unoccupied lands or pasture lands of the village, otherwise than by the recognised roads, paths or common land, including those road and paths recorded in the village Wajib-ul-arz prepared under section 242 or as to the source from or course by which he may avail himself of water or as to the course by which he may drain water from his fields, a Tahsildar may, after local enquiry, decide the matter with reference to the previous custom in each case and with due regard to the conveniences of all the parties concerned.

(2) The Tahsildar may, at any stage of the enquiry, pass an interim order to grant immediate relief in respect of any matter under dispute in sub-section (1) if he is of the opinion that grant of such relief is necessary in the facts and circumstances of the case:

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा अंतरिम आदेश, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के अवसान हो जाने पर, यदि पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा ।]

132. [विलोपित]

133. 2[बाधा का हटाया जाना .— (1) यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत होता है कि कोई अधिक्रमण या बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क या पथ जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा वे पथ हैं जो ग्राम के वाजिब—उल—अर्ज में अभिलिखित हैं, अथवा किसी ग्राम की सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन पैदा करती हैं या जिससे किसी ऐसी सड़क या जलसरणी या जलस्त्रोत या जल निकासी में अड़चन पैदा होती है, जो धारा 131 के अधीन किसी विनिश्चय से संबंधित हो तो, वह ऐसे अधिक्रमण या बाधा के लिए उसे उत्तरदायी व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश दे सकेगा ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो तहसीलदार उस अधिक्रमण या बाधा को हटाया सकेगा और उसके हटाये जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा वह व्यक्ति तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी ।

Provided that such interim order shall stand vacated on the expiry of ninety days from the date of the order unless vacated earlier.”.]

132. 1 [deleted.]

133. 2 [Removal of obstruction –(1) If a Tahsildar finds that any encroachment or obstruction impedes the free use of a recognised road or path including those roads and paths recorded in the village Wajib-ul-arz or common land of a village or impedes the road or water course or source of water or drainage of water which has been the subject of a decision under section 131, he may order the person responsible for such encroachment or obstacle to remove it.

(2) If such person fails to comply with the order passed under sub-section (1), the Tahsildar may cause the encroachment or obstacle to be removed and may recover from such person the cost of removal thereof and such person shall be liable, under the written order of the Tahsildar stating the facts and circumstances of the case, to a penalty which may extend to ten thousand rupees.

(3) If any person fails to remove the encroachment or obstruction for more than seven days after the date of order

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ऐसे अधिक्रमण या बाधा, उसके हटाए जाने के आदेश की तारीख से सात दिवस से अधिक के पश्चात भी हटाने में असफल रहता है, तो उपखण्ड अधिकारी, ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी, उसकी गिरफ्तारी करा सकेगा और अधिक्रमण या बाधा के हटाए जाने संबंधी प्रथम आदेश की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिए और अधिक्रमण या बाधा के हटाए जाने के द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश की दशा में छह मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने के बारन्त के साथ भेजेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सूचना में घोषित किए गए दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शाने की सूचना जारी न कर दी जाए कि व्यक्ति न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि यदि उपखण्ड अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिक्रमण या बाधा हटा दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को वारन्ट में उल्लिखित कालावधि के अवसान होने के पूर्व कारागार से मुक्त करने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन किसी भी महिला को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा]

134. कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिये बन्धपत्र का निष्पादन – किसी भी ऐसे व्यक्ति से, [धारा 131 या 133] के अधीन कोई अधिक्रमण करेगा या कोई बाधा पहुँचाएगा, तहसीलदार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि

of removal thereof under sub-section (1), then without prejudice to the penalty that may be imposed under sub-section (2), the Sub-Divisional Officer shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of fifteen days in case of first order of removal of encroachment or obstruction and six months in case of second or subsequent order of removal of encroachment or obstruction:

Provided that no action under this sub-section shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison:

Provided further that the Sub-Divisional Officer may order the release of such person from detention before the expiry of the period mentioned in the warrant if he is satisfied that the encroachment or obstruction has been removed:

Provided also that no woman shall be arrested or detained under this section.]

134. Execution of bond for abstaining from repetition of certain acts.— Any person who encroaches upon or causes any obstruction under Section [131 or 133] may be required by the Tahsildar to

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

वह ऐसे कार्य की युनरावृति करने से विरत रहने के लिये [पाँच हजार रुपये] से अनधिक ऐसी राशि का, जो कि तहसीलदार ठीक समझे, स्वीय बन्धपत्र निष्पादित करे।

135. सड़क, पथ आदि के लिये भूमि का अर्जन – (1) यदि, ग्रामवासियों के आवेदन पर या अन्यथा, कलेक्टर का, जांच के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम में ग्राम समुदाय के उपयोग के लिये दस फीट से अनधिक चौड़ी सड़क की, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, तो वह उस ग्राम के निवासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन देय प्रतिकर की रकम विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर जमा करें। ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर कलेक्टर, विहित रीति में प्रकाशित किये गये आदेश द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगा और ऐसा आदेश कर दिये जाने पर ऐसी भूमि राज्य सरकार में पूर्णरूप में निहित हो जायेगी।

(2) किसी भी ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर; कलेक्टर को अपने हित के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिये आवेदन कर सकेगा।

(3) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय प्रतिकर, उस पर निर्धारित किये गये या उस पर निर्धारण योग्य भू-राजस्व का पंद्रह गुना होगा।

136. १[विलोपित]

execute a personal bond for such sum not exceeding [five thousand rupees] as he may deem fit, for abstaining from repetition of such act.

135. Acquisition of land for road, paths, etc.— (1) If, on the application of the villagers or otherwise, the Collector is, after enquiry satisfied that it is expedient to acquire any land for the purpose of providing a road not exceeding ten feet in width cart track or path for the use of the village community in such village he may call upon the residents of the village to deposit the amount of compensation, payable in respect of such land under sub-section (3) within a specified period. On such deposit being made the Collector may, by order published in the prescribed manner, acquire such land and upon the making of such order, such land shall vest absolutely in the State Government.

(2) Any person claiming any interest in any such land may within period of one year from the date of vesting under sub-section (1) make an application to the Collector for compensation in respect of his interest.

(3) The compensation payable in respect of such land shall be fifteen times the land revenue assessed or assessable thereon.

136. २[deleted.]

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।
1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 14 of 2020.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

अध्याय-11

भू-राजस्व की उगाही

137. भू-राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा— किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू-राजस्व उस भूमि पर तथा उसके लगानों एवं लाभों पर प्रथम भार होगा।

138. भू-राजस्व के भुगतान के लिये उत्तरदायित्वा— (1) किसी खाते पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व के भुगतान के लिये निम्नलिखित व्यक्ति ¹[xxx] दायी होंगे:—

- (क) भूमिस्वामी के खाते के मामले में, भूमिस्वामी;
- (ख) किसी ऐसे खाते के मामले में, जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से मिलकर बनता हो, उसका पट्टेदार।
- (2) जब किसी खाते में एक से अधिक भूमिस्वामी या पट्टेदार हों तो ऐसे खाते पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व के भुगतान के लिये यथास्थिति ऐसे समस्त भूमिस्वामी या पट्टेदार, संयुक्त और पृथकतः दायी होंगे।

139. ²[विलोपित]

140. ³[तारीख, जिसको भू-राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा.— (1) किसी वर्ष के मध्ये देय भू-राजस्व उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन शोध्य हो जाएगा तथा उस वर्ष के जून मास के अंतिम दिन तक ऐसी रीति में, ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे स्थान पर, जैसा कि विहित किया जाए, भुगतान किया जाएगा:

CHAPTER XI

REALISATION OF LAND REVENUE

137. **Land revenue first charge on land.**— The land revenue assessed on any land shall be first charge on that land and on the rents and profits thereof.

138. **Responsibility for payment of land revenue.**— (1) The following person shall be ¹[xxx] liable for the payment of the land revenue assessed on a holding—

- (a) in a bhumiswami's holding the bhumiswami;
- (b) in a holding consisting of land leased by the State Government the lessee thereof.

(2) When there are more than one bhumiswami or lessee in a holding, all such bhumiswarnis or lessees, as the case may be, shall be jointly and severally liable to the payment of the land revenue on such holding

139. ²[deleted.]

³[140. **Dates on which land revenue falls due and payable-** (1) The land revenue payable on account of a year shall fall due on the first day of April of that year and shall be paid up to the last day of June of that year, in such manner, to such person and at such places as may be prescribed:

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा शब्द 'मुख्यतः' लोप।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018 word 'primarily'.

2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

3. Substituted by Act No. 23 of 2018.

परन्तु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने की तारीख को देय भू-राजस्व का बकाया 1, अप्रैल 2019 के पूर्व संदेय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, स्वयं के विकल्प पर दस वर्ष का भू-राजस्व अग्रिम में जमा कर सकेगा।

परन्तु ऐसे अग्रिम भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि बाद में भू-राजस्व में वृद्धि की जाती है तो अंतर की रकम देय होगी।]

141. [‘बकाया’ तथा ‘बकायादार’ की परिभाषाएं.— कोई भी भू-राजस्व, जो शोध्य हो और जिसका भुगतान धारा 140 में यथा विनिर्दिष्ट की गई कालावधि की समाप्ति पर्यन्त नहीं किया गया है, उस तारीख से ‘बकाया’ हो जाता है और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति ‘बकायादार’ हो जाते हैं।]

142. [भू-राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति रसीद देने के लिए आवद्ध होगा.— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भू-राजस्व के मद्दे या भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य किसी धनराशि के मद्दे कोई भुगतान प्राप्त करे, वहां वह ऐसी राशि के लिए भुगतानकर्ता को ऐसे प्रलूप में जैसा कि विहित किया जाए रसीद देगा।]

143. [भू-राजस्व के विलंब से भुगतान के लिए दार्पणिक व्याज.— यदि भू-राजस्व का भुगतान धारा 140 में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति तक नहीं किया जाता है तो बकाया पर प्रथम बारह मास के लिये बारह प्रतिशत

Provided that the dues of the land revenue payable at the time of the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 shall be paid before the 1st April, 2019.

(2) A person may, at his option, pay up to ten years land revenue in advance:

Provided that no rebate shall be granted on such advance payment:

Provided further that if the land revenue is subsequently enhanced the difference amount shall be payable.]

141. [Definition of “arrear” and “defaulter”— Any land revenue due and not paid till the end of period as specified in section 140 becomes therefrom an arrear, and the persons responsible for it become defaulters.]

142. [Person receiving land revenue bound to give receipt— Every person who receives a payment on account of land revenue or on account of any sum of money recoverable as an arrear of land revenue shall grant a receipt to the payee for such sum and in such Form as may be prescribed.]

143. [Penal interest on delayed payment of land revenue— If land revenue is not paid up to the end of the period as specified in section 140, simple interest shall be payable on the arrear thereafter till the date of payment at the rate of

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

वार्षिक की दर से और उसके पश्चात् पद्धति प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भुगतान की तिथि तक देय होगा :

परन्तु जहां कि सरकार के आदेश से भू-राजस्व का कोई भुगतान निलंबित कर दिया गया है वहां भुगतान में विलंब के लिये ऐसा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।]

144. [फसलों के मारे जाने पर भू-राजस्व की माफी या उसका निलंबन.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कारण अभिलिखित करते हुए उन वर्षों में जिनमें फसलों किसी क्षेत्र में मारी गयी हों या जिन वर्षों में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विधि के अधीन किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप, किसी क्षेत्र में फसलें नहीं उगाई जा सकी हों, भू-राजस्व की माफी या उसका निलंबन मंजूर कर सकती ।]

145. प्रमाणित लेखा बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा.— (1) [तहसीलदार] द्वारा प्रमाणित किये गये लेखा-विवरण के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल सावित न कर दिया जाय, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये यह उपधारित किया जायेगा कि वह सरकार को देय बकाया या उसकी रकम तथा उस व्यक्ति का, जो बकायादार है, सही विवरण है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया विवरण तैयार करने के पूर्व बकायादार को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

146. [मांग की सूचना.— (1) तहसीलदार, बकाया की वसूली के लिए धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने के पूर्व, किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवाएगा ।

twelve per centum per annum for first twelve months and thereafter at the rate of fifteen per centum per annum:

Provided that no such interest shall be payable for delayed payment, where any payment of land revenue has been suspended by the order of the Government.]

144. [**Remission or suspension of land revenue on failure of crops**- The State Government may, by notification stating the reasons, grant remission or suspension of land revenue in years in which crops have failed in any area or in which crops could not be grown in any area in consequence of any order made under any law by a competent authority.]

145. Certified account to be evidence as to arrear and defaulter. — (1) A statement of account, certified by the [Tahsildar] shall, for the purpose of this Chapter, be presumed to be correct statement of the arrears payable to Government or its amount, and of the person who is the defaulter, until the contrary is proved.

(2) No notice to defaulter shall be necessary before drawing up the statement referred to in sub-section (1).

146. Notice of demand- (1) A Tahsildar shall cause a notice of demand to be served on any defaulter before the issue of any process under section 147 for the recovery of an arrear.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(2) कोई बकायादार, तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि कोई भी शोध्य बकाया नहीं है अथवा शोध्य रकम उस रकम से कम है, जिसके लिए मांग की सूचना की तामील की गयी है और तहसीलदार, इस प्रकार उठाई गई आपत्ति को विनिश्चित करेगा और उसके पश्चात् ही धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने की कार्यवाही करेगा, यदि अपेक्षित हो ।]

147. बकाया की वसूली के लिये आदेशिका।— [(1) सरकार को] [xxx] देय भू-राजस्व का बकाया] तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित आदेशिकाओं में से किसी एक या अधिक आदेशिकाओं द्वारा वसूल किया जा सकेगा—

- (क) जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा;
- (ख) उस खाते की, जिस पर बकाया शोध्य है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा और जहां ऐसा खाता एक से अधिक सर्वेक्षण-संख्याओं या भू-खंड संख्याओं से मिलकर बना हो, वहां ऐसे सर्वेक्षण संख्याओं में से एक या अधिक सर्वेक्षण संख्याओं या भू-खंड संख्याओं के, जैसा कि उस बकाया को वसूल करने के लिये आवश्यक समझा जाय, विक्रय द्वारा;

परन्तु किसी सहकारी सोसायटी के किन्हीं शोध्यों की वसूली के लिये किसी भी खाते का विक्रय, धारा 154-क में विहित प्रक्रिया को पहले निशेष किए बिना नहीं किया जायगा;

(2) Any defaulter may apply to the Tahsildar that nothing is due or that the amount due is less than the amount for which the notice of demand has been served and the Tahsildar shall decide the objection so raised and only thereafter proceed to issue any process under section 147, if required.".]

147. Process for recovery of arrear. -

(1) [An arrear of land revenue payable to Government] [xxx] may be recovered by a Tahsildar by anyone or more of the following processes: —

- (a) by attachment and sale of movable property;
- (b) by attachment and sale of the holding on which arrear is due and where such holding consists of more than one survey number or plot number by sale of one or more of such survey numbers, or plot numbers as may be considered necessary to recover the arrears;

Provided that no holding shall be sold for the recovery of any dues of a co-operative society without first exhausting the procedure prescribed in Section 154-A

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Renumber as Sub-section (1) by Act No. 23 of 2018.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

¹ (खख) उस खाते की, जिस पर कि बकाया शोध्य हो, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154-क के अधीन पट्टे पर देकर;

(खखख) बकायादार के किसी अन्य खाते की, जो कि कृषि के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154-क के अधीन पट्टे पर देकर;]

(ग) ² [बकायादार की किसी अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री द्वारा, जहां कहीं भी रिथ्त हो:]

परन्तु खंड (क) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं से निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकेगा, अर्थात् –

(एक) बकायादार, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, चारपाइयाँ तथा बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिहें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक् नहीं कर सकती;

(दो) शिल्पियों के औजार, और यदि बकायादार कृषक है तो यान्त्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण के अतिरिक्त उसके खेती के उपकरण और ऐसे मवे शी तथा बीज जो तहसीलदार की राय में, उसे उस हैसियत में अपनी जीविका उपार्जित करने में समर्थ बनाने में लिये आवश्यक हों;

¹ [(bb) by attachment of holding on which arrear is due and letting the same under Section 154-A;

(bbb) by attachment of any other holding belonging to the defaulter which is used for the purposes of agriculture and letting the same under Section 154-A;]

(c) ² [by attachment and sale of any other immovable property wherever situated belonging to the defaulter]

Provided that the process specified in clauses (a) and (c) shall not permit the attachment and sale of the following, namely: —

(i) the necessary wearing apparel, cooking vessels, beds and bedding of the defaulter, his wife and children, and such personal ornaments, as, in accordance with the religious usage, cannot be parted with by any woman;

(ii) tools of artisans and, if the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry, except an implement driven by mechanical power and such cattle and seed as may, in the opinion of the Tahsildar, be necessary to enable him to earn his livelihood as such;

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1971 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Inserted by Act No. 1 of 1971.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(तीन)	वे वस्तुएं जो केवल धार्मिक विन्यासों के उपयोग के लिये पृथक् रख दी गई हों;	(iii)	articles set aside exclusively for the use of religious endowments;
(चार)	किसी कृषक के तथा उसके अधिभोग में के गृह तथा अन्य भवन (उनकी सामग्रियों तथा उनके स्थलों सहित एवं उस भूमि सहित, जो कि उनसे बिलकुल लगी हुई हो तथा उसके उपयोग के लिये आवश्यक हो): परन्तु यह और भी कि खंड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी जहां कि बकायादार—	(iv)	house and other buildings (with the materials and the sites thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for the enjoyment) belonging to an agriculturist and occupied by him Provided further that the process specified in clause (b) shall not permit attachment and sale of holding where the defaulter holds,—
1[(एक)	अनुसूचित क्षेत्रों में छह हेक्टर या छह हेक्टर से कम भूमि, या	(i)	six hectares or less than six hectares of land in the Scheduled Area; or
(दो)	अन्य क्षेत्रों में, चार हेक्टर या चार हेक्टर से कम भूमि, धारण करता हो।	(ii)	four hectares or less than four hectares of land in other areas.

स्पष्टीकरण।— इस परन्तुक के प्रयोजन के लिये “अनुसूचित क्षेत्र” से अभिप्रेत है, कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो।]

2[(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार, बकायादार की किन्हीं वित्तीय आस्तियों, जिनमें बैंक खाते या लॉकर सम्मिलित हैं, जहां कहीं भी स्थित हों, कुर्की करते हुए भू-राजस्व की बकाया वसूल कर सकेगा।

Explanation.— For the purpose of this proviso, “Scheduled Area” means any area declared to be Scheduled Area within the State of Madhya Pradesh under paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India.]

2[(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Tahsildar may recover the arrear of land revenue by attaching any financial asset including bank account or locker, wherever situate, of the defaulter. The

1. अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1977 द्वारा अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा जोड़ी गई।

1. Inserted by Act No. 9 of 1977.

2. Added by Act No. 23 of 2018

बकायादार की वित्तीय आस्तियों की कुर्की जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट आदेश 21 में अधिकथित रीति में वित्तीय आस्तियों के भारसाधक पर गर्निशी आदेश की तामीली करके की जाएगी। बकायादार द्वारा किराये पर लिए गए किसी लॉकर की दशा में, ऐसे भारसाधक की उपस्थिति में लॉकर को सीलबंद किया जाएगा जो इसके अंदर की वस्तुओं की विवरण सूची तैयार करने और उनका अंतिम रूप से निराकरण करने के लिए तहसीलदार के आगामी आदेश तक रुका रहेगा।

(3) उपखण्ड अधिकारी, पचास लाख रुपये से अधिक की भू-राजस्व की बकाया के भुगतान में चूक करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकेगा और उसे पंद्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किये जाने के बारंट के साथ भेजेगा जब तक कि बकाया का त्वरित भुगतान नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शने की सूचना जारी न कर दी जाए कि क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को भू-राजस्व की बकाया के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उसे सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जहां तक कि और जब तक कि ऐसा व्यक्ति –

(क) अवयरक है, या मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्धि व्यक्ति है;

attachment of financial assets of the defaulter shall, so far as possible be made by serving a garnishee order on the incharge of financial assets in the manner laid down in Order 21 contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908). In case of a locker hired by the defaulter, the same shall be sealed in the presence of such incharge, who shall thereafter await further orders of the Tahasildar regarding preparation of inventory of its contents and their ultimate disposal.

(3) The Sub-Divisional Officer may cause any person committing default in payment of an arrear of land revenue exceeding rupees fifty lakh to be arrested and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period not exceeding fifteen days unless the arrears are sooner paid:

Provided that no action under this sub-section shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be arrested or confined in a civil prison for an arrear of land revenue, where and for so long as such person-

(a) is a minor, or a person mentally ill or mentally retarded; and

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 133, 135 या 135—के अधीन छूट प्राप्त है।

(5) गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला उपर्युक्त अधिकारी ऐसा वारंट वापस ले सकेगा यदि बकायादार संपूर्ण बकाया या उसके सारवान भाग का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर देता है।]

148. खर्च बकाया के भाग के रूप में वसूल किये जा सकेंगे— धारा 146 के अधीन मांग की सूचना तामील करने या धारा 147 में की कोई आदेशिका जारी करने तथा प्रवर्तित करने का खर्च उस बकाया के, जिसकी कि बाबत उस सूचना की तामील की गई थी या वह आदेशिका जारी की गई थी, भाग के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

149. अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन धारा 147 [] में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाएँ या तो उस जिले में, जिसमें कि व्यतिक्रम किया गया है या किसी अन्य जिले में प्रवर्तित कराई जा सकेंगी।

[150. संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिये जाने पर कार्यवाही का रोक दिया जाना।— यदि भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां इस अध्याय के अधीन की जाती हैं, तो वह व्यक्ति, संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व किसी भी समय, दावाकृत रकम का भुगतान कर सकेगा और तदुपरि कार्यवाहियां रोक दी जाएँगी।]

(b) is exempted under sections 133, 135 or 135-A of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).

(5) The Sub-Divisional Officer issuing the arrest warrant may withdraw such warrant if the defaulter pays or undertakes to pay the whole or substantial portion of the arrears and furnishes adequate security therefor.]

148. Costs recoverable as part of arrear—The cost of serving a notice of demand under Section 146 or of issuing and enforcing any process in Section 147 shall be recoverable as part of the arrear in respect of which the notice was served or the process was issued.

149. Enforcement of processes in other districts.— The processes specified in ' [] Section 147 may be enforced either in the district in which the default has been made or in any other district.

[150. Payment before property is knocked down at a sale and thereupon proceeding to be stayed— If proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of an arrear of land revenue, he may, at any time before the property is knocked down at a sale, pay the amount claimed and thereupon the proceedings shall be closed.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

151. विक्रय—आगमों का उपयोजन .— (1) इस अध्याय के अधीन के प्रत्येक विक्रय के आगम, प्रथमतः, उस बकाया की जिसके कि कारण विक्रय किया गया था तथा ऐसे विक्रय के व्ययों की तुष्टि के लिये, द्वितीयतः, सम्बन्धित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकायादार से शोध्य उपकरणों की किसी बकाया के भुगतान के लिये, तृतीयतः, बकायादार द्वारा राज्य सरकार को देय किसी अन्य बकाया के भुगतान के लिये, और चतुर्थतः, बकायादार से किसी सहकारी सोसायटी को शोध्य किसी बकाया के भुगतान के लिये उपयोजित किये जायेंगे और इसके बाद यदि कोई अधिशेष हो, तो वह उसको, या जहां एक से अधिक बकायादार हौं, वहां ऐसे बकायादारों को उनके अपने—अपने उन अंशों के अनुसार देय होगा जो कि वे बेची गई सम्पत्ति में रखते हों:

परन्तु ऐसे अधिशेष का बकायादार या बकायादारों को भुगतान तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि जंगम सम्पत्ति के मामले में विक्रय की तारीख से, या स्थावर सम्पत्ति के मामले में विक्रय के पुष्टिकरण की तारीख से दो मास का अवसान न हो गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ' [धारा 147 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)] के अधीन विक्रय के आगम, प्रथमतः बेची गई रथावर सम्पत्ति की बाबत् विक्रय की तारीख तक के लिये बकायादार द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया के भुगतान के लिये उपयोजित किये जायेंगे और अधिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अनुसार उपयोजित किया जायेगा ।

151. Application of proceeds of sale.—

(1) The proceeds of every sale under this Chapter shall be applied, firstly, in satisfaction of the arrears on account of which the sale was held and of the expenses of such sale, secondly, to the payment of any arrears of cesses due by the defaulter under any law for the time being in force in the region concerned, thirdly, to the payment of any other arrears payable to the State Government by the defaulter, and fourthly to the payment of any arrears due by the defaulter to a Co-operative Society, and the surplus, if any, shall then be payable to him, or where there are more defaulters than one, to such defaulters according to their respective shares in the property sold :

Provided that the surplus shall not be paid to the defaulter or defaulters until after the expiry of two months from the date of the sale in the case of movable property from the date of the confirmation of sale in the case of immovable property.

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), the proceeds of sale under ' [clause (c) of sub-section (1) of section 147] shall be applied first to the payment of arrears of land revenue payable by the defaulter for the immovable property sold up to the date of the sale, and the surplus, if any, shall be applied in accordance with sub-section (1).

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018

152. बकाया के लिये बेची गई भूमि विल्लंगमों से मुक्त होगी।— (1) जब तक उपर्युक्त अधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निदेश न दे, उस भूमि का जो उसके सम्बन्ध में शोध्य भू-राजस्व के बकाया के लिये बेची गई हो, क्रेता, उस भूमि को उन समस्त विल्लंगमों से, जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अधिरोपित किये गये हों, तथा उन समस्त अनुदानों एवं संविदाओं से, जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि की बाबत की गई हों, मुक्त रूप से अर्जित करेगा।

(2) किन्हीं ऐसे वृक्षों के या किन्हीं ऐसे वृक्षों की उपज के, जो उस भूमि के, जिसमें कि वे खडे हैं, भूमिस्वामी की सम्पत्ति हों या किसी समय सम्पत्ति रहे हों, सम्बन्ध में किये गये किसी अन्तरण, अनुदान या संविदा के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह ऐसा अनुदान या संविदा है जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (1) के तात्पर्य के अंतर्गत की गई है।

153. [क्रेता का हक।— जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह संपत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गयी समझी जाएगी जबकि क्रेता द्वारा विक्रय के पत्र में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण धन जमा कर दिया जाता है।]

154. क्रेता विक्रय से पूर्व शोध्य भू-राजस्व के लिये दायी नहीं होगा।— धारा 138 में किसी बात के होते हुए भी, क्रय के प्रमाण-पत्र में नामित व्यक्ति उस भू-राजस्व के लिये दायी नहीं होगा जो विक्रय की तारीख से पूर्व की किसी कालावधि के लिये उस भूमि के सम्बन्ध में देय है।

152. **Land sold for arrears to be free from encumbrances.**— (1) Unless the Sub-Divisional Officer in ordering the sale otherwise directs, purchaser of the land sold for arrears of land revenue due in respect thereof, shall acquire it free of all encumbrances imposed on it, and all grants and contracts made in respect of it, by any person other than the purchaser.

(2) Any transfer, grant or contract in respect of trees or the produce of trees which are or at any time have been the property of the bhumiswami of the land in which they stand, shall be deemed to be a grant or contract made in respect of such land within the meaning of sub-section (I).

153. [Purchaser's title.— Where immovable property is sold under the provisions of this Chapter and such sale has become absolute, the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when full money as specified in the letter of sale is deposited by the purchaser.]

154. **Purchaser not liable for land revenue due prior to sale.**— Notwithstanding anything in Section 138 the person named in the certificate of purchase shall not be liable for land revenue payable in respect of the land for any period previous to the date of the sale.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

154 क. "[उस खाते को, जिसके सम्बन्ध में बकाया शोध्य हो, या बकायादार किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियाँ — ३(1) जहाँ किसी खाते के सम्बन्ध में भू-राजस्व का बकाया शोध्य हो या जहाँ कोई धन उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, वहाँ तहसीलदार इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी के शोध्यों की वसूली के लिये ४[धारा 147 की उपधारा (1)] के खंड (ख) के अधीन या खंड (खख) या खंड (खखख) के अधीन जैसी भी दशा हो, खाते को कुर्क करने के पश्चात्, उस खाते को, जिस पर बकाया शोध्य है, या बकायादार के किसी ऐसे अन्य खाते को जो कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता है, बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कलेक्टर नियत करे, दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा जो ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ होती हो]

४[विलोपित]

५[परन्तु यह ६[xxx] कि किसी ऐसे भूमिस्वामी के, जो ऐसी जनजाति का सदस्य है, जो धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित की गई है, खाते की कोई भूमि, ऐसी जनजाति के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी जायगी ।]

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भू राजस्व

154-A. १[Powers of the Tahsildar to let out the holding in respect of which arrear is due or any other holding of the defaulter. — २[(1) Where the arrear of land revenue is due in respect of a holding or where any money is recoverable in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155, the Tabsildar may, notwithstanding anything, contained in this Code, after attachment of holding under clause (b) for the recovery of dues of a Co-operative Society, or clause (bb) of clause (bbb) of ३[Sub section (1) or Section 147] as the case may be, let out the holding on which arrear is due or any other holding belonging to the defaulter which is used for the purpose of agriculture to any person other than the defaulter for a period not exceeding ten years commencing from the first day of agricultural year next following upon such terms and conditions as the Collector may fix.]

४[Deleted]

५[Provided ६[xxx] that any land of a holding of a bhumiswami belonging to a member of a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165, shall not be let out to any person other than a member of such tribe.]

(2) Nothing in this section shall affect the liability of any person who may be

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1971 द्वारा जोड़ी गई।
2. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
5. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1998 द्वारा अंतःस्थापित।।

1. Added by Act No. 1 of 1971.
2. Substituted by Act No. 2 of 1990.
3. Substituted by Act No. 23 of 2018.
4. Deleted by Act No. 23 of 2018.
5. Inserted by Act No. 1 of 1998

के बकाया के भुगतान के लिये या किसी ऐसे धन के जो उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें कि धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया किया जाता है, बकाया के भुगतान के लिये इस कोड के अधीन दायी हो।

(3) पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर, वह खाता संबंधित व्यक्ति को, ऐसे खातों के सम्बन्ध में बकाया के लिये राज्य सरकार के किसी दावे से मुक्त रूप में या ऐसे धनों के लिये, जो उसी रीति में वसूल योग्य हों जिसमें धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के या किसी भी अन्य प्राधिकारी के किसी भी दावे से मुक्त रूप में वापस दिला दिया जाएगा जिन दावों की तुष्टि के लिये वह खाता उपधारा (1) के अधीन पट्टे पर दिया गया था:

परन्तु इस उपधारा में कोई भी बात किसी सहकारी सोसाइटी के शोध्यों की वसूली के लिये कुर्क किये गये और पट्टे पर दिये गये खाते को उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां उन शोध्यों की, जिनकी तुष्टि के लिये वह उपधारा (1) के अधीन पट्टे पर दिया गया था, पूर्ण तुष्टि पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर, नहीं होती है।

155. भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन. — निम्नलिखित धन, यथाशक्य, इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।—

(क) ऐसे प्रभारों के सिवाय जो धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन भू-राजस्व में समिलित किये गये हैं, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय या उद्घरणीय समस्त

liable under this Code for the payment of the arrears of land revenue or of any money recoverable in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155.

(3) Upon the expiry of the period of lease the holding shall be restored to the person concerned free of any claim on the part of the State Government for the arrears in respect of such holding or free of any claim on the part of the State Government or any other authority whatsoever for the moneys recoverable in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 for the satisfaction whereof the same was let out under sub-section (1):

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the holding attached and let out for the recovery of the dues of a Co-operative Society where the dues for the satisfaction were of the same was let out under sub-section (1) are not fully satisfied on the expiry of the period of lease.

155. Moneys recoverable as an arrear of land revenue. — The following moneys may be recovered, as far as may be, under the provisions of this Chapter in the same manner as an arrear of land revenue: —

(a) except such charges as are included in the land revenue under sub-section (2) of Section 58, all rents, royalties, water rates, cesses, fees, charges,

लगान, स्वाभित्व, जल की दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम, शास्तियाँ, जुर्माने तथा खर्च;

(ख) ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान, पट्टे या संविदा के, जिसमें यह उपबन्ध हो कि वे उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, अधीन राज्य सरकार को शोध्य होते हैं।

[(खख) किसी प्रत्याभूति-संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये समस्त धन जिनके सम्बन्ध में उस प्रत्याभूति-संविदा में यह उपबन्ध हो कि वे उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है;]

(ग) ऐसी समस्त राशियाँ जिनके बारे में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल योग्य होंगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है; और

(घ) कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह राशि किसी सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में या समापन के खर्च में वसूल की जाय :

परन्तु खंड (घ) में विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन के साथ, ऐसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय

premia, penalties, fines and cost payable or leviable under this Code or any other enactment for the time being in force;

(b) all moneys falling due to the State Government under any grant, lease or contract which provides that they shall be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue;

[(bb) all moneys guaranteed by the State Government to the extent of amount guaranteed under a contract of guarantee which provides that they shall be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue;1]

(c) all sums declared by this Code, or any other enactment for the time being in force to be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue; and

(d) any sum ordered by a liquidator appointed under any law relating to Co-operative Societies in force for the time being in any region of the State to be recovered as a contribution to the assets of a society or as the cost of liquidation

Provided that no action shall be taken on application for recovery of a sum specified in clause (d), unless such application is accompanied by a certificate

का प्रमाण—पत्र संलग्न न कर दिया गया हो कि उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जानी चाहिए

१। (ङ) समस्त धन—

(एक) जो मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कृषकों को कृषि के या भूमि के सुधार के प्रयोजनार्थ बेचे गये कृषिक उपकरणों या अन्य सामग्री के विक्रय संबंधी किसी करार के, जो कि उक्त निगम द्वारा किया गया हो, अधीन शासित के कारण, उक्त उपकरणों या सामग्री के दामों के कारण या अन्यथा उक्त निगम को देय होते हों;

(दो) जो उक्त निगम द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त निगम के साथ किये गये किसी पट्टे, संविदा या करार के अधीन या उस निगम के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगम को शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगम को देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन—पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे आवेदन—पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबन्ध—निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण—पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो,]

signed by the Registrar appointed under such law that the sum should be recovered as an arrear of land revenue;

१। (e) all moneys becoming payable to the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited —

(i) on account of penalty, cost of agricultural implements or other materials sold by the Corporation to agriculturists for the purpose of agriculture or improvement of land or otherwise, under any agreement of sale of such implements or materials by the said Corporation;

(ii) in repayment of any loan advanced by the said Corporation or of any amount due to the said Corporation under any lease, contract, or agreement with or any other dealing of the said Corporation:

Provided that no action shall be taken on application for recovery of a sum specified in this clause, unless such application is accompanied by a certificate signed by the Managing Director of the said Corporation that the sum should be recovered as an arrear of land revenue;]

1. अधिनियम क्रमांक 30 सन् 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 30 of 1973.

॥ (च) समर्त धन जो—

(एक) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा उद्यमियों को किसी उद्योग की स्थापना करने, उसका विस्तार करने या उसको चलाने के प्रयोजन के लिये या किसी उद्योग से आनुषंगिक किसी अन्य प्रयोजन के लिये बेची गई मशीनरी या अन्य सामग्रियों का भाड़ा क्रय पर या अन्यथा विक्रय किये जाने सम्बन्धी किसी करार के, जो कि उक्त निगमों द्वारा किया गया हो, अधीन सेवा प्रभार के कारण, शास्ति के कारण, व्याज के कारण, उक्त मशीनरी या अन्य सेवा सामग्रियों के मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हों;

(दो) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा किसी पट्टे, सविदा या करार के अधीन यथास्थिति भाड़े पर दिये गये या बेचे गये किसी भवन के किराये या मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हों;

(तीन) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त निगमों के साथ किये गये पट्टे, सविदा या करार के अधीन उक्त निगमों के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगमों के शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगमों को देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये आवेदन—पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की

[(f) all moneys becoming payable to the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited and the Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited—

- (i) on account of service charge, penalty, interest, cost of machinery or other materials sold by the said Nigams to entrepreneurs for the purpose of establishing, expanding or running an industry or for any other purpose ancillary to an industry under any agreement of sale on hire purchase or otherwise of such machinery or materials by the said Nigams;
- (ii) on account of rent or cost of building hired out or sold, as the case may be, by the said Nigams under any lease, contract or agreement;
- (iii) in repayment of any loan advanced by the said Nigams, or of any amount due to the said Nigams under any lease, contract or agreement with or any other dealing of the said Nigams

Provided that no action shall be taken on application for recovery of a sum specified in this clause unless such

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1979 द्वारा जोड़ा गया।

1. Added by Act No. 16 of 1979.

जायेगी जब तब कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबंध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो ।

(छ) समस्त धन जो—

- (एक) नल कूपों के सन्निर्माण सम्बन्धी प्रभारों के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों;
- (दो) किन्हीं उत्तिसचन स्कीमों से सिंचाई के प्रयोजन से प्रदाय किये गये जल के मद्दे लगाने वाले जल कर के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों;
- (तीन) मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ निष्पादित किये गये किसी पट्टे, करार या संविदा के अधीन उक्त कार्पोरेशन को शोध्य किसी धनराशि के कारण देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे आवेदन-पत्र के साथ उक्त कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो ।]

[(ज) वे समस्त धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता (ऐटीटी) के हों जो कि इस नियमित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, देय होते हों :

application is accompanied by a certificate signed by the Managing Director of the said Nigam that the said sum should be recovered as an arrear of land revenue;

(g) all moneys becoming payable to the Madhya Pradesh Lift Irrigation Corporation Limited on account of—

- (i) construction charges of the tube-wells;
- (ii) water rates for the water supplied for the purpose of irrigation from any Lift Irrigation Schemes;
- (iii) any sum due to the said Corporation under any lease, agreement or contract executed with the said Corporation

Provided that no action shall be taken on application for recovery of a sum specified in this clause unless such application is accompanied by a certificate signed by the Managing Director of the said corporation that the said sum should be recovered as an arrear of land revenue.]

[(h) all moneys becoming payable to such entity owned and controlled by the State Government as may be notified by the State Government in this behalf;

I. Added by Act No. 23 of 2018.

परन्तु इस खण्ड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए प्रत्येक अवेदन पत्र पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे अवेदन पत्र के साथ उक्त सत्ता (एटिटी) जो किसी भी नाम से जानी जाती हो, के मुख्य कार्यपालक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो।

156. प्रतिभू से धनों की वसूली — प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के किसी भी उपबन्ध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के या किसी अनुदान, पट्टे या संविदा के जिसके कि अधीन वह राशि, जो कि प्रतिभूत की गई है, मूल ऋण से भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है, अधीन प्रतिभू बन गया हो, उस रकम का या उसके किसी भाग का, जिसका कि भुगतान करने के लिये वह अपने प्रतिभूति पत्र के निबन्धनों के अधीन दायी हो गया हो, भुगतान न करने की दशा में इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के अधीन उस रीति में कार्यवाही की जाये जिसमें कि भू-राजस्व के बकाया के लिये कार्यवाही की जाती है।

अध्याय-12

भू-धारणाधिकारी

157. भू-धृति का वर्ग.— राज्य से धारित भूमियों के भू-धारियों का केवल एक ही वर्ग होगा जो भूमिस्वामी के नाम से ज्ञात होगा।

158. भूमिस्वामी. — ¹[(1)] प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, निम्नलिखित किहीं भी वर्गों का हो, भूमिस्वामी कहलायेगा और

1. अधिनियम क्रमांक 8 सन् 1979 द्वारा उपधारा (1) पुनर्क्रमांकित की गई।

Provided that no action shall be taken on application for recovery of a sum specified in this clause unless such application is accompanied by a certificate signed by the chief executive, by whichever name called, of the said entity that the said sum should be recovered as an arrear of land revenue.]

156. Recovery of moneys from surety— Every person who may have become a surety under any of the provisions of this Code or under any other enactment or any grant, lease or contract where under the sum secured is recoverable from the principal as an arrear of land revenue shall, on failure to pay the amount or any portion thereof which he may have become liable to pay under the terms of his security bond, be liable to be proceeded against under the provisions of this Code in the same manner as for an arrear of land, revenue.

CHAPTER XII TENURE-HOLDERS

157. Class of tenure.— There shall be only one class of tenure-holders of land held from the state to be known as bhumiswami.

158. Bhumiswami. — ¹[(1)] Every person who at the time of coming into

1. Renumber as Sub-Section (1) by Act No. 8 of 1979.

उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी को प्रदत्त किये गये हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी पर अधिरोपित किये गये हैं, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्र. 2 सन् 1955) के उपबन्धों के अनुसार भूमिस्वामी या भूमिधारी अधिकारों में उसके द्वारा महाकौशल क्षेत्र में धारित हो;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि मध्यभारत भू-आगम एवं कृषिकाधिकार विधान, सम्वत् 2007 (क्र. 66 सन् 1950) में यथा परिभाषित पक्का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में उसके द्वारा मध्यभारत क्षेत्र में धारित हो;
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि भोपाल स्टेट लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1932 (क्र. 4 सन् 1932) में यथा परिभाषित दखलकार के रूप में उसके द्वारा भोपाल क्षेत्र में धारित हो;
- (घ) (एक) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध जो कि विन्ध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्र. 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित पचपन पैतालीस कृषक, पट्टेदार कृषक, निकुञ्जधारी के रूप में या तालाब-धारक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो;
(दो) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के (जो उस भूमि से, जो निकुञ्ज या तालाब हो या जो सरकारी या लोक प्रयोजनों के लिये अर्जित की गई हो या उन प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो, भिन्न हो) सम्बन्ध में जो कि गैर हकदार कृषक के रूप
- (a) force of this Code, belongs to any of the following classes shall be called a bhumiswami and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon a bhumiswami by or under this Code, namely: —
- (b) every person in respect of land held by him in the Mahakoshal region in bhumiswami or bhumidhari rights in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1954 (II of 1955);
- (c) every person in respect of land held by him in the Madhya Bharat region as a Pakka tenant or as a Muafidar, Inamdar or Concessional holder, as defined in the Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat, 2007 (66 of 1950);
- (d) (i) every person in respect of land held by him in the Vindhya Pradesh region as a pachapan paintalis tenant, pattedar tenant, a grove holder or as a holder of tank as defined in the Vindhya Pradesh Land Revenue and Tenancy Act, 1953 (III of 1955);
(ii) every person in respect of land (other than land which is a grover or tank or which has been acquired or which is required for Government or public purposes) held by him in the Vindhya

में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके कि सम्बन्ध में वह रीवा स्टेट लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड, 1935 की धारा 57 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि कृषक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके सम्बन्ध में वह विन्ध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एकट, 1953 (क्र. 3 सन् 1955) की धारा 151 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो किंतु जिसने ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व अभिप्राप्त न किया हो

(ङ.) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि राजस्थान टेनेन्सी एकट, 1955 (क्र. 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित खातेदार कृषक के रूप में या निकुंजधारी के रूप में उसके द्वारा सिरोंज क्षेत्र में धारित हो ;

¹[(2) किसी ऐसे देशी राज्य का, जो कि मध्यप्रदेश राज्य का भाग है, शासक, जो संविधान प्रारम्भ होने के पूर्व उसके द्वारा की गई प्रसविदा या करार के आधार पर ऐसे शासक के रूप में इस कोड के प्रवृत्त होने के समय भूमि धारण किये हुए था या भूमि धारण करने के लिये हकदार था, इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से इस कोड के अधीन ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अधीन होंगा जो कि इस कोड के द्वारा या अधीन किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किये गये हों ।

Pradesh region as a gair haqdar tenant and in respect of which he is entitled to a patta in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 57 of the Rewa State Land Revenue and Tenancy Code, 1935;]

(iii) every person in respect of land held by him as a tenant in the Vindhya Pradesh region and in respect of which he is entitled to a patta in accordance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of Section 151 of the Vindhya Pradesh Land Revenue and Tenancy Act, 1953 (III of 1955), but has omitted to obtain such patta before the coming into force of this Code,

(e) every person in respect of land held by him in Sironj region as a khatedar tenant or as a grove holder as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (3 of 1955).

¹[(2) A Ruler of an Indian State forming part of the State of Madhya Pradesh who, at the time of coming into force of this Code, was holding land or was entitled to hold land as such Ruler by virtue of the covenant or agreement entered into by him before the commencement of the Constitution, shall, as from the date of coming into force of this Code, be a bhumiswami of such land under the Code and shall be subject to all the rights and liabilities conferred and imposed upon a bhumiswami by or under this Code.

1. अधिनियम क्रमांक 8 सन् 1979 द्वारा उपधारा (2) जोड़ी गई।

1. Added Sub-Section (2) by Act No. 8 of 1979.

स्पष्टीकरण.— धारा में अभिव्यक्ति “शासन” तथा “देशी राज्य” के वही अर्थ होंगे जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (22) तथा (15) में इन अभिव्यक्तियों के लिये दिये गये हैं।]

[(3) प्रत्येक व्यक्ति—

(एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमिस्थामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये हैं, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, और

(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्थामी अधिकार में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्थामी समझा जायेगा और उन समस्त अधिकारों दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

²परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि अंतरित नहीं करेगा और उसके पश्चात् धारा 165 की उपधारा (7-ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त कर ऐसी भूमि अंतरित कर सकेगा:-

(एक) मध्यप्रदेश साधारण खंड

Explanation. —In this section, the expression “Ruler” and “Indian State” shall have the same meanings as are assigned to these expressions in clauses (22) and (15) respectively by Article 366 of the Constitution of India.]

[(3) Every person—

(i) who is holding land in bhumiswami right by virtue of a lease granted to him by the State Government or the Collector or the Allotment Officer on or before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 1992 from the date of such commencement, and

(ii) to whom land is allotted in bhumiswami right by the State Government or the Collector or the Allotment Officer after the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 1992 from the date of such allotment,

shall be deemed to be a bhumiswami in respect of such land and shall be subject to all the rights and liabilities conferred and imposed upon a bhumiswami by or under this Code:

²[Provided that no such person, other than a person falling under any of the following categories, shall transfer such land within a period of ten years from the date of lease or allotment and thereafter may transfer such land with the permission obtained under sub-section (7-b) of section 165.

(i) a local authority as defined in clause (20) of Section 2 of the Madhya

1. अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1992 द्वारा जोड़ी गई।

2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Added by Act No. 17 of 1992.

2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की कमश: धारा 38 तथा 64 के अधीन गठित किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र प्राधिकरण;

(तीन) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) के अधीन गठित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल;

(चार) कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार 51 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करती है;

(पांच) कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है,

(छह) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई शासकीय सत्ता जिसे भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है।]

159. भूमिस्वामियों द्वारा देय भू-राजस्व — धारा 158 के अधीन भूमिस्वामी होने वाला प्रत्येक व्यक्ति—

- (क) यदि वह अपने द्वारा धारित भूमियों के सम्बन्ध में भू-राजस्व का भुगतान कर रहा था — ऐसे भू-राजस्व का; या
- (ख) यदि वह अपने द्वारा धारित भूमियों के सम्बन्ध में लगान का भुगतान कर रहा था — ऐसे लगान के बराबर की रकम का;

भू-राजस्व के रूप में भुगतान करेगा ।

Pradesh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958);

- (ii) a Town and Country Development Authority or a Special Area Development Authority constituted under Section 38 and 64 respectively of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);
- (iii) the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board constituted under the Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachna Vikas Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973);
- (iv) a government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) in which the State Government has more than fifty one percent shares;
- (v) a person to whom land is allotted in Bhumiswami rights by the State Government though auction;
- (vi) any government entity, notified by the State Government from time to time, to whom land is allotted in Bhumiswami rights.]

159. Land revenue payable by bhumiswamis. — Every person becoming a bhumiswami under Section 158 shall pay as land revenue

- (a) if he was paying land revenue in respect of the lands held by him — such land revenue; or
- (b) if he was paying rent in respect of the lands held by him — an amount equal to such rent.

160. भू-राजस्व का भुगतान करने के दायित्व से दी गई छूट का प्रतिसंहरण – (1) कहीं भी स्थित प्रत्येक माफी या इनाम भूमि, जिसे सरकार के विशेष अनुदान से या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन या किसी अन्य लिखत के अनुसरण में, सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग के भुगतान से इसके पूर्व छूट दे दी गई थी, इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पश्चात आने वाले राजस्व वर्ष के प्रारंभ से उस सम्पूर्ण भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन होगी जो कि उस भूमि पर निर्धारणीय हो; भले ही किसी ऐसे अनुदान, विधि या लिखत में कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो ।

(2) जहां कोई ऐसी माफी या इनाम भूमि किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त संस्था को बनाये रखने या उसके समारक्षण के लिये धारित हो, वहां राज्य सरकार, ऐसी संस्था के आवेदन पर, जो विहित प्रलूप तथा विहित समय के भीतर किया गया हो उसे भू-राजस्व में उसके द्वारा उपयुक्त छूट की रकम से अनधिक ऐसी वार्षिकी प्रदान कर सकेगी जो ऐसी संस्था को समुचित रूप से बनाये रखने या उसके समारक्षण के लिये अथवा उसके द्वारा की जाने वाली सेवा को चालू रखने के लिये युक्तियुक्त समझी जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रदान की गई वार्षिकी ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जो कि विहित की जाएँ, और वह राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, पुनरीक्षित या प्रत्याहृत की जा सकेगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन आवेदन कर दिया जाता है, वहां संबंधित संस्था से भू-राजस्व की वसूली आवेदन का विनिश्चय होने तक के लिये रोक दी जायगी ।

160. Revocation of exemption from liability for land revenue.— (1) Every Muafī or Inam land, wherever situate, which was heretofore exempted from payment of the whole or part of the land revenue by a special grant from the Government or under the provisions of any law for the time being in force or in pursuance of any other instrument shall, notwithstanding anything contained in any such grant, law or instrument be liable from the commencement of the revenue year next following the coming into force of this Code, to the payment of full land revenue assessable thereon,

(2) Where any such Muafī or Inam land is held for the maintenance or upkeep of any public, religious or charitable institution, the State Government may, on the application of such institution, in the prescribed form land made within such time as may be prescribed] grant to it such annuity not exceeding the amount of the exemption from land revenue enjoyed by it, as may be considered reasonable for the proper maintenance or upkeep of such institution or for the continuance of service rendered by it,

(3) The annuity granted under sub-section (2) shall be subject to such conditions as may be prescribed and may from time to time be revised or withdrawn by the State Government.

(4) Where an application is made under sub-section (2), the recovery of land revenue from the institution concerned shall be stayed until the decision of the application.

161.¹ [xxx] राजस्व में कमी— (1) कलेक्टर,
[xxx] किसी समय, भूमिस्वामी के आवेदन पर
या स्वप्रेरणा से, ऐसे नियमों के अनुसार, जो कि
इस सम्बन्ध में बनाये जायें, किसी भूमि के सम्बन्ध
में राजस्व को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी
आधार पर कम कर सकेगा; अर्थात्—

- (एक) यह कि भूमि बाढ़ों के परिणामस्वरूप या
ऐसे भूमिस्वामी के नियंत्रण से परे किसी
अन्य कारण से पूर्णतः या भागतः खेती
के अयोग्य हो गई है;
- (दो) यह कि राज्य खर्च से सन्निर्भित तथा
अनुरक्षित सिंचाई का कोई स्त्रोत, चाहे
वह नया हो या पुराना, बेमरम्मत पड़ा
हुआ है और उससे उसके सम्पूर्ण खाते,
या उसके किसी भाग की, जिसको कि
राजस्व की बढ़ाई गई दर सिंचाई के
कारण लागू कर दी गई है, सिंचाई नहीं
हो रही है।
- (तीन) यह कि सिंचाई के किसी प्राइवेट स्त्रोत
से उसके सम्पूर्ण खाते या उसके किसी
भाग की, जिस पर बढ़ाये गये भू-राजस्व
का निर्धारण सिंचाई के कारण किया
गया है, किसी ऐसे कारण से, जो
भूमिस्वामी के नियंत्रण से परे है, सिंचाई
नहीं हो रही है।
- (चार) यह कि भूमिस्वामी द्वारा उस भूमि के
सम्बन्ध में देय राजस्व उस राजस्व से
अधिक है जिसकी कि संगणना ऐसी
भूमि के लिये गत बन्दोबस्त में या किसी
अन्य विधि के अधीन है नियत की गई
दरों से की गई थी।
- (पांच) यह कि ऐसे भूमिस्वामी के खाते का
क्षेत्रफल, किसी कारण से उस क्षेत्रफल

161. **Reduction of revenue** [xxx].—

(1) At any time [xxx] the Collector may, in accordance with such rules as may be made in this behalf, on the application of a bhumiswami or of his own motion reduce the revenue in respect of any land on any of the following grounds, namely:—

- (i) that the land has been wholly or partially rendered unfit for cultivation in consequence of floods or other cause beyond the control of such bhumiswami;
- (ii) that any irrigation source, whether new or old, constructed and maintained at the cost of the State has fallen into disrepair and has ceased to irrigate the whole or any part of his holding to which an enhanced rate of revenue has been applied on account of irrigation;
- (iii) that any private irrigation source has for any cause beyond the control of bhumiswami, ceased to irrigate the whole or any part of the holding which has been assessed to enhanced land revenue on account of irrigation;
- (iv) that the revenue payable by the bhumiswami in respect of the land is more than the revenue calculated at the rate fixed at the last settlement or under any other law for such land;
- (v) that the area of the holding of such bhumiswami has

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

से कम हो गया है जिस पर विद्यमान भू-राजस्व निर्धारित किया गया था।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कमी का आदेश किया जाता है, वहां ऐसी कमी उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावशील होगी।

(3) यदि वह हेतुक, जिसकी कि वजह से उपधारा (1) के अधीन राजस्व में कमी की गई हो, बाद में नहीं रह जाता है या दूर कर दिया जाता है, तो कलेक्टर भूमिस्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसी कमी प्रभाव में नहीं रहेगी, और ऐसा आदेश पारित कर दिया जाने पर ऐसी कमी उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रतिसंहृत हो जायगी।

162. 'विलोपित]

163. 'विलोपित]

164. 'न्यागमन— भूमिस्वामी का हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसकी स्वीय विधि के अध्यधीन रहते हुए, यथास्थिति विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा संक्रान्त होगा।]

165. अन्तरण के अधिकार— 3|(1) इस धारा के अन्य उपबन्धों, धारा 158 की उपधारा (3) के परंतुक के उपबन्धों और धारा 168 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि में का कोई हित अन्तरित कर सकेगा।]

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(क) भूमिस्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बक्षक इसके पश्चात तब तक विद्यमान

decreased for any reason below the area on which the existing land revenue was assessed.

(2) Where any reduction is ordered under sub-section (1), such reduction shall take effect from the commencement of the revenue year next following the date of the order.

(3) If the cause for which revenue has been reduced under sub-section (1) subsequently ceases or is removed, the Collector may, after giving the bhumiswami a reasonable opportunity of being heard, make an order directing that such reduction shall cease to be in force and on such order being passed, the reduction shall stand revoked from the commencement of the revenue year next following the date of the order.

162. '[deleted.]

163. '[deleted.]

164. 'Devolution. — Subject to his personal law the interest of bhumiswami shall, on his death, pass by inheritance, survivorship or bequest, as the case may be.]

165. Rights of transfer. — 3|(1) Subject to the other provisions of this Section, provision of the proviso to sub-section(3) of Section 158 and provision of Section 168, a Bhumiswami may transfer any interest in his land.]

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1)—

(a) no mortgage of any land by a bhumiswami shall hereafter be valid unless atleast five acres of irrigated or ten acres of

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 38 of 1961.

3. Substituted by Act No. 14 of 2020.

नहीं होगा जब तक कि कम से कम पाँच एकड़ सिवित भूमि या दस एकड़ असिंचित भूमि किसी भी विलंगम या भार से मुक्त रूप में उसके पास न बच जाय;

(ख) खंड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी द्वारा किसी भी भूमि का कोई भोग बन्धक इसके पश्चात् विधिमान्य नहीं होगा यदि वह छह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये हो, और जब तक कि उस बन्धक की एक शर्त यह न हो कि बन्धक विलेख में वर्णित की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर उस बन्धक के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि भूमिस्वामी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किये बिना ही उसका पूर्णतः मोचन हो गया है, और बन्धकदार उस बन्धक भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को तुरन्त वापस दे देगा;

(ग) यदि बन्धक की गई भूमि का कोई कब्जा बन्धकदार, बन्धक की कालावधि का या छह वर्ष का, इनमें से जिसका भी अवसान पहले होता हो, अवसान हो जाने के पश्चात् भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है, तो बन्धकदार तहसीलदार के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किये जाने का दायी होगा और तहसीलदार द्वारा बन्धककर्ता को उस भूमि का कब्जा दिलाया जायेगा:

।[परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि के बन्धक के मामले में लागू नहीं होगी जो भूमिस्वामी द्वारा कृषि –भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो।]

(3) जहां भूमिस्वामी उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में अपनी भूमि का कोई ऐसा बन्धक करता है जो भोग-बन्धक से भिन्न हो, वहां बन्धक unirrigated land is left with him free from any encumbrance or charge;

(b) subject to the provisions of clause (a), no usufructuary mortgage of any land by a bhumiswami shall hereafter be valid if it is for a period exceeding six years and unless it is a condition of the mortgage that on the expiry of the period mentioned in the mortgage deed, the mortgage shall be deemed, without any payment whatsoever by the bhumiswami to have been redeemed in full and the mortgagee shall forthwith re-deliver possession of the mortgaged land to the bhumiswami;

(c) if any mortgagee in possession of the land mortgaged does not hand over possession of land after the expiry of the period of the mortgage or six years whichever expires first the mortgagee shall be liable to ejection by the orders of the Tahsildar as trespasser and the mortgagor shall be placed in possession of the land by the Tahsildar

।[Provided that nothing in this sub-section shall apply in the case of a mortgage of any land held by a bhumiswami for non-agricultural purpose]

(3) Where a bhumiswami effects a mortgage other than a usufructuary mortgage of his land in pursuance of the provisions of sub-section (2), then notwithstanding anything contained in the mortgage deed, the total amount of

1. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा अंतःस्थापित।

1. Inserted by Act No. 24 of 1961.

विलेख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्धक के अधीन प्रोद्भूत होने वाले व्याज की कुल रकम बन्धकदार द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि—

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जावेगा जो रख्य उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो; सहित कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाए, अधिक हो जाये;
- (ख) **[विलोपित]**

²[परन्तु—

(एक) इस उपधारा में की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी—

(क) (एक) किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किये गये अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक के रूप में किये गये अंतरण की दशा में;

(दो) किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक रूप में किये गये अंतरण की दशा में, तथापि इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजनों के लिये कोई भी बन्धक, किसी अग्रिम की वसूली के लिये विक्रय को धारा 147 के खंड (ख) के उल्लंघन

interest accruing under the mortgage shall not exceed half the sum of the principal amount advanced by the mortgagee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no bhumiswami shall have the right to transfer any land—

- (a) in favour of any person who shall as a result of the transfer become entitled to land which together with the land, if any, held by himself or by his family will in the aggregate exceed such ceiling limits as may be prescribed;

(b) **[Deleted]**

²[Provided that -

(i) nothing in this sub-section shall apply—

(a) (i) in the case of transfer in favour of an institution established for a public, religious or charitable purpose or a transfer for industrial purpose or a transfer by way of mortgage;

(ii) in the case of transfer in favour of Co-operative Society for industrial purpose or a transfer by way of mortgage subject, however, to the condition that no mortgage for agricultural purposes shall authorise sale for recovery of an advance in contravention of clause (b) of Section 147;

1. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 द्वारा लोप।

2. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Deleted by Act No. 25 of 1964.

2. Substituted by Act No. 2 of 1990.

(ख) में प्राधिकृत नहीं करेगा;
 (ख) कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित भूमि के अन्तरण की दशा में:]

¹ [परन्तु यह और कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) के अधीन भूमि का अन्तरण, ऐसे अन्तरण के पूर्व धारा 59 के अधीन भूमि व्यपवर्तित की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण।— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, किसी व्यक्ति के कुटुम्ब में वह व्यक्ति स्वयं, उसकी अवयस्क संतानें तथा ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसका पति जो उनके साथ संयुक्त रूप से रहता हो, और यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो तो उसके साथ संयुक्त रूप से रहने वाले उनके माता पिता सम्मिलित होंगे।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भूमिस्वामी की कोई भी भूमि, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन से, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जायेगी जो ऐसे विक्रय के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जायगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाय, अधिक हो जाय:

² [परन्तु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में लागू नहीं होगी जहां ऐसी सोसाइटी के पक्ष में पारित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी ऐसी भूमि का विक्रय धारा 154-क में विहित प्रक्रिया निःशेष करने के पश्चात् किया जाना हो ।]

स्पष्टीकरण।— इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, अभिव्यक्ति 'किसी व्यक्ति के कुटुम्ब' का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिये उपधारा (4) में दिया है।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

(b) in the case of a transfer of land held for non-agricultural purposes:]

¹ [Provided further that in case of the transfer of land under sub-clause (a) of clause (i) of the preceding proviso for an industrial purpose, the land shall be diverted under section 59 prior to such transfer.]

Explanation.—For the purposes of this sub-section, a person's family shall consist of the person himself, the minor children and the spouse of such person living jointly with him and if such person is a minor then his parents living jointly with him.

(5) Notwithstanding anything to the contrary in any other enactment for the time being in force, no land of a bhumiswami shall, in execution of a decree or order of a Court, be sold to any person who as a result of such sale shall become entitled to land which together with the land, if any, held by himself or by his family will in the aggregate exceed such ceiling limits as may be prescribed:

² [Provided that nothing in this sub-section shall apply in the case of a co-operative society where any land is to be sold in execution of a decree or order passed in favour of such society after exhausting the procedure prescribed in Section 154-A.]

Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression "a person's family" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (4).

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 2 of 1990.

1[(6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिये, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (एबॉरीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार—

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसे तारीख से, जिसे/जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा;

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति 'अन्यथा' के अंतर्गत पट्टा नहीं आता है।

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the right of bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe by the State Government by a notification in that behalf, for the whole or part of the area to which this Code applies shall—

- (i) in such areas as are predominately inhabited by aboriginal tribes and from such date as the State Government may, by notification, specify, not be transferred nor it shall be transferable either by way of sale or otherwise or as a consequence of transaction of loan to a person not belonging to such tribe in the area specified in the notification;
- (ii) in areas other than those specified in the notification under clause (i), not to be transferred or be transferable either by way of sale or otherwise or as a consequence of transaction of loan to a person not belonging to such tribe without the permission of a Revenue Officer not below the rank of Collector, given for reasons to be recorded in writing.

Explanation.—For the purposes of This sub-section the expression "otherwise" shall not include lease.]

1. Substituted by Act No. 61 of 1976.

1. अधिनियम क्रमांक 61 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

*¹[(6-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ² किसी ऐसी जनजाति के जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया है भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी का कृषि भूमि] को छोड़कर अन्य भूमि में का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजाति का न हो कलेक्टर की अनुमति, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना विक्रिय द्वारा अन्यथा अथवा उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप, न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा:

परन्तु ³[9 जून, 1980 के पश्चात् तथा 20 अप्रैल 1981 के पूर्व] किया गया ऐसा प्रत्येक अंतरण, जो इसमें अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार न हो, जब तब कि ऐसे अंतरण का अनुसमर्थन कलेक्टर द्वारा इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता, शून्य होगा और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, भले ही इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो ।

*(6-ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का स. 36) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या ऐसे संव्यवहार से तीन वर्ष के भीतर, ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाय, इस निमित्त आवेदन किया जाने पर ऐसी जाँच, जैसी कि वह उचित समझे, कर सकेगा, और ऐसे अंतरण से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अंतरण का अनुसमर्थन करने वाला या अंतरण का अनुसमर्थन करने से इकार करने वाला आदेश पारित कर सकेगा ।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-1-81- पच्चीस दिनांक 15 अप्रैल, 1981 द्वारा अतःस्थापित । केवल राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू ।
2. अधिसूचना क्रमांक 37-4-सात-एन-दो-84 दिनांक 4-6-1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना दिनांकित 17-7-1981 द्वारा प्रतिस्थापित ।

* उपधारा (6-क) से (6-च) तक प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावशील हैं।

¹[(6-a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), 2[the right of a bhumiswami other than a bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6), in the land excluding the agricultural land] shall not be transferred or be transferable either by way of sale or otherwise or as a consequence of transaction of loan to a person not belonging to aboriginal tribe without the permission of the Collector given for reasons to be recorded in writing

Provided that every such transfer effected 3[after the 9th day of June, 1980 but before the 20th April, 1981] which is not in accordance with the provisions herein contained shall, unless such transfer if ratified by the Collector in accordance with the provisions hereinafter contained, be void and shall be of no effect whatsoever, notwithstanding anything contained in this Code or any other law for the time being in force.

(6-b) Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963), the Collector may on his own motion at any time or on an application made in this behalf within three years of such transaction in such form as may be prescribed, make an enquiry as he may deem fit, and may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the persons affected by the transfer, pass an order ratifying the transfer or refusing to ratify the transfer.

1. Ins. by Notifi. No. F. 16-1-81-XXV dated 15th April, 1981. Applicable on scheduled areas of the state only .
2. Subs. by Notifi. No. 37-4-VII-N-II-84 dated 4-6-1984.
3. Subs. by Notifi. dated 17-7-1981.

*(6-ग) कलेक्टर, उपधारा (6-क) के अधीन अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला अथवा उपधारा (6-ख) के अधीन संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन से इंकार करने वाला कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा—

- (एक) क्या वह व्यक्ति, जिसे भूमि अंतरित की जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है या नहीं;
- (दो) वह प्रयोजन जिसके लिये भूमि अंतरण के पश्चात् उपयोग में लाई जायेगी या जिसके लिये उसका उपयोग में लाया जाना संभाव्य है;
- (तीन) क्या अंतरण से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति होती है या ऐसे हितों की पूर्ति होना संभाव्य है अथवा क्या वह ऐसे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;
- (चार) क्या दिया गया प्रतिफल पर्याप्त है;
- (पांच) क्या ऐसा संव्यवहार मिथ्या, बनावटी या बेनामी है; और
- (छह) ऐसी अन्य बातें जो विहित की जायें।

कलेक्टर की उपधारा (6-क) के अधीन अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला विनिश्चय अथवा उपधारा (6-ख) के अधीन अंतरण के संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला विनिश्चय अंतिम होगा, भले ही संहिता में कोई प्रतिकूल बात अंतर्विष्ट क्यों न हो।

स्पष्टीकरण।— इस धारा के प्रयोजन के लिये—

- (क) 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसे भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अधिसूचित

*(6-ग) The Collector shall in passing an order under sub-section (6-a) granting or refusing to grant permission or under sub-section (6-b) ratifying or refusing to ratify the transaction shall have due regard to the following:—

- (i) whether or not the person to whom land is being transferred is a resident of the Scheduled Area;
- (ii) the purpose to which land shall be or is likely to be used after the transfer;
- (iii) whether the transfer serves, or is likely to serve or prejudice the social, cultural and economic interest of the residents of the Scheduled Area;
- (iv) whether the consideration paid is adequate;
- (v) whether the transaction is spurious or benami and
- (vi) such other matters as may be prescribed.

The decision of the Collector granting or refusing to grant the permission under sub-section (6-a) or ratifying or refusing to ratify the transaction of transfer under sub-section (6-b), shall be final, notwithstanding anything to the contrary contained in this Code.

Explanation.—For the purpose of this sub-section.—

- (a) "Scheduled Area" means any area declared to be a Scheduled Area within the State of Madhya Pradesh under paragraph 6 of

* उपधारा (6-क) से (6-च) तक प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावशील है।

क्षेत्र घोषित किया गया;

(ख) अंतरण मिथ्या, बनावटी या बेनामी नहीं था, यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह दावा करता है कि ऐसा अंतरण विधिमान्य है ।

*(6-घ) उपधारा (6-क) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया जाने या उपधारा (6-ख) के अधीन अनुसमर्थन करने से इंकार कर दिया जाने पर, अंतरिती, यदि भूमि उसके कब्जे में है, कब्जा तुरंत छोड़ देगा और मूल भूमिस्वामी को उस भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा ।

*(6-ड.) यदि भूमिस्वामी किसी भी कारण से उस भूमि का जिसके कब्जे का अधिकार उसे उपधारा (6-घ) के अधीन प्रत्यावर्तित हो जाता है, कब्जा नहीं लेता है या कब्जा लेने में असमर्थ रहता है, तो कलेक्टर उस भूमि का कब्जा ग्रहण करवाएगा, और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, उस भूमि का प्रबंध भूमिस्वामी की ओर से उस समय तक करवायेगा जब तक कि मूल भूमिस्वामी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर लेता:—

परंतु यदि कब्जा प्रत्यावर्तित करने में कोई प्रतिरोध किया जाता है तो कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवायेगा जैसा कि आवश्यक हो ।

**[(6-ड.-ड.) विलोपित]

*(6-च) इस संहिता में या तत्यमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (6-क) से '[(6-ड.)] तक के उपबन्ध प्रभावशील होंगे ।

1. अधिसूचना क्रमांक 37-4-सात-एन-दो-84 दिनांक 4-6-1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

* उपधारा (6-क) से (6-च) तक प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावशील हैं।

राज्यपाल के आदेश एफ-2-5-2019-सात-शाखा-7 दिनांक 2-1-2020 जो कि राजपत्र दिनांक 8-1-2020 में प्रकाशित है द्वारा विलोपित एवं संशोधित।

the Fifth Scheduled to the Constitution of India;
(b) the burden of proving that the transfer was not spurious, fictitious or benami shall lie on the person who claims such transfer to be valid.

*(6-d) On refusal to grant the permission under sub-section (6-a) or ratification under sub-section (6-b), the transferee, if in possession of the land shall vacate the possession forthwith and restore the possession thereof to the original bhumiswami.

*(6-e) If the *bhumiswami* for any reason whatsoever fails or is unable to take possession of the land of which the right of possession stands restored to him under sub-section (6-d), the Collector shall cause the possession of land to be taken and cause the land to be managed on behalf of the *bhumiswami* subject to such terms and conditions as may be prescribed till such time as the original *bhumiswami* enters upon his land

Provided that if any resistance is offered in restoring possession, the Collector shall use or cause to be used such force as may be necessary.

** [(6-ee) Deleted]

*(6-f) The provisions of sub-section (6-a) to '[(6-e)] shall have effect, notwithstanding anything to the contrary contained in this Code or any other law for the time being in force.]

1. Subs. by Notifi. No. 37-4-VII-N-II-84 dated 4-6-1984.

(7) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

।। (क) जहां किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल या उस भूमिस्वामी के एक से अधिक खाते होने की दशा में उसके समस्त खातों का कुल क्षेत्रफल सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, वहां उसके खाते या खातों में की भूमि का केवल उतना क्षेत्रफल, जितना कि सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि से दस एकड़ से अधिक हो, किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किये जाने, या बेचे जाने के दायित्वाधीन होगा ।।

(ख) किसी ऐसे जनजाति के, जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबन्धों के प्रतिकूल, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन कोई रिसीवर किसी भूमिस्वामी की भूमि का प्रबंध करने के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा और न कोई भी ऐसी भूमि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का संख्यांक 5) के अधीन किसी न्यायालय अथवा किसी रिसीवर में निहित होगी:

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां कि किसी बंधक

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or in any other law for the time being in force—

।।(a) where the area of land comprised in a holding or if there be more than one holding the aggregate area of all holdings of a bhumiswami is in excess of five acres of irrigated or ten acres of unirrigated land, then only so much area of land in his holding or holdings shall be liable to attachment or sale in execution of any decree or order as is in excess of five acres of irrigated or ten acres of unirrigated land;]

(b) no land comprised in a holding of a bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) shall be liable to be attached or sold in execution of any decree or order;

(c) no receiver shall be appointed to manage the land of a bhumiswami under Section 51 of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) nor shall any such land vest in the Court or any receiver under the Provincial Insolvency Act, 1920 (V of 1920), contrary to the provisions of clause (a) or clause (b)

Provided that nothing in this sub-section shall apply where a charge

1. अधिनियम क्रमांक 37 सन् 1973 द्वारा प्रतिरक्षित

1. Subs. by Act No. 37 of 1973.

द्वारा उस भूमि पर कोई भार सृजित किया गया हो।

¹[(7-क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि में के किसी भी हित का ²[कलेक्टर] की अनुज्ञा के बिना अन्तरण कर दें।]

³[(7-ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ²[कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है] अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा।]

(8) इस धारा में की कोई बात किसी भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का संख्यांक 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का संख्यांक 12) के अधीन दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूत करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या राज्य सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।

1. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1975 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1980 द्वारा अंतःस्थापित।

has been created on the land by a mortgage.

¹[(7-a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no bhumiswami specified in Section 33 of the Madhya Pradesh Bhoodan Yagna Adhiniyam, 1968 (No. 28 of 1968) shall have the right to transfer any interest in his land specified in the said section without the permission of the ²[Collector].]

³[(7-b) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), ²[a person who holds land from the State Government or a person who holds land in bhumiswami rights under sub-section (3) of Section 158] or whom right to occupy land is granted by the State Government or the Collector as a Government lessee and who subsequently becomes bhumiswami of such land, shall not transfer such land without the permission of a Revenue Officer, not below the rank of a Collector, given for reasons to be recorded in writing.]

(8) Nothing in this section shall prevent a bhumiswami from transferring any right in his land to secure payment of, or shall affect the right of the State Government to sell such right for the recovery of an advance made to him under the Land Improvement Loans Act, 1883 (XIX of 1883) or the Agriculturist Loans Act, 1884 (XII of 1884).

1. Inserted by Act No. 15 of 1975.
2. Substituted by Act No. 17 of 1992.
3. Inserted by Act No. 15 of 1980..

1[(9) इस धारा में की कोई भी बात —

- (एक) किसी भूमिस्वामी को, किसी ऐसी अग्रिम के, जो उसे किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिया गया हो, संदाय को प्रतिभूत करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार को बंधक के रूप में अंतरित करने से निवारित नहीं करेगी किंतु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वसूली सुनिश्चित करने के लिए भूमि का विक्रय धारा 154-क में विहित प्रक्रिया को निःशेष किये बिना नहीं किया जायेगा; या
- (दो) किसी भूमि-स्वामी को दिये गये अग्रिम की वसूली धारा 154-क के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित करने के ऐसी किसी सोसाइटी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।]

2[(9-क) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे भूमिस्वामी को, जो विस्थापित व्यक्ति हो, किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या उस प्राधिकारी के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा में “विस्थापित व्यक्ति” से अभिप्रेत है, उन राज्य क्षेत्रों से, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में समाविष्ट हैं, विस्थापित हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी किसी स्कीम के अधीन 1 अप्रैल सन् 1957 को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में पुनर्वासित किया गया है ॥

1. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1961 द्वारा अंतःस्थापित ।

1[(9) Nothing in this section shall —

- (i) prevent a bhumiswami from transferring any right in his land by way of mortgage to secure payment of an advance made to him by co-operative society subject to the condition that the land shall not be sold to secure recovery, without exhausting the procedure prescribed in Section 154-A; or
- (ii) affect the right of any such society to secure recovery or an advance made to him, in accordance with the provisions of Section 154-A]

2[(9-a) Nothing in this section shall prevent a bhumiswami who is a displaced person from transferring any right in his land to secure payment of an advance made to him by the Dandakaranya Development Authority or shall affect the right of that Authority to sell such right for the recovery of such advance.

Explanation. — In this sub-section “displaced person” means a person displaced from the territories now comprised in East Pakistan who is resettled in Madhya Pradesh on or after the 1st day of April, 1957, under any scheme of resettlement of displaced persons sanctioned by the Central Government or the State Government.]

1. Substituted by Act No. 2 of 1990.

2. Inserted by Act No.38 of 1961.

[(9-ख) इस धारा में की कोई भी बात भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे कृषि के प्रयोजन के लिये या खाते के सुधार के प्रयोजन के लिये, किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूत करने के हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या किसी ऐसे बैंक के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली के हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।]

(10) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्याक 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, जो उस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के लिए सशक्त हो, किसी भी ऐसी दस्तावेज को, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिये तात्पर्यित है, रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण नहीं करेगा।

(11) इस धारा में की कोई भी बात —

- (क) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यतः किया गया था, अविधिमान्य नहीं बनायेगी, या
- (ख) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व अविधिमान्यतः किया गया था, विधिमान्य नहीं बनायेगी।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये, एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जायगा और इसी प्रकार इसका विपर्यय।

166. कतिपय अंतरणों के मामले में सम्पर्करण — (1) यदि भूमि का अंतरण धारा 165 की उपधारा (4) के खंड (क) के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है, तो अन्तरिती के

[(9-b) Nothing in this section shall prevent a bhumiswami from transferring any right in his land to secure payment of an advance made to him by a Commercial Bank for purpose of agriculture or improvement of holding or shall affect the right of any such Bank to sell such right for the recovery of such advance.]

(10) Notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908), no officer empowered to register documents thereunder shall admit to registration any document which purports to contravene the provisions of this section.

(11) Nothing in this section shall —

- (a) invalidate any transfer which was validly made; or
- (b) validate any transfer which was invalidly made; before the coming into force of this Code.

Explanation — For purposes of this section one acre of irrigated land shall be deemed to be equal to two acres of unirrigated land and vice-versa.

166. Forfeiture in cases of certain transfers. — (1) If a transfer of land is made in contravention of the provisions of clause (a) of sub-section (4) of

1. अधिनियम क्रमांक 09 सन् 1970 द्वारा अंतरित।

पास की उतनी भूमि जो विहित उच्चतम सीमा के ऊपर हो, अंतरिती द्वारा विहित कालावधि के भीतर चयन कर ली जाने पर और उपर्युक्त अधिकारी द्वारा उसका सीमांकन ऐसे नियमों के, जो उस संबंध में बनाये जायें, अनुसार कर दिया जाने के पश्चात, राज्य सरकार में सम्पत्त हो जायेगी:

परंतु यदि अंतरिती विहित कालावधि के भीतर चयन नहीं करता है तो ऐसा चयन उपर्युक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ।। विलोपित ।।

(3) उपर्युक्त अधिकारी, उपधारा (1) ²[xxx] में, निर्दिष्ट किए गये मामलों में, अंतरिती के पास बच रही भूमि के संबंध में भू-राजस्व, विहित रीति में नियत करेगा।

167. भूमि का विनियम. — धारा 165 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भूमिस्वामी, खातों की चकबंदी के प्रयोजनों के लिये, या खातों में और अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये, अपने सम्पूर्ण खाते या उसके कसी भाग का विनियम पारस्परिक करार द्वारा कर सकेंगे।

³168. पट्टे.— (1) कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी ऐसी भूमि को, जिसे धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है, एक समय में पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा।

(2) पट्टेदार उस भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर धारित करेगा जो कि उसके तथा भूमिस्वामी के बीच करार में तय पाई जाए।

(3) भूमिस्वामी के आवेदन पर, तहसीलदार किसी सारावान निबंधन में या पट्टे की शर्त के भंग के आधार पर या पट्टा प्रवृत्त न रहने के कारण भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को देने का आदेश कर सकेगा।

1. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 द्वारा लोप।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2015 द्वारा लोप।

3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

Section 165 so much of the land as is in excess of the prescribed ceiling limit with the transferee shall, after its selection by the transferee within the prescribed period and demarcation by a Sub-Divisional Officer in accordance with such rules as may be made in that behalf, stand forfeited to the State Government

Provided that if the transferee fails to make the selection within the prescribed period such selection shall be made by the Sub-Divisional Officer.

(2) ।। Deleted ।।

(3) The Sub-Divisional Officer shall in the cases referred to in sub-sections (1) ²[xxx] fix the land revenue in the prescribed manner in respect of the land left with the transferee.

167. Exchange of land.—Subject to the provisions of Section 165 bhumiswami may exchange by mutual agreement the whole or any part of their holding for purposes of consolidation of holdings or securing greater convenience in cultivation.

³168. Leases- (1) A Bhumiswami may lease any land comprised in his holding which has been assessed for the purpose of agriculture under section 59, for any period not exceeding five years at a time.

(2) The lessee shall hold the land on such terms and conditions as may be agreed upon between him and the Bhumiswami.

(3) Tahsildar on the application of the Bhumiswami on the ground of breach of any material term or condition of the lease or the lease ceasing to be in force may

1. Deleted by Act No. 25 of 1964.

2. Deleted by Act No. 23 of 2015.

3. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(4) यदि कोई पट्टेदार, पट्टे के अवसान हो जाने पर या उपधारा (3) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर भूमिस्वामी को भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है तो भूमिस्वामी के बारे में यह समझा जाएगा कि पट्टेदार द्वारा उसकी भूमि से उसे अनुचित रूप से बेदखल कर दिया गया है और वह धारा 250 के अधीन अनुतोष पाने का हकदार हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजन के लिए —

- (क) “पट्टा” से अभिप्रैत है, किसी भूमि का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए, किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो अथवा धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से अन्तरिती द्वारा, जो उस अन्तरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो,
- (ख) किसी ऐसे ठहराव को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भूमिस्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमिस्वामी की किसी भूमि पर खेती करता है, पट्टा समझा जाएगा,
- (ग) उपधारा (1) के अधीन पांच वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए दिया गया पट्टा, पांच वर्ष की कालावधि के लिए दिया गया समझा जाएगा;
- (घ) केवल धास काटने या पशु चराने या सिंघाड़ा उगाने या लाख का प्रजनन या संग्रहण करने या तेन्तु पत्ते को तोड़ने या उनका संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि का पट्टा नहीं समझा जाएगा ।।।

(4) If a lessee does not hand over the possession of the land to the Bhumiswami on the expiry of the lease or within seven days from the date of the order passed by the Tahsildar under sub-section (3), the Bhumiswami shall be deemed to have been improperly dispossessed from his land by the lessee and shall be entitled to relief under section 250.

Explanation- For the purposes of this section—

- (a) “lease” means a transfer of a right to enjoy any land, made for a certain time, expressed or implied in consideration of a price paid or promised or of money or any other thing of value to be given periodically to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms,
- (b) any arrangement whereby a person cultivates any land of a Bhumiswami on condition of his giving a specified share of the produce of the land to the Bhumiswami shall be deemed to be a lease;
- (c) any lease given under sub-section (1) for a period exceeding five years shall be deemed to have been given for a period of five years;
- (d) the grant of a right merely to cut grass or to graze cattle or to grow “singhara” or to propagate or collect lac, or to pluck or collect tendu leaves shall not be deemed to be a lease of the land.”.]

169. '[विलोपित]

170. ²[धारा 165 के उल्लंघन में किये गये अंतरण का परिवर्जन— (1) जहां किसी भूमिस्वामी द्वारा कब्जे का अंतरण किसी ऐसे अंतरण के अनुसरण में किया गया हो जो कि धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में हो, वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे भूमिस्वामी का, जिसके कि कोई निकटतर वारिस न हों, उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता—

- (एक) 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व कब्जे के अंतरण के मामले में, 31 दिसम्बर सन् 1978 तक; और
- (दो) पश्चातवर्ती मामलों में कब्जे के ऐसे अंतरण के ³[बारह वर्ष] के भीतर उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा कि उसे इस बात के अध्यधीन कब्जा दिलाया जाय कि उसे भू-राजस्व की बकाया या किन्हीं भी अन्य शोध्यों, जो कि उस खाते पर भार हों, बाबत वे दायित्व स्वीकार्य होंगे जिन्हें कि उपखंड अधिकारी इस सम्बंध में बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित करे और उपखंड अधिकारी ऐसे आवेदन का निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जैसी कि विहित की जाय।
- (2) जहां भूमिस्वामी की कोई भूमि धारा 165 की उपधारा (3) के उल्लंघन में बेची जाती है, वहां वह न्यायालय जिसके कि द्वारा ऐसे विक्रय का आदेश दिया जाता है, उस भूमिस्वामी के या किसी भी ऐसे व्यक्ति के, जो उस भूमिस्वामी का, जिसके कि कोई निकटतर वारिस न हों, उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, आवेदन पर जो ऐसे विक्रय के दो वर्ष के भीतर किया गया हो; उस विक्रय को अपास्त कर

169. '[Deleted]

170. ²[Avoidance of transfer in contravention of Section 165. -Where possession is transferred by a bhumiswami in pursuance of a transfer which is in contravention of sub-section (6) of Section 165 any person who, if he survived the bhumiswami without nearer heirs would inherit the holding, may, —

- (i) till the 31st December, 1978, in the case of transfer of possession prior to the 1st July 1976; and
- (ii) within ³[twelve years] of such transfer of possession, in subsequent cases, apply to the Sub-Divisional Officer to be placed in possession subject so far as the Sub-Divisional Officer may, in accordance with the rules made in this behalf determine to his acceptance of the liabilities for arrears of land revenue or any other dues which form a charge on the holding, and the Sub-Divisional Officer shall dispose of such application in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Where any land of a bhumiswami is sold in contravention of sub- section (3) of Section 165, the Court by which such sale is ordered shall, on the application of the bhumiswami or any person who, if he survived the bhumiswami without nearer heirs would inherit the holding made within two years of such sale, set aside the sale and Place the applicant in possession of the land subject to his accepting the liability for arrears of land

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 61 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 61 of 1976.
3. Substituted by Act No. 1 of 1998.

देगा और आवेदन को उस भूमि का कब्जा इस बात के अध्यधीन दिलाएगा कि उसे भू-राजस्व की बकाया या किन्हीं भी अन्य शौध्यों, जो कि उस भूमि पर भार हों, सम्बंधी दायित्य स्वीकार्य होंगे।

'[170-क. कतिपय अंतरणों का अपास्त किया जाना।— (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या कृषि भूमि के ऐसे अंतरण द्वारा, जो किसी ऐसे जनजाति का हो जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, 31 दिसम्बर सन् 1978 को या उसके पूर्व किये गये ऐसे आवेदन पर ऐसी भूमि के ऐसे अंतरण की जो कि 2 अक्टूबर सन् 1959 से प्रारम्भ होने वाली तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान किसी भी समय विक्रय द्वारा या किसी न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया हो जो ऐसी जनजाति का न हो, या ऐसे अंतरण की, जो कि 2 अक्टूबर सन् 1959 से प्रारम्भ होने वाली तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान किसी भी समय धारा 169 के अधीन मौरुमी कृषक के अधिकार की या धारा 190 की उपधारा (2-क) के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार की प्रोद्भूति द्वारा हुआ हो जांच ऐसे अंतरण के सद्भाविक स्वरूप के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए कर सकेगा।

(2) यदि उपखंड अधिकारी का, जांच करने पर तथा ऐसी भूमि में किसी हित का स्वामित्व रखने

revenue or any other dues which form a charge on the land.

'[170-A. Certain transfers to be set aside.— (1) Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963), the Sub-Divisional Officer may, on his own motion or on an application made by a transferer of agricultural land belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165 on or before the 31st December, 1978, enquire into a transfer effected by way of sale, or in pursuance of a decree of a Court of such land to a person not belonging to such tribe or transfer effected by way of accrual of right of occupancy tenant under Section 169 or of bhumiswami under sub-section (2-A) of Section 190 at any time during the period commencing on the 2nd October, 1959 and ending on the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Third Amendment) Act, 1976 to satisfy himself as to the bonafide nature of such transfer.

(2) If the Sub-Divisional Officer on an enquiry and after giving a reasonable

1. अधिनियम क्रमांक 61 सन् 1976 द्वारा अंतःस्थापित।

I. Inserted by Act No. 61 of 1976.

वाले व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि ऐसा अंतरण सद्भाविक नहीं था, तो वह, इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात में होते हुए भी—

(क) खण्ड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अंतरण को उस दशा में अपार्स्त कर सकेगा, जबकि वह किसी ऐसे धारक द्वारा किया गया हो जो किसी ऐसी जनजाति का हो, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, और ऐसे अंतरक को वह भूमि वापस दिला सकेगा; या

नोट:- संविधान की पांचवी अनुसूची की कडिका -5 की उपकंडिका (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 जनवरी, 1984 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1-70-सात-सा.-2-83 दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होने के लिये उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया गया है:-

¹ (क) खण्ड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अंतरण को उस दशा में अपार्स्त कर सकेगा, जबकि वह किसी ऐसे धारक द्वारा किया गया हो जो किसी ऐसी जनजाति का हो, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, और ऐसे अंतरक को वह भूमि उसे उस का कब्जा

1. अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिये लागू

opportunity to the persons owning any interest in such land, is satisfied that such transfer was not bonafide, he may notwithstanding anything contained in this Code or any other enactment for the time being in force, —

(a) subject to the provisions of clause (b), set aside such transfer if made by a holder belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165 and restore the land to the transferor; or

Note:- These provisions, for scheduled area of the State of M.P. the provision following sub clause (a) are made as follow as, vide notification issued by Govt. of M.P., Revenue Department notification F.No. I-70-VII-N-2-83 dated 5th January 1984 issued by Govt. of M.P. under sub paragraph (1) of paragraph 5 of the fifth schedule of the constitution published Gazett dated 6 January 1984:-

¹(a) subject to the provisions of clause (b), set aside such transfer if made by a holder belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165 and restore the land to the transferor by putting him in

1. अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिये लागू

तत्काल देकर वापस दिला
सकेगा, या

(ख) जहां ऐसी भूमि कृषि-भूमि भिन्न प्रयोजनों
के लिये व्यपवर्तित कर दी गई हो, वहां
वह ऐसी भूमि की वह कीमत नियत
करेगा जो कि ऐसी भूमि के लिये उसके
अंतरण के समय प्राप्त होती तथा अंतरिती
को यह आदेश देगा कि इस प्रकार
नियत की गई कीमत तथा वस्तुतः
संदर्भ की गई कीमत के बीच होने वाले
अंतर, यदि कोई हो, की रकम अंतरक
को छह मास की कालावधि के भीतर
संदर्भ कर दे ।।

170-ख, 'आदिम जनजाति के सदस्य की
ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की
गई थी प्रतिवर्तन.— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम,
1980 (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम,
1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख
को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है, जो
2 अक्टूबर सन् 1959 से प्रारंभ होने वाली और
संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की
तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच,
किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे
धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम
जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से
[दो वर्ष] के भीतर, उपर्युक्त अधिकारी को ऐसे
प्ररूप में और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की
जाए, इस सम्बंध में समस्त जानकारी अधिसूचित
करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित
किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की
गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है,
तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि
ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण
प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त
कालावधि का अवसान हो जाने पर, उस व्यक्ति को

possession of the land
forthwith; or

(b) where such land has been
diverted for non-agricultural
purposes, he shall fix the price
of such land which it would
have fetched at the time of
transfer and order the transferee
to pay the difference, if any,
between the price so fixed and
the price actually paid to the
transferor within a period of six
months.]

170-B.¹ [Reversion of land of members
of aboriginal tribe which was
transferred by fraud.— (1) Every person
who on the date of commencement of
the Madhya Pradesh Land Revenue
Code (Amendment), 1980 (hereinafter
referred to as the Amendment Act of
1980) is in possession of agricultural
land which belonged to a member of a
tribe which has been declared to be an
aboriginal tribe under sub-section (6) of
Section 165 between the period
commencing on the 2nd October, 1959
and ending on the date of the
commencement of Amendment Act, 1980
shall, within ²[two years] of such
commencement, notify to the Sub-
Divisional Officer in such form and in
such manner as may be prescribed, all
the information as to how he has come
in possession of such land.

(2) If any person fails to notify the
information as required by sub-section
(1) within the period specified therein it
shall be presumed that such person has
been in possession of the agricultural
the land without any lawful authority
and the agricultural land shall, on the

1. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1980 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. Inserted by Act No. 15 of 1980.

2. Substituted by Act No. 19 of 1982.

प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जायेगी।

112(2-क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमिस्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी:

परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो यह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।]]

(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाए और यदि वह इस निष्कर्ष

expiration of the period aforesaid revert to the person to whom it originally belonged and if that person be dead, to his legal heirs.

112(2-A) If a Gram Sabha in the Scheduled area referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution finds that any person, other than a member of an aboriginal tribe, is in possession of any land of a bhumiswami belonging to an aboriginal tribe, without any lawful authority, it shall restore the possession of such land to that person to whom it originally belonged and if that person is dead to his legal heirs:

Provided that if the Gram Sabha fails to restore the possession of such land, it shall refer the matter to the Sub-Divisional Officer, who shall restore the possession of such land within three months from the date of receipt of the reference.]

(3) On receipt of the information under sub-section (1), the Sub-Divisional Officer shall make such enquiry as may be deemed necessary about all such

1. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1980 द्वारा अंतःस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 1-70-सात-सा.2-83 दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू करिनाईयाँ दूर करने के लिए उपबंध— मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 9 जून, 1982 में प्रकाशित मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1982 की धारा 3 में कठिनाईयों को दूर करने के लिए नीचे लिखे उपबंध किए गए हैं—

3. (1) एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा 170-ख की उपधारा (2) के अधीन होने-वाले परिणामों के बारे में यही और संदेव यही समझा जाएगा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसमें पूर्वोक्त धारा की उपधारा(1) द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी उसमें विनिर्दिष्ट कालायधि के भीतर अधिसूचित करने में चूक की है, कमी भी नहीं हुए हैं, और वह कृषि-भूमि की अक्टूबर, 1981 के ठीक पूर्ववर्ती तारीख को थी वह समर्त प्रयोजनों के लिए प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

(2) यदि इस धारा के उपबंधों के प्रभावशील करने से कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो मूल अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो:

परंतु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

1. Inserted by Act No. 15 of 1980.

पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट-वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरक में, और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा ।

'/नोट:- संविधान की पांचवीं अनुसूची की कांडिका -5 की उपकांडिका (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 जनवरी, 1984 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1-70-सात-सा.-2-83 दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होने के लिये उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की गई है:-

'(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समरत संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और—

(क) जहां उस कृषि भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व परिनिर्मित नहीं की गई है, वहां उस कृषि भूमि को अंतरक में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनर्निहित करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(ख) जहां उस कृषि भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व

transactions of transfer and if he finds that the member of aboriginal tribe has been defrauded of his legitimate right he shall declare the transaction null and void and pass an order revesting the agricultural land in the transferor and, if he is dead, in his legal heirs.

'/Note:- these provision apply to scheduled area of the State of M.P. the provision are made in its application to scheduled area Govt. of M.P. Revenue Department notification E.No. 1-70-VII-N-2-83 dated 5th January 1984 issued by Govt. of M.P. under sub paragraph (1) of paragraph 5 of the fifth schedule of the constitution published Gazett dated 6 January 1984:-/

'(3) On receipt of the information under sub-section (1) the Sub-Divisional Officer shall make such enquiry as may be necessary about all such transactions of transfer and if he finds that the member of aboriginal tribe has been defrauded of his legitimate right he shall declare the transaction null and void and

(a) Where no building or structure has been erected on the agricultural land prior to such finding pass an order revesting the agricultural land in the transferer and if he be dead, in his legal heirs,

1. अधिसूचना क्रमांक 1-70-सात-सा.-2-83 दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू

1. अधिसूचना क्रमांक 1-70-सात-सा.-2-83 दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू

परिनिर्मित कर ली गई है वहां वह ऐसी भूमि की कीमत उन सिद्धांतों के अनुसार नियत करेगा जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) में भूमि की कीमत नियत करने के लिए अभिकथित किये गये हैं, और उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह इस प्रकार नियत की गई कीमत तथा अंतरक को वस्तुतः चुकाई गयी कीमत के बीच के अंतर की रकम का, यदि कोई हो, संदाय अंतरक को कर दे :

परंतु जहां कोई भवन या सरदाना जनवरी 1984 के प्रथम दिन के पश्चात् परिनिर्मित कर ली गई है वहां, उपर्युक्त खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होगे:

परंतु यह और भी कि खंड (ख) के अधीन कीमत का नियतन उस कीमत के, जो उपखंड अधिकारी के समक्ष मामला रजिस्टर किया जाने की तारीख को हो, प्रति निर्देश से किया जायेगा]]

170-ग. ¹ [अनुज्ञा के बिना धारा 170-क या 170-ख के अधीन की कार्यवाहियों में अधिवक्ता का उपसंजात न होना – अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी अधिवक्ता धारा 170-क या धारा 170-ख के अधीन किन्तु भी कार्यवाहियों में किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकारी की अनुज्ञा के बिना उपसंजात नहीं होगा:

परंतु यदि किसी एक पक्षकार को, जो उस जनजाति का सदस्य न हो, जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसी अनुज्ञा दे दी जाती है तो वैसी ही सहायता सदैव उस जनजाति के 1. अधिसूचना कमांक 1-70-सात-सा.-2-83

दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू

(b) Where any building or structure has been erected on the agricultural land prior to such finding, he shall fix the price of such land in accordance with the principles laid down for fixation of price of land in the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894) and order the person referred to in sub-section (1) to pay to the transferor the difference, if any, between the price so fixed and the price actually paid to the transferor:

Provided that where the building or structure has been erected after the 1st day of January, 1984, the provisions of clause (b) above shall not apply

Provided further that fixation of price under clause (b) shall be with reference to the price on the date of registration of the case before the Sub-Divisional Officer.]

170-C. [Advocate not to appear in proceedings under Section 170-A or 170-B without permission.]

Notwithstanding anything contained in the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961) no Advocate shall appear before a Revenue Officer under any proceeding under Section 170-A or 170-B without the permission of such officer:

Provided that if permission is granted to one party not belonging to a member of a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165, similar assistance shall always be provided to

1. अधिसूचना कमांक 1-70-सात-सा.-2-83
दिनांक 5 जनवरी, 1984 द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को लागू

दूसरे पक्षकार को विधिक सहायता अधिकरण के खर्च पर तथा उसके माध्यम से दी जायेगी ।

170.—घ. द्वितीय अपील का वर्जन — इस कोड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्हीं भी ऐसे आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जो 24 अक्टूबर, 1983 को या उसके पश्चात् धारा 170-क तथा 170-ख के अधीन पारित किये गये हों ।

171. '[विलोपित]

172. '[विलोपित]*

173. त्यजन — इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी, कृषि वर्ष प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व तहसीलदार को लिखित सूचना देकर अपने अधिकारों का त्यजन कर सकेगा अर्थात् उन्हें राज्य सरकार के पक्ष में त्याग सकेगा किंतु ऐसा किन्हीं ऐसे अधिकारों, भौमिक अधिकारों, विल्लंगमों या साम्याधिकारों के अध्यधीन रहते हुए ही किया जा सकेगा जो राज्य सरकार या भूमिस्वामी से भिन्न किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विधिपूर्वक विद्यमान हों और तब वह भूमिस्वामी ऐसे आदेश की ऐसी तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष से भूमिस्वामी नहीं रह जायेगा । खाते के केवल किसी भाग का त्यजन किए जाने की दशा में, तहसीलदार उस खाते पर निर्धारित राशि को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित करेगा:

परंतु किसी खाते का या खाते के किसी भाग का विल्लंगम या भार के अध्यधीन त्यजन विधिमान्य नहीं होगा ।

174. '[विलोपित]

the other party belonging to such tribe at the cost of and through legal aid agency.

170-D. **Second appeal barred.**— Notwithstanding anything contained in this Code, no second appeal shall lie against the orders passed on or after the 24th October, 1983 under Section 170-A and Section 170-B.]

171. '[deleted.]

172. '[deleted.] *

173. **Relinquishments.**—Subject to rules made under this Code, a bhumiswami may relinquish his rights, that is, resign them in favour of the State Government, but subject to any rights, tenures, encumbrances or equities lawfully subsisting in favour of any person, other than the State Government or the bhumiswami, by giving notice in writing to the Tahsildar not less than thirty days before the date of commencement of the agricultural year and thereupon he shall cease to be a bhumiswami from the agricultural year next following such date of such order. In case of the relinquishment of only a part of the holding the Tahsildar shall apportion the assessment of the holding in accordance with the rules made under this Code:

Provided that the relinquishment of a holding or any part of a holding, which is subject to an encumbrance or a charge, shall not be valid.

174. '[deleted.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

* राज्यपाल के आदेश अधिसूचना क्रमांक

2-5-2019-सात-शा.-7 दिनांक 2.1.2020 जो कि असाधारण राजपत्र दिनांक 8.1.20 में प्रकाशित है द्वारा उपधारा (6-क) विलोपित ।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

* (6a) Deleted governor's order.

175. त्यजन की गई भूमि कि लिये मार्ग का अधिकार— यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जिसके कि लिये मार्ग उसके द्वारा प्रतिधारित अन्य भूमि में से होकर जाता है, अपने अधिकारों का त्यजन कर देता है, तो त्यजन की गई भूमि का कोई भावी धारक प्रतिधारित भूमि में से होकर आने-जाने का हकदार होगा ।

176. १। खाते का परित्याग— (1) यदि कोई भूमिस्वामी, जो अपने खाते पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पांच वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू-राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को जिसमें कि वह सामान्यतः निवास करता है, छोड़ दिया हो, तो तहसीलदार ऐसी जांच के पश्चात जैसी कि वह आदेशक समझे, उस खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा ले सकेगा और एक बार में एक कृषि वर्ष की कालावधि के लिए भूमिस्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस पर खेती की व्यवस्था कर सकेगा ।

(2) जहां भूमिस्वामी या भूमि के लिए विधि पूर्वक हकदार कोई अन्य व्यक्ति, उस तारीख के जिसको कि तहसीलदार ने उस भूमि का कब्जा लिया हो, आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि के लिए दावा करता है, वहां वह भूमि, शोध्यों का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिये जाने पर तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसी कि तहसीलदार ठीक समझे, उसे वापस दिला दी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि कोई दावा किया जाता है और वह नामंजूर कर दिया जाता है तो तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह ठीक समझे, उस खाते को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश करेगा और वह खाता ऐसी तारीख से जो कि उस आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार में पूर्णरूप से निहित हो जाएगा ।

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

175. Right of way to relinquished land.— If any person relinquishes his right to land, the way which lies through other land retained by him any, future holder of the land relinquished shall be entitled to a right of way through the land retained.

176. '[Abandonment of holding- (1) If a Bhumiswami ceases to cultivate his holding for five years either by him self or by some other person, does not pay land revenue and has left the village in which he usually resides, the Tahsildar may, after such enquiry as he may deem necessary, take possession of the land comprising the holding and arrange for its cultivation by letting it out on behalf of the Bhumiswami for a period of one agricultural year at a time.

(2) Where the Bhumiswami or any other person lawfully entitled to the land claims it within a period of five year from the commencement of the agricultural year next following the date on which the Tahsildar took possession of the land, it shall be restored to him on payment of the dues, if any, and on such terms and conditions as the Tahsildar may think fit.

(3) Where no claim is preferred under sub-section (2) or if a claim is preferred under disallowed, on the receipt of a report from Tahsildar, the Sub-Divisional Officer, after making such enquiry, as he may deem fit, shall make an order declaring the holding abandoned and the holding shall vest absolutely in the State Government, from such as may be specified in that behalf in the order.

(4) Where a holding is declared abandoned under sub-section (3), the liability of the Bhumiswami for the arrears

(4) जहां कोई खाता उपधारा (3) के अधीन परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है, वहां राजस्व की उस बकाया के संबंध में जो कि उस खाते के बाबत उस भूमिस्वामी से शोध्य हों, उस भूमिस्वामी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।]

177. खातों का निपटारा — (1) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी, जिसकी भूमि पर धारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, या जो भूमि को निवास के प्रयोजनों के लिये धारण करता है, किन्हीं ज्ञात वारिसों के बिना मर जाय, तो ' [तहसीलदार] उसकी भूमि का कब्जा ले लेगा और उसे एक बार में एक वर्ष की कालावधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा ।

(2) यदि ' [तहसीलदार] द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उस खाते को उसे वापस दिलाये जाने के लिये आवेदन करता है; तो ' [तहसीलदार] ऐसी जाच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे दावेदार को उस भूमि का कब्जा दिलवा सकेगा या उसका दावा नामंजूर कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित ' [तहसीलदार] का आदेश अपील या पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं होगा किंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो ' [तहसीलदार] का आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अपना हक स्थापित करने के लिये सिविल वाद फाइल कर सकेगा, और ऐसा वाद फाइल कर दिये जाने की दशा में ' [तहसीलदार] उपधारा (1) में उपबधित किये गये अनुसार भूमि को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक कि उस वाद का विनिश्चय न हो जाये ।

(4) यदि ' [तहसीलदार] द्वारा उस भूमि का कब्जा लिये जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर

of revenue due from him in respect thereroft shall stand discharged.]

177. **Disposal of holdings.** — (1) If a bhumiswami whose land has been assessed for the purpose of agriculture under Section 59, or who holds land for dwelling purposes, dies, without known heirs, the ' [Tahsildar] shall take possession of his land and may lease it for a period of one year at a time.

(2) If within three years of the date on which the ' [Tahsildar] takes possession of the land any claimant applies for the holding being restored to him, the ' [Tahsildar] may, after such enquiry as he thinks fit, place such claimant in possession of the land or reject his claim.

(3) The order of the ' [Tahsildar] passed under sub-section (2) shall not be subject to appeal or revision but any person whose claim is rejected under sub-section (2) may, within one year from the date of the communication of the order of the ' [Tahsildar] file a civil suit to establish his title, and if such suit is filed, the ' [Tahsildar] shall continue to lease out the land as provided in sub-section (1) till the decision of the suit.

(4) If no claimant appears within three years from the date on which the ' [Tahsildar] took possession of the land or if a claimant whose claim have been

1. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted Act No. 24 of 1961.

कोई दावेदार सामने नहीं आता है या यदि वह दावेदार, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, उपधारा (3) में उपबंधित किये गये अनुसार एक वर्ष के भीतर वाद फाइल नहीं करता है, तो ¹ [तहसीलदार] मृत भूमिस्वामी के उस खाते में के अधिकार को नीलामी द्वारा बेच सकेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा दावेदार, जो उस भूमि में, जिसके कि संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है, अपना हक स्थापित कर देता है, उपधारा (1) के अधीन देय लगान, तथा उपधारा (4) के अधीन उगाहे गये विक्रय आगमों का ही हकदार होगा और उसमें से उस खाते पर भू-राजस्व के मद्द शोध्य समस्त राशियां तथा प्रबंध और विक्रय के व्यय काट लिये जाएंगे ।

178. खाते का विभाजन. — (1) यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा:

² [परंतु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल वाद का संरित्थित किया जाना सुकर हो जाय ॥]

³ (1-क) यदि कोई सिविल वाद उपधारा (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर फाइल कर दिया जाय, और सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो तहसीलदार अपनी कार्यवाहियों को सिविल न्यायालय का विनिश्चय होने तक रोक रखेगा। यदि कोई सिविल वाद उक्त कालावधि के भीतर फाइल न किया जाय, तो वह रोक रखने के आदेश को अभिशून्य कर देगा और खाते के विभाजन की

rejected under sub-section (2) does not file a suit within one year as provided in sub-section (3), the ¹ [Tahsildar] may sell the deceased bhumiswami's right in the holding by auction.

(5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force a claimant who establishes his title in land which has been dealt with in accordance with the provisions of this section, shall be entitled only to the rents payable under sub-section (1) and the sale proceeds realized under sub-section (4) less all sums due on the holding on account of land revenue and the expenses of management and sale.

178. Partition of holding. — (1) If in any holding, which has been assessed for purpose of agriculture under Section 59, there are more than one bhumiswami any such bhumiswami may apply to a Tahsildar for a partition of his share in the holding:

² [Provided that if any question of title is raised the Tahsildar shall stay the proceeding before him for a period of three months to facilitate the institution of a civil suit for determination of the question of title.]

³ (1-A) If a civil suit is filed within the period specified in the proviso to sub-section (1), and stay order is obtained from the Civil Court, the Talisildar shall stay his proceedings pending the decision of the Civil Court. If no civil suit is filed within the said period, he shall vacate the stay order and proceed to partition the holding in accordance with the entries in the record of rights]

1. Substituted Act No. 24 of 1961.

2. Inserted by Act No. 18 of 1978.

1. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1978 द्वारा अंत स्थापित।

कार्यवाही अधिकार अभिलेख में की प्रविष्टियों के अनुसार करेगा ।]

(2) तहसीलदार, सह-भूधारियों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा ।

(3) ¹ [विलोपित]

(4) ¹ [विलोपित]

(5) ¹ [विलोपित]

स्पष्टीकरण।— (एक) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, भूमिस्वामी के खाते के किसी भी ऐसे सह-अंशधारी को, जिसने किसी सक्षम सिविल न्यायालय से ऐसे खाते में के अपने हक के सम्बन्ध में घोषणा प्राप्त कर ली हो, ऐसे खाते का सह-भूधारी समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण (दो) — ¹ [विलोपित]

² [178-क. भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन।—(1) यदि कोई भूमिस्वामी धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित अपने खाते या उसके किसी भाग को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है तो वह ऐसे खाते या उसके भाग के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) तहसीलदार, विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस खाते को या उसके भाग को विभाजित कर सकेगा और निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा ।

179. खाते में के वृक्षों पर अधिकार — (1)
धारा 240 तथा 241 के उपबंधों के अध्यधीन रहते

1. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 द्वारा लोप ।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) The Tahsildar, may, after hearing the co-tenure holders, divide the holding and apportion the assessment of the holding in accordance with the rules made under this Code.

(3) ² [Deleted]

(4) ² [Deleted]

(5) ² [Deleted]

Explanation I.—For purposes of this section any co-sharer of the holding of a bhumiswami who has obtained a declaration of his title in such holding from a competent Civil Court shall be deemed to be a co-tenure holder of such holding.

Explanation II.— [Deleted]

² [178-A. Partition of land in life time of Bhumiswami.—(1) If any Bhumiswami wishes to partition his holding assessed for purpose of agriculture under section 59 or any part thereof amongst his legal heirs during his life time, he may apply for partition of such holding or part thereof to the Tahsildar.

(2) The Tahsildar may after hearing the legal heirs divide the holding or part thereof and apportion the assessment in accordance with the rules made under this Code.]

179. Rights to trees in holding. — (1)
Subject to the provisions of Sections 240

1. Deleted by Act No. 25 of 1964.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

हुए वे समस्त वृक्ष जो भूमिस्वामी के खाते में खड़े हों, उस भूमिस्वामी के ही होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात भूमिस्वामी के खाते में खड़े हुए वृक्षों में के किसी ऐसे अधिकार पर, जो उस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हो, प्रभाव नहीं डालेगी, किंतु भूमिस्वामी ऐसे अधिकार का मूल्य नियत किये जाने के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा और उस अधिकार को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, तहसीलदार की मार्फत क्रय कर सकेगा ।

180. वृक्षों के अन्तरण पर निर्बन्धन— (1) भूमिस्वामी द्वारा अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि पर खड़े हुये वृक्षों का अन्तरण वृक्षों की उपज के अन्तरण को छोड़कर शून्य होगा, जब तक कि भूमि ही अन्तरित न कर दी जाये ।

(2) ऐसे वृक्ष, जो किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट किसी भूमि में खड़े हुए हों, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में अथवा किसी राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंधों के अनुसरण में किये गये किसी आदेश के अधीन तब तक कुर्क नहीं किये जायेंगे या बेचे नहीं जायेंगे जब तक कि वह भूमि ही कुर्क न कर ली जाय या बेच न दी जाये ।

अध्याय -13

सरकारी पट्टेदार तथा सेवा भूमि

181. सरकारी पट्टेदार— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है या जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूमि को दखल में लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है और जो भूमि को भूमिस्वामी के रूप में धारण करने का हकदार नहीं है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सरकारी पट्टेदार कहलायेगा ।

and 241 all trees standing in the holding of a bhumiswami shall belong to him.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect any right in trees in the holding of a bhumiswami in favour of any person existing on the date of the coming into force of this Code, but the bhumiswami may apply to the Tahsildar to fix the value of such right and purchase the right through the Tahsildar in such manner as may be prescribed.

180. Restriction on transfer of trees.—

(1) The transfer by a bhumiswami of any trees standing in any land comprised in his holding except the produce of such trees shall be void unless the land itself is transferred.

(2) Trees standing in any land comprised in the holding of a bhumiswami shall not be attached or sold in execution of a decree or order of a Civil Court or under an order of a Revenue Officer or under an order made in pursuance of any provisions of any law for the time being in force unless the land itself is attached or sold.

CHAPTER XIII GOVERNMENT LESSEES AND SERVICE LAND

181. Government Lessees.— (1) Every person who holds land from the State Government or to whom a right to occupy land is granted by the State Government or the Collector and who is not entitled to hold land as a bhumiswami shall be called a Government lessee in respect of such land.

(2) Every person who at the coming into force of this Code —

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय –

- (क) मध्यभारत क्षेत्र में कोई भूमि मध्यभारत भू-आगम एवं कृषिकाधिकार विधान संवत् 2007 (क्रमांक 66 सन् 1950) में यथा परिभाषित साधारण कृषक के रूप में धारण करता है; या
- (ख) विन्ध्यप्रदेश में कोई भूमि विन्ध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्रमांक 3, सन् 1955) में यथा परिभाषित विशेष कृषक के रूप में या कोई ऐसा निकुञ्ज या तालाब या ऐसी भूमि, जो सरकारी या सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित कर ली गई है या अपेक्षित है, गैर हकदार कृषक के रूप में धारण करता है; या
- (ग) सिरोज क्षेत्र में कोई भूमि राज्य सरकार से राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित गैर हकदार कृषक के रूप में धारण करता है;

ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार समझा जायेगा ।

(3) ॥ विलोपित ॥

² 181-क. फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिस्वामी होगा।— प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व भूमि में फ्री-होल्ड अधिकार रखता है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा ।]

182. सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व।— (1) सरकारी पट्टेदार, इस संहिता में के किन्हीं अभिव्यक्त उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपनी भूमि उस अनुदान के, जो कि सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (1895 का संख्यांक 15) के अर्थ के अंतर्गत अनुदान समझा जायेगा, निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार धारण करेगा ।

- (a) holds any land in the Madhya Bharat region as an ordinary tenant as defined in the Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat 2007 (66 of 1950); or
- (b) holds any land in the Vindhya Pradesh region as a special tenant as defined in the Vindhya Pradesh Land Revenue and Tenancy Act, 1953 (III of 1955), or as a gair haqdar tenant any grove or tank or land which has been acquired or which is required for Government or public purposes; or
- (c) holds any land from the State Government in the Sironj region as a gair haqdar tenant as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (3 of 1955); Shall be deemed to be a Government lessee in respect of such land.

(3) [Deleted]

² 181-A. Person having Free hold right shall be Bhumiswami- Every person, who holds land in free hold right immediately prior to the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall be the Bhumiswami of such land.]

182. Rights and liabilities of a Government lessee.—(1) A Government lessee shall, subject to any express provisions in this Code, hold his land in accordance with the terms and conditions of the grant, which shall be deemed to be a grant within the meaning

1. Deleted by Act No. 25 of 1964.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(2) सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से, ^२[कलेक्टर] के आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा अर्थात्:—

- (एक) यह कि उसने लगान का उस तारीख से, जिसको वह शोध्य हो गया था, तीन मास की कालावधि तक भुगतान नहीं किया है; या
- (दो) यह कि उसने ऐसी भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों से, जिनके कि लिये वह प्रदान की गई थी, भिन्न प्रयोजनों के लिये किया है;
- (तीन) यह कि उसके पट्टे की अवधि का अवसान हो चुका है; या
- (चार) यह कि उसने अनुदान के किसी निव्वधन तथा शर्त का उल्लंघन किया है: परंतु इस उपधारा के अधीन किसी सरकारी पट्टेदार को बेदखल करने के लिए कोई आदेश उसे अपनी प्रतिरक्षा में सुने जाने का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

¹183. सेवा भूमि.— (1) कोटवार के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर देता है।

(2) सेवा भूमि में किसी कोटवार को ऐसा अधिकार, किसी विक्रय, दान, बंधक, उप-पट्टे द्वारा या अन्यथा, एक वर्ष से अनधिक कालावधि तक के उप-पट्टे के सिवाय, न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अन्तरणीय होगा।

(3) यदि कोटवार की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है, या विधिपूर्वक पदच्युत कर दिया जाता है तो सेवा भूमि उसके उत्तरवर्ती को सक्रात हो जाएगी।

of the Government Grants Act, 1895 (XV of 1895).

(2) A Government lessee may be ejected from his land by order of a ²[collector] on one or more of the following grounds, namely:—

- (i) that he has failed to pay the rent for a period of three months from the date on which it became due; or
- (ii) that he has used such land for purposes other than for which it was granted; or
- (iii) that the term of his lease has expired; or
- (iv) that he has contravened any of the terms and conditions of the grant:

Provided that no order for ejectment of a Government lessee under this sub-section shall be passed without giving him an opportunity of being heard in his defence.

¹183. Service land- (1) Any person holding land on the condition of rendering service as a Kotwar shall cease to be entitled to such land if he diverts such land to non-agricultural purposes.

(2) Any right of a Kotwar in the service land shall not be transferred nor be transferable by way of sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise except by a sub-lease for a period not exceeding one year.

(3) If a Kotwar dies, resigns or is lawfully dismissed, the service land shall pass to his successor-in-office.

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षित।

(4) किसी कोटवार का ऐसी भूमि पर अधिकार किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाएगा या बेचा नहीं जाएगा और न ही ऐसी भूमि का प्रबंध करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन कोई रिसीवर नियुक्त किया जाएगा ।

(5) यदि कोई कोटवार उपधारा (1) और (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो इस संहिता या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सेवा भूमि तहसीलदार के आदेश द्वारा उससे वापस ली जा सकेगी और उस कोटवार या किसी अन्य किसी व्यक्ति को, जो अप्राधिकृत रूप से उस भूमि पर लगातार कब्जा बनाए रखता है, धारा 248 के अधीन बेदखल किया जा सकेगा ।

(6) ऐसी सेवा भूमियाँ जो –

- (क) नगरीय क्षेत्र में;
- (ख) ऐसे क्षेत्र में, जिसके लिए विकास योजना अनुमोदित की गई है ; या
- (ग) ऐसे क्षेत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की बाह्य सीमा से बाहर अवस्थित है,

¹[xxx] सेवा भूमि नहीं रह जाएगी और तहसीलदार भू-अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन कराएगा ।

184. ² [विलोपित]

² [अध्याय – 14

मौरूसी (दखलकार) कृषक

185 ² [विलोपित]

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा लोप ।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

(4) The right of a Kotwar in such land shall not be attached or sold in execution of a decree nor shall a receiver be appointed to manage such land under section 51 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908).

(5) If a Kotwar contravenes or attempt to contravene the provisions of sub-section (1) and (2), without prejudice to any action that may be taken against him under the provisions of this Code or any other law, such service land may be taken back from him by the order of the Tahsildar and the Kotwar or any other person who unauthorisedly continue to remain in possession of the land may be ejected under section 248.

(6) The service lands situated -

- (a) in an urban area;
- (b) in such area for which development plan has been approved; or
- (c) in such area beyond the outer limit of urban area, as notified by the State Government,

shall cease to be service land ¹[xxx] and the Tahsildar shall cause necessary changes in the land records.]

184 ² [Deleted]

² [CHAPTER - XIV OCCUPANCY TENANTS

185 ² [Deleted]

1. Deleted by Act No. 14 of 2020.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.

186.	'[विलोपित]	186-	'[Deleted]
187.	'[विलोपित]	187-	'[Deleted]
188.	'[विलोपित]	188-	'[Deleted]
189.	'[विलोपित]	189-	'[Deleted]
190.	'[विलोपित]	190-	'[Deleted]
191.	'[विलोपित]	191-	'[Deleted]
192.	'[विलोपित]	192-	'[Deleted]
193.	'[विलोपित]	193-	'[Deleted]
194.	'[विलोपित]	194-	'[Deleted]
195.	'[विलोपित]	195-	'[Deleted]
196.	'[विलोपित]	196-	'[Deleted]
197.	'[विलोपित]	197-	'[Deleted]
198.	'[विलोपित]	198-	'[Deleted]
199.	'[विलोपित]	199-	'[Deleted]
200.	'[विलोपित]	200-	'[Deleted]
201.	'[विलोपित]	201-	'[Deleted]
202.	'[विलोपित]	202.	'[Deleted]

2। अस्थाई उपबंधः— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) की धारा 94 के अनुसार—

उक्त अध्याय का लोप होते हुये भी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने के पूर्व मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी या किसी प्राधिकारी के समक्ष मौरसी कृषक से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही लंबित है तो वह मण्डल या राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे सुनी और

[Transitory Provision:- According to section 94 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (NO. 23 of 2018)

Notwithstanding the deletion of the said chapter, any case of proceeding regarding occupancy tenant pending before the Board or any Revenue Officer or any authority before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act. 2018 shall be heard and decided by the Board or such Revenue Officer or

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा स्थापित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

विनिश्चित की जाएंगी मानो कि संशोधन अदि नियम पारित नहीं हुआ है।]

authority, as if the said Amendment Act had not been passed.]

अध्याय-15

जलोढ़ तथा जल-प्लावन

[203. जलोढ़ तथा जल-प्लावन .— (1) किसी तट पर बनी जलोढ़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, किन्तु ऐसे तट से लगी हुई भूमि का भूमिस्वामी, यदि कोई हो, उसके खाते में इस प्रकार बढ़ गई जलोढ़ भूमि का उपयोग भू-सर्वेक्षण होने तक तब तक भू-राजस्व का भुगतान किए बिना करने का हकदार होगा जब तक कि उसके खाते में बढ़ गया क्षेत्रफल आधा हेक्टर से अधिक न हो जाए।

(2) जहां जल-प्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में अधे हेक्टेयर से अधिक की कमी हो जाए, वहां ऐसे खाते के संबंध में देय भू-राजस्व कम कर दिया जाएगा।]

204. निर्धारण करने तथा विवादों को विनिश्चित करने की शक्ति— (1) उपखंड अधिकारी को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, यह शक्ति होगी कि वह भू-राजस्व में ऐसी समस्त वृद्धि तथा कमी को, जो कि इस अध्याय के अधीन अपेक्षित है या अनुज्ञात है, निर्धारित करे।

(2) उपखंड अधिकारी को यह भी शक्ति होगी कि वह जलोढ़ भूमि के वितरण से सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को, जो ऐसी भूमि का दावा करने वाले विभिन्न भूमिस्वामियों के बीच उद्भूत हो, विनिश्चित करे।

CHAPTER - XV ALLUVION AND DILUVION

[203. Alluvion and diluvion— (1) Alluvial land formed on any bank shall vest in the State Government but the Bhumiswami, if any, of the land adjoining such bank shall be entitled to the use of the alluvial land so added to his holding free from the payment of land revenue till the land survey is undertaken, unless the area added to his holding exceeds half hectare.

(2) Where any holding is diminished in area by diluvion to an extent greater than half hectare, the land revenue payable on such holding shall be reduced.]

204. Power to make assessment and decide disputes. — (1) The Sub-Divisional Officer shall have power, subject to rules made under this Code, to assess all increase and reduction in land revenue which are required or permitted under this Chapter.

(2) The Sub-Divisional Officer shall also have power to decide any dispute which may arise relating to the distribution of alluvial land among the various bhumiswamis claiming such land.

अध्याय-16

खातों की चकबन्दी

205. परिमाणाएँ— इस अध्याय में—

(एक) “खातों की चकबन्दी” से अभिप्रेत है, किसी ग्राम में की समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण कि जिससे खेतों की सूविधा के लिये भूमिस्वामियों को लगे हुए भू खण्ड आवंटित हो जाएँ।
 (दो) “चकबन्दी अधिकारी” से अभिप्रेत है, तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे इस संहिता के अधीन चकबन्दी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी जिले या किन्हीं जिलों के लिये नियुक्त किया गया हो।

206. चकबन्दी की कार्यवाहियों का शुरू किया जाना— (1) किसी ग्राम के कोई भी दो या अधिक भूमिस्वामी, जो परस्पर मिलकर धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से अन्यून भूमि धारण करते हों, अपने खातों की चकबन्दी के लिये चकबन्दी अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेंगे जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ कथित की जायेंगी जो धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें।

(2) कलेक्टर स्वप्रेरणा से चकबन्दी अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी ग्राम में खातों की चकबन्दी साध्य होने के बारे में जांच करे।

(3) यदि किसी ग्राम के दो—तिहाई भूमिस्वामी अपने खातों की चकबन्दी के लिये आवेदन करें या यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किये किसी आवेदन के सम्बन्ध में जांच के अनुक्रम में उस ग्राम के दो—तिहाई भूमिस्वामी अपने खातों की चकबन्दी के लिये सहमत होते हुए आवेदन करें तो ऐसा आवेदन उस ग्राम के

CHAPTER XVI

CONSOLIDATION OF HOLDINGS

205. Definitions. — In this Chapter —

- (i) “Consolidation of holding” means the redistribution of all or any of the land in a village, so as to allot to the bhumiswami continuous plots of land for the convenience of cultivation;
- (ii) “Consolidation Officer” means a Revenue Officer, not below the rank of a Tahsildar, appointed by the State Government for any district or districts to exercise the powers, and to perform the duties of a Consolidation Officer under this Code.

206. Initiation of consolidation proceedings. — (1) Any two or more bhumiswamis in a village holding together not less than the minimum area of land prescribed by rules made under Section 221, may apply in writing stating such particulars as may be prescribed by rules made under-Section 221, to the Consolidation Officer for the consolidation of their holdings.

(2) The Collector may of his own motion direct the Consolidation Officer to make an enquiry into the feasibility of consolidation of holdings in any village.

(3) If two-thirds of the bhumiswamis in a village apply for consolidation of their holdings or if in the course of an enquiry into an application made under sub-section (1) or sub-section (2) two-thirds of the bhumiswamis of the village make an application agreeing to the consolidation of their holdings, such

समस्त भूमिस्वामियों की ओर से किया गया आवेदन समझा जायेगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन आने वाले किसी मामले में, खातों की चकबन्दी की किसी स्कीम की पुष्टि कर दी जाय, तो वह उस ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों पर तथा किन्हीं भी ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि उस भूमि को धारण करने या दखल में लेने के लिए बाद में हकदार हो जाएँ, आबद्धकर होगी।

(5) यदि किसी अन्य मामले में, खातों की चकबन्दी की किसी स्कीम की पुष्टि कर दी जाय, तो वह आवेदकों पर तथा उन व्यक्तियों पर, जो कि अपने खातों की चकबन्दी के लिये सहमत हो गये हों तथा किन्हीं भी ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि उस स्कीम से प्रभावित भूमि को धारण करने या दखल में लेने के लिये बाद में हकदार हो जाएँ, आबद्धकर होगी।

207. आवेदन का नामन्जूर किया जाना — (1) यदि किसी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर या उस आवेदन पर की जा रही कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, आवेदन को नामन्जूर करने, या किसी आवेदक के मामले को, उस पर विचार करने से अपवर्जित किये जाने के लिये अच्छा तथा पर्याप्त कारण प्रतीत होता हो तो चकबन्दी अधिकारी वह आवेदन कलेक्टर को इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत कर सकेगा कि उस आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामन्जूर कर दिया जाय, या यह कि कार्यवाहियाँ मंसूख कर दी जाएँ।

(2) कलेक्टर, उस सिफारिश के प्राप्त होने पर, उसे स्वीकार कर सकेगा और तदनुसार आदेश पारित कर सकेगा या अतिरिक्त जांच के लिये आदेश दे सकेगा।

208. आवेदन का ग्रहण किया जाना — यदि चकबन्दी अधिकारी आवेदन ग्रहण कर लेता है, तो वह उसके सम्बन्ध में उस प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा जो कि इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अधिकथित है।

application shall be deemed to be the application on behalf of all the bhumiswamis of the village.

(4) If in a case falling under sub-section(3), any scheme of consolidation of holdings is confirmed, it shall be binding on all the bhumiswamis of the village, and on any person who may subsequently be entitled to hold or occupy the land.

(5) In any other case, if any scheme of consolidation of holdings is confirmed, it shall be binding on the applicants and those who have agreed to the consolidation of their holdings and on any person who may subsequently be entitled to hold or occupy the land affected by the scheme.

207. Rejection of application. — (1) If on receipt of any such application or at any stage of the proceedings thereon, there appears to be good and sufficient reason for disallowing the application or for excluding the case of any applicant from consolidation, the Consolidation Officer may submit the application to the Collector with a recommendation that the application be rejected in whole or in part, or that the 'proceedings be quashed.

(2) The Collector, on receipt of the recommendation, may accept it and pass orders accordingly or may order further inquiry.

208. Admission of application. — If the Consolidation Officer admits the application, he shall proceed to deal with the same in accordance with the procedure laid down by or under this Code.

209. खातों की चकबन्दी के लिये स्कीम तैयार किया जाना — (1) यदि धारा 206 के अधीन आवेदन करने वाला भूमिस्वामी खातों की चकबन्दी की कोई ऐसी स्कीम प्रस्तुत करता है जिसके कि सम्बन्ध में पारस्परिक करार हो गया हो, तो चकबन्दी अधिकारी, धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकथित रीति में, उसकी परीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे उपान्तरित करेगा ।

(2) यदि आवेदन के साथ कोई स्कीम प्रस्तुत न की जाय, तो चकबन्दी अधिकारी खातों की चकबन्दी के लिये एक स्कीम धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकथित रीति में तैयार करेगा ।

(3) यदि चकबन्दी अधिकारी की यह राय हो कि चकबन्दी की किसी स्कीम के अनुसार भूमि के पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप किसी भूमिस्वामी के आवंटन में कोई ऐसा खाता या भूमि आवेगी जिसका कि बाजार मूल्य या उत्पादी मूल्य उसके मूल खाते या भूमि के बाजार मूल्य या उत्पादी मूल्य की अपेक्षा कम है, तो उस स्कीम में यह उपबंध हो सकेगा कि ऐसे भूमिस्वामी को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी निर्देशित करे, प्रतिकर का भुगतान किया जाय ।

(4) जब चकबन्दी की स्कीम पूरी हो जाय, तो चकबन्दी अधिकारी, स्कीम के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने तथा यथासम्भव उनका निराकरण करने के पश्चात् उस स्कीम को उसकी पुष्टि की जाने के लिये कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

(5) जब चकबन्दी की स्कीम पूरी हो जाय, और यदि ऐसी स्कीम से प्रभावित समस्त भूमिस्वामी, उस स्कीम के अधीन उन्हें आविटित किये गये खातों का कब्जा लेने के लिये सहमत हो जाएं, तो चकबन्दी अधिकारी उनकी स्कीम में वर्णित की जाने वाली तारीख से ऐसा कब्जा लेने के लिये उन्हें अनुज्ञात कर सकेगा ।

209. **Preparation of scheme for consolidation of holdings.** — (1) If the bhumiswamis making the application under Section 206 submit a scheme of consolidation of holdings mutually agreed to, the Consolidation Officer, shall, in the manner laid down by rules made under Section 221 examine it and, if necessary, modify it.

(2) If no scheme is submitted with the application, the Consolidation Officer shall prepare a scheme for the consolidation of holdings in the manner laid down by rules made under Section 221.

(3) If the Consolidation Officer is of the opinion that the re-distribution of land in accordance with a scheme of consolidation will have the result of allotting to any bhumiswami a holding or land of a less market or productive value than that of his original holding or land, the scheme may provide for the payment of compensation to such bhumiswami by such person or persons as the Consolidation Officer may direct.

(4) Where the scheme of consolidation is complete, the Consolidation Officer, after considering and as far as possible removing the objections, if any, made to the scheme, shall submit it for confirmation to the Collector.

(5) When the scheme of consolidation is complete, and if all the bhumiswamis affected by such scheme, agreed to enter into possession of the holdings allotted to them thereunder, the Consolidation Officer may allow them to enter into such possession from a date to be mentioned in the scheme.

210. स्कीम की पुष्टि— कलेक्टर चकबन्दी की स्कीम के सम्बन्ध में की गई आपत्ति या आपत्तियों, यदि कोई हों, पर तथा चकबन्दी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् या तो स्कीम की, उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना पुष्टि कर सकेगा या उसकी पुष्टि करने से इन्कार कर सकेगा । कलेक्टर का विनिश्चय, किसी भी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो कि 'आयुक्त] द्वारा पुनरीक्षण में धारा 50 के अधीन पारित किया जाय, अन्तिम होगा ।

211. पुष्टि हो जाने पर प्रक्रिया — (1) चकबन्दी की स्कीम की पुष्टि हो जाने पर, चकबन्दी अधिकारी यदि आवश्यक हो, खातों का सीमांकन करेगा तथा अन्तिम रूप से किये विनिश्चयों को आख्यापित करने की कार्यवाही करेगा और स्कीम के अनुसार नया खेत का नक्शा, अधिकार-अभिलेख, धारा 114 के अधीन विहित अन्य अभिलेख, निस्तार-पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज तैयार करवायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे यथास्थिति अध्याय-9 या अध्याय-18 के अधीन तैयार किये गये हैं ।

212. खातों के कब्जे के सम्बन्ध में भूमिस्वामियों के अधिकार — चकबन्दी की स्कीम से प्रभावित भूमिस्वामी, यदि उन्होंने धारा 209 की उपधारा (5) के अधीन कब्जा न लिया हो, स्कीम की पुष्टि होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से उन खातों के कब्जे के लिये हकदार होंगे जो कि स्कीम के अधीन उनको आवंटित किये गए हों; और चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो, उनको उन खातों का जिनके कि वे हकदार हैं, कब्जा वारंट द्वारा दिलवायेगा:

210. Confirmation of scheme.—The Collector may either confirm the scheme with or without modification or refuse to confirm it after considering the objection or objections, if any, to the scheme of consolidation and the recommendation of the Consolidation Officer. The decision of the Collector, subject to any order that may be passed in revision by the ¹ [Commissioner] under Section 50, shall be final.

211. Procedure on confirmation.—(1) Upon confirmation of the scheme of consolidation, the Consolidation Officer shall, if necessary, demarcate the boundaries of the holdings and shall proceed to announce the decisions finally made and cause to be prepared in accordance with the scheme, a new field map, record-of-rights, other records prescribed under Section 114, Nistar Patrak and Wajib-ul-arz.

(2) The new records prepared under sub-section (1) shall be deemed to have been prepared under Chapter IX or XVII, as the case may be.

212. Right of bhumiswamis to possession of holdings.— The bhumiswami affected by the scheme of consolidation, if they have not entered into possession under sub-section (5) of Section 209, shall be entitled to possession of the holdings allotted to them under the scheme, from the commencement of the agricultural year next following confirmation; and the Consolidation Officer shall, if necessary, put them, by warrant in possession of the holdings to which they are entitled:

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

परन्तु यदि समस्त भूमिस्वामी सहमत हो जाएँ, तो उन्हें स्कीम की पुष्टि होने के पश्चात् चकबन्दी अधिकारी द्वारा उनके खातों का कब्जा किसी पूर्वतर तारीख से भी दिलाया जा सकेगा ।

213. भूमिस्वामियों के उनके खातों में के अधिकारों का अन्तरण — इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमिस्वामियों के उनके खातों में के अधिकार, चकबन्दी की किसी ऐसी स्कीम को, जो कि उन पर प्रभाव डालती हो, कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनियम द्वारा या अन्यथा अन्तरणीय होंगे और कोई भी व्यक्ति, इस बात का हकदार नहीं होगा कि वह उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी अन्तरण के सम्बन्ध में, आपत्ति करे या उसमें हस्तक्षेप करे ।

(2) चकबन्दी अधिकारी, राज्य सरकार की किसी भूमि को भी विनियम द्वारा या अन्यथा अन्तरित कर सकेगा, जहां कि ऐसा अन्तरण चकबन्दी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

214. अन्तरण प्रभावान्वित करने के लिये लिखत आवश्यक नहीं होगी — तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी —

(क) किसी ऐसे अन्तरण को जिसमें खातों की चकबन्दी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करना अन्तर्वलित है, प्रभावान्वित करने के लिये कोई लिखत आवश्यक नहीं होगी, और

(ख) किसी भी ऐसी लिखत का, यदि वह निष्पादित की गई हो, रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा ।

215. स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च— (1) चकबन्दी अधिकारी, जब तक कि राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा निदेशित न करे, स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च, जो कि धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों के

Provided that if all the bhumiswamis agree, they may, after confirmation, be put into possession of their holdings by the Consolidation Officer from any earlier date.

213. Transfer of rights of bhumiswamis in holdings. — (1) Notwithstanding anything contained in this Code, the rights of bhumiswamis in their holdings shall, for the purpose of giving effect to any scheme of consolidation affecting them, be transferable by exchange or otherwise and no person shall be entitled to object to or interfere with any transfer made for the said purpose.

(2) The Consolidation Officer may also transfer by exchange or otherwise any land belonging to the State Government where such transfer is necessary for the purpose of giving effect to any scheme of consolidation.

214. No instrument necessary to effect transfer. — Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force —

(a) no instrument in writing shall be necessary in order to give effect to a transfer involved in carrying out any scheme of consolidation of holdings; and

(b) no such instrument, if executed, shall require registration.

215. Costs of carrying out scheme. —

(1) The Consolidation Officer shall, unless the State Government for sufficient reasons directs otherwise, recover from the bhumiswamis whose holdings are affected by the scheme for consolidation of holdings, the cost of

अनुसार निर्धारित किये जायेंगे, उन भूमिस्वामियों से वसूल करेगा, जिनके कि खाते, खातों की चकबन्दी की स्कीम द्वारा प्रभावित होते हों।

(2) चकबन्दी अधिकारी, उन भूमिस्वामियों के दीच खर्च का प्रभाजन, जो कि उसका भुगतान करने के दायित्वाधीन हों, ऐसी स्कीम से प्रभावित खातों के उस क्षेत्रफल के अनुसार करेगा जो कि ऐसे भूमिस्वामियों के दखल में हैं।

216. प्रतिकर तथा खर्च की वसूली.—कोई रकम, जो धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में, या धारा 215 के अधीन खर्च के रूप में देय हो, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

217. विभाजन कार्यवाहियों का चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान निलंबन— जब खातों की चकबन्दी के लिए आवेदन धारा 208 के अधीन ग्रहण कर लिया गया हो, तो खातों के विभाजन के लिये कोई भी कार्यवाहियाँ जो चकबन्दी की स्कीम पर प्रभाव डालती हों, प्रारम्भ नहीं की जायेगी और लम्बित समस्त ऐसी कार्यवाहियां चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान प्रारंभित रहेंगी।

218. कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति का अन्तरण.— जब खातों की चकबन्दी के लिये कोई आवेदन ग्रहण कर लिया गया हो, तो किसी ऐसे भूमिस्वामी को, जिस पर स्कीम आबद्धकर होगी, यह शक्ति नहीं होगी कि वह चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान, अपने मूल खाते या भूमि के किसी भाग को इस प्रकार अन्तरित करे या उसके सम्बन्ध में अन्यथा इस प्रकार कार्यवाही करे कि जिससे चकबन्दी की स्कीम के अधीन किसी अन्य भूमिस्वामी के तत्सम्बन्धी अधिकारों पर प्रभाव पड़े।

carrying out the scheme, which shall be assessed in accordance with rules made under Section 221.

(2) The Consolidation Officer shall apportion the costs among the bhumiswamis liable to pay them according to occupied area of the holdings affected by the scheme.

216. Recovery of compensation and cost.—Any amount payable as compensation under sub-section (3) of Section 209, or as costs under Section 215, may be recovered as an arrear of land revenue.

217. Suspension of partition proceedings during currency of consolidation proceedings.—When an application for the consolidation of holdings has been admitted under Section 208, no proceedings for partition of the holdings which will affect the scheme of consolidation shall be commenced and all such proceedings pending shall remain in abeyance during the continuation of the consolidation proceedings.

218. Transfer of property during proceedings.— When an application for the consolidation of holdings has been admitted, no bhumiswami upon whom the scheme will be binding shall have power, during the continuance of the consolidation proceedings, to transfer or otherwise deal with any part of his original holding or land so as to affect the rights of any other bhumiswami thereto under the scheme of consolidation.

219. चकबन्दी के पश्चात् भूमिस्वामियों के अधिकार पूर्ववत् बने रहेंगे।—किसी भूमिस्वामी के उस खाते या भूमि में जो चकबन्दी की स्कीम के अनुसरण में उसे आबंटित की गई हो, वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसके मूल खाते में प्राप्त थे।

220. भूमिस्वामियों के विल्लंगम—(1) यदि चकबन्दी की स्कीम के अन्तर्गत लाये गये किसी भूमिस्वामी के खाते पर किसी पट्टे, बन्धक या अन्य विल्लंगम का भार विधि मान्यता है, तो ऐसा पट्टा, बन्धक या आय विल्लंगम अन्तरित कर दिया जायेगा और वह रकीम के अधीन उसे आबंटित किये गये खाते से या उसके ऐसे भाग से सम्बद्ध हो जायेगा जिसे चकबन्दी अधिकारी ने, स्कीम तैयार करते समय, किन्हीं ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि धारा 221 के अधीन बनाये जाएँ, नियत किया हो; और तदुपरि उस भूमि में या उसके प्रति जिस पर से कि पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम अन्तरित कर दिया गया है, यथास्थिति पट्टेदार, बन्धकदार या अन्य विल्लंगमदार का कोई अधिकार नहीं रह जायेगा।

(2) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे पट्टेदार या बन्धकदार या अन्य विल्लंगमदार को, जो कि कब्जे का हकदार हो उस खाते का या खाते के उस भाग का कब्जा जिस पर कि उसका पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम उपधारा (1) से अधीन अंतरित हो गया हो, वारंट द्वारा दिलायेगा।

221. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों के कार्यान्वयन करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार—

219. **Rights of bhumiswamis after consolidation same as before.**—A bhumiswami shall have the same rights in the holding or land allotted to him in pursuance of a scheme of consolidation as he had in his original holding.

220. Encumbrances of bhumiswamis.—

(1) If the holding of any bhumiswami brought under the scheme of consolidation is validly burdened with any lease, mortgage or other encumbrance, such lease, mortgage or other encumbrance, shall be transferred and shall attach to the holding allotted to him under the scheme or to such part of it as the Consolidation Officer, subject to any rules that may be made under Section 221, may have appointed in preparing the scheme; and thereupon, the lessee, mortgagee or other encumbrancer, as the case may be, shall cease to have any right in or against the land from which the lease, mortgage or other encumbrance has been transferred.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or any other enactment for the time being in force the Consolidation Officer shall, if necessary, put any lessee or any mortgagee or other encumbrancer entitled to possession, by warrant, into possession of the holding or part of a holding to which his lease, mortgage or other encumbrance has been transferred under sub-section (1).

221. Power to make rules.—(1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules—

(क) धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा धारण की जाने वाली भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल विहित करते हुए;

(ख) धारा 206 के अधीन किये जाने वाले किसी आवेदन में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियों के लिये उपबन्ध करते हुए;

(ग) खातों की चकबन्दी के लिये आवेदनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में चकबन्दी अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिये और स्कीम की परीक्षा करने या उसे तैयार करने में चकबन्दी अधिकारी की सहायता करने के लिये सलाहकार समिति या पंचायत की नियुक्ति तथा गठन के लिये उपबन्ध करते हुए;

(घ) धारा 209 की उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों में लिये जाने वाले प्रतिकर की अवधारणा करने के लिये;

(ङ) धारा 215 के अधीन खर्च के निर्धारण का विनियमन करने के लिये;

(च) चकबन्दी की किसी स्कीम के अधीन लाये गये विभिन्न खातों तथा भूमियों के बाजार मूल्य या उत्पादी मूल्य का अवधारण करने के लिये;

(छ) धारा 220 के अधीन विल्लंगमों तथा पट्टों के अन्तरण के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी के मार्गदर्शन के लिये; और

(ज) साधारणतः इस अध्याय के अधीन की समस्त कार्यवाहियों में चकबन्दी अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों एवं व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिये, नियम बना सकेगी।

(a) prescribing the minimum area of land to be held by the persons making an application under sub-section (1) of Section 206;

(b) providing for the particulars to be contained in any application made under Section 206;

(c) providing for the procedure to be followed by the Consolidation Officer in dealing with applications for the consolidation of holdings and for the appointment and constitution of any Advisory Committee or Panchayat to assist the Consolidation Officer in the examination or preparation of the scheme;

(d) for determining the compensation to be paid in cases falling under sub-section (3) of Section 209;

(e) for regulating the assessment of costs under Section 215;

(f) for determining the market or productive value of the different holdings and lands brought under any scheme of consolidation;

(g) for the guidance of the Consolidation Officer in respect of the transfer of encumbrances and leases under Section 220; and

(h) generally for the guidance of the Consolidation Officer and other officers and persons in all proceedings under this Chapter.

अध्याय – 17

ग्राम अधिकारी

क-पटेल

222. पटेलों की नियुक्ति – (1) धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यीन रहते हुए, कलेक्टर प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये एक या अधिक पटेल नियुक्त कर सकेगा ।

(2) जब किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों तो कलेक्टर, धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यीन रहते हुए, पटेल के पद के कर्तव्यों का ऐसी रीति में वितरण कर सकेगा, जैसी कि वह उचित समझे ।

¹ (3) जहां विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में कोई पटवारी उन कर्तव्यों का, जो कि इस संहिता के अधीन पटेल पर अधिरोपित किये गये हैं, इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पालन करता रहा है, वहां वह ऐसे कर्तव्यों का तब तक पालन करता रहेगा तथा इस संहिता के प्रयोजनों के लिये तब तक पटेल समझा जायेगा जब तक कि उपर्युक्त (1) के अधीन कोई पटेल नियुक्त न कर दिया जाए ।

223. पटेलों का पारिश्रमिक.— पटेलों का पारिश्रमिक कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हों ।

224. पटेलों के कर्तव्य – प्रत्येक पटेल का यह कर्तव्य होगा कि वह—

² (क) ऐसे वसूली प्रभार की कटौती करने के पश्चात, जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे, भू-राजस्व तथा अन्य संबंधित करों तथा उपकरों जो कि उसके मार्फत

CHAPTER XVII

VILLAGE OFFICERS

A-Patels

222. Appointment of 'patels'. — (1) Subject to rules made under Section 258, the Collector may appoint for each village or group of villages one or more patels.

(2) When there are two or more patels in a village, the Collector may distribute, subject to rules made under Section 258, duties of the office of patel in such manner as he may think fit.

¹[(3) Where in the Vindhya Pradesh region, patwari has been performing the duties imposed on a under this Code immediately before the commencement of this Code, he shall continue to perform such duties and shall be deemed to be Patel for purposes of this Code, until a Patel is appointed under sub-section (1).]

223. Remuneration of patels. — The remuneration of patels shall be fixed by the Collector in accordance with rules made by the State Government.

224. Duties of patels. — It shall be the duty of every patel—

² [(a) to collect land revenue and other related taxes and cesses payable through him and such other government dues ordered to be collected through him after deducting the collection

1. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. Substituted by Act No. 24 of 1961.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

देय हैं, और अन्य शासकीय शोध्य को जो उसके द्वारा संग्रहीत होना आदेशित हैं, संग्रहीत करे तथा शासकीय कोषालय में जमा करें।

(ख) अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट ऐसे रथानों तथा ऐसे समयों पर दे जैसा कि कलेक्टर इस सम्बन्ध में नियत करे;

(ग) ग्रामों में की बंजर भूमि पर लोक पथों तथा सड़कों पर अतिक्रमणों को यथासम्भव रोके;

(घ) सरकारी सेवा में के सर्वेक्षकों द्वारा उसके ग्राम में परिनिर्मित ऐसे आस्थानों तथा सीमा—चिन्हों को, जो कि उसकी देख—रेख के लिये सौपे जाएँ, परिरक्षित करे तथा सीमा—चिन्हों को पहुँचाये गये किसी नुकसान की रिपोर्ट करें;

(ङ) धारा 258 के अधीन बनाये नियमों के अध्याधीन रहते हुए, ग्राम को समुचित स्वच्छ दशा में रखें;

(च) जंगल की अनधिकृत कटाई को या राज्य सरकार के किन्हीं खनिजों या अन्य सम्पत्तियों के अनधिकृत रूप से हटाये जाने को रोकें;

(छ) कोटवार पर नियत्रण रखे तथा उसका अधीक्षण करे, उसकी मूत्र्यु की या उसके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की रिपोर्ट करे तथा ऐसे उपाय करे जो कि कोटवार को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये उसे विवश करने हेतु आवश्यक हो;

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो कि धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाएँ।

charges, as may be determined by the State Government time to time, and pay into the Government treasury;]

(b) to furnish reports regarding the state of his village at such places and times as the Collector may fix in this behalf;

(c) as far as possible to prevent encroachments on waste land, public paths, and roadways in the villages;

(d) to preserve such stations and boundary marks erected in his village by surveyors in the service of Government as may be made over to his care and to report any damage caused to such marks;

(e) subject to rules made under Section 258, to keep the village in good sanitary condition;

(f) to prevent unauthorised cutting of wood or unauthorised removal of any minerals or other properties belonging to the State Government;

(g) to control and superintend the kotwar, to report his death or absence from his duty and to take such steps as may be necessary to compel him to perform his duties;

(h) to perform such other duties as may be prescribed by rules made under Section 258.

225. 1[विलोपित]

225. 1[deleted.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

226. पटेलों को हटाया जाना — धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अध्याधीन रहते हुए, कलेक्टर किसी पटेल को पद से हटा सकेगा ।

227. पटेलों को दण्ड — कोई पटेल, जो धारा 224 ¹[xxx] के अधीन उसे सौंपे गये किसी कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करता हुआ पाया जायेगा वह तहसीलदार के आदेश के अधीन, जुर्माने से, जो ²[एक हजार] रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

228. प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति — जहां कोई पटेल अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थाई रूप से असमर्थ हो, वहां उपर्युक्त अधिकारी उस पटेल के आवेदन पर या अन्यथा, छह मास से अनधिक कालावधि के लिये एक प्रतिस्थानी की नियुक्ति कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिस्थानी, इस संहिता के समस्त प्रयोजनों के लिये, पटेल समझा जायगा ।

229. ग्राम-प्रबन्ध का सौपा जाना — इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी ग्राम का प्रबन्ध या किसी पटेल को सौंपे गये कर्तव्यों का पालन किसी ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहां ¹[xxx] किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगी ।

खा—कोटवार

230. कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य — (1) ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिये जो कि विहित किये जाएँ, प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये एक या अधिक कोटवार धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किये जाएँगे :

¹[विलोपित]

226. Removal of patels. — Subject to rules made under Section 258, the Collector may remove from office any Patel.

227. Punishment of patels.—A Patel who is found negligent in the performance of any duty assigned to him under Section 224 ¹[xxx] shall be liable under the order of the Tahsildar to a fine which may extend to ²[one thousand rupees].

228. Appointment of substitute Patel. — Where a Patel is temporarily unable to perform his duties the Sub-Divisional Officer may, on his application or otherwise appoint a substitute for a period of not exceeding, six months and the substitute so appointed shall, for all the purposes of this Code, be deemed to be a Patel.

229. Entrustment of village management. — Notwithstanding anything contained in this Code, the State Government may entrust the management of a village or the performance of the duties entrusted to a Patel, to a Gram Panchayat or where a Gram Panchayat has not been ¹[xxx] constituted, to a Gram sabha.

B-Kotwar

230. Appointment of kotwars and their duties. — (1) For each village, or group of villages, there shall be appointed, in accordance with rules made under Section 258 one or more kotwars for the performance of such duties as may be prescribed:

¹[deleted.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. Substituted by Act No. 42 of 2011.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय भोपाल तथा सिरोंज क्षेत्रों में ग्राम-चौकीदार का या विध्यप्रदेश क्षेत्र में चौकीदार का पद धारण करता है, इस धारा के अधीन कोटवार समझा जायगा ।

¹ [231. कोटवारों का पारिश्रमिक.— राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो उस आदेश में वर्णित किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, समय—समय पर, कोटवारों को उनकी सेवाओं के लिए सेवा भूमि उपलब्ध कराने या उनका पारिश्रमिक या दोनों के लिए मापदण्ड नियत कर सकेगी ।]

² [232. विलोपित]

अध्याय-18

आबादी तथा दखल-रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार

¹ [233. दखलरहित भूमि के अभिलेख.— प्रत्येक ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र के लिए समस्त दखलरहित भूमि के अभिलेख इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए जाएंगे ।]

³ [233-क. नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजनों के लिए भूमि का पृथक् रखा जाना.— कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय—समय पर, जारी निदेशों के अनुसार,

- (क) दखलरहित भूमियों को, जो नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं, लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रख सकेगा;
- (ख) उस लोक प्रयोजन को परिवर्तित कर सकेगा जिसके लिए वह भूमि पृथक् से रखी गई है; या

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) Every person who at the coming into force of this Code holds the post of village watchman in the Bhopal and Sironj regions or of a chowkidar in the Vindhya Pradesh region shall be deemed to be a kotwar under this section.

¹ [231. **Remuneration of kotwars**— The State Government may, by general order, subject to such restrictions, terms and conditions as may be mentioned therein, from time to time, fix the norms for providing service land or remuneration or both to Kotwars for their services.]

² [232. deleted.]

CHAPTER XVIII RIGHTS IN A BADI AND UNOCCUPIED LAND AND ITS PRODUCE

¹ [233. **Record of unoccupied land**— A record of all unoccupied land shall be prepared for every village and urban area in accordance with rules made in this behalf.]

³ [233-A. **Land to be set apart for public purposes in urban area**— The Collector may, in accordance with the directions issued by the State Government in this behalf, from time to time,—

- (a) set apart unoccupied lands in an urban area for public purposes;
- (b) change the public purpose for which any such land is set apart; or

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Deleted by Act No. 23 of 2018.
3. Inserted by Act No. 23 of 2018.

(ग) किसी ऐसी भूमि के संबंध में खण्ड (क)
के अधीन की गई कार्रवाई खत्म कर
सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भूमि
लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् से नहीं रखी
जाएगी जो कि अनुमोदित विकास योजना से
असंगत है।]

**1[234. निस्तार पत्रक का तैयार किया
जाना।— उपखण्ड अधिकारी, इस संहिता तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के
अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिए एक निस्तार पत्रक
तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त
दखलरहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे
आनुषंगिक समस्त विषयों और विशिष्टः धारा
235 में विनिर्दिष्ट विषयों का समावेश होगा ।]**

**235. विषय जिनका निस्तार पत्रक में
उपबन्ध किया जायेगा — वे विषय, जिनके
लिये निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जायेगा,
निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—**

(क) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर ग्राम में
पशुओं को चराने की अनुज्ञा दी जायगी;
(ख) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर तथा वह
अधिकतम सीमा जिस तक कोई
निवासी —
(एक) लकड़ी, इमारती लकड़ी,
ईधन या कोई अन्य बन
उपज़;
(दो) मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी,
चिकनी मिट्टी, पत्थर या कोई
अन्य गौण खनिज अभिप्राप्त
कर सकेगा;
(ग) साधारणतः पशुओं को चराने का तथा
पैरा (ख) में वर्णित वस्तुओं के हटाये
जाने का विनियमन करने वाले अनुदेश;

(c) rescind the action taken under
clause (a) in respect of any such
land:

Provided that no land shall be
set apart for public purposes under this
section which is inconsistent with the
approved development plan.]

**[234. Preparation of Nistar Patrak- The
Sub-Divisional Officer shall, in
accordance with the provisions of this
Code and the rules made thereunder,
prepare a Nistar Patrak for every village
embodying a scheme of management of
all unoccupied land in the village and all
matters incidental thereto and more
particularly matters specified in section
235.]**

**235. Matters to be provided for in Nistar
Patrak. — The matter which shall be
provided for in the Nistar Patrak shall be
as follows, namely: —**

(a) terms and conditions on which
grazing of cattle in the village
will be permitted;
(b) the terms and conditions on
which and the extent to which
any resident may obtain —
(i) wood, timber, fuel or
any other forest
produce;
(ii) mooram, kankar, sand,
earth, clay, stones or
any other minor
mineral;
(c) instructions regulating
generally the grazing of cattle
and the removal of the articles
mentioned in paragraph (b);

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(घ) कोई अन्य विषय जिसे निस्तार पत्रक में इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित हो।

236. निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध — धारा 235 में यथा उपबन्धित निस्तार पत्रक तैयार करने में, कलेक्टर, यथासम्भव, निम्नलिखित के लिये उपबन्ध करेगा—

- (क) कृषि के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को निःशुल्क चराने के लिये;
- (ख) ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिये—
- (एक) वन उपज का;
- (दो) गौण खनिजों का मुफ्त ले जाया जाना;
- (ग) ग्राम के शिल्पकारों को, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुएँ; उनकी शिल्पकारी के प्रयोजन के लिये ले जाये जाने के लिये दी जाने वाली रियायतें।

237. निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना—
(1) इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये पृथक् रख सकेगा, अर्थात् :—

- (क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिये आरक्षित क्षेत्र के लिये;
- (ख) चारागाह, धास, बीड़ या चारे के लिये आरक्षित क्षेत्र के लिये;
- (ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि के लिये;
- (घ) गोठान के लिये;
- (ङ) शिविर भूमि के लिये;
- (च) खलिहान के लिये;
- (छ) बाजार के लिये;
- (ज) खाल निकालने के स्थान के लिये;
- (झ) खाद के गङ्गों के लिये;
- (ज) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों

(d) any other matter required to be recorded in the Nistar Patrak by or under this Code.

236. Provision in Nistar Patrak for certain matters. — In preparing the Nistar Patrak as provided in Section 235, the Collector shall, as far as possible, make provision for—

- (a) free grazing of the cattle used for agriculture;
- (b) removal free of charge by the residents of the village for their bona fide domestic consumption of—
 - (i) forest produce;
 - (ii) minor minerals;
- (c) the concessions to be granted to the village craftsmen for the removal of the articles specified in clause (b) for the purpose of their craft.

237. Collector to set apart land for exercise of Nistar rights. — (1) Subject to the rules made under this Code, the Collector may set apart unoccupied land for the following purposes, namely, —

- (a) for timber or fuel reserve;
- (b) for pasture, grass bir or fodder reserve;
- (c) for burial ground and cremation ground;
- (d) for gaonthan;
- (e) for encamping ground;
- (f) for threshing floor;
- (g) for bazar;
- (h) for skinning ground;
- (i) for manure pits;
- (j) for public purposes such as schools, play grounds, parks,

सङ्कों, गलियों, नालियों जैसे तथा
उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिये;
(ट) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये जो
निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिये
विहित किये जायें।

॥ (2) विलोपित]

॥ (3) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के
अधीन रहते हुए, कलेक्टर, उपधारा (1) के
खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल
कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित
रखने के पश्चात्, उपधारा (1) में वर्णित ऐसी
दखल रहित भूमि को आबादी, सङ्कों, राजमार्गों,
नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों,
गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी
परियोजनाओं के लिए, जैसी कि राज्य सरकार
द्वारा अवधारित की जाय, व्यपवर्तित कर
सकेगा :

परन्तु उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के
लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृ
षिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आबंटित
नहीं की जाएगी ।]

॥ (4) जब उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों
के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास
और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार
के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु
उपधारा (3) के अधीन नहीं आती हैं, व्यपवर्तन
अपरिहार्य हो जाता है, तो कलेक्टर, उपलब्ध
विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात्
और सम्बद्ध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार
अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र
की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय का
तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन
के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा ।]

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा अंतःरक्षापित।

road, lanes, drains and the like;
and

(k) for any other purposes which
may be prescribed for the
exercise of right of Nistar.

॥ (2) Deleted.]

॥ (3) Subject to the rules made under this
Code, the Collector after securing the
land mentioned in clause (b) of sub-
section (1) to minimum two percent of
the total agriculture land of that village,
may divert such unoccupied land as
mentioned in sub-section (1) into abadi
or for construction of roads, state
highways, national highways, canals,
tanks; hospitals, schools, colleges,
Goshalas and any other public utility
projects as may be determined by the
State Government:

Provided that the land set apart
for the purposes mentioned in sub-
section (1) shall not be diverted and
allotted to any person for agriculture
purpose.]

॥ (4) When it becomes indispensable to
divert the land set apart for the purposes
mentioned in sub-section (1) for such
development and infrastructural projects
which are owned or approved by the
State Government but not covered under
sub-section (3), the Collector, after
satisfying himself on alternatives
available and also on obtaining land of
equivalent area for fulfilling the same
nistar rights from the concerned project,
may divert the land for such purposes
by passing a reasoned order to this
effect.]

1. Deleted by Act No. 42 of 2011.
2. Substituted by Act No. 42 of 2011.
3. Inserted by Act No. 42 of 2011.

238. दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार— (1) जहां कलेक्टर की यह राय हो कि किसी ग्राम की बंजर भूमि अपर्याप्त है और यह लोकहित में है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाय तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, यह आदेश दे सकेगा कि उस ग्राम के निवासियों को पड़ोसी ग्राम में यथास्थिति निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार उस सीमा तक होगा जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट है ।

(2) किसी ग्राम के निवासी, जिन्हें पड़ोसी ग्राम में पशु चराने के अधिकार उपधारा (1) के अधीन हैं या सरकारी बन में पशु चराने का अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग कराने के प्रयोजनार्थ अपने मार्गाधिकार को अभिलिखित कराने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकेंगे ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदन की जांच करने पर, कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे निवासियों को इस बात के लिये समर्थ बनाने में कि वे अपने पशुओं को किसी अन्य ग्राम में या सरकारी बन में चराने के अधिकार का प्रयोग कर सकें, मार्ग का अधिकार युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है, तो वह ऐसे मार्ग के लिये उनके अधिकार को घोषणा करते हुए आदेश पारित करेगा और वे शर्त कथित करेगा जिन पर उस अधिकार का प्रयोग किया जायेगा ।

(4) कलेक्टर आने जाने का मार्ग भी अवधारित करेगा और ऐसे मार्ग को ऐसी रीति में निर्बन्धित करेगा जिससे कि उस ग्राम के, जिसमें से होकर वह मार्ग जाता है, निवासियों को कम से कम असुविधा हो ।

(5) कलेक्टर, यदि वह ठीक समझे, ऐसे मार्ग को सीमांकित कर सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निस्तार पत्रक में अभिलिखित किये जाएंगे ।

238. Rights in waste land of another village.— (1) Where the Collector is of the opinion that the waste land of any village is insufficient and it is in public interest to proceed under this section, he may, after such enquiry as he deems fit, order that the residents of the village shall have a right of nistar or a right of grazing cattle, as the case may be, in the neighbouring village to the extent specified in the order.

(2) The residents of a village having a right of grazing cattle in the neighbouring village under sub-section (1) or Government forest may make an application to the Collector for recording their right of passage for the purpose of exercising the rights.

(3) If, on enquiry, into an application made under sub-section (2), the Collector finds that the right of passage is reasonably necessary to enable such residents to exercise a right to graze their cattle in any other village or in the Government forest, he shall pass an order declaring their right to such passage and shall state the conditions upon which it shall be exercised.

(4) The Collector shall further determine the route of passage, and shall restrict such route in such manner as to cause minimum inconvenience to the residents of the village through which it passes.

(5) The Collector may, if he thinks fit, demarcate such route.

(6) Orders passed by the Collector under this section shall be recorded in the Nistar Patrak.

(7) जहां उपधारा (1) में वर्णित ग्राम भिन्न-भिन्न जिलों में आते हों, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश उस कलेक्टर द्वारा पारित किये जायेंगे जिसके कि जिले में वह ग्राम आता है, जिस पर कि ऐसे अधिकार का दावा किया गया है;
- (ख) आने जाने के मार्ग के बारे में कोई आदेश उस कलेक्टर द्वारा पारित किये जाएँगे जिसकी अपनी अधिकारिता में वह क्षेत्र आता है, जिस पर से कि मार्ग अनुज्ञात किया गया है;
- (ग) खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश पारित करने वाला कलेक्टर सम्बन्धित अन्य कलेक्टर से लिखित में परामर्श करेगा।

239. दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार — (1) जहां इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि में कोई फलदार वृक्ष लगाया गया हो, और वैसा अभिलिखित हो, वहां इस बात के होते हुए भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपयोग के लिए, किसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान किये बिना, हकदार होंगे।

- (2) '। विलोपित]
- (3) '। विलोपित]
- (4) '। विलोपित]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

(7) Where the villages mentioned in sub-section (1) lie in different districts the following provisions shall apply, namely

- (a) the orders specifying the right of nistar or the right of gazing cattle shall be passed by the Collector in whose district the village over which such right is claimed lies;
- (b) any orders regarding route of passage shall be passed by the Collector in whose respective jurisdiction the area over which passage is allowed lies;
- (c) the Collector passing an order in accordance with clauses (a) and (b) shall consult in writing the other Collector concerned.

239. Rights in fruit bearing trees and other trees planted in unoccupied land.—

(1) Where, before coming into force of this Code any fruit bearing tree was planted by any person in the unoccupied land of any village, and is so recorded, then notwithstanding that such land vests in the State Government, such person, and his successor-in-interest shall from generation to generation be entitled to possession and usufruct of such trees without payment of any royalty or other charge whatsoever therefor.

- (2) ' [deleted;]
- (3) ' [deleted;]
- (4) ' [deleted;]

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

‘(5) यदि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारम्भ होने के पूर्व इस धारा के अधीन मंजूर किए गए वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का भंग किया जाता है तो तहसीलदार, वृक्षारोपण अनुज्ञापन पत्र या वृक्ष पट्टा, धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, रद्द कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति दखलरहित भूमि को अनधिकृत रूप से लगातार कब्जे में बनाए रखता है तो तहसीलदार धारा 248 के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अग्रसर होगा ।

(6) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता(संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने के पूर्व दखलरहित भूमि जिस पर कोई वृक्षारोपण अनुज्ञापन पत्र या वृक्ष पट्टा दिया गया है, कलेक्टर के आदेश द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा सकेगी । यदि ऐसे वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के धारक का कोई हित या ऐसे उपयोग के कारण से प्रतिकूल प्रभावित होता है तो धारक ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा जो कि विहित की जाए ।]

240. ‘[ग्रामों में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध] –’[(1) राज्य सरकार, ग्रामों में भूमिस्वामी की भूमि पर या राज्य सरकार की भूमि पर खड़े ऐसे वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिषेध या विनियमन लोकहित में या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अपेक्षित है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम बनाने में, राज्य सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि ऐसे समस्त नियम या कोई भी नियम केवल ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षित ।

‘[(5) If any of the terms and conditions of tree planting permit or tree patta granted under this section prior to the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 is breached, the Tahsildar may, after giving reasonable opportunity of being heard to the holder thereof, cancel the tree planting permit or tree patta and if such person unauthorisedly continues to remain in possession of the unoccupied land the Tahsildar shall proceed to take action against him under section 248.

(6) The unoccupied land on which any tree planting permit or tree patta has been given prior to the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 may be used for any public purpose by the order of the Collector. If any interest of the holder of such tree planting permit or tree patta is adversely affected due to such use, the holder shall be entitled for such compensation which shall be calculated in such manner as may be prescribed.]

240. ‘[Prohibition of cutting of certain trees in villages-]’[(1) The State Government may by rules made in this behalf, prohibit or regulate cutting of trees in villages standing on the land belonging to Bhumiswami or State Government, if it is satisfied that such prohibition or regulation is in the public interest or required for preventing erosion of soil.]

(2) In framing rules under sub-section (1), the State Government may provide that all or any of the rules shall apply only to such area as the State Government may, by notification, specify.

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

(3) राज्य सरकार, उन भूमियों पर के, जो कि राज्य सरकार की हों, वनोत्पादों के नियन्त्रण, प्रबन्ध, काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन करने वाले नियम बना सकेगी ।

241. सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय – (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी सरकारी वन से इमारती लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए, लोकहित में यह आवश्यक है कि वनों से लगे हुए किसी क्षेत्र से समाविष्ट ग्राम में इमारती लकड़ी के काटकर गिराये जाने तथा उसके बहाँ से हटाये जाने का विनियमन किया जाए, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट समस्त ग्रामों में विहित शीति में उद्घोषित किया जायेगा ।

(3) धारा 179 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए जब कोई आदेश उपधारा (2) के अधीन किसी ग्राम में उद्घोषित कर दिया गया हो तो कोई भी व्यक्ति, विक्रय के किसी सव्यवहार के अनुसरण में या व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए, ऐसे ग्राम के किसी खाते में के इमारती लकड़ी के किसी वृक्ष को ऐसे नियमों के अनुसार ही काटकर गिरायेगा या किसी ऐसे वृक्ष के काय (कारपस) को किसी ऐसे खाते से ऐसे नियमों के अनुसार ही हटायेगा जो कि इस सम्बन्ध में बनाये जायें, अन्यथा नहीं ।

¹ (4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों का

(3) The State Government may make rules regulating the control, management, felling or removal of the forest growth on the lands belonging to the State Government.

241. Measures to prevent theft of timber from Government forest— (1) If the State Government is satisfied that in order to prevent the theft of timber from any Government forest it is necessary in the public interest to regulate the felling and removal of timber in the villages comprised in any area adjoining such forests, the State Government may, by an order published in the Gazette, declare such area to be notified area for the purposes of this section.

(2) Every order published under sub-section (1) shall be proclaimed in the prescribed manner in all the villages comprised in the notified area.

(3) Notwithstanding anything contained in Section 179 but subject to the provisions of sub-section (5), when an order has been proclaimed in any village under sub-section (2), no person shall in pursuance of a transaction of sale or for purposes of trade or business fell any timber tree in any holding in such village or remove the corpus of any such tree from any such holding except in accordance with such rules as may be made in that behalf.

¹ (4) Any person who contravenes or attempts to contravene or abets the

1. Substituted by Act No. 19 of 2001.

उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, किसी अन्य कार्रवाई पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपखण्ड अधिकारी के लिखित आदेश पर, '[पचास हजार] रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति का, जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, भुगतान करने का दायी होगा और उपखण्ड अधिकारी यह और आदेश देगा कि इमारती लकड़ी के किहीं भी ऐसे वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाए जो कि इस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में काट कर गिराए गये हैं।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किरी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर के वृक्षों की दो घनमीटर तक इमारती लकड़ी एक वर्ष की कालावधि के दौरान अपने वास्तविक कृषिक प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों के लिये काटकर गिराये जाने या हटाये जाने को लागू नहीं होगी, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अनुसार हो।]

242. वाजिब-उल-अर्ज.— (1) इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र² [उपखण्ड अधिकारी] किसी ऐसी भूमि या जल में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का न हो या जो उसके द्वारा नियन्त्रित या प्रबन्धित न हो—

(क) सिंचाई के अधिकार या मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार ;
 (ख) मछली पकड़ने के अधिकार , की बाबत प्रत्येक ग्राम की रुद्धियों को विहित रीति में अभिनिश्चित तथा अभिलिखित करेगा और ऐसा अभिलेख ग्राम के वाजिब - उल-अर्ज के नाम से जाना जायगा ।

contravention of the provisions of sub-section (3) or of any rule made thereunder, shall, without prejudice to any other action that may be taken against him, be liable on the order in writing of the Sub-Divisional Officer, to pay a penalty not exceeding '[fifty thousand rupees] as may be imposed by him and the Sub-Divisional Officer shall further order confiscation of any timber trees felled in contravention of the provisions of this sub-section.

(5) Nothing in sub-sections (3) and (4) shall apply to the felling or removal up to two cubic metres of timber from trees by any person from his land during a period of one year for his bona fide agricultural or domestic purposes, if such felling or removal is otherwise in accordance with the other provisions of this Code.]

242. Wajid-ul-arz.— (1) As soon as may be after this code comes into force, the [Sub-Divisional Officer] shall, in the prescribed manner, ascertain and record the customs in each village in regard to—

- (a) the right to irrigation or right of way of other easement;
- (b) the right to fishing;

In any land or water not belonging to or controlled or managed by the State Government or a local authority and such record shall be known as the Wajid-ul-arz of the village.

- 1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 2. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- 1. Substituted by Act No. 42 of 2011.
- 2. Substituted by Act No. 24 of 1961.

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में तैयार किया गया अभिलेख । [उपखंड अधिकारी] द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जो कि विहित की जाय।

(3) ऐसे अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपान्तरित कराने के लिये सिविल न्यायालय में वाद ऐसे अभिलेख के उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख, उपधारा (3) के अधीन संस्थित किये गये वाद में सिविल न्यायालय के विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम और निश्चायक होगा।

(5) । [उपखंड अधिकारी] उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति के आदेश पर स्वप्रेरणा से, निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर, वाजिब-उल-अर्ज में की किसी प्रविष्टि को उपान्तरित कर सकेगा या उसमें कोई नवीन प्रविष्टि अन्तर्स्थापित कर सकेगा –

- (क) यह कि ऐसी प्रविष्टि में हितबद्ध समर्त व्यक्ति उसे उपान्तरित कराना चाहते हैं; या
- (ख) यह कि किसी सिविल वाद में दी गई किसी डिक्री द्वारा उसे गलत घोषित कर दिया गया है; या
- (ग) यह कि सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश पर या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं हैं; या
- (घ) यह कि इस प्रकार आधारित होते हुए भी, वाद में ऐसी डिक्री या ऐसे आदेश

1. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिरक्षापित।

(2) The record made in pursuance of sub-section (1), shall be published by the [Sub-Divisional Officer] in such manner as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by any entry made in such record may, within one year from the date of the publication of such record under sub-section (2), institute a suit in a Civil Court to have such entry cancelled or modified. -

(4) The record made under sub-section (1) shall, subject to the decision of the Civil Court in the suit instituted under sub-section (3), be final and conclusive.

(5) The [Sub-Divisional Officer] may, on the application of any person interested therein or on his own motion, modify an entry or insert any new entry in the Wajib-ul-arz on any of the following grounds: —

- (a) that all persons interested in such entry wish to have it modified; or
- (b) that by a decree in a civil suit it has been declared to be erroneous; or
- (c) that being founded on a decree or order of a Civil Court or on the order of a Revenue Officer it is not in accordance with such decree or order; or
- (d) that being so founded, such decree or order has subsequently been varied on appeal, revision or review; or

1. Substituted by Act No. 24 of 1961.

को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में फेरफारित कर दिया है; या

(ङ) यह कि सिविल न्यायालय ने डिक्री द्वारा, ग्राम में विद्यमान किसी रुद्धि का पर्यवर्तन कर दिया है।

243. आबादी — (1) जहां आबादी के लिये आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, तो वह गांव की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जहां आबादी के प्रयोजनों के लिये दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो, वहां राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिये कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी।

¹[(3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के उपबन्ध ऐसे अर्जन को लागू होंगे और ऐसी भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय होगा।

² [244. आबादी स्थल का निपटारा — इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तहसीलदार आबादी क्षेत्र में भूमिस्वामी के अधिकारों में आबादी स्थलों का निपटारा करेगा।]

² [245. भू-राजस्व मुक्त गृह स्थल धारण करने का अधिकार.— आबादी में स्थित युक्तियुक्त माप (डायमेशन) का कोई भवन स्थल, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने के समय किसी कोटवार द्वारा धारित है या किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में जिसमें कि सामान्यतः ऐसे ग्राम से खेती की जाती है, भूमि धारण करता है या कृषि शिल्पी या

(e) that the Civil Court has by a decree determined any custom existing in the village.

243. Abadi. — (1) Where the area reserved for abadi is in the opinion of the Collector insufficient, he may reserve such further area from the unoccupied land in the village as he may think fit.

(2) Where unoccupied land for purposes of abadi is not available, the State Government may acquire any land for the extension of abadi.

[(3) The provisions of the ² [The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)] shall apply to such acquisition and compensation shall be payable for the acquisition of such land in accordance with the provisions of that Act.

² [244. Allotment of *abadi* sites - Subject to rules made in this behalf, the Tahsildar shall dispose of abadi sites in bhumiswami rights in the abadi area.]

² [245. Rights to hold house site free of land revenue- Any building site of reasonable dimensions in the abadi, which is held by a kotwar or by a person who holds land or who works as an agricultural artisan or an agricultural labourer in such village or in a village usually cultivated from such village, as on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall not be liable to the payment of land revenue.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 20120 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा ।]

¹ [246. आबादी में गृहस्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार ।—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के टीक पूर्व आबादी में गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है, भूमिस्वामी होगा ।]

247. खनिजों के सम्बन्ध में सरकार का हक — (1) जब तक कि सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुदान के निवारणों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, समस्त खनिजों, खानों तथा खदानों का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा जिसे ऐसी समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि ऐसे अधिकारों के समुचित उपयोग के लिये आवश्यक हों ।

(2) समस्त खानों तथा खदानों के अधिकार के अंतर्गत आता है खनन तथा खदान क्रिया के प्रयोजन के लिये भूमि तक पहुँचने का अधिकार तथा ऐसी अन्य भूमि को दखल में लेने का अधिकार जो कि उससे (खनन तथा खदान क्रिया से) समनुषंगी उन प्रयोजनों के लिये आवश्यक है जिनके अन्तर्गत कार्यालयों का, कर्मकारों के निवास गृहों का परिनिर्माण तथा मशीनरी का प्रतिष्ठापन, खनिजों का ढेर लगाना तथा कूड़ा-करकट इकट्ठा करना, सड़कों, रेल पथों या ट्राम पथों का सन्निर्माण और कोई ऐसे अन्य प्रयोजन भी हैं जिन्हें राज्य सरकार खनन खदान क्रिया से समनुषंगी होना घोषित करे ।

(3) यदि सरकार ने किन्हीं खनिजों, खानों या खदानों पर का अपना अधिकार किसी व्यक्ति को समनुदेशित कर दिया हो, और यदि ऐसे अधिकार

¹ [246. Rights of persons holding house site in abadi- Every person who lawfully holds any land as a house site in the abadi immediately prior to coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall be a Bhumiswami.]

247. Government's title to minerals.— (1) Unless it is otherwise expressly provided by the terms of a grant made by the Government, the right to all minerals, mines and quarry shall vest in the State Government which shall have all powers necessary for the proper enjoyment of such rights.

(2) The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purpose subsidiary thereto, including the 'erection of offices, workmen's dwellings and machinery, the stacking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram-lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

(3) If the Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिरक्षित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

के समुचित उपयोग के लिये यह आवश्यक हो कि उपधारा (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए तो कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शक्तियाँ, ऐसी शर्तें तथा आरक्षणों के अध्यधीन रखते हुए, जो कि वह विनिर्दिष्ट करे, उस व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिसे वह अधिकार समनुदेशित किया गया हो:

परन्तु कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे समस्त व्यक्तियों पर, जो प्रभावित हुई भूमि में अधिकार रखते हों, सूचना की सम्यक् रूप से तामील न कर दी गई हो, और उनकी आपत्तियों को सुन न लिया गया हो और उन पर विचार न कर लिया गया हो।

(4) यदि, इसमें निर्दिष्ट किये गये अधिकार का किसी भूमि पर प्रयोग करने में, ऐसी भूमि की सतह को दखल में लेने के कारण या उस पर होने वाली हलचल के कारण किसी व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन होता हो, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे अतिलंघन के लिये ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रतिकर की रकम की संगणना उपर्युक्त अधिकारी द्वारा या यदि उसका अधिनिर्णय स्वीकार न किया जाय, तो सिविल न्यायालय द्वारा यथाशक्य, ¹ [भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

(5) सरकार का कोई भी समनुदेशिती, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना और तब तक जब तक कि प्रतिकर अवधारित न कर दिया गया हो था उन व्यक्तियों को, जिनके कि अधिकारों का

exercised, and the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may specify, delegate such powers to the person to whom the right has been assigned.

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land affected, and their objections have been heard and considered.

(4) If, in the exercise of the right herein referred to over any land, the rights of any person are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Sub-Divisional Officer or, if his award is not accepted, by the Civil Court, as nearly as may be, in accordance with the provisions of the '[Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).]

(5) No assignee of the Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, and unless the compensation and tendered to the persons whose rights are infringed.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2015.

अतिलंघन होता हो, निविदता न कर दिया गया हो, किसी भूमि की सतह पर न तो प्रवेश करेगा और न ही उसे दखल में लेगा।

(6) यदि राज्य सरकार का कोई समनुदेशिती, उपधारा (4) में यथा उपबन्धित प्रतिकर का भुगतान नहीं करता है, तो कलेक्टर उससे ऐसा प्रतिकर उन व्यक्तियों की ओर से, जो कि उसके हकदार हों, इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान में, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजार मूल्य के [चार गुना] के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी :

२। विलोपित]

(8) उपधारा (7) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर किसी ऐसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है और सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, निकाले गये या हटाये गये किसी खनिज का अभिग्रहण तथा अधिग्रहण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा में, "खनिज" के अन्तर्गत कोई ऐसी रेत या चिकनी मिट्टी है जिसके कि सम्बन्ध में राज्य सरकार यह घोषित करे कि वह वाणिज्यिक महत्व की है या यह कि वह किसी लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

(6) If an assignee of the Government fails to pay compensation as provided in sub-section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the persons entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.

(7) Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in, and has not been assigned by, the Government shall, without prejudice to any other action that may be taken against him be liable, on the order in writing of the Collector, to pay penalty not exceeding a sum calculated at ² [four times] the market value of the minerals so extracted or removed.

²[Deleted]

(8) Without prejudice to the provisions in sub-section (7), the Collector may seize and confiscate any mineral extracted or removed from any mine or quarry the right to which vests in, and has not been assigned by the Government.

Explanation. — In this section, "minerals" include any sand or clay which the State Government may declare to have a commercial value or to be required for any public purpose.

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 42 of 2011.

2. Deleted by Act No. 42 of 2011.

248. 'अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति — (1) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से दखलरहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी भूमि पर, जो धारा 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो या^१ [धारा 233-क के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई हो]^२ या किसी ऐसी भूमि पर, जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था, किसी प्राधिकारी या निगमित निकाय की संपत्ति हो] कब्जा कर लेता है या उस पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्ततः बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिहरित किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी सम्पत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जायेगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च उससे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगा। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, ^३ [ऐसे जुर्माने के जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा] तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, ^४ [गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रुपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रुपये] तक हो सकता है, लिये भी दायित्वाधीन होगा। तहसीलदार सम्पूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये उपयोग में ला

248. 'Penalty for unauthorisedly taking possession of land.— (1) Any person who unauthorisedly takes or remains in possession of any unoccupied land, abadi, service land or any other land which has been set apart for any special purpose under Section 237 ^५ [or set apart for any public purpose under section 233-A] ^६ [or upon any land which is the property of Government, or any authority, body corporate, or institution constituted or established under any State enactment,] may be summarily ejected by order of the Tahsildar and any crop which may be standing on the land and any building or other work which he may have constructed thereon, if not removed by him within such time as the Tahsildar may fix shall be liable to forfeiture. Any property so forfeited shall be disposed of as the Tahsildar may direct and the cost of removal of any crop, building or other work and of all works necessary, to restore the land to its original condition shall be recoverable as an arrear of land revenue from him. Such person shall also be liable at the discretion of the Tahsildar ^७ [to a fine with may extend to One Lakh rupees] and to a further fine which may extend to ^८ [five hundred rupees in non-urban area and two thousand rupees in urban-area] for every day on which such unauthorised occupation or possession continues after the date of first ejection. The Tahsildar may apply the whole or any part of the fine to compensate persons, who may in his opinion have suffered loss or injury from the encroachment:

1. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 33 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 5.अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 15 of 1971.
2. Substituted by Act No. 14 of 2020.
3. Substituted by Act No. 33 of 2003.
4. Substituted by Act No. 23 of 2018.
5. Substituted by Act No. 42 of 2011.

सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो :

परन्तु तहसीलदार —

(एक) महाकौशल क्षेत्र में —
 (क) विलीन राज्यों से भिन्न क्षेत्रों में सितम्बर सन् 1917 के प्रथम दिन के पूर्व;
 (ख) विलीन राज्यों में अप्रैल सन् 1950 के तृतीय दिन के पूर्व;
 (दो) मध्य भारत क्षेत्र से अगस्त सन् 1950 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व;
 (तीन) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन् 1955 के प्रथम दिन के पूर्व;
 (चार) भोपाल क्षेत्र में नवम्बर सन् 1933 के अठवें दिन के पूर्व; और
 (पाँच) सिरोज क्षेत्र में जुलाई सन् 1958 के प्रथम दिन के पूर्व;

निर्मित भवनों या निर्माण कार्यों द्वारा किये गये अधिक्रमण के सम्बन्ध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लायेगा ।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये शब्द “विलीन राज्यों” का यही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश मर्ज़ड स्टेट्स (स्टेट) लॉज एक्ट, 1950 (क्रमांक 12 सन् 1950) में उसके लिये दिया गया है ।

॥(1-क) किसी अप्राधिकृत कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी संकल्प के सम्यक् रूप से पारित किए जाने पर तहसीलदार, ऐसे संकल्प की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस धारा की कार्यवाहियों को प्रारंभ करेगा तथा पूर्ण करेगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा ॥

(2) २। विलोपित]

Provided that the Tahsildar shall not exercise the powers conferred by this sub-section in regard to encroachment made by buildings or works constructed

(i) in the Mahakoshal region—
 (a) in areas other than the merged States before the first day of September, 1917;
 (b) in the merged States, before the third day of April, 1950;
 (ii) in the Madhya Bharat region, before the fifteenth day of August, 1950;
 (iii) in the Vindhya Pradesh region, before the first day of April, 1955;
 (iv) in the Bhopal region, before the eighth day of November, 1933; and
 (v) in the Sironj region, before the first day of July, 1958.

Explanation. — For the purposes of this sub-section “Merged States” shall have the meaning assigned to it in the Madhya Pradesh Merged States Laws (State) Act, 1950 (XII of 1950).

1 [(1-A) On a resolution duly passed by the Gram Panchayat in respect of any unauthorised possession, the Tahsildar shall start and complete the proceedings under this section within thirty days from the date of receipt of the information of such resolution and shall communicate the action taken by him to the Gram Panchayat.]

(2) २। [Deleted].

1. अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2000 द्वारा अंतःस्थापित ।
 2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा लोप ।

1. Inserted by Act No. 7 of 2000.
 2. Deleted by Act No. 42 of 2011.

1[(2-क) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वायेगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये तथा दूसरी या पश्चात्वर्ती बेदखली की दशा में² [छह मास] की कालावधि के लिये सिविल कारागार में परिरुद्ध किये जाने के लिये वारंट के साथ भेजेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही –

- (एक) तब तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिन उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाये कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए;
- (दो) ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी, जिनके कि बन्दोबस्त के लिये सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी किये हों :

परन्तु यह और भी, कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किये जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है:

1[(2-A) If any person continues in unauthorised occupation or possession of land for more than seven days after the date of order of ejection under sub-section (1), then without prejudice to the fine that may be imposed thereunder the Sub-Divisional Officer shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of fifteen days in case of first ejection and ²[six months] in case of second or subsequent ejection

Provided that no action under this sub-section shall be taken—

- (i) unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison;
- (ii) in respect of encroachments on Government and Nazul lands for the settlement of which the Government have issued orders from time-to-time

Provided further that the Sub-Divisional Officer may order the release of such person from detention before the expiry of the period mentioned in the warrant if he is satisfied that the unauthorised possession has been vacated

1. Inserted by Act No. 12 of 1975.

2. Substituted by Act No. 42 of 2011.

परन्तु यह भी कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं की जायेगी।

(2-ख) राज्य सरकार उपधारा (2-क) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(3) ¹ [विलोपित]

(4) ² [विलोपित]

249. मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन।— (1) राज्य सरकार निम्नलिखित का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी—

(क) सरकारी तालाबों में मछली पकड़ना;
(ख) ग्रामों में जीवजन्तु को पकड़ना, उनका आखेट करना या उनको गोली मारना;
और
(ग) राज्य सरकार की भूमियों से किन्हीं पदार्थों को हटाना।

(2) ऐसे नियमों में, अनुज्ञा-पत्र देने के लिये, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों से संलग्न की जाने वाली शर्तों के लिये तथा अनुज्ञा-पत्रों के लिये फीस के अधिरोपण हेतु एवं अन्य आनुषंगिक विषयों के लिये उपबध हो सकेंगे।

250. ³अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनःस्थापन।—

(1) तहसीलदार,—

(क) किसी भूमिस्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी के आवेदन पर जिन्हें अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है उसके कब्जे के आधार का वर्णन कर भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र

Provided also that no woman shall be arrested or detained under this sub-section.

(2-B) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of sub-section (2-A).

(3) ¹[Deleted]

(4) ² [Deleted]

249. Regulation of fishing, hunting etc.-

(1) The State Government may make rules for regulating—

- (a) Fishing in Government tanks;
- (b) catching, hunting or shooting of animals in villages; and
- (c) the removal of any materials from lands belonging to the State Government.

(2) Such rules may provide for the issue of permities, the conditions attaching to such permities and the impositions of fees therefor and other incidental matters.

250. ³[Reinstatement of Bhumiswami improperly dispossessed- (1) The Tahsildar shall.—

- (a) on application of a Bhumiswami or his successor-in-interest who has been improperly dispossessed, issue a show cause notice to the person occupying Bhumiswami's land to explain the grounds of his

1. अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2000 द्वारा लोप।

2. अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1976 द्वारा लोप।

3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा
जैसी कि वह उचित समझे, या

(ख) यह ज्ञात होने पर कि भूमिस्वामी को
अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है,
स्वप्रेरणा से खण्ड (क) के अधीन
कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा ।

(2) यदि जांच के पश्चात् तहसीलदार इस निष्कर्ष
पर पहुंचता है कि भूमिस्वामी को अनुचित रूप से
बेकब्जा किया गया है तो वह भूमिस्वामी को कब्जा
वापस दिए जाने का आदेश देगा और फिर वह
उसे भूमि का कब्जा भी दिलाएगा ।

(3) तहसीलदार, जांच के किसी भी प्रक्रम पर,
भूमिस्वामी को कब्जा दिए जाने के लिए अन्तर्रिम
आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष
पर पहुंचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन
प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां
प्रारंभ की जाने के पूर्व के छह मास के भीतर
विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था ।

(4) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा (3) के
अधीन कोई अन्तर्रिम आदेश पारित कर दिया गया
हो, तो तहसीलदार यह अपेक्षा कर सकेगा कि
वह तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित किए
जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने
के लिए ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार
उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित करे और यदि
यह पाया जाए कि बंधपत्र निष्पादित करने वाले
व्यक्ति ने बंधपत्र के उल्लंघन में उस भूमि में प्रवेश
किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो
तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णतः या भागतः समरप्त
कर सकेगा और ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया
के तौर पर वसूल कर सकेगा ।

(5) जहां तहसीलदार का उपधारा (2) के अधीन
भूमिस्वामी को कब्जा पुनः दिलाये जाने का आदेश
हो वहां तहसीलदार उसके अप्राधिकृत किए गए
कब्जे की कालावधि के लिए विरोधी पक्षकार से
भूमिस्वामी को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी

possession and make such
enquiry as he thinks fit; or

(b) on coming to know that a
Bhumiswami has been
improperly dispossessed, on his
own motion start proceedings
under clause (a).

(2) If after the enquiry the Tahsildar finds
that the Bhumiswami has been
improperly dispossessed, he shall order
the restoration of the possession to the
Bhumiswami and also put him in
possession of the land.

(3) The Tahsildar may, at any stage of
the enquiry, pass an interim order to the
person occupying the land to hand-over
its possession to the Bhumiswami, if he
finds that the Bhumiswami was
dispossessed by opposite party within
six months prior to the submission of
the application or commencement of *suo
motu* proceedings under this section.

(4) The person against whom an interim
order has been passed under sub-
section (3) may be required by the
Tahsildar to execute a bond for such sum
as the Tahsildar may deem fit for
abstaining from taking possession of
land until the final order is passed by
the Tahsildar and if the person executing
a bond is found to have entered into or
taken possession of the land in
contravention of the bond, the Tahsildar
may forfeit the bond in whole or in part
and may recover such amount as an
arrear of land revenue.

(5) Where the Tahsildar orders
restoration of possession of land to the
Bhumiswami under sub-section (2), the
Tahsildar shall also award compensation
to be paid to the Bhumiswami by the
opposite party for the period of his

अधिनिर्णीत करेगा तथा ऐसा प्रतिकर उस दर पर संगणित होगा जो दस हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के अनुपातिक हो। इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

(6) जब उपधारा (2) के अधीन भूमिस्वामी को पुनः कब्जा दिलाया जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहाँ तहसीलदार विरोधी पक्षकार से इस बात के लिए अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित करे।

(7) जहाँ उपधारा (2) के अधीन, भूमिस्वामी को पुनः कब्जा दिलाये जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहाँ विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, लिए भी दायित्वाधीन होगा।

(8) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कब्जा वापस दे दिए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिनों से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो उक्त उपधारा (5) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (7) के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में, उपर्युक्त अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और पन्द्रह दिन की कालावधि के लिए परिरूद्ध किए जाने के लिए, उसे घारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती आदेश की दशा में, उपर्युक्त अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और तीन मास की कालावधि के लिए परिरूद्ध किया जाने

unauthorised possession and such compensation shall be calculated at the *pro rata* rate of ten thousand rupees per hectare per year. The compensation awarded under this section shall be recoverable as an arrear of land revenue.

(6) When an order has been passed under sub-section (2) for the restoration of possession of land to the Bhumiswami, the Tahsildar may require the opposite party to execute a bond for such sum as the Tahsildar may deem fit for abstaining from taking possession of the land in contravention of the order.

(7) Where an order has been passed under sub-section (2) for the restoration of the possession of land to the Bhumiswami, the opposite party shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees.

(8) If any person continues in unauthorised occupation or possession of land for more than seven days after the date of order for restoration of possession under sub-section (2) or sub-section (3), then without prejudice to the compensation payable under sub-section (5) or the fine under sub-section (7), the Sub-Divisional Officer shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of fifteen days in case of first order for restoration of possession and shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in such prison for a period of three months in case of second or subsequent orders for restoration of the possession to such Bhumiswami:

के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना न जारी कर दी गई हो कि वह उपर्युक्त अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपसंजात हो और इस संबंध में कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारण्ट में उल्लिखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, निरोध से छोड़ जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है।

स्पष्टीकरण . एक – इस धारा के प्रयोजन के लिए, भूमिस्वामी में समिलित है सरकारी पट्टेदार।

स्पष्टीकरण. दो— इस धारा के प्रयोजन के लिए, “अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी” से अभिप्रेत है ऐसे किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमिस्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिए ऐसा व्यक्ति हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए रहे।

¹[250-क. विलोपित]

²[250-ख. भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार की कार्यपालिक शक्ति के अधीन भूमि के वितरण या व्ययन या आवंटन की किसी स्कीम के, जो राज्य

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

2. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 1988 द्वारा अंतर्स्थापित।

Provided that no action under this section shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison:

Provided further that the Sub-Divisional Officer may order the release of such person from detention before the expiry of the period mentioned in the warrant if he is satisfied that the unauthorized possession has been vacated.

Explanation I.— For the purpose of this section, the Bhumiswami includes government lessee.

Explanation II.— For the purpose of this Section “Bhumiswami improperly dispossessed” means a Bhumiswami who is dispossessed of his land otherwise than in due course of law or if any person continues unauthorisedly in possession of land of the Bhumiswami to the use of which such person has ceased to be entitled.]

¹[250-A. deleted.]

²[250-B. Failure to vacate land in favour of allottee of land to be an offence.—(1) If a person to whom land has been allotted in bhumiswami rights or as a Government lessee under a Patta granted to him in accordance with a scheme of distribution or disposal or allotment of

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Inserted by Act No. 22 of 1988.

सरकार द्वारा समय-समय पर अग्रीकृत या प्रायोजित की जाए, या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी ऐसी स्कीम के अनुसार दिये गये किसी पट्टे के अधीन कोई भूमि भूमिस्वामी अधिकार में या सरकारी पट्टेदार की हैसियत में आवंटित की गई है और ऐसा व्यक्ति उसे इस प्रकार आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा लेने में असमर्थ रहा है तो वह उस भूमि का बास्तविक कब्जा उसे दिलाए जाने के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा जो उसे दिये गये पट्टे के अधीन उसे आवंटित की गई है।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार लिखित आदेश द्वारा –

(एक) उस भूमि के कब्जाधारी व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह उसे तत्काल खाली कर दे; या

(दो) उस दशा में जबकि कब्जा लिये जाने या कब्जा परिदृत किये जाने में किसी व्यक्ति द्वारा बाधा डाली जाती है, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह ऐसी बाधा हटा ले जिससे कि कब्जे का परिदान हो सके,

और वह उसके द्वारा भूमि खाली कर दिये जाने पर या बाधा हटा ली जाने पर उसका वास्तविक कब्जा पट्टे के अधीन भूमि धारण करने के लिये हकदार यथास्थिति भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को परिदृत करेगा।

(3) तहसीलदार, यदि आवश्यक हो, पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवंटिती को भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाया जाने के लिये आवश्यक हो।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन निदेश दिया जाता है, निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से, और जहाँ निदेश का ऐसा

land under executive powers of the State Government as may from time to time be adopted or sponsored by the State Government or any such scheme under any enactment for the time being in force and such person has not been able to take actual possession of the land so allotted to him, he may apply to the Tahsildar for putting him in actual possession of the land allotted to him under the Patta granted to him.

(2) On receipt of the application, the Tahsildar shall by an order in writing, issue a direction

- (i) to the person in possession of the land to vacate the same forthwith; or
- (ii) in the event of any person obstructing the taking over of possession or delivery of possession, to such person to remove such obstruction to enable delivery of possession,

and on his vacating the land or removing the obstruction, deliver actual possession thereof to the bhumiswami or the Government lessee, as the case may be, entitled to hold the land under the Patta.

(3) The Tahsildar may, if necessary, use such force including Police force as may be necessary to put the allottee in actual possession of the land.

(4) If the person to whom direction is issued under sub-section (2) fails to comply with the direction, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine or with both, and such non-compliance of direction is a continuing

अननुपालन चालू रहने—वाला अननुपालन है वहाँ ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अननुपालन के पश्चात् के प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान ऐसे अननुपालन का चालू रहना साबित हो जाता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानीय होगा ।

251.1। [तालाबों का राज्य शासन में निहित होना — (1) ऐसे समस्त तालाब, जो सम्बन्धित क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों की समाप्ति का उपबन्ध करने वाले अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पूर्व दखलरहित भूमि पर स्थित हों और जिन पर ऐसी तारीख के ठीक पूर्व ग्राम समुदाय के सदस्य सिंचाई या निरस्तार के अधिकारों का प्रयोग करते रहे हों यदि वे राज्य सरकार में पूर्व से ही निहित न हुए हों, तो 6 अप्रैल, 1959 से राज्य सरकार में पूर्णरूपेण निहित हो जाएंगे।

परन्तु इस धारा की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह तालाब के निहित होने की तारीख को विद्यमान पट्टे के अधीन तालाब में पट्टेदार के किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालती है जो पट्टे में विनिर्दिष्ट किये गये निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग किया जा सकेगा।

परन्तु यह और भी कोई भी तालाब राज्य सरकार में तब तक निहित नहीं होगा जब तक कि—

(एक) कलेक्टर का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान न हो जाय कि तालाब इस उपधारा में अधिकथित की गई शर्तों को पूरा करता है; और

one, with further fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first during which the non-compliance is proved to have been persisted in.

(5) The offence under this section shall be cognizable and non-bailable.]

251.1। [Vesting of tanks in State Government.—(1) All tanks situated on unoccupied land on or before the date of coming into force of the Act, providing for the abolition of the rights of intermediaries in the area concerned and over which members of the village community were, immediately before such date, exercising rights of irrigation or nistar, shall, if not already vested in the State Government, vest absolutely in the State Government with effect from the 6th April, 1959:

Provided that nothing in this section shall be deemed to affect any right of a lessee in the tank under a lease subsisting on the date of vesting of the tank which shall be exercisable to the extent and subject to the terms and conditions specified in the lease:

Provided further that no tank shall vest in the State Government, unless—

- (i) after making such enquiry as he deems fit, the Collector is satisfied that the tank fulfils the conditions laid down in this sub-section; and
- (ii) notice has been served on the parties interested and oppor-

1. अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 38 of 1961.

(बो) हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तारीख न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया ॥

(2) किसी भी ऐसे तालाब या सिंचाई या निस्तार के अधिकार से भिन्न किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित होने की तारीख से । [चार वर्ष] की कालावधि के भीतर, अपने हित के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिये कलेक्टर को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

२[(2-क) धारा 239 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित तालाब के तटबन्धों पर खड़े हुए वृक्षों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे दखलरहित भूमि में लगाये गये वृक्षों को लागू होते हैं ।]

(3) ऐसा प्रतिकर उस भू-राजस्व का, जो कि तालाब में समाविष्ट भूमि पर निर्धारणीय है, पन्द्रह गुना होगा और निर्धारण के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि को उसी प्रकार की माना जायेगा जैसी कि उससे लगी हुई भूमि है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर का भुगतान कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में उसके समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाय कि वे सम्बन्धित तालाब में हित रखते हैं ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर का भुगतान करने से राज्य सरकार का उन समस्त दायित्वों से पूर्ण उन्मोचन हो जायेगा जो कि सम्बन्धित तालाब की बावत राज्य सरकार के हों, किन्तु उससे तालाब सम्बन्धी उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित कराने का हकदार हो, जिसको या जिनको पूर्वोक्त रूप में प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है ।

tunity given to them for being heard.]

(2) Any person claiming in any such tank any interest other than the right of irrigation or nistar, may, within a period of ¹ [four years] from the date of vesting under sub-section (1), make an application in the prescribed form to the Collector for compensation in respect of his interest.

२[(2-a) The provisions of Section 239 shall apply to trees standing on the embankments of tank vested in the State Government under sub-section (1) as they apply to trees planted in an unoccupied land.]

(3) Such compensation shall be fifteen times the land revenue assessable on the land covered by the tank and for purposes of assessment such land shall be treated as irrigated land of the same quality as the adjoining land.

(4) The compensation as determined under sub-section (3) shall be paid by the Collector to the person or persons proved to his satisfaction to be owning interest in the tank concerned.

(5) The payment of compensation under sub-section (4) shall be a full discharge of the State Government from all liability for compensation in respect of the tank concerned, but shall not prejudice any right in respect of such tank to which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person or persons to whom compensation has been paid as aforesaid.

1. अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1961 द्वारा अंतःस्थापित।

1. Substituted by Act No. 38 of 1961.

2. Inserted by Act No. 38 of 1961.

(6) राज्य सरकार, ऐसे तालाबों से जल के उपयोग के विनियमन के लिये उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन किसी तालाब के निहित हो जाने से, ऐसे तालाब में के सिंचाई तथा निस्तार के उन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके कि कोई व्यक्ति निहित होने की तारीख के ठीक पूर्व हकदार हो।

[स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये, तालाब के अन्तर्गत उस तालाब के तटबन्धों पर खड़े हुए वृक्ष हैं किन्तु उसके तटबन्धों पर स्थित भवन, मन्दिर या सन्निर्माण नहीं हैं।]

252. २। [विलोपित]

253. उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दण्ड — (1) इस संहिता में अन्यथा उपबन्धित के रिवाय, कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, या जो किन्हीं नियमों या वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज की गई किसी रुद्धि का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा, **[पचास हजार]** रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति का दायी होगा जैसी कि उपखंड अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उचित समझे, तथा उपखंड अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज या किसी अन्य उपज के अधिहरण का भी आदेश दे सकेगा जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे कि उसने वहां से हटा लिया हो।

(2) २। [विलोपित]

(6) The State Government may make rules providing for the regulation of the use of water from such tanks.

(7) The vesting of any tank under sub-section (1) shall not affect the rights of irrigation and nistar in such tank to which any person is entitled immediately before the date of vesting.

[Explanation. — For the purposes of this section, tank includes the trees standing on the embankments of the tank but does not include buildings, temples or other constructions standing on the embankments thereof.]

252. २। [Deleted.]

253. Punishment for contravention of provisions.— (1) Except as otherwise provided in this Code, any person who acts in contravention of the provisions of this chapter or rules made thereunder or who contravenes or fails to observe any rules or custom entered in the Wajib-ul-arz or commits a breach of any entry entered in the Nistar Patrak shall be liable to such penalty not exceeding **[fifty thousand]** rupees as the Sub-Divisional Officer may, after giving such person an opportunity to be heard, deem fit and the Sub-Divisional Officer may further order confiscation of any timber, forest produce, or any other produce which such person may have appropriated or removed from lands belonging to the State Government.

(2) २। [Deleted.]

1. अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

3. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जहां उपखंड अधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करते हुए कोई आदेश पारित करता है, वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि सम्पूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उपायों के, जो कि ऐसे उल्लंघन, भंग या अननुपालन के कारण जनता को होने वाली हानि या क्षति को रोकने के लिये आवश्यक हों, खर्च की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा ।

254. '। विलोपित]

अध्याय — 19

प्रकीर्ण

255. '। विलोपित]

256. नक्शों तथा भू-अभिलेखों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियाँ — ऐसी शर्तों के तथा ऐसी फीस के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए जो कि इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाएँ, समस्त ऐसे राजस्व अभिलेख, नक्शे, तथा भू-अभिलेख, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन तैयार किये गये हों या जिनका उसके अधीन तैयार किया जाना या रखा जाना अपेक्षित हो, युक्तियुक्त समयों पर जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे, और उनमें से प्रमाणित उद्धरण या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उन समस्त व्यक्तियों को दी जाएँगी जो कि उनके लिये आवेदन करें ।

257. राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता — इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे मामले पर, जिसे कि अवधारित करने, विनिश्चित

(3) Where the Sub-Divisional Officer passes an order imposing a penalty under this section, he may direct that the whole or any part of the penalty may be applied to meet the cost of such measures as may be necessary to prevent loss or injury to the public owing to such contravention, breach or non-observance.

254. '। Deleted.]

CHAPTER - XIX MISCELLANEOUS

255. '। Deleted.]

256. **Inspection and copies of maps and land records.** — Subject to such conditions and to the payment of such fees as may be prescribed by rules made under this Code, all revenue record, maps and land records which have been prepared or are required to be prepared or kept under this Code or any other enactment for the time being in force, shall be open to the inspection of the public at reasonable hours, and certified extracts therefrom, or certified copies thereof, shall be given to all persons applying for the same.

257. **Exclusive jurisdiction of revenue authorities.** — Except as otherwise provided in this Code, or in any other enactment for the time being in force, no Civil Court shall entertain any suit instituted or application made to obtain a decision or order on any matter which

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

करने या निपटाने के लिये राज्य सरकार, मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा सशक्त हो, कोई विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिये संरिति किये गये किसी वाद या किये गये किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा, और विशिष्टतया, तथा इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सिविल न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा :—

¹[(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय;

(क-1) जिस प्रयोजन के लिये भूमि धारा 59 के अधीन विनियोजित की गई है उस प्रयोजन बाबत कोई विनिश्चय;]

²[(ख) भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न.]

(ग) ²[(जिला सर्वेक्षण अधिकारी] या कलेक्टर द्वारा आबादी का अवधारण करते हुए किये गये किसी विनिश्चय को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

(घ) भू-राजस्व दिये बिना, या उचित निर्धारण से कम निर्धारण पर भूमि धारण करने के लिये या किसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व पूर्णतः या भागतः समनुदेशित किये जाने के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा;

(ङ) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित भू-राजस्व की रकम;

(च) किन्हीं भू-अभिलेखों में कोई प्रविष्ट कराने या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप

the State Government, the Board, or any Revenue Officer is by this Code, empowered to determine, decide or dispose of, and in particular and without prejudice to the generality of this provision, no Civil Court shall exercise jurisdiction over any of the following matters :—

¹[(a) any decision regarding any right under sub-section (1) of Section 57 between the State Government and any person;

(a-1) any decision regarding the purpose to which land is appropriated under Section 59;]

(b) ²[any question as to the validity or effect of the notification of a land survey;]

(c) any claim to modify a decision determining abadi made by a ²[District Survey Officer] or Collector;

(d) any claim against the State Government to hold land free of land revenue, or at less than the fair assessment, or to be assigned in whole or in part the land revenue assessed on any land;

(e) the amount of land revenue assessed or reassessed under this Code or any other enactment for the time being in force;

(f) any claim against the State Government to have any entry made in any land records or to

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा खंड (क) को खंड (क-1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया गया और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खंड (क-1) के पूर्व नया खंड (क) अंत स्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Clause (a) renumbered as clause (a-1) and before clause (a-1) as so renumbered, new clause (a) inserted by Act No. 42 of 2011.

2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

कराने या उसे संशोधित कराने के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा;

(छ) अध्याय 10 के अधीन सीमांकन किया जाने या सीमा चिन्हों के लगाये जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न;

(ज) राज्य सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा दावा जो भू-राजस्व के संग्रहण से या किसी ऐसी राशि की, जो इस संहिता या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भू-राजस्व के तौर पर वसूली योग्य हो, वसूली से सम्बन्धित हो या उससे उद्भूत होता हो;

(झ) भू-राजस्व की छूट या उसके निलम्बन के लिये, या इस बात की घोषणा के लिये कि किसी वर्ष में फसले बिंदु गई हैं, राज्य सरकार या किसी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई दावा;

(अ) धारा 166 के अधीन कतिपय अन्तरणों के मामलों में समपहरण सम्बन्धी कोई विनिश्चय;

(ट) धारा 168 की उपधारा (4) के अधीन भूमिस्वामी के पट्टेदार की बेदखली;

¹[(ठ) धारा 170 की उपधारा (1) तथा धारा 170-क की उपधारा (2) के खंड (क) तथा (ख) के अधीन किसी भी भूमिस्वामी द्वारा किये गये अन्तरण (हस्तांतरण) को रद्द करने के लिये कोई भी दावा;]

²[(ट-1) धारा 170-ख के अन्तर्गत आने वाला कोई विषय;]

(ड) धारा 182 के अधीन सरकारी पट्टेदार की बेदखली;

(ढ) ³।।। विलोपित।।।

(ण) ³।।। विलोपित।।।

(त) ³।।। विलोपित।।।

(थ) ³।।। विलोपित।।।

have any such entry omitted or amended.

(g) any question regarding the demarcation of boundaries or fixing of boundary marks under Chapter X;

(h) any claim against the State Government connected with or arising out of, the collection of land revenue or the recovery of any sum which is recoverable as land revenue under this Code or any other enactment;

(i) any claim against the State Government or against a Revenue Officer for remission or suspension of land revenue, or for a declaration that crops have failed in any year;

(j) any decision regarding forfeiture in cases of certain transfers under Section 166;

(k) ejectment of a lesser of a bhumiswami under sub-section (4) of Section 168;

¹[(l) any claim to set aside transfer by a bhumiswami under sub-section (1) of Section 170 and clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 170-A;]

²(1-1) any matter covered under Section 170-B]

(m) ejectment of a Government lessee under Section 182;

(n) ³ [Deleted;]

(o) ³ [Deleted;]

(p) ³ [Deleted;]

(q) ³ [Deleted;]

1. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1995 द्वारा अंतःस्थापित।
 3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 18 of 1984.
 2. Inserted by Act No. 38 of 1995.
 3. Deleted by Act No. 23 of 2018.

(द) 'विलोपित' | (r) '[Deleted;]
 (ध) 'विलोपित' | (s) '[Deleted;]
 (न) 'विलोपित' | (t) '[Deleted;]
 (प) 'विलोपित' | (u) '[Deleted;]
 (फ) धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में देय रकम, धारा 210 के अधीन खातों की चकबन्दी की स्कीम की पुष्टि की जाना, धारा 213 के अधीन स्कीम को कार्यान्वित करने के अधिकारों का अन्तरण तथा धारा 215 के अधीन खातों की चकबन्दी के खर्च का निर्धारण तथा प्रभाजन;

(ब) निस्तार-पत्रक में की किरी प्रविष्टि को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

²[(ब-एक) अप्राधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेने के लिए धारा 248 के अधीन शास्ति के संबंध में कोई विनिश्चय;]

³[(भ) धारा 250 के अधीन अनुसूचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी के पुनःस्थापन तथा सिविल कारगार में निरुद्ध के बारे में कोई विनिश्चय;]

¹[(भ-एक) विलोपित |

⁴[(भ-दो) धारा 250-ख के अधीन भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को भूमि का वास्तविक कब्जा परिदान किये जाने के बारे में कोई विनिश्चय;]

(म) धारा 251 के अधीन राज्य सरकार में तालाबों के निहित होने के बारे में कोई विनिश्चय तथा उसके अधीन राज्य सरकार के विरुद्ध उद्भूत होने वाला कोई दावा;

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
 2. अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2000 द्वारा अंतःस्थापित।
 3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. अधिनियम क्रमांक 32 सन् 1997 द्वारा अंतःस्थापित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
 2. Inserted by Act No. 7 of 2000.
 3. Substituted by Act No. 23 of 2018.
 4. Inserted by Act No. 32 of 1997.

(य) इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबच्चों के अधीन अधिरोपित या निर्धारित किसी प्रीमियम, शासित, उपकर या दर को अपास्त कराने या उपान्तरित कराने के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा;

[(य-1) विलोपित ।]

(य-2) किसी राजस्व अधिकारी या इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन के लिये विवश करने हेतु कोई दावा ।

257-क. ^१कतिपय कार्यवाहियों में सबूत का भार तथा विधि-व्यवसायियों का वर्जन – (1) धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन या धारा 169 के परन्तुक के अधीन या धारा 170 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 170-क के अधीन या धारा 250 के अधीन किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों में, जिनके कि पक्षकारों में से एक पक्षकार किसी ऐसी जनजाति का, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी है, उनके अधीन अन्तरण की विधिमान्यता को साबित करने का भार, इस कोड में या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति पर होगा जो कि ऐसे अन्तरण के विधिमान्य होने का दावा करता हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों में, जिनके कि पक्षकारों में से एक पक्षकार ऐसी जनजाति का, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी है, किसी भी पक्षकार की ओर से कोई भी विधि व्यवसायी उस राजस्व अधिकारी/न्यायालय की, जिसके कि समक्ष यह मामला लम्बित हो, लिखित अनुज्ञा से

(z) any claim against the State Government to set aside or modify any premium, penalty, cess or rate imposed or assessed under the provisions of this Code or any other enactment for the time being in force;

[(z-1) deleted;]

(z-2) any claim to compel the performance of any duty imposed by this Code on any Revenue Officer or other officer appointed under this Code.

257-A. ²[(Burden of proof and bar of legal practitioners in certain proceedings.- In any proceedings under sub-section (6) of Section 165, or under the proviso to Section 169 or under sub-section (1) of Section 170 or under Section 170-A or under Section 250 in which one of the parties is a bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165, the burden of proving the validity of transfer thereunder shall, notwithstanding anything contained in this Code or in any other law for the time being in force, lie on the person who claims such transfer to be valid.

(2) No legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of any party in any proceedings specified in sub-section (1) in which one of the parties is a bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of section 165 except with the written permission of the Revenue Officer/Court before whom the case is pending.]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

2. अधिनियम क्रमांक 61 सन् 1976 द्वारा अंतःस्थापित ।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Inserted by Act No. 61 of 1976.

ही उपसंजात होगा, अभिवचन करेगा या कार्य करेगा, अन्यथा नहीं।]

258. नियम बनाने की साधारण शक्ति –
(1) राज्य सरकार, साधारणतः इस संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे:—

(एक) धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निवन्धन तथा शर्तें;

¹[(एक-क) ²धारा 13 की उपधारा (3)] के अधीन प्रस्थापना के प्रकाशन के लिए प्ररूप विहित किया जाना;]

³[(दो) धारा 20 (2) के अधीन भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्यों का विहित किया जाना;]

²[(तीन) निर्धारण की दरे, प्रीमियम का अधिरोपण और भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण और धारा 59 के अधीन व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति;]

(चार) धारा 60 के अधीन उस भूमि पर निर्धारण जिस पर निर्धारण नहीं हुआ हो;

¹[(चार-क) धारा 61 (ड.) के अधीन अन्य अभिलेख विहित करना;

(चार-ख) धारा 63 (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य;]

¹[(पांच) धारा 67 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में

258. General rule making power. - (1)

The State Government may make rules generally for the purpose of carrying into effect the provisions of this Code.

(2) In particulars and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for—

(i) the terms and conditions of service of the President and members of the Board of Revenue constituted under section 3;

¹[(i-a) prescription of Form for publishing proposal under ²[sub-section (3) of section 13];]

³[(ii) the prescription of the duties of Superintendents of Land Records and Assistant Superintendents of Land Records under section 20(2);]

²[(iii) rates for assessment, imposition of premium and assessment and reassessment of land revenue and manner for intimation of diversion under section 59;]

(iv) assessment on unassessed land under Section 60;

¹[(iv-a) prescription of other record under section 61(e);

(iv-b) powers to be exercised and duties shall be discharged under section 63 (2);]

¹[(v) formation of survey numbers, block numbers, plot numbers and

1. Inserted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

3. Substituted by Act No. 23 of 2018.

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अतास्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना ;]

¹[(पांच-क) धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण किया जाना;]

²[(छह) धारा 69 के अधीन भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उपखण्डों की प्रविष्टि किया जाना;]

²[(सात) धारा 71 के अधीन ग्राम या सेक्टर को विभाजित करना या ग्रामों या सेक्टरों को समिलित करना;]

³[(आठ) विलोपित]

⁴[(नौ) विलोपित]

⁴[(दस) विलोपित]

⁴[(ग्यारह) विलोपित]

²[(बारह) धारा 77 के अधीन भू-सर्वेक्षण करने के लिए विनियमन;]

(तेरह) धारा 93 के अधीन नगरीय क्षेत्रों में की भूमियों को भूखण्ड संख्यांकों के रूप में विभाजित किये जाने, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को भूखण्ड संख्यांकों के रूप में मान्य किये जाने, भूखण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित किये जाने या नवीन भूखण्ड संख्यांक विरचित किये जाने का विनियमन;

(चौदह) धारा 94 के अधीन भूखण्ड संख्यांकों को उपखण्डों में विभाजित करने तथा भूखण्ड संख्यांक के निर्धारण को उपखण्डों के बीच प्रभाजित करने की रीति; और किसी रथानीय क्षेत्र में उपखण्डों की मान्यता के लिये या तो क्षेत्रफल की या भू-राजस्व की या दोनों की सीमाएँ;

their grouping into villages in non-urban areas or into sectors in urban areas under section 67;]

¹[(v-a) division or amalgamation of any survey number, block number, plot number and assessment thereof under sub-section (3) of section 68;]

²[(vi) entry of survey numbers, block numbers and plot numbers and their sub-divisions in land record under section 69;

(vii) division and alteration of village or sector by dividing or uniting the villages or sectors under section 71;

³[(viii) deleted;]

⁴[(ix) deleted;]

⁴[(x) deleted;]

⁴[(xi) deleted;]

²[(xii) the regulation of the conduct of land survey under section 77;]

(xiii) regulation of division of lands in urban areas into plot numbers, recognition of existing survey numbers as plot numbers, reconstitution of plot numbers or formation of new plot number under Section 93;

(xiv) the manner of dividing plot numbers into sub-divisions and apportioning the assessment of plot number among the sub-divisions; and the limits either of area or of land revenue or both in any local area for recognition of sub-divisions under Section 94;

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंत स्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा लोप।

4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

१|(पन्द्रह) विलोपित।
 १|(सोलह) विलोपित।
 १|(सत्रह) विलोपित।
 १|(अद्वारह) विलोपित।
 २|(उन्नीस) धारा 104 (2) के अधीन पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक के अन्य कर्तव्यों का विहित किया जाना;]
 (बीस) धारा 106 के अधीन राजस्व निरीक्षकों के अन्य कर्तव्यों का विहित किया जाना;
 २|(इक्कीस) धारा 107 के अधीन नक्शों का माप तथा अन्य विशिष्टियों का विहित किया जाना;]

(बाईस) धारा 108 के अधीन अधिकार-अभिलेख के प्ररूप का तथा उन अतिरिक्त विशिष्टियों का, जो अधिकार-अभिलेख में सम्मिलित किये जाने वाले कागज-पत्रों में प्रविष्ट की जानी हों, विहित किया जाना;
 २|(तेझ्स) धारा 109 तथा 110 के अधीन निम्नलिखित के लिए रीति तथा प्ररूपों का विहित किया जाना –
 ३|(क) अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट करना, प्रज्ञापना;]
 (ख) नामांतरण पूर्व का रकेच, यदि कोई हो;
 (ग) अभिस्वीकृति;
 (घ) रजिस्टर;
 ३|(ङ.) नोटिस का लेख, उसकी प्रज्ञापना या उसका प्रदर्शित किया जाना;]
 (च) प्रतिलिपि का प्रदाय;
 (छ) लंबित मामलों की जानकारी, और
 (ज) फीस का विहित किया

१|(xv) deleted;]
 १|(xvi) deleted;]
 १|(xvii) deleted;]
 १|(xviii) deleted;]
 २|(xix) prescription of other duties of patwaris and Nagar Sarvekshaks under section 104 (2);]
 (xx) prescription of other duties of Revenue Inspectors under Section 106;
 २|(xxi) prescription of other particulars and scale of map under section 107;]

(xxii) the prescription of the form of, and the additional particulars to be entered in the papers to be included in the record of rights under Section 108;

२|(xxiii) prescription of Forms of, and manner for-
 ३|(a) reporting of acquisition of right, intimation;]
 (b) pre-mutation sketch, if any;
 (c) acknowledgement, registers,
 ३|(e) writing, intimation or displaying of notice;]
 (f) supply of copy;
 (g) information of pending cases; and
 (h) prescription of fees, under sections 109, and 110;]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिरक्षित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.
3. Substituted by Act No. 14 of 2020.

जाना।]

१[(चौबीस) विलोपित।]

२[(पच्चीस) धारा 114 के अधीन भू-अभिलेखों को तैयार करना तथा उन्हें विहित करना।]

३[(पच्चीस-क) उस फीस का विहित किया जाना जिसका कि भुगतान किये जाने पर धारा 114-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका दी जाएगी तथा प्रविस्तियों के ब्यौरे विहित किए जाना।]

(छब्बीस) धारा 120 के अधीन सहायता की अध्यपेक्षा का विनियमन;

(सत्ताईस) धारा 121 के अधीन भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, रखा जाना तथा पुनरीक्षित किया जाना;

४[(सत्ताईस-क) वह रीति जिसमें आपत्ति का निपटारा तहसीलदार द्वारा धारा 123 (3) के अधीन किया जायेगा।]

२[(अद्वाईस) धारा 124 के अधीन ग्रामों सेक्टरों के तथा सर्वेक्षण संख्याओं या भूखण्ड संख्याओं के सीमा चिन्हों संबंधी विनिर्देश तथा सन्निर्माण एवं अनुरक्षण की रीति;

५[(अद्वाईस-क) रीति जिसमें किसी व्यक्ति को धारा 126 के अधीन संक्षेपतः बेदखल किया जाए।]

२[(उन्नीस) धारा 127 के अधीन ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वे सु-अवरक्षा में रखे जाएँगे तथा उनका नवीकरण किया जाएगा।]

(तीस) धारा 129 के अधीन सर्वेक्षण संख्याओं, उपखंडों या भूखण्ड संख्याओं का सीमांकन करने की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों

१[(xxiv) deleted;]

२[(xxv) preparation and prescription of land records under section 114;]

३[(xxv-a) prescription of fee on the payment of which Bhoo Adhikar Pustika shall be provided and details of particulars entered into under section 114-A;]

(xxvi) the regulation of requisition of assistance under Section 120;

(xxvii) preparation, maintenance and revision of land records under Section 121;

४[(xxvii-a) manner in which objection shall be disposed of by Tahsildar under Section 123 (3);]

२[(xxviii) specification of, and manner of, construction and maintenance of boundary marks of villages, sectors and survey numbers or plot numbers under section 124;]

५[(xxviii-a) manner in which a person may be summarily ejected under section 126;]

२[(xxix) the manner of demarcating boundary marks between a village road, village waste or land reserved for community purposes and the land adjoining it and the manner in which they shall be kept in repair and renewed under section 127;]

(xxx) the procedure of demarcating the boundaries of survey numbers, sub-divisions, or plot numbers, the nature of boundary marks

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंतःस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 द्वारा अंतःस्थापित।
5. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा अंतःस्थापित।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.
3. Inserted by Act No. 23 of 2018.
4. Inserted by Act No. 25 of 1964.
5. Inserted by Act No. 14 of 2020

का प्रकार तथा फीस का उद्यग्हण;
 १॥(इकतीस) वह रीति, वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहाँ भू-राजस्व धारा 140 के अधीन संदर्भ किया जाएगा; ॥
 (बत्तीस) वह प्ररूप जिसमें धारा 142 के अधीन रसीद दी जायेगी;
 २॥(तैनीस) विलोपित ॥
 (चौतीस) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना जारी करने में और धारा 147 में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं का निष्पादन करने में राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन;
 (पैंतीस) धारा 160 के अधीन ३॥वार्षिकी मंजूर करने के लिये ॥ आवेदन का प्ररूप,
 ३॥वह समय जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जायेगा ॥ तथा ऐसी मन्जूरी की शर्तों का विहित किया जाना;
 (छत्तीस) धारा 161 के अधीन ४॥ xxx ॥ राजस्व के कम किये जाने का विनियमन;
 ४॥(सैंतीस) विलोपित ॥
 (अड्डीस) धारा 165 के अधीन भूमि की अधिकतम सीमाओं का विहित किया जाना;
 (उन्तालीस) उस रीति का विहित किया जाना जिसमें धारा 166 के अधीन समपहृत भूमि का चयन तथा सीमांकन किया जायेगा एवं अन्तरिति के पास बच रही भूमि पर भू-राजस्व नियत किया जायेगा;
 (चालीस) धारा 170 के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन;
 ५॥(चालीस-क) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 170-ख की उपधारा (1) के अधीन उपखंड अधिकारी को जानकारी अधिसूचित की जायेगी; ॥

and the levy of fees under Section 129;
 १ (xxx) manner, persons to whom and the places where, the land revenue shall be paid under section 140;]
 (xxxii) the form in which receipt shall be given under Section 142;
 ३ [(xxxiii) deleted;]
 (xxxiv) the guidance of Revenue Officers in issuing notices of demand under Section 146 and executing the processes specified in Section 147;
 (xxxv) prescription of the form of application २[for grant of annuity,] २[the time within which such application shall be made] and the conditions of such grant under Section 160;
 (xxxvi) the regulation of reduction of revenue ४॥ xxx ॥ under Section 161;
 ४॥ (xxxvii) deleted;]
 (xxxviii) prescription of the ceiling limits of land under Section 165;
 (xxxix) prescription of the manner in which land forfeited under Section 166 shall be selected and demarcated and land revenue fixed on land left with transferee;
 (x) regulation of the procedure in disposing of claims to be placed in possession of a holding under Section 170;
 ५॥(xi-a) the form and manner in which information shall be notified to Sub-Divisional Officer under sub-section (1) of Section 170-B;]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा लोप।
3. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
5. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1980 द्वारा अंतर्खण्डित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Deleted by Act No. 14 of 2020.
3. Substituted by Act No. 24 of 1961.
4. Deleted by Act No. 14 of 2020.
5. Inserted by Act No. 15 of 1980.

¹[(इकतालीस) विलोपित ।

(बयालीस) धारा 173 के अधीन किसी भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों के त्यजन किये जाने का विनियमन;

¹[(तीनतालीस) विलोपित ।

(चवालीस) (क)धारा 178 (2) के अधीन खातों के विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन; और

(ख) ²। ²। **xxx** ।

³[(चवालीस-क) धारा 178-क के अधीन भूमिस्वामी के जीवन काल में विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन]

(पैतालीस) धारा 179 (2) के अधीन वृक्षों में के अधिकार का क्रय करने के हेतु आवेदनों के बारे में राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन;

⁴[(पैतालीस-क) विलोपित;]

²[(छियालीस) विलोपित]

⁵[(सैन्तालीस) विलोपित]

⁵[(अड़तालीस) विलोपित]

⁵[(अड़तालीस-क) विलोपित ।

⁵[(उनचास) विलोपित ।

⁵[(पचास) विलोपित ।

⁵[(इक्यावन) विलोपित ।

(बावन) भू-राजस्व में ऐसी वृद्धि तथा कमी के निर्धारण का विनियमन जैसा कि अध्याय 15 के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात है;

(तिरपन) धारा 222 (1) के अधीन पटेलों की नियुक्ति का विनियमन, जहाँ किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों, वहाँ पटेल के पद के कर्तव्यों के वितरण की शीति,

¹[(xlii) deleted;]

(xlii) regulation of relinquishment of rights by a bhumiswami under Section 173;

¹[(xliii) deleted;]

(Xliv) (a) regulation of partition of holdings and apportionment of assessment under section 178 (2); and

(b) ²। **xxx** ।

³[(xlv-a) regulation of partition in life time of a Bhumiswami and apportionment of assessment under section 178-A;]

(xlv) guidance of Revenue Officers with regard to applications for purchase of right in trees under Section 179 (2);

⁴[(xlv-a) deleted;]

²[(xlvii) deleted;]

⁵[(xlviii) deleted;]

⁵[(xlviii-A) deleted;]

⁵[(xlix) deleted;]

⁵[(li) deleted;]

⁵[(lii) deleted;]

(iii) the regulation of assessment of increase and reduction in land revenue required or permitted under Chapter XV;

(liii) the regulation of appointment of patels under Section 222 (1), the manner of distribution of duties of the office of patel where there are two or more patels in a

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 द्वारा लोप।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंतःस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा लोप।
5. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Deleted by Act No. 25 of 1964.
3. Inserted by Act No. 23 of 2018.
4. Deleted by Act No. 14 of 2020.
5. Deleted by Act No. 23 of 2018.

पटेल के पारिश्रमिक का नियत किया जाना और धारा 224 के अधीन पटेल के अतिरिक्त कर्तव्यों का विहित किया जाना तथा धारा 226 के अधीन उसे पद से हटाया जाना और धारा 228 के अधीन प्रतिस्थानी पटेल का नियुक्त किया जाना;

¹[(चौवन) विलोपित;]

²[(पचपन) (क) कोटवारों की नियुक्ति, उनके लिये दण्ड, उनका निलम्बन और उनकी पदच्युति;
(ख) कोटवारों के कर्तव्यों का विहित किया जाना और उनके पर्यवेक्षण का ढंग;]

³[(छप्पन) विलोपित |

(सत्तावन) धारा 233 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;

⁴[(सत्तावन-क) धारा 233-क के अधीन संधारित रखे जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;]

(अद्वावन) वह रीति जिसमें धारा 234 (2) के अधीन ग्रामवासियों की इच्छाएँ अधिनिश्चित की जाएँगी;

(उनसठ) (क) धारा 237(1) के अधीन निस्तार अधिकारों का प्रयोग करने के लिये दखल रहित भूमि के पृथक् रखे जाने का विनियमन; और

(ख) धारा 237(1) (ट) के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये अन्य प्रयोजन;

⁵[(ग) धारा 237 (3) के अधीन दखल रहित भूमि के व्यपवर्तन का विनियमन;]

village, fixation of remuneration of a patel, and prescription of additional duties of patel under Section 224 and his removal from office under Section 226 and the appointment of a substitute under Section 228;

¹[(iv) deleted ;]

²[(iv) (a) the appointment punishment, suspension and dismissal of Kotwars,
(b) the prescription of the duties and mode of supervision of Kotwars;]

³[(vi) deleted;]

(vii) prescription of the record to be maintained under Section 233;

⁴[(vii-a) prescription of the record to be maintained under section 233-A;]

(viii) the manner in which the wishes of the villagers shall be ascertained under Section 234 (2);

(ix) (a) regulation of setting apart of unoccupied land for the exercise of nistar rights under Section 237 (1); and

(b) other purposes for the exercise of nistar rights under Section 237 (1)(k);

⁵[(c) regulation of diversion of unoccupied land under Section 237 (3).]

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
4. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 प्रतिस्थापित।
5. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1998 द्वारा अंतःस्थापित।

1. Deleted by Act No. 14 of 2020.
2. Substituted by Act No. 31 of 1982.
3. Deleted by Act No. 23 of 2018.
4. Substituted by Act No. 14 of 2020.
5. Inserted by Act No. 1 of 1998.

१[(साठ) धारा 239 (6) के अधीन प्रतिकर की संगणना करने की रीति;]
 (इक्सठ) धारा 240(1) के अधीन वृक्षों के काटे जाने का तथा धारा 240 (3) के अधीन वनोत्पाद (फारेस्ट ग्रोथ) के नियन्त्रण, प्रबन्धन, काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन,
 (बासठ) धारा 241 के अधीन प्रकाशित आदेश को उद्घोषित करने की रीति का विहित किया जाना तथा उसके अधीन वृक्षों को काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन;
 (त्रिसठ) (क) धारा 242 (1) में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों के बारे में रुद्धियों का अभिनिश्चित करने तथा उन्हें अभिलेखित करने की रीति; और
 (ख) धारा 242 (2) के अधीन रुद्धियों का अभिलेख प्रकाशित करने की रीति;
 (चौंसठ) धारा 244 के अधीन आबादी क्षेत्र में स्थलों के निपटारे की रीति का विहित किया जाना;
 (पैंसठ) धारा 249 के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव-जन्तुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनको गोली मारने का तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्हीं पदार्थों के हटाने का विनियमन;
२[(पैंसठ-क) धारा 250 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए;]
 (छियासठ) (क) धारा 251 (2) के अधीन आवेदन के प्रस्तुप का विहित किया जाना; और
 (ख) धारा 251 (6) के अधीन तालाबों से जल के उपयोग का विनियमन,
३[(सड़सठ) विलोपित]
४[(अड़सठ) विलोपित]

१(Ix) manner for calculation of compensation under section 239 (6);]
 (Ix) the regulation of the cutting of trees under Section 240 (1), and of control, management, felling or removal of the forest growth under Section 240 (3);
 (Ixii) prescription of the manner of proclaiming an order published under Section 241 and regulation of the felling or removal of trees thereunder;
 (Ixiii) (a) the manner of ascertaining and recording the customs in regard to matters specified in Section 242 (1); and
 (b) the manner of publication of record of customs under Section 242 (2);
 (Ixiv) prescription of the manner of disposal of sites in the abadi area under Section 244;
 (Ixv) regulation of fishing, catching hunting or shooting of animals in villages and removal of any materials from land belonging to the State Government under Section 249;
२[(Ixv-a) for the purpose of carrying into effect the provisions of section 250;]
 (Ixvi) (a) Prescription of the form of application under Section 251 (2); and
 (b) the regulation of the use of water from tanks under Section 251 (6);
३[(Ixvii) deleted;]
४[(Ixviii) deleted;]

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंतःस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
4. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा लोप।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Inserted by Act No. 23 of 2018.
3. Deleted by Act No. 23 of 2018.
4. Deleted by Act No. 14 of 2020.

(उनहत्तर) धारा 256 के अधीन अभिलेखों, नकशों तथा भू-अभिलेखों का निरीक्षण किया जाने तथा उनकी प्रतिलिपियाँ प्रदान की जाने के लिये शर्तों का विहित किया जाना;

(सत्तर) साधारणतः इस संहिता के अधीन कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिये;

(इकहत्तर) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय।

[(2-क) राज्य सरकार, समय-समय पर, मण्डल की पद्धति तथा प्रक्रिया को तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करते हुए, इस संहिता के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी तथा ऐसे नियमों द्वारा अनुसूची एक में से समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम को बातिल कर सकेगी, परिवर्तित कर सकेगी या परिवर्धित कर सकेगी।

(2-ख) विशिष्टतया तथा उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:-

(क) साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन और साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने वाली उपसंजातियों, किए

(ix) prescription of conditions for inspection and grant of copies of records, maps and land records under Section 256;

(ix) generally for the guidance of Revenue Officer and all other persons in proceeding under this code;

(xi) any other matter which has to be or may be prescribed.

[(2-A) The State Government may, from time to time, make rules consistent with the provisions of this Code regulating the practice and procedure of the Board and the procedure to be followed by other Revenue Courts and may by such rules annul, alter or add to all or any of the rules in Schedule I.

(2-B) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (2A), such rules may provide for all or any of the following matters, namely,-

(a) the service of summons, notices and other processes by post or in any other manner either generally or in any specified areas, and the proof of such service;

(b) the regulation of power of Revenue Officers to summon parties and witnesses and the grant of expenses to witnesses;

(c) the regulation of recognised agents with regard to appearances, applications and acts done by them in proceedings under this Code;

जाने वाले आवेदनों तथा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन;

(घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की करने में किया जाएगा;

(ङ) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसकृत समर्त आनुषंगिक विषय;

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम सम्पत्ति का, जबकि वह कुर्की के अधीन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय फीस, ऐसे पशुधन तथा सम्पत्ति का विक्रय और ऐसे विक्रय के आगम;

(छ) अपील तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन;

(ज) ऐसे समर्त प्रस्तुप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां तथा लेखे जो कि राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या बांधनीय हों;

(झ) वह समय जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में, अपील फाइल की जा सकेगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किए जा सकेंगे;

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों के तथा उनसे आनुषंगिक खर्च;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा तथा ऐसी परीक्षा पर आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;

(ठ) अर्जी लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन ।

(२-ग) ऐसे नियमों का प्रकाशन होने की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जो कि विनिर्दिष्ट की जाए, वही बल और प्रभाव होगा मानो कि वे अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट थे ।

(d) procedure to be observed in effecting attachment of movable and immovable properties;

(e) procedure for publishing, conducting, setting aside and confirming sales and all ancillary matters connected with such proceedings;

(f) the maintenance and custody, while under attachment, of live-stock and other movable property, the fees payable for such maintenance and custody, the sale of such live-stock and property and the proceeds of such sale;

(g) consolidation of appeals and other proceedings;

(h) all forms, registers, books, entries and accounts which may be necessary or desirable for the transaction of the business of Revenue Courts;

(i) the time within which, in the absence of any express provision, appeals or applications for revision may be filed;

(j) the cost of and incidental to any proceedings;

(k) examination of witnesses on commission and payment of expenses incidental to such examination;

(l) licensing of petition-writers and the regulation of their conduct.

(2-C) Such rules shall, from the date of publication or from such other date as may be specified, have the same force and effect as if they were contained in Schedule I.]

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे ।

(4) इस संहिता के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन होंगे जो कि विधान सभा द्वारा किये जाएँ ।

259. कतिपय भू-धृतियों के प्रति निर्देश — किसी अधिनियमिति में —

1] (क) महाकौशल क्षेत्र में के भूमिस्वामी या भूमिधारी; ।
 2] (क-1) मध्यभारत क्षेत्र में पक्के कृषक, माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार;।
 (ख) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में के किसी पचपन पैतालीस कृषक, पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी या किसी तालाब के धारक;
 (ग) सिरोंज क्षेत्र में के खातेदार कृषक या निकुंजधारी; और
 (घ) भोपाल क्षेत्र में के दखलकार; के प्रति किये गये किसी निर्देश के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भूमिस्वामी के प्रति निर्देश है ।

260. ऐसी विधियों के प्रति निर्देश जो किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त न हों — इस संहिता में ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के प्रति, जो राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त न हो, किये गये किसी निर्देश का, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्त्वानी विधि के प्रति निर्देश है ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति “केन्द्रीय अधिनियम” का वही अर्थ होगा जो कि साधारण खंड अधिनियम, 1897

(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

(4) All rules made under this Code shall be laid on the table of the Legislative Assembly and shall be subject to such modifications as the Legislative Assembly may make.

259. Reference to certain tenures. — Any reference in any enactment to, —

1] (a) A bhumiswami or a bhumidhari in the Mahakoshal region;
 2] (a-i) a pakka tenant, muafid, inamdar or a concessional holder in the Madhya Bharat region;]
 (b) a pachpan paintalis tenant, pattedar, grove holder or a holder of a tank in the Vidhaya Pradesh region;
 (c) a Khatedar tenant or a grove holder in the Sironj region; and
 (d) an occupant in the Bhopal region; Shall be deemed to be reference to a bhumiswami.

260. Reference to laws not in force in any region. — Any reference this Code to a Central Act which is not in any region of the State shall in relation to that region be construed as a reference to the corresponding law in force in that region.

Explanation. — For purposes of this section the expression “Central Act” shall have the same meaning as assigned to it in Section 3 (7) of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897).

1. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा अंतःस्थापित ।
 2. खंड (क) को उपखंड (क-1) के रूप में अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1961 द्वारा पुनर्क्रमांकित ।

1. Inserted by Act No. 23 of 2018.

2. Clause (a) renumbered as clause (a-1) by Act No. 24 of 1961.

(1897 का क्रमांक 10) की धारा 3 (7) में उसके लिये दिया गया है।

261. निरसन तथा व्यावृत्ति – अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ, एतदवारा, उसके (अनुसूची 2 के) चौथे स्तम्भ में वर्णित सीमा तक निरस्त की जाती हैं: –

परन्तु निरसन –

- (क) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
- (ख) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
- (ग) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
- (घ) यथापूर्वक किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा, और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार उसी प्रकार सरित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियमित पारित ही नहीं हुआ था :

261. Repeal and saving. — The enactments specified in Schedule II are hereby repealed to the extent mentioned in the 4th column thereof:

Provided that the repeal shall not affect—

- (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed; or
- (c) Any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any office committed against any law so repealed; or
- (d) Any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, constituted or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही (जिसमें बनाये गये कोई नियम, किये गये निर्धारण, की गई नियुक्तियाँ तथा किये गये अन्तरण, जारी की गई अधिसूचनाएँ, जारी किये गये समन, जारी की गई सूचनाएँ, जारी किये गये वारण्ट तथा जारी की गई उद्घोषणाएँ, प्रदत्त प्राधिकार तथा शक्तियाँ, मंजूर किये गये फार्म तथा पट्टे तैयार किये गये या पुष्टि किये गये अधिकार अभिलेख तथा अन्य अभिलेख, अर्जित किये गये अधिकार, उपगत किये गये दायित्व तथा नियत किये समय तथा स्थान समिलित हैं) के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस संहिता के तत्त्वान्वयनी उपबन्धों के अधीन की गई है और वह तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वह इस संहिता के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए ।

262. अस्थायी उपबन्ध— (1) इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ऐसे समस्त मामले, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में राज्य सरकार के या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष, चाहे अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन में या अन्यथा लम्बित हों, ऐसी समुचित विधि के जो कि इस संहिता के पारित न होने की दशा में उन मामलों को लागू होती, उपबन्धों के अनुसार विनिश्चय किये जाएँगे ।

(2) इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय किसी सिविल न्यायालय में लम्बित कोई ऐसा मामला, जो इस संहिता के अधीन केवल किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उस विधि के अनुसार निपटाया जायेगा जो कि इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त हो ।

(3) अनुसूची (3) वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन की ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ जो

Provided further that subject to the preceding proviso, anything done or any action taken (including any rules, assessment, appointments and transfers made, notifications and powers conferred, forms and leases granted, record-of-rights, and other records framed or confirmed, rights acquired, liabilities incurred and times and place appointed), under any such enactment shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this code and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or action taken under this Code

262. Transitory provisions.— (1) Save as otherwise expressly provided in this Code, all cases pending before the State Government or any Revenue Court in any region immediately before the coming into force of this Code, whether in appeal, revision, review or otherwise shall be decided in accordance with the provisions of the appropriate law, which would have been applicable to them had this Code not been passed.

(2) Any case pending in civil court at the coming into force of this Code, which would under this Code be exclusively triable by a Revenue Court, shall be disposed of by such Civil Court according to the law in force prior to the commencement of this Code.

(3) All proceeding under any of the laws described in Scheduled III pending

इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य सरकार के समक्ष लम्बित हों, ऐसे प्रारम्भ पर, मण्डल को अन्तरित हो जाएँगी और तदुपरि वे मण्डल द्वारा इस प्रकार निपटाई जाएँगी मानो कि वे मण्डल द्वारा इस संहिता के अधीन ग्रहण की गई कार्यवाहियाँ हों ।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, "राज्य सरकार" के अन्तर्गत राज्यपाल, मन्त्रिपरिषद या कोई मंत्री है ।

263. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति — (1) यदि इस संहिता के उपबन्धों को किसी क्षेत्र में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, राज्य सरकार, राज्यपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो कि उस कठिनाई का निराकरण करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रतिलिपि, उसके पारित किये जाने के पश्चात् यावतशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी ।

264. संहिता कतिपय मामलों में लागू नहीं होगी — इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार से भूमि धारण करता है ।

before the State Government immediately before the commencement of this Code shall, on such commencement, stand transferred to the Board, and shall thereupon be disposed of by the Board as if they were proceeding entertained by the Board under this Code.

Explanation. — For the purpose of this sub-section "State Government" shall include Government, Council of Ministers or a Minister.

263. Power to remove difficulties. — (1) If any difficulty arises in giving effect in any region to the provisions of this Code, the State Government may, by order notified in the Gazette, make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary for the removal of the difficulty.

(2) A copy of the order passed under sub-section (1) shall as soon as may be after it is passed be laid before the Legislative Assembly.

264. Code not to apply in certain cases. — Nothing contained in this Code shall apply to a person who holds land from the Central Government.

अनुसूची 1

¹ [(दैखें धारा 258 (2-क) तथा (2-ग)]

राजस्व-अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों के प्रक्रिया के नियम

(सिर्फ राजस्व भण्डल के लिए लागू)

समन का जारी किया जाना

1. प्रत्येक समन लिखित में दो प्रतियों में होगा और वह जारी करने वाले अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह इस सम्बन्ध में सशक्त करे, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होगा और उसमें वह समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट होगा जब और जहां हाजिर होने के लिये अपेक्षित व्यक्ति समन किया गया है, और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि वह साक्ष्य देने के लिये अपेक्षित है या दस्तावेज पेश करने के लिये।

2. किसी पक्षकार को जारी किये जाने वाले प्रत्येक समन के साथ कार्यवाहियों की विषय-वरतु के बारे में एक सक्षिप्त कथन होगा।

3. दस्तावेज पेश करने का समन ऐसी दस्तावेजों को या इस प्रकार की उन समस्त दस्तावेजों को पेश करने के लिये हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएँ और जो समन किये गये व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हों।

समन की तामील का ढंग

4. प्रत्येक समन की तामील, उसकी एक प्रति समन किये व्यक्ति को व्यक्तिशः या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को निविदत्त या परिदत्त करके की जायेगी।

5. जहां समन किया गया व्यक्ति नहीं पाया जा सके और उसका कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता न हो, वहां तामील समन किये गये व्यक्ति के कुटुम्ब के

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 द्वारा, उस सीमा तक जहां तक राजस्व भण्डल के लिए प्रभावशील हैं को छोड़कर, शेष दिनांक 19.07.2019 से निरसित।

SCHEDULE I

¹ [(See Section 258 (2-a) and (2-c)]

**RULES OF PROCEDURE OF REVENUE
OFFICERS**

AND REVENUE COURTS

(Applicable only for Revenue Board)

ISSUE OF SUMMONS

1. Every summons shall be in writing, in duplicate and shall be signed and sealed by the officer issuing it or by such person as he empowers in his behalf, and it shall specify the time and place at which the person summoned is required to attend, and also whether he is required to give evidence or to produce a document.

2. Every summons to a party shall be accompanied by a concise statement about the subject-matter of the proceedings.

3. A summons to produce documents may be for the production of certain specified documents or for the production of all documents of a certain description in the possession or power of the person summoned.

MODE OF SERVICE OF SUMMONS

4. Every summons shall be served by tendering or delivering a copy of it to the person summoned personally or to his recognised agent.

5. Where the person summoned cannot be found and has no recognised agent, service may be made on any adult male

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.

ऐसे किसी व्यस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण — इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

6. जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति किये गये व्यक्ति को स्वयं या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को परिदृष्ट या निविदत्त करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति परिदृष्ट या निविदत्त की गई है, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्थीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे।

7. यदि समन की तामील नियम 4, 5 और 6 में उपबन्धित रीति में नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति समन किये गये व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे ग्राम के किसी लोक समागम के स्थान पर लगाई जानी चाहिए।

8. जहां समन की प्रति नियम 7 — में उपबन्धित किये अनुसार लगा दी जाती है, वहां तामील करने वाला अधिकारी उस समन की मूल प्रति उस न्यायालय को जिसने कि वह समन जारी किया था उस पर पृष्ठांकित या उससे उपावद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटायेगा जिसमें वह कथित होगा कि उसने वह प्रति लगा दी है और वे परिस्थितियाँ, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और व्यक्ति का नाम तथा पता कथित होगा जिसकी उपरिथिति में प्रति लगाई गई थी और जहां वह प्रति समन किये गये व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर लगाई गई हो, वहां रिपोर्ट में उस व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम और पता भी दिया होगा जिसने कि यह पहचाना था।

9. यदि समन किया गया व्यक्ति किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो समन तामील के लिये ऐसे जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

member of the family of the person summoned, who is residing with him.

Explanation.— A servant is not a member of the family within the meaning of this rule.

6. Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the person summoned personally or to his recognised agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person, to whom the copy is delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summons.

7. If service of the summons cannot be effected in the manner provided in Rules 4, 5 and 6 a copy thereof should be affixed at the last known place of residence of the person summoned or at some place of public resort in such village.

8. Where a copy of the summons is affixed as provided in Rule 7, the serving officer shall return the original copy of the summons to the Court from which it was issued with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has affixed the copy, the circumstances under which he did so and the name and the address of the person in whose presence the copy was affixed and where the Copy is affixed at the last known place of residence of the person summoned, the report shall also contain the name and address of the person, if any, by whom the house was identified.

9. If the person summoned resides in another district, the summons may be sent by post to the Collector of such district for service.

समन के अनुपालन का ढंग

10. इस संहिता के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जो साक्ष्य देने के लिये किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के लिये समन किया जाता है, ऐसे समय तथा स्थान पर हाजिर होगा जो समन में इस प्रयोजन के लिये बतलाया गया हो और दस्तावेज पेश करने के लिये समन किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसे समय तथा स्थान पर वह दस्तावेज पेश करने के लिये हाजिर होगा या उसे पेश करवाएगा।

सूचना तामील करने का ढंग

11. प्रत्येक सूचना की तामील उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को निविदत्त या परिदत्त करके की जायेगी—

परन्तु जहां सम्बन्धित व्यक्ति या मान्यताप्राप्त अभिकर्ता कोई प्लीडर हो, वहां सूचना की तामील उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में या उस स्थान पर जहां कि मामूली तौर से निवास करता है, छोड़कर की जा सकेगी और ऐसी तामील उसी प्रकार प्रभावी मानी जायेगी जैसी कि स्वयं मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर की गई तामील।

12. जहां सम्बन्धित व्यक्ति पाया नहीं जा सके और उसका कोई मान्यताप्राप्त अभिकर्ता न हो, वहां तामील सम्बन्धित व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी ऐसे वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी जो कि उसके साथ निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण — इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

13. जहां तामील करने वाला अधिकारी सूचना की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं या किसी अभिकर्ता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे यह

MODE OF COMPLIANCE WITH SUMMONS

10. Subject to the provisions of the Code whoever is summoned to appear before a Revenue Officer to give evidence shall attend at the time and place named in the summons for that purpose, and whoever is summoned to produce a document, shall either attend to produce it, or cause it to be produced, at such time and place.

MODE OF SERVING NOTICE

11. Every notice shall be served by tendering or delivering a copy of it to the person concerned personally or to his recognised agent

Provided that, where the recognised agent of the person concerned is a pleader, the notice may be served by leaving a copy thereof at his office or at the place of his ordinary residence, and such service shall be deemed to be as effectual as service on the recognised agent personally.

12. Where the person concerned cannot be found and has no recognised agent, service may be made on any adult male member of the family of the person concerned, who is residing with him.

Explanation. —A servant is not a member of the family within the meaning of this rule.

13. Where the serving officer delivers or tenders a copy of the notice to the person concerned personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person, to whom the

अपेक्षा करेगा कि वह मूल सूचना पर पृष्ठाकित तामील को अधिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे।

14. यदि सूचना की तामील नियम 11, 12, और 13 में उपबन्धित रीति में नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर या उस ग्राम के, जिसमें सूचना से सम्बन्धित भूमि स्थित है या जहां से उस भूमि पर खेती की जाती है, लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जा सकेगी।

15. जहां सूचना की प्रति नियम 14 में उपबन्धित किये अनुसार लगा दी जाती है, वहां तामील करने वाला अधिकारी उस सूचना की मूल प्रति, उस अधिकारी को जिसने कि उसे जारी किया था उस पर पृष्ठाकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटायेगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने उस प्रति को लगा दिया है, और वे परिस्थितियाँ, जिनमें उसने ऐसा किया कथित होंगी और उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथित होगा जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी और जहां वह प्रति उस व्यक्ति के, जिसके कि लिये वह सूचना जारी की गई हो, अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर लगाई गई हो, वहां रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम तथा पता भी दिया होगा जिसने कि गृह पहचाना था।

16. यदि वह व्यक्ति, जिस पर सूचना तामील की जानी है, किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो सूचना तामील के लिये ऐसे जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

उद्घोषणाएँ जारी करने का ढंग

17. जब कभी इस संहिता के अधीन कोई उद्घोषणा जारी की जाती है, तो उसकी प्रतिलिपियाँ उसे जारी करने वाले राजस्व अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर, उस तहसील के जिसके भीतर उद्घोषणा से सम्बन्धित भूमि स्थित है, मुख्यालय पर और उस उद्घोषणा से सम्बन्धित भूमि पर के

copy is delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original notice.

14. If service of the notice cannot be effected in the manner provided in Rules 11, 12 and 13 a copy thereof may be affixed at the last known place of residence of the person concerned or at some place of public resort in the village in which the land to which the notice relates is situate or from which the land is cultivated.

15. Where a copy of the notice is affixed as provided in Rule 14, the serving officer shall return the original copy of the notice to the officer who issued it, with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, the name and address of the person in whose presence the copy was affixed and where the copy is affixed at the last known place of residence of the person noticed, the report shall also contain the name and address of the person by whom the house was identified.

16. If the person to whom a notice is to be served resides in another district, the notice may be sent by post to the Collector of such district for service.

MODE OF ISSUING PROCLAMATIONS

17. Whenever a proclamation is issued under this Code, copies thereof shall be posted on the notice board of the office of the Revenue Officer issuing it, at the headquarters of the tahsil within which the land to which it refers is situate, and at some place of public resort on or adjacent

या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर लगाई जायेगी और जब तक कि उसे जारी करने वाला अधिकारी अन्यथा निदेश न दे, उपर्युक्त के अतिरिक्त वह उद्घोषणा उस भूमि पर या उसके निकट डोडी पिटवाकर प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वह उद्घोषणा सम्बन्धित है।

आदेश

18. किन्हीं कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक मूल आदेश में मामले का सक्षिप्त कथन, विनिश्चय के लिये मुद्दे, उन पर किया गया विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होगे।

कुर्की

19. बकायादार के कब्जे में की ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की जो कृषि उपज के भिन्न है—(1) जहाँ बकायादार के कब्जे में की कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज से भिन्न जगम सम्पत्ति है वहाँ कुर्की वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा की जायेगी और कुर्की करने वाला अधिकारी उस सम्पत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से एक की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

परन्तु जब अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से ज्यादा होना सम्भाव्य है, तब कुर्की करने वाला अधिकारी उसका तुरन्त ही विक्रय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जब कुर्की की गई सम्पत्ति पशुधन, कृषि उपकरण या अन्य ऐसी वस्तुएँ हैं जो सुविधापूर्वक हटाई नहीं जा सकती और कुर्की करने वाला अधिकारी इस नियम के प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य नहीं करता है, तो वह बकायादार की या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का

to the land to which it refers, and unless the officer issuing it otherwise directs, the proclamation shall be further published by beat of drum on or near the land to which it refers.

ORDER

18. Every original order passed by a Revenue Officer in any proceedings shall contain a concise statement of the case, the points for decision, the decision thereon and the reasons for such decision.

ATTACHMENT

19. **Attachment of movable property other than agricultural produce in possession of defaulter**—(1) Where the property to be attached is movable property other than agricultural produce, in the possession of the defaulter, the attachment shall be made by actual seizure, and the attaching officer shall keep the property in his own custody or in the custody of any of his subordinates and shall be responsible for the due custody thereof :

Provided that, when the property seized is subject to speedy and natural decay or when the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once :

Provided further that when the property attached consists of live-stock, agricultural implements or other articles which cannot be conveniently removed, and the attaching officer does not act under the first proviso to this rule, he may at the instance of the defaulter or any person claiming to be interested in such property, leave it in the village or at the place where it has been attached —

दाव करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर उस सम्पत्ति को उस ग्राम में या उस स्थान पर, जहां कि वह कुर्क की गई है –

(क) बकायादार के, या उस स्थान के काजी हाउस के रखवाले के यदि कोई हो, भारसाधन में छोड़ सकेगा, या

(ख) ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दाव करने वाले व्यक्ति या किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के भारसाधन में छोड़ सकेगा जो ऐसी सम्पत्ति को रखने का जिम्मा ऐसी सम्पत्ति मूल्य से कम न होने वाली रकम का, एक या अधिक प्रतिभुआँ सहित, इस आशय का बन्धपत्र लिखकर ले ले कि वह ऐसी सम्पत्ति की उचित देखभाल करेगा और मांग की जाने पर उस सम्पत्ति को पेश कर देगा।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची बनायेगा और उस सूची पर उस व्यक्ति की, जिसकी की अभिरक्षा में वह सम्पत्ति छोड़ी गई है, अभिरक्षीकृति और यदि सम्भव है, तो बकायादार की और कम से कम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अभिस्थीकृति, उस सूची के सही होने के अनुप्रमाणन के तौर पर अभिप्राप्त करेगा। यदि कुर्क की गई सम्पत्ति में पशुधन तथा अन्य वस्तुएँ दोनों ही समिलित हैं, तो पशुधन की एक पृथक सूची भी उसी प्रकार तैयार की जायेगी और अनुप्रमाणित की जायेगी।

20. (1) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की के वारण्ट की एक प्रति –

(क) उस दशा में जब, ऐसी उपज उगती फसल है, उस भूमि पर, जिसमें ऐसी फसल उगी है, या

(ख) उस दशा में, जब ऐसी उपज काटी जा चुकी है, या इकट्ठी की जा चुकी है,

(a) in the charge of the defaulter, or of the station pound-keeper, if any; or

(b) in the charge of the person claiming to be interested in such property or of such respectable person as will undertake to keep such property, on his entering into a bond with one or more sureties in an amount not less than the value of the property, that he will take proper care of such property and produce it when called for.

(2) The attaching officer shall make a list of the property attached and shall obtain thereto the acknowledgement of the person in whose custody the property is left, and if possible, of the defaulter and of at least one respectable person in attestation of the correctness of the list. If the property attached includes both live-stock and other articles a separate list of the live-stock shall similarly be prepared and attested.

20. (1) Where the property to be attached is agricultural produce, the attachment shall be made by affixing a copy of the warrant of attachment —

(a) where such produce is a growing crop, on the land on which such crop has grown; or

(b) where such produce has been cut or gathered, on the threshing

खलिहान में या अनाज गहाने के स्थान में या तदरूप स्थान में या चारे के ढेर पर, जिस पर या जिसमें वह निष्क्रिय की गई है;

लगाकर और एक अन्य प्रति उस गृह के, जिसमें कि बकायादार मामूली तौर से निवास करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर या यदि कोई ऐसा गृह न हो, तो उस गृह के, जिसमें कि वह कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वहां वह अतिम बार निवास करता था या कारबार करता था या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता था, बाहरी द्वार पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर कुर्की की जायेगी, और तदुपरि यह समक्षा जायेगा कि न्यायालय के कब्जे में आ गई है।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी कृषि उपज की अभिरक्षा के लिये और साथ ही उपज की रखवाली करने, कटाई करने, इसे इकट्ठा करने और उसे भण्डार में रखने के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी कि वह पर्याप्त समझ और उसे पकड़ने या उसके परिष्काण के लिये आवश्यक कोई अन्य कार्य करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन उपगत खर्च बकायादार द्वारा वहन किये जायेंगे।

21. (1) जहां कुर्क किया गया पशुधन बकायादार के भारसाधन में नहीं छोड़ा गया है, वहां उसे खिलाने-पिलाने के व्यय ऐसी दर से प्रभारित किये जायेंगे जो कलेक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नियत करे।

(2) जहां कुर्क की गई सम्पत्ति कोई ऐसी जंगम सम्पत्ति है जो कृषि उपज या पशुधन से भिन्न है और वह बकायादार के भारसाधन में नहीं छोड़ी गई है, वहां उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यय ऐसी दर से प्रभारित किया जायेगा जो कलेक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे।

floor or place for treading out gain or the like or fodder-stack on or in which it is deposited;

and another copy on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which the defaulter ordinarily resides or if there is no such house, on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which he carries on business or personally works for gain or in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain; and the produce shall thereupon be deemed to have passed into the possession of the Court.

(2) The attaching officer shall make such arrangements for the custody of the agricultural produce as he may consider sufficient and also to tend, cut, gather and store the produce and do any other act necessary for maturing or preserving it.

(3) The costs incurred under sub-rule (2) shall be borne by the defaulter.

21. (1) Where the live-stock attached is not left in the charge of the defaulter, the expenses for feeding and watering it shall be charged at such rate as the Collector may, by general or special order, fix.

(2) Where the property attached is movable property other than agricultural produce or live-stock, and is not left in the charge of the defaulter, the expenditure for its safe custody shall be charged at such rate as the Collector may, by general or special order, fix.

(3) उपनियम (1) या (2) के अधीन उपगत खर्च सम्पत्ति के विक्रय आगम पर प्रथम भार होंगे।

22. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) के आदेश 21 के नियम 46 से 53 तक के उपबन्ध, जो उन नियमों के अधीन विभिन्न वर्गों की सम्पत्ति की कुर्की के सम्बन्ध में हैं, जहां तक हो सके, इस संहिता के अधीन की गई कुर्की को लागू होंगे।

23. (1) जहां कि सम्पत्ति स्थावर है, वहां कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जायेगी जो सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित या भारित करने से बकायादार को और ऐसे अन्तरण या भार से कोई भी फायदा उठाने से समरत व्यक्तियों को प्रतिषिद्ध करता है।

(2) वह आदेश ऐसी सम्पत्ति में के या उसके पार्श्वरथ किसी स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रुद्धिगत रीति से उद्घोषित किया जायेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और तब राजस्व अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर लगाई जायेगी।

(3) ऐसा आदेश मूल्य देकर वास्तविक क्रेताओं से विरुद्ध उस तारीख से, जिसको कि आदेश की प्रति सम्पत्ति पर लगाई गई हो तथा बकायादार के अन्य समरत अन्तरितियों के विरुद्ध उस तारीख से, जिसको कि ऐसा आदेश किया गया हो, प्रभावी होगा।

24. (1) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध, जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कुर्क की गई है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की गई है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा खड़ा किया जाता है, तो राजरव अधिकारी उस दावे के सम्बन्ध में जांच करेगा और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

(3) The costs incurred under sub-rules (1) and (2) shall be first charge on the sale-proceeds of the property.

22. The provisions of Order XXI, Rules 46 to 53 of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) regarding the attachment of the several classes of movable property dealt with in those rules shall as far as may be, apply to the attachment made under this Code.

23. (1) Where the property is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the defaulter from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge

(2) The order shall be proclaimed at some place on or adjacent to such property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and then on the notice board of the office of the Revenue Officer.

(3) The order shall take effect as against purchasers for value in good faith from the date when a copy of the order is affixed on the property and against all other transferees from the defaulter from the date on which such order is made.

24. (1) If any claim is set up by a third person to the property attached or proceeded against under the provisions of this Code, the Revenue Officer shall enquire into the claim and may admit or reject it.

(2) वह व्यक्ति, जिसके कि विरुद्ध उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश किया गया हो, उस अधिकार को स्थापित करने के लिये जिसका कि वह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो कि कुर्क की गई हो, दावा करता है, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर वाद संस्थित कर सकता है; ऐसे वाद के, किन्तु यदि कोई हो, परिणाम के अध्ययनीन रखते हुए, वह आदेश निश्चायक होगा।

विक्रय साधारणतः

25. प्रत्येक विक्रय इस सम्बन्ध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जायेगा और वह लोक नीलाम द्वारा किया जायेगा।

26. (1) राजस्व अधिकारी आशयित विक्रय की उद्घोषणा करवायेगा जिसमें विक्रय का समय तथा स्थान कथित होगा और उसमें निम्नलिखित बातें यथासम्भव क्रमजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी—

- (क) वह सम्पत्ति जो बेची जानी है;
- (ख) जहां वह सम्पत्ति, जो बेची जानी है, सरकार को राजस्व देने वाली किसी भूमि में कोई हित है, वहां उस भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व;
- (ग) वह रकम, जिसकी वसूली के लिये विक्रय आदिष्ट किया गया है, और
- (घ) प्रत्येक अन्य बात जिसके बारे में राजस्व अधिकारी का विचार हो कि सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिये उसकी जानकारी क्रेता के लिये तात्परिक है।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा किसी खाते के विक्रय के सम्बन्ध में है, तो उसकी एक प्रति उस सरकारी बैंक तथा

(2) The person against whom an order is made under sub-rule (1) may, within one year from the date of the order, institute a suit to establish the right which he claims to the property attached or proceeded against; but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

SALE GENERALLY

25. Every sale shall be conducted by an officer or other person appointed by a general or special order in this behalf and shall be made by public auction.

26. (1) The Revenue Officer shall cause a proclamation of the intended sale to be made stating the time and place of sale and specifying as fairly and accurately as possible—

- (a) the property to be sold;
- (b) the land revenue assessed upon the land where the property to be sold is an interest in land paying revenue to the Government;
- (c) the amount for the recovery of which the sale is ordered; and
- (d) every other thing which the Revenue Officer considers materials for a purchaser to know in order to judge the nature and the value of the property.

(2) A copy of the proclamation issued under sub-rule (1) where it relates to the sale of any holding shall be sent to the Co-operative and the Land Mortgage Bank

भू-बन्धक बैंक को भेजी जायेगी जो कि उस क्षेत्र के भीतर कार्यरत हो जिसमें वह खाता स्थित है।

27. यदि राजस्व अधिकारी, ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह बकायादार को समन कर सकेगा और विक्रय उद्घोषणा में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा कर सकेगा।

28. नियम 19 के प्रथम परन्तुक में वर्णित किसी की सम्पत्ति की दशा में के सिवाय, एतद्वीन कोई भी विक्रय, बकायादार की लिखित सहमति के बिना –

- (एक) रविवार या सिविल न्यायालय के किसी प्राधिकृत अवकाश के दिन या किसी ऐसे दिन, जो उस क्षेत्र के लिये, जिसमें विक्रय किया जाना हो, स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया हो, नहीं होगा, और
- (दो) तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से, जिसको कि उसकी उद्घोषणा की गई थी, कम से कम तीस दिन का अवसान न हो गया हो।

29. (1) राजस्व अधिकारी एतद्वीन विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन और घन्टे तक के लिये स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा और ऐसे किसी विक्रय का संचालन करने वाला अधिकारी रथगन के अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए विक्रय को स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा।

परन्तु जहां राजस्व अधिकारी का आदेश समय पर अभिप्राप्त किया जा राकता है, वहां कोई भी ऐसा रथगन ऐसे आदेश के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) जहां विक्रय पंद्रह दिन से अधिक की कालावधि के लिये उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया

operating within that area in which the holding is situate.

27. The Revenue Officer may, if he considers this necessary, summon the defaulter and examine him with respect to any matters to be included in the sale proclamation.

28. Save in the case of property of the kind described in the first proviso to Rule 19, no sale hereunder shall, without the consent in writing of the defaulter take place –

- (i) on Sunday or on any authorised Civil Court holidays or on any day declared as a local holiday for the area in which the sale is to be held; and
- (ii) until after the expiration of at least thirty days from the date on which the proclamation thereof was made.

29. (1) The Revenue Officer may, in his discretion, adjourn any sale hereunder to a specified day and hour and the officer conducting any such sale may, in his discretion, adjourn the sale recording his reasons for such adjournment:

Provided that where the order of the Revenue Officer can be obtained in time, no such adjournment shall be made without such order.

(2) Where a sale is adjourned under sub-rule (1) for a longer period than fifteen

जाता है, वहां तब के सिवाय जब कि बकायादार उसका अधित्यजन करने के लिये अपनी सम्मति दे दे, नई उदधोषणा की जायेगी।

(3) यदि लॉट से लिये बोली के समाप्त होने से पहले ही शोध रकम और खर्च विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को नियिदत्त कर दिये जाते हैं या उस समाधानप्रद रूप में यह सबूत दे दिया जाता है कि शोधों की रकम और खर्चों का उस राजस्व अधिकारी को भुगतान किया जा चुका है जिसने विक्रय का आदेश दिया था तो ऐसा प्रत्येक विक्रय रोक दिया जायेगा।

30. क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विक्रय में जो कमी कीमत में हो जाये वह व्यक्तिक्रम करने वाले क्रेता से उस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों कि वह भू-राजस्व का बकाया हो।

31. कोई भी ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी विक्रय के सिलसिले में किसी कर्तव्य का पालन करना हो, बेची गई सम्पत्ति के किसी हित के लिये न तो प्रत्यक्ष और न परोक्ष रूप से बोली लगायेगा और न उसे अर्जित करेगा और न अर्जित करने की प्रयत्न करेगा।

जंगम सम्पत्ति का विक्रय

32. (1) जहाँ बेची जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहां विक्रय —

- (क) यदि ऐसी उपज उगती फसल है, तो उस भूमि पर या उसके समीप किया जायेगा जिसमें कि ऐसी फसल उगी है; या
- (ख) यदि ऐसी उपज काटी जा चुकी है या इकट्ठी की जा चुकी है, तो खिलिहान में या अनाज गहाने के रथान में या तदरूप किसी स्थान में या चारे के द्वे पर या उसके समीप किया जायेगा :

days, a fresh proclamation shall be made unless the defaulter consents to waive it.

(3) Every sale shall be stopped if, before the lot is knocked down, the amount due and costs are tendered to the officer conducting the sale, or proof is given to his satisfaction that the amount of such dues and costs have been paid to the Revenue Officer who ordered the sale.

30. Any deficiency of price which may happen on a resale by reason of the purchaser's default shall be recoverable from the defaulting purchaser as if it were an arrear of land revenue.

31. No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

SALE OF MOVABLE PROPERTY

32. (1) Where the property to be sold is agricultural produce, the sale shall be held—

- (a) if such produce is a growing crop, on or near the land on which such crop has grown; or
- (b) if such produce has been cut or gathered, at or near the threshing floor or place for treading out grain or the like or fodder stack :

परन्तु यदि राजस्व अधिकारी की यह राय हो कि वैसा करने से उपज अधिक फायदे पर बेची जा सकती है तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि विक्रय लोक समागम के निकटतम किसी स्थान पर किया जाये।

(2) जहाँ, उपज की विक्रय के लिये पुरोधृत किये जाने पर –

- (क) विक्रय करने वाले व्यक्ति के अनुमान से उसके लिये ऋजु मूल्य की बोली नहीं लगाई गई है; और
- (ख) उस उपज का स्थानीय या उसकी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति विक्रय को आगामी दिन तक या यदि विक्रय के स्थान पर कोई मण्डी लगती है, तो अगली मण्डी लगने के दिन के लिये मुल्तवी करने के लिये आवेदन करता है, वहाँ विक्रय तदनुसार मुल्तवी कर दिया जायेगा और तत्पश्चात् उपज के लिये चाहे कोई भी कीमत लगे वह पूरा कर दिया जायेगा।

33.(1) जहाँ बेची जाने वाली सम्पत्ति उगती फसल और वह ऐसी प्रकृति की है कि उसे भण्डार में रखा जा सकता है किन्तु उसे उस समय तक भण्डार में नहीं रखा गया है, वहाँ विक्रय का दिन इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उस दिन के आने से पहले उसे भण्डार में रखे जाने के लिये तैयार कर लिया गया है और विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक फसल काट नहीं ली जाती है या इकट्ठी नहीं कर ली जाती है और भण्डार में रखे जाने के लिये तैयार नहीं कर ली जाती है।

(2) जहाँ फसल की प्रकृति ऐसी है कि उसे भण्डार में नहीं रखा जा सकता है, या जहाँ राजस्व

Provided that the Revenue Officer may direct the sale to be held at the nearest place of public resort, if he is of opinion that the produce is thereby likely to sell to greater advantage.

(2) Where, on the produce being put up for sale —

- (a) a fair price, in the estimation of the person holding the sale, is not offered for it; and
- (b) the owner of the produce or a person authorised to act in his behalf applies to have the sale postponed till the next day or, if a market is held at the place of sale, the next market day.
The sale shall be postponed accordingly and shall be then completed, whatever price may be offered for the produce.

33. (1) Where the property to be sold is a growing crop and the crop from its nature admits of being stored but has not yet been stored, the day of the sale shall be so fixed as to admit of its being made ready for storing before the arrival of such day, and the sale shall not be held until the crop has been cut or gathered and is ready for storing.

(2) Where the crop from its nature does not admit of being stored, or where it appears to the Revenue Officer that the

अधिकारी को यह प्रतीत हो कि उस फसल को अपरिपक्व अवस्था में और अधिक फायदे के साथ बेचा जा सकता है, वहां यह काटी जाने तथा इकट्ठी की जाने से पहले बेची जा सकेगी, और क्रेता भूमि पर प्रवेश करने और उसकी देखभाल करने तथा उसे काटने या इकट्ठी करने के प्रयोजन से समर्त आवश्यक बातें करने का हकदार होगा।

34. (1) जहाँ जंगम सम्पत्ति लोक नीलाम द्वारा बेची जाती है, वहां प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय पर संदर्भ किया जायेगा या उसके पश्चात् शीघ्र ही ऐसे समय पर संदर्भ किया जायेगा जो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट करे जो कि विक्रय कर रहा है और संदाय में व्यक्तिक्रम होने पर, सम्पत्ति तत्क्षण ही फिर से बेची जायेगी।

(2) क्रयधन का संदाय कर दिये जाने पर उसके लिये रसीद वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति देगा जो कि विक्रय कर रहा है और विक्रय आत्यन्तिक हो जायेगा।

(3) जहाँ बेची जाने वाली जंगम सम्पत्ति ऐसे माल में अंश है जो कि बकायादार और किसी सहस्यामी का है और दो या अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक ऐसा सहस्यामी है, ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी लॉट के लिये एक ही राशि की बोली लगाते हैं, वहाँ वह बोली उस सहस्यामी की बोली समझी जायेगी।

35. जंगम सम्पत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी अनियमितता से विक्रय दूषित नहीं होगा, किन्तु जिस किसी व्यक्ति को कोई क्षति ऐसी अनियमितता के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुई है वह उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिये या (यदि वह अन्य व्यक्ति क्रेता है) तो उसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिये और ऐसे प्रत्युद्धरण में व्यक्तिक्रम होने पर प्रतिकर के लिये वाद ला सकेगा।

crop can be sold to greater advantage in an unripe state, it may be sold before it is cut and gathered, and the purchaser shall be entitled to enter on the land and to do all that is necessary for the purpose of tending and cutting or gathering it.

34. (1) Where movable property is sold by public auction, the price of each lot shall be paid at the time of sale or as soon after as the officer or other person holding the sale directs, and in default of payment the property shall forthwith be resold.

(2) On payment of the purchase money, the officer or other person holding the sale shall grant a receipt for the same, and the sale shall become absolute.

(3) Where the movable property to be sold is a share in goods belonging to the defaulter and a co-owner, and two or more persons, of whom one is such co-owner, respectively bid the same sum for such property or for any lot, the bidding shall be deemed to be the bidding of the co-owner.

35. No irregularity in publishing or conducting the sale of movable property shall vitiate the sale; but any person sustaining any injury by reason of such irregularity at the hand of any other person may institute a suit against him for compensation or (if such other person is the purchaser) for the recovery of the specific property and for compensation in default of such recovery.

36. (1) जहाँ बेची गई सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति है जिसका वास्तविक अभिग्रहण कर लिया गया है, वहाँ वह क्रेता को परिदृत की जायेगी।

(2) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में, राज्य अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को क्रेता मैं या जैसा निदेश क्रेता दे उसके अनुसार विहित करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तदनुसार निहित होगी।

स्थावर सम्पत्ति का विक्रय

37. स्थावर सम्पत्ति के प्रत्येक विक्रय पर वह व्यक्ति, जिसे क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन को रकम के पच्चीस प्रतिशत का निष्केप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निष्केप करने में व्यतिक्रम होने पर वह सम्पत्ति तत्क्षण फिर बेची जायेगी।

38. क्रयधन की संदेय पूरी रकम का क्रेता द्वारा संदाय सम्पत्ति के विक्रय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा।

39. नियम 38 में वर्णित कालावधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निष्केप, यदि राजस्व अधिकारी ठीक समझे, विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात् सरकार को सम्पर्क किया जा सकेगा और सम्पत्ति का फिर से विक्रय किया जायेगा और उस सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिये उसका तत्पश्चात् विक्रय किया जाय उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के समस्त दावे सम्पर्क हो जायेंगे।

40. (1) जहाँ स्थावर सम्पत्ति इस संहिता के अधीन बेच दी गई है वहाँ या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी या उसमें ऐसे हक के आधार पर, जो ऐसे विक्रय

36. (1) Where the property sold is movable property of which actual seizure has been made, it shall be delivered to the purchaser.

(2) In the case of any other movable property, the Revenue Officer may make an order vesting such property in the purchaser or as he may direct; and such property shall vest accordingly.

SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

37. On every sale of immovable property the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of twenty-five per cent on the amount of his purchase money to the officer or other person conducting the sale, and in default of such deposit, the property shall forthwith be resold.

38. The full amount of purchase money payable shall be paid by the purchaser within fifteen days from the date of the sale of the property.

39. In default of payment within the period mentioned in Rule 38, the deposit may, if the Revenue Officer thinks fit after defraying the expenses, of the sale, be forfeited to the Government, and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

40. (1) Where immovable property has been sold under this Code, any person, either owning such property or holding an interest therein by virtue of a title acquired before such sale may, at any time within

के पूर्व अर्जित किया गया था, हितबद्ध कोई व्यक्ति –

- (क) क्रेता को दिये जाने के लिये, क्रयधन के पांच प्रतिशत के बराबर रकम,
- (ख) बकाया रकम के भुगतान मद्दे, विक्रय की उद्घोषणा में ऐसी रकम के रूप में विनिर्दिष्ट रकम, जिसकी वसूली के लिये विक्रय का आदेश किया गया था और जिसमें से विक्रय की उद्घोषणा की तारीख के पश्चात् उस मद्दे चुकाई गई रकम घटा दी गई हो, और
- (ग) विक्रय के खर्च,

उस विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय निक्षेप करने पर राजस्व अधिकारी को विक्रय अपारत कराने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा निक्षेप विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है; तो राजस्व अधिकारी विक्रय को अपारत करने वाला आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसे विक्रय को अपारत कराने के लिये नियम 41 के अधीन आवेदन करता है तो वह इस नियम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

41. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके कि हित ऐसे विक्रय द्वारा प्रभावित होते हों, उस विक्रय को विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी तात्त्विक अनियमितता या भूल के आधार पर अपारत करने के लिये राजस्व अधिकारों को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर सकेगा और राजस्व अधिकारी, उस विक्रय द्वारा प्रभावित हुए व्यक्तियों को सूचना देने के

thirty days from the date of sale, apply, to the Revenue Officer to have the sale set aside on his depositing—

- (a) for payment to the purchaser, a sum equal to five per cent of the purchase money;
- (b) for payment on account of the arrear, the amount specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which the sale was ordered less any amount which may have been paid since the date of the sale on this account; and
- (c) the cost of the sale.

(2) If such deposit is made within thirty days from the date of the sale the Revenue Officer shall pass an order setting aside the sale:

Provided that, if a person applies under Rule 41 to have such sale set aside, he shall not be entitled to make an application under this rule.

41. At any time within thirty days from the date of sale, any person whose interests are affected by such sale may apply to the Revenue Officer to set aside the sale on the ground of some material irregularity or mistake in publishing or conducting it, and the Revenue Officer may, after giving notice to the persons affected thereby, pass an order setting aside the sale and may order resale; but no sale shall be set aside on such grounds unless the applicant proves

पश्चात् विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा और पुनः विक्रय के लिये आदेश दे सकेगा, किन्तु कोई भी विक्रय ऐसे आधारों पर तब तक अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक राजस्व अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह संबित न कर दे कि ऐसी अनियमितता या भूल के कारण उसे सारवान क्षति हुई है।

42. किसी ऐसे मामले में के सिवाय जहाँ कि भूमि का विक्रय ऐसे बकाया के लिये किया गया हो जो कि भूमि पर भार बनता है, जहाँ क्रेता इस आधार पर कि बेची गई सम्पत्ति में बकायादार का कोई विक्रय हित नहीं था, विक्रय को अपास्त कराने के लिये राजस्व आकारी को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर सकेगा और राजस्व अधिकारी, सम्यक् जांच करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो कि वह ठीक समझे।

43. नियम 41 के अधीन कोई भी पुनर्विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि नियम 26 में अधिकारित किये गये अनुसार नवीन उद्घोषणा प्रकाशित नहीं कर दी जाती है।

44. यदि विक्रय की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर, नियम 40, 41 या 42 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और वह नामन्त्रूर कर दिया गया है, राजस्व अधिकारी विक्रय की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि कलेक्टर के पास यह समझने का कारण हो कि –

- (एक) इस बात के होते हुए भी कि कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया है; या
- (दो) किसी ऐसे आवेदन में, जो किया गया हो

to the satisfaction of the Revenue Officer that he has sustained substantial injury by such irregularity or mistake.

42. Except in a case where land has been sold for arrears, which form a charge on the land, the purchaser may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to the Revenue Officer to set aside the sale on the ground that the defaulter had no saleable interest in the property sold and the Revenue Officer shall, after due inquiry, pass such orders on such application as he deems fit.

43. No resale under Rule 41 shall be made until a fresh proclamation has been published as laid down in Rule 26.

44. On the expiry of thirty days from the date of sale, if no application has been made under Rule 40, 41 or 42 or if such application has been made and rejected, the Revenue Officer shall pass an order confirming the sale:

Provided that, if the Collector has reason to think that the sale ought to be set aside —

- (i) notwithstanding that no such application has been made; or
- (ii) on grounds other than those alleged in any application which has been made and rejected; or

तथा नामंजूर कर दिया गया हो, कथित आधारों से भिन्न आधारों पर; या

(तीन) इस बात के होते हुए भी कि विक्रय की तारीख से तीस दिन की कालावधि का अवसान हो गया है;

विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो वह, विक्रय की पुष्टि करने के आदेश देने के पूर्व किसी भी समय, विक्रय को अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् अपास्त कर सकेगा।

45. (1) यदि नियम 41 के अधीन कोई आवेदन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसे समर्त दावे, जो अनियमिता या भूल के आधार पर किये जा सकते हों, वर्जित हो जायेंगे।

(2) उपनियम (1) में की कोई भी बात विक्रय को कपट के आधार पर या इस आधार पर कि वह बकाया, जिसके कि लिये सम्पत्ति बेची गई है, शोध्य नहीं है या इस आधार पर कि बेची गई सम्पत्ति में बकायादार का कोई विक्रय हित नहीं था अपास्त कराने के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित किये जाने का वर्जन नहीं करेगी।

46. यदि किसी सम्पत्ति का विक्रय नियम 40, 41, 42 या 44 के अधीन अपास्त कर दिया जाता है, तो क्रेता द्वारा निक्षिप्त क्रय धन की रकम उसे लोटा दी जायेगी।

क्रय का प्रमाणपत्र तथा कब्जे का

परिदान

47. यदि किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो, तो राजस्व अधिकारी क्रेता को एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें वह तारीख जिसको कि विक्रय की पुष्टि की गई हो, बेची गई सम्पत्ति तथा

(iii) notwithstanding that a period of thirty days from the date of sale has expired;

he may, after recording his reasons in writing, set aside the sale at any time before making an order confirming the sale.

45. (1) If no application under Rule 41 is Made within the time allowed therefore, all claims on the grounds of irregularity or mistake shall be barred.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall bar the institution of a suit in the Civil Court to set aside a sale on the ground of fraud or on the ground that the arrear for which the property is sold is not due or on the ground that the defaulter had no saleable interest in the property sold.

46. If the sale of any property is set aside under Rule 40, 41, 42 or 44 the amount of purchase money deposited by the purchaser shall be refunded to him.

CERTIFICATE OF PURCHASE AND DELIVERY OF POSSESSION

47. If the sale of any immovable property has been confirmed, the Revenue Officer shall grant a certificate to the purchaser specifying the date on which the sale is confirmed, the property sold, and the name of the purchaser and shall put the purchaser in possession of such property.

क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा और क्रेता को ऐसी सम्पत्ति का कब्जा दिलायेगा।

(48) (1) जहाँ सम्पत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करने में क्रेता का किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है, वहाँ वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन राजस्व अधिकारी को कर सकेगा।

(2) राजस्व अधिकारी उस बात के अन्वेषण के लिये तारीख नियत करेगा और जिस पक्षकार के विरुद्ध आवेदन किया गया है उसे उपसंजात होने तथा उत्तर देने के लिये समन करेगा।

49. जहाँ राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) बकायादार द्वारा या उसके उकसाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; या
(ख) उस भूमि का, जो कि उसके सम्बन्ध में शोध्य भू-राजस्व के बकाया के लिये बेची गई थी, क्रय किये जाने के मामले में किसी भी व्यक्ति द्वारा;
ऐसा प्रतिरोध किया गया था या ऐसी बाधा डाली गई थी, तो वह यह निदेश देगा कि क्रेता को उस सम्पत्ति का कब्जा दिया जाय।

50. जहाँ किसी ऐसे मामले में, जिसको कि नियम 49 लागू नहीं होता है, राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिरोध या बाधा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था या डाली गई थी जो स्वयं अपनी ओर से या बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति की ओर से ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा रखने का सदभावपूर्वक दावा करता है, वहाँ राजस्व अधिकारी आवेदन को खारिज करने वाला आदेश करेगा।

51. (1) जहाँ बकायादार से भिन्न कोई व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के क्रेता द्वारा ऐसी सम्पत्ति से

48. (1) Where the purchaser is resisted or obstructed by any person in obtaining possession of the property, he may make an application to the Revenue Officer complaining of such resistance or obstruction.

(2) The Revenue Officer shall fix a date for investigating the matter and shall summon the party against whom the application is made to appear and answer the same.

49. Where the Revenue Officer is satisfied that the resistance or obstruction was occasioned –

(a) by the defaulter or some Other person at his instigation; or
(b) by any person in the case of a purchase of land sold for arrears of land revenue due in respect thereof;

he shall direct that the purchaser be put into possession of the property.

50. Where in any case to which Rule 49 does not apply, the Revenue Officer is satisfied that the resistance or obstruction was caused by any person claiming in good faith to be in possession of the property on his Own account or on account of some person other than the defaulter, the Revenue Officer shall make an order dismissing the application.

51. (1) Where any person other than the defaulter is dispossessed of immovable property by the purchaser of such

बेकब्जा कर दिया जाता है, वहां वह इस प्रकार बेकब्जा किये जाने का परिवाद करते हुए राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) राजस्व अधिकारी उस बात के अन्वेषण के लिये तारीख नियत करेगा और क्रेता को उपसंजात होने तथा उत्तर देने के लिये समन करेगा।

52. जहाँ राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्वयं अपनी ओर से या बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति की ओर से सम्पत्ति पर कब्जा रखता था, वह निर्देश देगा कि सम्पत्ति पर आवेदक का कब्जा कराया जाय।

53. बकायादार से भिन्न कोई भी पक्षकार, जिसके विरुद्ध नियम 49, 50 या 52 के अधीन आदेश किया गया है, उस अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद संस्थित कर सकेगा जिसका कि दावा वह सम्पत्ति के तत्काल कब्जे के लिये करता है, किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधिकारी रहते हुए आदेश निश्चायक होगा।

साक्षियों की परीक्षा करने के लिये कमीशन

54. कोई भी राजस्व अधिकारी किन्हीं भी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रेशनों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी कर सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से छूट मिली हो या जो रुग्णता या अंगशैथिल्य के कारण न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ हो।

55. साक्षी की परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी करने का आदेश राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के या उस साक्षी के जिसकी परीक्षा की जानी है, ऐसे आवेदन पर, जो शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित हो, किया जा सकेगी।

56. कोई भी राजस्व अधिकारी —

property, he may make an application to the Revenue Officer complaining of such dispossession.

(2) The Revenue Officer shall fix a date for investigating the matter and shall summon the purchaser to appear and answer the same.

52. Where the Revenue Officer is satisfied that the applicant was in possession of the property on his own account, or on account of some person other than the defaulter, he shall direct that the applicant be put into possession of the property.

53. Any party not being a defaulter against whom an order is made under Rule 49, 50 or 52 may institute a suit to establish the right which he claims to the present possession of the property but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

COMMISSIONS TO EXAMINE WITNESSES

54. Any Revenue Officer may in any proceedings issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of any person who is exempted from attending the Court or who is from sickness or infirmity unable to attend it.

55. An order for the issue of a commission for the examination of a witness may be made by the Revenue Officer either of his own motion or on the application, supported by affidavit or otherwise, of any party to the proceedings or of the witness to be examined.

56. Any Revenue Officer may, in any proceedings issue a commission for the examination of —

(क) अपनी अधिकारिता की रथानीय सीमाओं से परे निवासी किसी भी व्यक्ति की;	(a) any person resident beyond the local limits of his jurisdiction;
(ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है जिसको कि न्यायालय में परीक्षा की जाने के लिये वह अपेक्षित है;	(b) any person who is about to leave such limits before the date on which he is 'required to be examined in Court';
(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके कि बारे में ऐसे राजस्व अधिकारी की यह राय हो कि लोक सेवा का अपाय किये दिना वह हाजिर नहीं हो राकता,	(c) any person in the service of the Central or the State Government who cannot, in the opinion of such Revenue Officer, attend without detriment to the public service.

परीक्षा करने के लिये कमीशन किही भी कार्यवाहियों में जारी कर सकेगा ।

57. (1) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि न्यायालय उसका निष्पादन करने के लिये ठीक समझता है, या किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को, जो सुविधापूर्वक ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता हो, जारी किया जा सकेगा ।

(2) प्रत्येक राजस्व अधिकारी, जिसे किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये कमीशन प्राप्त हो, उसके अनुसरण में उसकी परीक्षा करेगा या करवायेगा ।

(3) राजस्व अधिकारी, कोई भी कमीशन इस नियम के अधीन जारी करने पर यह निदेश देगा कि क्या कमीशन उसको ही लौटाया जायेगा या कि उसके किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को ।

58. जहाँ कमीशन का सम्यक्रूप से निष्पादन कर दिया गया हो, वहाँ वह उसके अधीन लिये गये साक्ष्य सहित उस राजस्व अधिकारी को जिसने कि उसे जारी किया था, उस दशा के सिवाय लौटा दिया जायेगा जिसमें कि कमीशन जारी करने वाले आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो और उस दशा में कमीशन ऐसे आदेश के उपबन्धों के अनुसार लौटाया जायेगा और कमीशन और उसके

57. (1) A commission for the examination of a person may be issued to any person whom the Court thinks fit to execute it, or to any other Revenue Officer who can conveniently examine such person.

(2) Every Revenue Officer receiving a commission for the examination of any person shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto.

(3) The Revenue Officer on issuing any commission under this rule shall direct whether the commission shall be returned to himself or to any Revenue Officer subordinate to him.

58. Where a commission has been duly executed, it shall be returned together with the evidence taken under it, to the Revenue Officer by whom it was issued, unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order; and the commission and the return thereto and the evidence taken under it shall (subject to the provisions of

साथ वाली विवरणी और उसके अधीन लिया गया साक्ष्य (ठीक आगामी नियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए) कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगे ।

59. कमीशन के अधीन लिया गया साक्ष्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उस पक्षकार की सम्मति के बिना जिसके कि विरुद्ध वह दिया गया है, उस दशा के सिवाय नहीं पढ़ा जायेगा, जिसमें कि –

- (क) वह व्यक्ति जिसने साक्ष्य दिया है, न्यायालय की अधिकारिता के परे है, या मर गया है या रुग्णता या अंगशैथिल्य के कारण वैयक्तिक रूप से परीक्षा किये जाने के लिये हाजिर होने में असमर्थ है या न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाया हुआ है, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में का ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में राजस्व अधिकारी की राय है कि वह लोक सेवा का अपाय किये बिना हाजिर नहीं हो सकता ।
- (ख) राजस्व अधिकारी खंड (क) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी के भी साबित किये जाने से अभिमुक्त स्वयिवेकानुसार दे देता है और किसी व्यक्ति के साक्ष्य को कार्यवाहियों में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाना, इस सबूत के होते हुए भी कि कमीशन के माध्यम द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने का हेतुक उसके पढ़े जाने के समय जाता रहा है, प्राधिकृत कर देता है ।

60. राजस्व अधिकारी इन नियमों के अधीन कोई कमीशन जारी करने के पूर्व यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि (यदि कोई हो), जैसी कि वह कमीशन के व्ययों के लिये युक्तियुक्त समझे, नियत किये जाने वाले समय के भीतर उस पक्षकार द्वारा भुगतान की जाय जिसकी कि प्रेरणा पर या जिसके

the next following rule) form part of the record of the proceedings.

59. Evidence taken under a commission shall not be read as evidence in the proceeding without consent of the party against whom the same is offered, unless

- (a) the person who gave the evidence is beyond the jurisdiction of the Court, or dead or unable from sickness or infirmity to attend to be personally examined, or exempted from personal appearance in Court, or is a person in the service of the Central or the State Government who cannot, in the opinion of the Revenue Officer, attend without detriment to the public service.
- (b) the Revenue Officer in his discretion dispenses with the proof of any of the circumstances mentioned in clause (a) and authorises the evidence of any person being read as evidence in the proceedings, notwithstanding proof that the cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same.

60. Before issuing any commission under these rules, the Revenue Officer may order such sum (if any) as he thinks reasonable for the expenses of the commission to be, within a time to be fixed, paid by the party at whose instance or for whose benefit the commission is issued.

कि फायदे के लिये कमीशन जारी किया जाना है।

61. (1) साक्षियों को समन करने, साक्षियों की हाजिरी और साक्षियों के परीक्षा संबंधी और साक्षियों के पारिश्रमिक तथा उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्त्रियों सम्बन्धी इस संहिता के उपबन्ध उन सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा इन नियमों के अधीन की गई है और कमीशन के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वह राजस्व न्यायालय है।

(2) कमिशनर कोई ऐसी आदेशिका जारी करने के लिये, जिसे वह साक्षी के नाम या विरुद्ध जारी करना आवश्यक पाये, ऐसे किसी राजस्व अधिकारी से, जिसकी कि अधिकारिता की रथानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा राजस्व अधिकारी, ख्यालेकानुसार, ऐसी आदेशिका जारी कर सकेगा जैसी कि वह युक्तियुक्त तथा उचित समझे।

62. (1) जहां कि कमीशन इन नियमों के अधीन जारी किया जाता है, वहां राजस्व अधिकारी यह निदेश देगा कि कार्यवाहियों के पक्षकार कमिशनर के सामने या तो स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के या प्लीडरों के द्वारा उपसंजात हों।

(2) जहां कि समस्त पक्षकार या उनमें से कोई ऐसे उपसंजात न हों वहां कमिशनर उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा।

अवयस्कों तथा विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा
या उनके विरुद्ध कार्यवाही

63. अवयरक द्वारा प्रत्येक आवेदन, अवयरक के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अवयस्क के नाम से दिया जायेगा।

61. (1) The provisions of this Code relating to the summoning, attendance and examination of witnesses, and to the remuneration of, and penalties to be imposed upon witness, shall apply to persons required to give evidence or to produce documents under these rules and for the purposes of this rule the Commissioner shall be deemed to be a Revenue Court.

(2) A Commissioner may apply to any Revenue Officer within the local limits of whose jurisdiction a witness resides for the issue of any process which he may find it necessary to issue to, or against, such witness, and such Revenue Officer may, in his discretion, issue such process as he considers reasonable and proper.

62. (1) Where a commission is issued under these rules, the Revenue Officer shall direct that the parties to the proceedings shall appear before the Commissioner in person or by their agents or pleaders.

(2) Where all or any of the parties do not so appear, the Commissioner may proceed in their absence.

PROCEEDING BY OR AGAINST MINORS AND PERSONS OF UNSOULD MIND

63. Every application by a minor shall be filed in his name by a person acting as the guardian of the minor.

64. जहां अनावेदक अवयस्क है, वहां राजस्व अधिकारी उसकी आवश्यकता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये ऐसे अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करेगा।

65. कोई भी व्यक्ति, जो रवरथित है तथा वयस्क हो गया है और जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल नहीं है, कार्यवाहियों में अवयस्क पक्षकार के संरक्षण के रूप में कार्य कर सकेगा।

66. उस दशा में, जब कि अनावेदक अवयस्क हो और नियुक्त किये गये संरक्षक के पास आवश्यक व्ययों की पूर्ति के लिये कोई निधियाँ न हो, राजस्व अधिकारी आवेदक को वह निदेश दे सकेगा कि वह उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि जमा करे। आवेदक द्वारा इस प्रकार उपगत किये गये खर्च, खर्च के सम्बन्ध में पारित किये गये अन्तिम आदेश के अनुसार समायोजित किये जायेंगे।

67. (1) कोई संरक्षक अवयस्क की ओर कोई करार या समझौता उन कार्यवाहियों के बारे में जिनमें वह अवयस्क के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, राजस्व अधिकारी की इजाजत के बिना नहीं करेगा जो इजाजत कार्यवाहियों में स्पष्टतया अभिलिखित की जायगी।

(2) राजस्व अधिकारी की ऐसी अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी ऐसा करार या समझौता अवयस्क से भिन्न समस्त पक्षकारों के विरुद्ध शून्यकरणीय होगा।

68. नियम 63 से 67 तक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित विकृतचित्त व्यक्तियों को लागू होंगे।

64. Where the non-applicant is a minor the Revenue Officer, on being satisfied of the fact of his minority, shall appoint a proper person to be the guardian of such minor for the purpose of the proceedings

65. Any person who is of sound mind and has attained majority and whose interest is not adverse to that of the minor may act as guardian for a minor party in the proceedings.

66. In the case where a non-applicant is a minor and the guardian appointed has no funds to meet the necessary expenses, the Revenue Officer may direct the applicant to deposit a sufficient sum for the purpose. The costs so incurred by the applicant shall be adjusted in accordance with the final order passed in respect of the costs.

67. (1) No guardian shall, without the leave of the Revenue Officer, expressly recorded in the proceeding, enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the proceedings in which he acts as his guardian.

(2) Any such agreement or compromise entered into without the leave of the Revenue Officer so recorded, shall be voidable against all parties other than the minor.

68. The provisions contained in Rules 63 to 67, shall apply *mutatis mutandis* to persons of unsound mind.

अनुसूची-2

(धारा 261 देखिये)

वर्ष (1)	क्रमांक (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1942	6	मध्य प्रांत तथा बरार हिन्दू महिला का संपत्ति में अधिकार (कृषि भूमि तक विस्तार) अधिनियम, 1942	सम्पूर्ण
1942	VI	The Central Provinces and Berar Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Land) Act, 1942.	The whole
1955	2	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1954	सम्पूर्ण
1955	II	The Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1954.	The whole
1957	6	मध्यप्रदेश आयुक्त पद सृजन अधिनियम, 1957	सम्पूर्ण
1957	VI	The Madhya Pradesh Creation of Commissioners Act, 1957.	The whole
1931	1	इन्दौर भू-राजस्व तथा कृषकाधिकार अधिनियम, 1931	सम्पूर्ण
1931	I	Indore Land Revenue and Tenancy Act, 1931.	The whole
1940-41		बड़वानी रियासत संकल्प क्रमांक 67	सम्पूर्ण
1940-41		Barwani State Resolution No. 67.	The whole
1941	8	इन्दौर पट्टेदार कृषकों की वंधक भूमि का प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1941	सम्पूर्ण
1941	VIII	Indore Restitution of Pattedar Tenants Mortgaged Land Act, 1941	The whole
1941-42		धार लेंड रेवेन्यू एंड टेनेन्सी एक्ट, 1941-42 (धार भू-राजस्व तथा कृषकाधिकार अधिनियम, 1941-42) कवायद तराशी व अताए चकूक पड़ती काबिल काश्त ग्वालियर, संवत् 1983	/ सम्पूर्ण The whole
1941-42		Dhar Land Revenue and Tenancy Act, 1941-42. Qawayad Tarashi wa Ataya Chakook Parti Qabil Kast Gwalior, Samvat 1983.	/
1949	25	मध्यभारत जागीरों के भू-लेख संग्रह प्रबंध विधान, संवत् 2006	सम्पूर्ण
1949	25	Madhya Bharat Jagir Tenants Restoration of Land Act, Samvat 2006.	सम्पूर्ण
1949	26	मध्यभारत जागीरी कृषिक-भूमि प्रत्यर्पण विधान, संवत् 2006	सम्पूर्ण
1949	26	Madhya Bharat Jagir Tenants Restoration of Land Act, Samvat 2006.	सम्पूर्ण
1950	66	मध्यभारत भू-आगम एवं कृषिकाधिकार विधान, संवत् 2007	सम्पूर्ण
1950	66	Madhya Bharat Land Revenue and Tenants Act, samvat	The whole

SCHEDULE II

(See Section 261)

Year (1)	Number (2)	Short title (3)	Extent of repeal (4)
1954	32	मध्यभारत माफी तथा इनाम कृषक एवं उप कृषक संरक्षण विधान, 1954	सम्पूर्ण
1954	32	Madhya Bharat Muafi and Inam Tenants and Sub-tenants Protection Act, 1954	The whole
1955	29	मध्यभारत रैयतवारी उप-पट्टेदार संरक्षण विधान, 1955	सम्पूर्ण
1955	29	Madhya Bharat Ryotwari sub-lessee Protection Act, 1955	The whole
1946		रीवा राज्य हक्काफा अधिनियम, 1946	जहां तक कि वह कृषि भूमि से संबंधित है
1946		The Rewa State Pre-emption Act, 1946	So far as it relates to agricultural land.
1955	3	विंध्य प्रदेश भू-राजस्व एवं कृषकाधिकार अधिनियम, 1953	सम्पूर्ण
1955	III	Vindhya Pradesh Land Revenue and Tenancy act, 1953.	The whole
1932	4	भोपाल राज्य भू-राजस्व अधिनियम, 1932	सम्पूर्ण
1932	IV	The Bhopal State Land Revenue Act, 1932.	The whole
1953	7	भोपाल राज्य उपकृषक संरक्षण अधिनियम, 1952	सम्पूर्ण
1953	VII	The Bhopal State Sub-Tenants Protection Act, 1952.	The whole
1955	1	भोपाल राज्य उपकृषक (दखलकारों के) संरक्षण अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1955	1	The Bhopal State Sub-Tenants(of Occupants) Protection Act, 1954.	The whole
1951	1	राजस्थान राजस्व न्यायालय (प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार) अधिनियम, 1951	सम्पूर्ण
1951	1	The Rajasthan Revenue Courts (Procedure and The whole Jurisdiction) Act, 1951.	The whole
1952	5	राजस्थान शासकीय मांग वसूली अधिनियम, 1952	सम्पूर्ण
1952	V	The Rajasthan Public Demands Recovery Act, 1952.	The whole
1953	19	राजस्थान भूमि संक्षिप्त बंदोबस्त अधिनियम, 1953	सम्पूर्ण
1953	XIX	The Rajasthan Lands Summary Settlement Act, 1953.	The whole

(1)	(2)	(3)	(4)
1954	9	राजस्थान का भाड़ा दर अवधारण तथा मान्यताकरण अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1954	IX	The Rajasthan Rent Rates Determination and Validation Act, 1954.	The whole
1954	26	राजस्थान खाता (चकबंदी तथा विखंडन की रोक) अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1954	XXVI	The Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1954.	The whole
1954	27	राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1954	XXVII	The Rajasthan Colonisation Act, 1954.	The whole
1955	3	राजस्थान कृषकाधिकार अधिनियम, 1955	सम्पूर्ण
1955	3	The Rajasthan Tenancy Act, 1955	The whole
1956	15	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956	सम्पूर्ण
1956	15	The Rajasthan Land Revenue Act, 1956	The whole
1956	16	राजस्थान भाड़ा दरों का पुनर्विलोकन तथा मान्यताकरण (पुनर्नवीकरण) अधिनियम, 1956	सम्पूर्ण
1956	16	The Rajasthan Review and Validation of Rent Rates (Revival) Act, 1956	The whole

अनुसूची-3

[धारा 262(3) देखिये]

विधि का नाम

SCHEDULE III

[See Section 262(3)]

Name of Law

1. इन्दौर भू-राजस्व एवं कृषकाधिकार अधिनियम।
The Indore Land Revenue and Tenancy Act.
2. इन्दौर जागीरदार मैन्युअल।
Indore Jagirdaran Manual.
3. कवायद जागीरदारान, ग्वालियर।
Qawaid Jagirdaran, Gwalior.
4. कवायद मुआफीदारान जुज्ज्वे आराजी, रियासत ग्वालियर।
Qawaid Muafidaran Jauzwe Arazi Riyasat, Gwalior.
5. राजगढ़ राज्य के जागीर तथा मुआफी नियम।
Jagir and Muafi Rules of the Rajgarh State.
6. धार भू-राजस्व अधिनियम
Dhar Land Revenue Act.
7. धारा राज्य के मुआफी नियम।
Muafi Rules of the Dhar State.
8. देवास (सीनियर) के इनाम नियम।
Inam Rules of the Dewas (Senior).
9. देवास (जूनियर) भू-राजस्व एवं कृषकाधिकार अधिनियम।
Land Revenue and Tenancy Act of Dewas (junior)
10. देवास(जूनियर) के मुआफी नियम।
Muafi Rules of Dewas (Junior).
11. झाबुआ राज्य के कवायद मुआफी नियम।
Qawaid Muafi Rules of the Jhabua State.
12. बर्वानी राज्य के नजराना नियम।
Nazarana Rules of the Barwani State.